एकादश माला, खंड 9, अंक 3

सोमवार, 24 फरवरी, 1997
5 फाल्गुन, 1918 (शक)

No. 56
Date 30.12.97

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 24 फरवरी, 1997/5 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(1)	नीचे से 3	औद्योगिक पुनर्निर्माण	औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
104	15	श्री मुही राम सैकिय	श्री मुही राम सैकिया
169	नीचे से 7	श्री तारीक अनवर	श्री तारिक अनवर
254	21	श्री तारीक अनवर	श्री तारिक अनवर
312	2	लक्समबर्ग	लक्समबर्ग
388	18	गरीबी की रेखा	गरीबी के रेखा के ऊपर
436	23	शामिल किए जान	शामिल किए जाने

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1997/1918 (शक)]

अंक 3, सोमवार, 24 फरवरी, 1997/5 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
बारीपाड़ा, उड़ीसा में लगी आग में मारे गए व्यक्तियों का निधन संबंधी उल्लेख	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23, 25, 26, 36 और 31	4–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 24, 27 से 30, 32 से 35 और 37 से 40	31–61
अतारांकित प्रश्न संख्या 168 से 397	62–385
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण	386–387
(दो) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	387–388
सभा पटल पर रखे गये पत्र	389–392
नियम समिति	
पहला प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**	393
नियम समिति	
कार्यवाही सारांश – **सभा पटल पर रखा गया**	394
उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में	394–417
विधेयक – पुरःस्थापित	
(एक) निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक	418
(दो) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक	419
(तीन) औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक	420
(चार) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक	421
निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण – **सभा पटल पर रख गया**	419
विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण – **सभा पटल पर रखा गया**	420
औद्योगिक पुनर्निर्माण (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश के बारे में विवरण – **सभा पटल पर रखा गया**	421

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले	435–439
(एक) बरेली, उत्तर प्रदेश में बाई-पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार गंगवार	435
(दो) कन्नानोर, केरल में सैनिक अस्पताल के चालू रहने को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	435
(तीन) बिहार की नवीनगर ताप बिजली परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	436
(चार) तमिलनाडु राज्य के किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए पेरियार बांध में पानी छोड़ने के लिए केरल सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्‌यन	437
(पांच) निर्वाचन क्षेत्रों विशेषत: लद्दाख क्षेत्र के परिसीमन के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री पी. नामग्याल	437
(छ:) दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता	
लेफ्टीनैंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	438
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	439–518, 520–528
श्री शरद यादव	440–462
श्री एन.एस.वी. चित्‌यन	462–469
डा. मुरली मनोहर जोशी	470–498
श्री राजेश पायलट	498–518
श्री मनोरंजन भक्त	520–528
हुगली के समीप हावड़ा-दिल्ली मेल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में	519–520

लोक सभा

सोमवार, 24 फरवरी, 1997/5 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

बारीपाड़ा, उड़ीसा में लगी आग में मारे गए व्यक्तियों का निधन सम्बन्धी उल्लेख

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): उड़ीसा में दो सौ लोगों की जान चली गई इसलिए हमें शोक के साथ सभा की कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह काम हम कल करेंगे क्योंकि आज लगभग 12.30 बजे प्रधानमंत्री उड़ीसा जा रहे है। वे दो-तीन संसद सदस्यों को भी अपने साथ ले जाने पर सहमत हो गए हैं जिसमें से एक विपक्ष का, एक कांग्रेस का और एक शासक दल का सदस्य होगा – हेलिकाप्टर में स्थानाभाव के कारण सभी दलों के सदस्यों को नहीं ले जाया जा सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह तो चर्चा के लिए होगा लेकिन शोक तो आज ही प्रकट किया जा सकता है। वहां दो सौ लोगों की मौत हो गई है।

श्री बीजू पटनायक (अस्का): मौतें तो हो चुकी हैं। हम कम से कम उनकी मृत्यु पर दुःख तो व्यक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। हम वहां जाकर उनके मृत शरीर को ही देख पाएंगे, तत्पश्चात् उन्हें जला दिया जाएगा। परन्तु तथ्य यह है कि ऐसा हुआ है और यह सदन एक मिनट के लिए उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे आज ही करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

आप कुछ बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया-बिहार) : सभी पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभी पार्टी के नेताओं के लिए हेलीकोप्टर में थोड़ी सीट की प्रॉब्लम है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, उड़ीसा में जो ये घटनाएं घटीं और शॉर्ट-सरकिट में आग लग जाने के कारण और अखबार से जो समाचार आए हैं, उसमें दो सौ से ज्यादा लोग जलकर मारे गए हैं और करीब सैकड़ों लोग अस्पताल में हैं तथा उनमें से बहुतों की हालत चिन्ताजनक है। यह घटना पूरे देश के लिए शोक का विषय है। प्रधान मंत्री जी वहां जा रहे हैं और अपोजीशन और दूसरे दल के भी नेता वहां जा रहे हैं। यह दैविक आपदा है या ह्यूमन फैल्योर है या किस कारण से हुआ है, यह तो प्रधान मंत्री जी जब वहां से वापस आएंगे, तभी उस संबंध में जानकारी देंगे। लेकिन इस दुखद घटना के ऊपर सारा सदन चिंतित है और सदन के नेता की हैसियत से मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति आपके माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, गहरे शोक की छाया में हम इकट्ठा हुए हैं। यद्यपि, त्रासदी का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कुछ जानकारी प्राप्त है, उससे पता लगता है कि सैकड़ों की संख्या में हमारे देशवासी वहां विपत्ति में फंसे हैं, उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। निश्चित रूप से घायलों की संख्या भी बहुत अधिक होगी। यह क्यों हुआ? इसकी छानबीन करना जरूरी है। जब कभी तीर्थ में या धार्मिक स्थल पर लोग एकत्र होते हैं तो जैसा प्रबंध होना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। अभी अमरनाथ की त्रासदी हमारे दिलों में ताजा है। उससे पहले कुम्भ में भी अत्यधिक भीड़ के कारण, अनुमान से अधिक भीड़ के कारण लोग हताहत हुए थे। अभी बिहार की सीमा से लगे हुए उड़ीसा के क्षेत्र में इतनी भयंकर दुर्घटना हो गई है, हम सब मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और यह चाहेंगे कि इस त्रासदी के सारे तथ्य छानबीन करके सदन के सामने रखे जाएं। प्रधान मंत्री जी वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ जाने वालों का एक सर्वदलीय स्वरूप हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में जो कुछ हुआ है, उसका असर पूरे देशवासियों पर हुआ होगा। जिस

परिस्थिति में यह दुर्घटना हुई, इसका पूरा नक्शा अभी देशवासियों के सामने नहीं है। सच बात यह है कि 200 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। किसी रिलीजीयस फंग्शन के लिए लोग वहां इकट्ठे हुए थे और शायद वहां शॉर्ट-सर्किट हुआ होगा या और कुछ भी बात हुई होगी। जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा, इससे पहले अमरनाथ में ऐसी स्थिति आई थी और पिछले साल हरियाणा में भी ऐसी स्थिति आई थी। आजकल जब बड़े पैमाने पर खास तौर से नौजवान इकट्ठे होते हैं, वहां ठीक तरह से आयोजन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दुर्घटना होती है और इसका असर बहुत बड़े परिवारों पर पड़ता है। इस दुर्घटना के कारण जो दुखी हैं, उनकी संवेदना में हम सब शामिल हैं। मैं अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि वास्तविक स्थिति देश के सामने आएगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उड़ीसा में मृत लगभग 200 व्यक्तियों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। जैसा कि पहले कहा गया है अमरनाथ यात्रा में भी ऐसी दुर्घटना घटी थी और इसमें सरकार ने बड़ी तत्परता से कार्यवाही की थी। अन्ततः यह जिम्मेदारी हम पर ही आती है। उचित व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हो जाती है और इसलिए ऐसी घटनाएं घटती है। हमें खुशी है कि जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हर सदस्य को इस विषय पर बोलने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों, मैं हाल ही में उड़ीसा में घटी अत्यधिक दुःखद घटना पर सदन द्वारा व्यक्त भावनाओं में स्वयं को शामिल करता हूं। जैसा कि कहा गया है, हमारे पास अभी सारे तथ्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री आज शाम वहां जाने वाले हैं। वह कल वापस आएंगे और अपना वक्तव्य देंगे। तब शायद हम इस पर चर्चा कर सकेंगे। अभी तो हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही चल रहे हैं।

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मृत व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े हो जाएं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बच्चों और लड़कियों का बेचा जाना

[हिन्दी]

*21. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में विशेषरूप से खाड़ी के देशों में भीख मांगने और दूसरे प्रयोजनों के लिए बड़ी संख्या में भारतीय बच्चों और लड़कियों को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश बच्चे पश्चिम बंगाल राज्य के होते हैं;

(घ) क्या संबंधित देशों की सरकारों ने ऐसे सभी बच्चों को भारत वापिस भेज दिया है;

(ङ) क्या सरकार ने बच्चों के तथाकथित अवैध और अमानवीय निर्यात के बारे में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (छ) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

सऊदी अरब की राजधानी के प्राधिकारियों ने 130 भारतीय बच्चों, जिनमें से अधिकांश विकलांग थे, को जद्दाह और मक्का तथा मदीना के पवित्र शहरों में उस समय पकड़ा जब वे भीख मांग रहे थे। सऊदी प्राधिकारियों ने रमजान के महीने के दौरान भिखारियों की धर-पकड़ की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में यह कार्रवाई उनकी राष्ट्रीयता का ध्यान किये बिना की। बाद में सऊदी प्राधिकारियों ने इन बच्चों को जद्दाह स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास द्वारा भारत वापस भेजने के लिए आवश्यक यात्रा

दस्तावेज जारी करके उन्हें भारत भेज दिया। उन्हें भेजने की कार्रवाई दो जत्थों में की गई अर्थात् 13 जनवरी, 1997 को 77 बच्चे (जिसमें 76 बालिकाएं और 1 बालक शामिल था) और 3 फरवरी 1997 को 47 बालक भेजे, इस प्रकार कुल 124 बच्चे भेजे। इसी प्रकार और 6 बच्चों को पकड़ा गया और उन्हें सऊदी अरब से वापस भेजा जा रहा है।

जद्दाह स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास के कर्मचारियों द्वारा की गई प्राथमिक पूछताछ के अनुसार इनमें से अधिकांश बच्चे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पाये गए। ये बच्चे हज/उमराह वीजा पर सऊदी अरब गए थे जिसकी व्यवस्था उन संगठित गिरोहों ने की जो मानव दुर्व्यापार में संलिप्त हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार से इन गिरोहों को चलाने संबंधी विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार बच्चों के दुर्व्यापार की ऐसी घटनाओं के प्रति अत्यधिक चिन्तित है। तीर्थयात्रियों की असुविधा को कम करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले माता-पिता के साथ उनके वास्तविक बच्चों को ही तीर्थ यात्रा पर भेजने की अनुमति दी जाए। इस बात का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से इस क्रियाविधि को सख्त बनाया जा रहा है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले बच्चे वास्तव में अपने माता-पिता के साथ जा रहे हैं और उन्हें अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं ले जाया जा रहा है। बच्चों को अलग से पासपोर्ट जारी करने पर विचार किया जा रहा है ताकि इसका समाधान हो सके।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि भारतीय मूल के असहाय बच्चों से सऊदी अरब में जबर्दस्ती भीख मंगवाई जा रही है और इस घृणित अपराध के पीछे संगठित आपराधिक गिरोह काम कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। बताया गया है कि ऐसा वर्षों से चल रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वहां स्थित हमारे दूतावास को इस बात की जानकारी है और यदि हां तो उन्होंने इस घृणित अपराध को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए थे?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं। यह बात सत्य है कि गिरोह हमेशा भोले-भाले परिवारों से सम्पर्क बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इन दो विशेष घटनाओं में जो बड़ी ही दु:खद हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका जिम्मा लिया है। उन्होंने एक जांच बैठा दी है। कुछ मामले पहले ही दर्ज किए गए हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : बताया गया है कि भारतीय मूल के उन बच्चों को जो कि सऊदी अरब में भीख मांगते पकड़े गए थे उन्हें प्रशासन ने दो महीने जेल में रखा था। प्रशासन ने इन गरीब बच्चों की ठीक से देखभाल भी नहीं की। अन्ततः सऊदी अरब की सरकार ने इन बच्चों को अपने ही विमान द्वारा भारत भेज दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारा दूतावास वहां क्या कर रहा था। यदि उन्हें इस घटना की जानकारी थी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की? उन्होंने इन बच्चों को वापस भारत भेजने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्या माननीय मंत्री इस घटना पर प्रकाश डालेंगे? इससे विदेशों में हमारे देश की छवि धूमिल हुई है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हमारे विचार से रमजान के महीने में भिखारियों को पकड़ना सऊदी अरब में आम बात है। उन्होंने इस रमजान के महीने में, विभिन्न देशों के 1600 भिखारियों को पकड़ा। इनमें से 124 या 130 भारतीय थे। हमने इसका उल्लेख किया है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हमारे दूतावास ने इन बच्चों को वापस भारत भेजने की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? यह जिम्मेदारी सऊदी अरब सरकार ने उठायी। इन बच्चों को उन्होंने भारत वापस भेजा। यह बड़े शर्म की बात है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह दुर्भाग्य की बात है कि यह घटना मेरे संसदीय क्षेत्र की है। इसका सम्बन्ध मुर्शिदाबाद जिले से है। 77 अभागे बच्चे जिसमें 76 लड़कियां और एक लड़का है, मेरे संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों के हैं। यह आकस्मिक घटना नहीं है। यह गिरोह के लोगों की सामान्य गतिविधि है। मैं हजयात्रियों का सम्मान करता हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के और अमानवीय प्रकृति के व्यापारी हैं जो पैसे का लालच देते हैं और गरीब बच्चे तथा उनके माता-पिता उस लालच के जाल में फंस जाते हैं और थोड़े से पैसे के लिए वे अपने बच्चों को बेच देते हैं। यह व्यापार वर्षों से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। इस सरकार ने मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के पास भेज दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें आश्रय और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया है और बच्चों को उनके मां-बाप के पास वापस भेज दिया है। मैंने मुर्शिदाबाद जिले के जिलाधीश से आज ही सुबह बात की थी। इस मामले में केवल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं भारत सरकार से, विशेषरूप से विदेश मंत्री से, जानना चाहता हूं कि इस अमानवीय और क्रूर कृत्य को रोकने के लिए, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें कड़ी सजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं....*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पश्चिम बंगाल में घटी इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। उन्होंने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। अभी भी जांच चल रही है। तीन लोगों को जो उन्होंने गिरफ्तार किया है यह उनका पहला कदम है। पुलिस जांच चल रही है। इसलिए मेरे विचार से हमें इसी के अनुसार चलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब भी इस मामले में बिचौलिए पकड़े जाएंगे तो पश्चिम बंगाल सरकार उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या-22 ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह अखिल भारतीय गिरोह है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह अखिल भारतीय गिरोह है। यह किसी एक जिले का मामला नहीं है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया हमें बोलने दें...*(व्यवधान)*

राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार संबंधी योजना का निजीकरण

*22. **श्री एन. डेनिस** :
श्री वी. धनन्जय कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार संबंधी योजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को सौंपे जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्रों के चयन का तरीका क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) बाइपासों, पुलों, पुलोपरि सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों के मौजूदा खंडों को चार-लेन का बनाने से संबंधित परियोजनाओं, जो यातायात की सघनता के आधार पर वित्तीय रूप से सक्षम हैं और जिन्हें बैंक सुविधा प्रधान की जा सकती है, को निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे कार्य खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा सौंपे जाएंगे और उपयोगकर्त्ता के लिए न्यूनतम कीमत के आधार पर उद्यमी का चयन होगा।

श्री एन. डेनिस : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक गतिविधियों तथा विकास को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भाग बहुत बुरी अवस्था में हैं। इस क्षेत्र के लिए निधियों का आबंटन, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इसलिए, निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करके निजी भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है, फिर भी, इस पर प्रतिक्रिया प्रत्याशा के अनुरूप नहीं है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी और उसमें शामिल होने के मार्ग में क्या अड़चनें हैं और निजी क्षेत्र के अधिक शामिल होने तथा भागीदारी के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, प्रोत्साहन पहलों के अनुसरण में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़क क्षेत्र को वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए उद्योग घोषित किया गया है। पांच वर्ष के लिए कर अवकाश तथा तदन्तर पांच वर्षों के लिए कर में 30 प्रतिशत की कमी जैसे कतिपय कर तथा वित्तीय रियायतें प्रदान की गई हैं, जिनका 12 वर्ष तक की अवधि तक लाभ उठाया जा सकता है। उपकरणों पर आयात शुल्क में वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ एक अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी की स्थापना, सड़क क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों की सस्ती निधियों तक पहुंच तथा अधिक निधियों के सृजन तथा और निधियों के सृजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पूंजी प्रदान करने जैसी सुविधाएं भी हैं। सरकार द्वारा ये प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं।

श्री एन. डेनिस : क्या मैं माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन के पश्चात् की गई अनुवर्ती कार्यवाही तथा निजी क्षेत्र को सौंपे जाने वाले कार्यों की श्रेणियों तथा उन कार्यों का ब्यौरा तथा निजी क्षेत्र द्वारा किये गये निवेश के बारे में जान सकता हूं?

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : पहले ही स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. महाराष्ट्र में थाणे-भिवन्डी बाइपास। इसकी लम्बाई 24 किलोमीटर है, और अनुमानित लागत 17 करोड़ रुपये है। वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

2. राजस्थान में उदयपुर बाइपास। इसकी लम्बाई 11 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 24 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का 15 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

3. गुजरात में चलथान सड़क उपरिपुल। इसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये है और इस परियोजना का 5 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

आमंत्रित तथा प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. आंध्र प्रदेश में नेल्लोर बाइपास। इसकी लम्बाई 18 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपये है। इस पर बातचीत चल रही है।

2. कर्नाटक में हुबली-धारवाड़। इसकी लम्बाई 30 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपये है। इस पर भी बातचीत चल रही है।

3. तमिलनाडु में कोयम्बटूर बाइपास। इसकी लम्बाई 27 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 90 करोड़ रुपये है। प्रतिक्रिया अपर्याप्त है और बातचीत जारी है।

4. गुजरात में दूसरा नर्मदा पुल। इसकी अनुमानित लागत 110 करोड़ रुपये है। इस पर भी बातचीत चल रही है।

5. पश्चिम बंगाल में दूसरा विवेकानन्द पुल। इसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये है। सरेखण तथा अन्य बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6. मध्य प्रदेश में शिवनाथ पुल सहित दुर्ग बाइपास। इसकी लम्बाई 18 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के संबंध में वित्तीय निविधाओं को अभी प्राप्त किया जाना है।

7. पेनगुअल बाइपास। इसकी लम्बाई 10 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 350 करोड़ रुपये है। यह विचाराधीन है।

8. महाराष्ट्र में पतालगंगा पुल। इसकी अनुमानित लागत 26 करोड़ रुपये है। इस पर बातचीत चल रही है।

अन्य विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. 24 सड़क उपरिपुल हैं और अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपया है। संभाव्यता अध्ययन चल रहे हैं।

2. नदियों पर पुल सात हैं। अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपये है। भूनि अधिग्रहण हो रहा है।

3. सघन कस्बों के आस पास बाइपास। ये 24 हैं और उनकी अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपये है.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यदि सूची बहुत लम्बी है तो कृपया माननीय सदस्य को आवश्यक जानकारी अलग से प्रदान कीजिए।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : ठीक है, महोदय।

श्री वी. धनन्जय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के संबंध में है। मुझे आपके माध्यम से इस सभा के ध्यान में यह लाना है कि विगत 20 वर्षों से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। विभिन्न राज्यों के कई प्रस्ताव अभी भी लम्बित हैं और भारत सरकार ने नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर लेवी लगायी गई थी और एक बड़ी धनराशि एकत्रित की गई है। लेकिन उस धनराशि को भी राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार पर नहीं खर्च किया गया है।

अब, काफी वाद-विवाद के पश्चात्, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है और निजी भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह मानना चाहिए कि सभी यह जानते हैं कि आप क्या बोल रहे है। अत:, अब अपना प्रश्न रखिए।

श्री वी. धनन्जय कुमार : मैं अब उस पर आ रहा हूं। यद्यपि इस अधिनियम में चार वर्ष पूर्व संशोधन किया गया है, फिर भी विशिष्ट कार्य की पहचान तथा इस कार्य को निजी-पार्टियों को सौंपने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गये हैं। मैं यह समझता हूं कि जो नियम सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में निजी पार्टियों को भागीदार बनने की अनुमति प्रदान करने में सक्षम बनायेंगे, उनका अभी निर्माण नहीं किया गया है। जलभूतल परिवहन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच झगड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न रखना चाहते हैं?

श्री वी. धनंजय कुमार : क्योंकि .....

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई 'क्योंकि' नहीं है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : अभी नियम नहीं बनाये गये हैं। इसलिए सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में निजी पार्टियों की भागीदारी की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है। क्या यह सही है? मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सत्य है?

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह झूठ है।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, नियम अभी नहीं बनाये गये हैं। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपको मेरा बचाव करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो आप सभा के विशेषाधिकार हनन का मुद्दा लाइये। यदि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं, तो आप मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला ला सकते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : पहले कुल स्वीकृत धनराशि वार्षिक आवंटन की चार गुणा होती थी। अब, इसे कम करके वार्षिक आबंटन का 2.5 गुणा कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, केरल में राजमार्ग विकास कार्य रुका हुआ है। केरल राज्य के लिए आबंटन में भी काफी कमी की गई है। भारत सरकार द्वारा बनायी गई नई नीति के कारण वे अधिकतम व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इसे अधिकतम व्यय की पूर्ति के लिए 2.5 गुणा से 4 गुणा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएंगे?

एक विशेष परिस्थिति के रूप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल में राजमार्ग बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इस मद पर 28 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जा सके हैं। वह भी स्वीकृति के दायरे में आता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह भूमि अधिग्रहण की राशि इस स्वीकृति के दायरे से परे होगी तथा क्या यह वार्षिक आबंटन से चार गुणा बढ़ा दी जाएगी।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : जो कुछ भी उन्हें आबंटित किया गया है यदि वे उसे खर्च नहीं करते हैं तो वह सामान्य पूल में आ जाता है। अत: हम केवल अगले वर्ष आबंटन को बढ़ा सकते हैं।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : पूर्वी भारत में अनेक बड़े निजी औद्योगिक क्षेत्र, इसके प्रचुर खनिज संसाधनों को देखते हुए स्थापित होते जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है। यदि हां, तो वे राजमार्ग कौन-कौन से हैं तथा कौन-कौन से व्यवसायिक घरानों को इस कार्य को सौंपने का प्रस्ताव है।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : इसके लिए एक अलग प्रश्न की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : एक अलग प्रश्न चाहिए। ठीक है हम अलग प्रश्न लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय आपने कहा है कि आप इस पर अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : संसद के पिछले सत्र के दौरान हमने इस पर चर्चा की थी, इस प्रश्न पर पूरा वाद-विवाद हुआ था। आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं। अगला प्रश्न, श्री प्रभुदयाल कठेरिया।

[हिन्दी]

भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटना

***23. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री ललित उरांव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या भारतीय वायु सेना द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का है;

(ज) यदि हां, तो यह समिति कब तक गठित की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस समय क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (झ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय वायुसेना के वायुयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की दर जो पिछले दशक में लगभग 30 वायुयान प्रतिवर्ष थी वह अब इस दशक में घटकर औसतन 24 वायुयान प्रतिवर्ष रह गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:-

1993-94	22
1994-95	25
1995-96	27*
1996-97 (20 फरवरी, 1997 तक)	17*

* यद्यपि 27/17 दुर्घटनाएं थीं तथापि, एक विशेष दुर्घटना में दो वायुयान शामिल थे। इसलिए क्षतिग्रस्त हुए वायुयानों की संख्या 28/18 थी।

भारतीय वायुसेना में होने वाली प्रत्येक दुर्घटना की छानबीन जांच अदालत द्वारा की जाती है। जांच परिणामों से पता चलता है कि हवाई दुर्घटना होने में जो कारण रहे हैं, उनमें मानव चूक, तकनीकी खराबी और पक्षी टकराना मुख्य हैं। भारतीय वायुसेना ने कई अध्ययन किए और सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन करने का सुझाव दिया गया। ऐसे अध्ययनों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की दर को कम करने में सहायता मिली है। दुर्घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में भी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हवाई सहायता और आक्रमण करने के तरीकों की तत्काल आधार पर समीक्षा की गई है। कृषि मंत्रालय और शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों ने भी पशुवधगृहों/शव उपयोग केंद्रों को आधुनिक बनाए जाने और पक्षियों का विचरण कम करने के लिए पक्षियों से दुर्घटना होने के खतरों वाले हवाई अड्डों के असपास के क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था किए जाने की कार्रवाई की है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से सरकार ने घुला-मिला जवाब देने का मन बना रखा है और सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डालने की आदत बना ली है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का मामला है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके जवाब में मंत्री महोदन ने कहा कि 1993-94 में 22, 1994-95 में 25, 1995-96 में 27 और 1996-97 में 17 यानी दो महीनें में 17 दुर्घटनाएं हुई हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि हमने एक समिति का गठन कर दिया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद से इन दुर्घटनाओं को रोकने में समिति को कामयाबी मिली है या नहीं? हमारे और विदेशी वैज्ञानिकों ने इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों?

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि हर दुर्घटना की एक समिति जांच करती है लेकिन जब विशेष दुर्घटनायें बढ़ती नजर आई तो उसके लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि कल पृथ्वी का एक सफल परीक्षण किया गया है और वही बहुत बड़े वैज्ञानिक डा. अबुल कलाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पहले वह समिति एयर फोर्स की न्यायिक समिति के रूप में बैठती थी और अब विस्तार से ऐसी दुर्घटनाओं की जांच के लिये समिति बना दी गयी है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और रक्षा मंत्रालय का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि समिति गठित कर दी गयी है लेकिन उसका औचित्य क्या निकला? गत तीन वर्षों से दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। प्रश्न के उत्तर में मानवीय चूक और तकनीकी कारण दर्शाया गया है। मुख्य रुप से पक्षियों का टकराव बताया गया है। सरकार प्रतिवर्ष दिन-प्रतिदिन कसाई घर के लिए लाईसेंस देती चली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा लम्बा पूछते हैं और आपका क्वश्चयन ए टू आई तक है, कितना लम्बा क्वश्चन कराया है?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हुआ है। यह रक्षा मंत्रालय का मामला है जिसमें

तकनीकी और मानवीय चूक बताया गया है। मुख्य कारण पक्षियों के टकराव का बताया गया है यहां पर भारत सरकार प्रतिवर्ष और दिन प्रतिदिन कसाई घर का लाईसेंस देती जा रही है, इसलिये पक्षी खुले रूप से आकाश में घूमते रहते हैं। इसके लिये रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जिन सैनिकों के जो विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनको ऐसी राशि दी जाती है या नहीं दी जाती है?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पक्षियों के बारे में राज्य सरकारों से सहायता लेने की बात है...

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार का मामला नहीं है...

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मेरी बात तो सुनिये। जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और जहां पर हवाई जहाज उड़ाये जाते हैं और यदि पक्षी हैं तो वहां पर रक्षा मंत्रालय और उस राज्य की सरकार से मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पक्षियों की तादाद घटे। यह कोशिश पूरी तरह से हो रही है कि भविष्य में और दुर्घटनायें न बढ़ें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं कठेरिया जी। श्री ललित उरांव कृपया बोलें।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। राज्य सरकार का मामला नहीं है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कसाई घरों के लाईसेंस प्रतिवर्ष और प्रतिदिन देती चली जा रही है। खुलेआम पशु काटे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वहां पर पक्षियों का टकराव हो रहा है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तमाम लोग मर रहे हैं और यहां सभ्य सरकार की बात की जा रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उरांव, कृपया प्रश्न पूछें। कठेरिया जी कृपया बैठ जाइये। मैंने आपसे बैठने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, दुर्घटनायें रोकने के लिये यहां तीन कारण सरकार ने बताये हैं।

पहला मानव चूक, दूसरा तकनीकी खराबी और तीसरा पक्षियों का टकराना।

अध्यक्ष महोदय, पक्षियों के टकराव को रोकने के लिए तो कुछ उपाय किये गए हैं, लेकिन शेष दो कारणों – मानव चूक और तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए किसी प्रकार के उपायों की चर्चा नहीं की गई है। क्या सरकार यह समझती है कि सिर्फ एक ही कारण को दुरुस्त करने के बाद इन दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाएगी?

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, सरकार की इच्छा यह नहीं है कि दुर्घटनाओं को न रोका जाए। इसी वजह से सर्वोच्च समिति का गठन किया गया है। जहां तक पक्षियों के टकराने से जो दुर्घटनाएं हो रही थीं, उसमें कमी आई है और इसी वर्ष केवल एक घटना पक्षियों के कारण हुई है। वैसे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि दुर्घटनाएं न हों, लेकिन समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पूरी कोशिश करेगी जिससे दुर्घटनाएं न हों।

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कुछ विशेष प्रकार के विमानों ने हमारे नौजवान पायलटों की लगातार जाने ली हैं। निर्माताओं ने इन विमानों को आगे जांच के लिए वापस ले लिया है। क्या भारत सरकार भी ऐसा करेगी? भारतीय वायुसेना को उन विमानों को वापस लेने के लिए कहना चाहिए तथा इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि इनमें कमियां क्यों है। विमान निर्मित किया जाता है और इसमें भी कमी रह सकती हैं। विमान में भी अथवा किसी भी भाग जैसे इंजिन अथवा किसी अन्य आदि में।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वे इस प्रकार के विमानों, विशेषकर मिग-22 जो हमें अत्यधिक हानि पहुंचा रहा है, की उड़ानों को जांच पूरी होने तक रोके रखने पर विचार करेंगे। श्री अब्दुल कलाम सक्षम व्यक्ति हैं किन्तु वे ट्रेजैक्ट्री मिसाईल प्रणाली के बारे में जानते हैं। वे विमान के बारे में नहीं जानते। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब तक जांच पूरी हो जाए क्या वे इस प्रकार के विमानों की उड़ान रोके रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, जहां तक दुर्घटनाएं रोकने का सवाल है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकार की तरफ से इसके लिए एक समिति भी बनायी गई है।

दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे जहाजों को बंद कर दिया जाए जिनके कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। अभी जो उत्तर मैंने दिया है, उसमें

बताया है कि कुछ जहाज तो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। कुछ जहाजों में जो मामूली बात हो जाती है, जैसे पहिया बंद हो गया है, उतार लिया गया है, उन तकनीकी खराबियों को दूर किया जाता है और ऐसे जहाज जिनके कारण दुर्घटनाएं हुई हैं, उनको तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जब तक कि उनको ठीक न किया जाए।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : पिछले तीन-चार साल में एवियेशन फ्यूल के दाम बहुत बढ़ गए हैं और जो अनुदान पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, वह कम हो गया है। इसलिए हर साल जितने घंटे एक पायलट को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वह हर साल घटती जा रही है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर पायलट कितने घंटे की ट्रेनिंग करेगा, वह उस देश की संसद निर्णय करती है। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन-चार सालों में इसकी वजह से प्रशिक्षण के घंटे कितने कम हो गए हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास आंकड़े हैं, यह सही है कि कुछ वर्षों पहले अभ्यास करने के घंटे कम हुए थे, लेकिन इन दुर्घटनाओं को देखते हुए अब वे घंटे कम नहीं किये जा रहे हैं, बल्कि अब घंटे बढ़ा दिये गये हैं।

लेफ्टिनेट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : आप क्विश्चन देखिये, घंटों को कम करने से पहले आप इस बात को देख लें कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्योंकि कई देश हैं जहां पर पार्लियामेंट में पास होता है कि लड़ाकू पायलट कितने घंटे प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, इसका भी ध्यान रखें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात कह दी है। मंत्री महोदय ने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं: (1) कलाम कमेटी कब गठित की गई थी तथा यह अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को कब देगी, (2) भारतीय वायुसेना में महिला पायलटों के तीन बैच शामिल किए गए हैं? इसका क्या कारण है कि महिला पायलटों से एक भी दुर्घटना का मामला नहीं हुआ है?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कमेटी अभी शीघ्र ही गठित की गई है और सरकार की कोशिश होगी कि उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आये।

अध्यक्ष महोदय : क्या महिलाओं के बारे में आपके पास कोई इंफार्मेशन है?

श्री शरद पवार : महिला एअर फोर्स पायलट के जो तीन बैच इंडक्ट किये गये हैं क्या उनकी भी कोई दुर्घटना हुई है?

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, एक हुई है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : इस प्रश्न का एक दूसरा भी पहलू है, उसको भी देखना जरूरी है। मैं मंत्री महोदय के सामने उसको रखकर यह जानना चाहूंगा कि उसके बारे में सरकार की क्या नीति है। एअर फोर्स में जो हवाई जहाज उड़ाये जाते हैं तो पाटलट्स को कहा जाता है कि मशीन की जितनी ताकत है वह पूरी की पूरी इस्तेमाल की जाए, क्योंकि लड़ाई में अगर ऐसा नहीं हो सका तो मशीन का पूरा उपयोग नहीं होता है और महोदय, हमारा जो नागर उड़ान खाता है, उसमें भी सुरक्षा क़ा अधिक ध्यान दिया जाता है और हमारे डिफेन्स एअरक्राफ्ट में जो हमारा उद्देश्य है उसे पूरा करने का ध्यान देते हैं। इस वजह से जब मशीन की पूरी ताकत का इस्तेमाल होता है और पायलट भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम है उसमें इन दुर्घटनाओं से डरकर कोई बंधन तो नहीं आयेगा, क्या आप इसका भी ध्यान रखेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत अनुभवी हैं, आपकी चेयर पर बैठ चुके हैं, उनका सुझाव अच्छा है, उस पर हम विचार करेंगे।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी

*25. **श्री शिवराज सिंह** :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विशेषरूप से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कुछ जीवन रक्षक औषधियों की अत्यधिक कमी और अनुपलब्धता के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन औषधालयों में इन आवश्यक औषधियों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन औषधालयों में इन औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चलाए जा रहे औषधालयों में जीवन रक्षक/आवश्यक औषधों की कोई कमी नहीं है। तथापि कभी-कभार होने वाली कमियों को अनुमोदित स्थानीय कैमिस्टों से स्थानीय खरीद करके पूरा किया जाता है। आपाती रोगियों के मामले में एक "प्राधिकार पर्ची" जारी की जाती है जिसके द्वारा लाभार्थियों को सीधे बिना भुगतान किए अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से औषधें लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। औषधों की स्टाक स्थिति का जायजा लेने हेतु भंडार संगठन के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं और जहां जरूरी होता है, आपूर्तियों में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी है। वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा जो औषधालय चलाये जा रहे हैं, उनमें कई बार साधारण से साधारण दवाई, क्रोसिन जैसी टैबलेट का भी अभाव होता है। छोटे-मोटे रोगी के लिए कई बार सीधे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। आप जो कह रहे हैं कि अगर दवाई नहीं होती तो आपात रोगियों को प्राधिकार पर्ची दी जाती है। जबकि वास्तुस्थिति यह है कि प्राधिकार पर्ची कई बार डाक्टर्स द्वारा नहीं दी जाती है, इसके कारण रोगी बहुत परेशान होता है और अस्पतालों के धक्के खाकर साधारण रोगी भी गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सी.जी.एच.एस. की जो डिस्पेन्सरी हैं, उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वह कोई उपाय करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है।

[हिन्दी]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं स्वयं उससे बहुत चिन्तित था क्योंकि मैंने देखा कि हम दवाओं पर जो खर्चा कर रहे हैं, जैसे इस साल हमने एम.एस.ओ. के जरिए 21 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी, इसके अलावा 21 करोड़ 65 लाख रुपए की दवाएं हमने लोकल परचेज से खरीदी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए मैंने एक कमेटी, वैद्यनाथन कमेटी के नाम से गठित की है, वैद्यनाथन साहब हैल्थ मिनिस्ट्री में सैक्रेटरी थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, मैंने उन्हें 6 महीने का समय दिया है, जो 28 फरवरी को पूरा हो रहा है। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं टाइम एक्सटैंड नहीं करूंगा। अगस्त में वह कमेटी बैठी थी। मैं खुद देखना चाहता था कि सी.जी.एच.एस. में लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं, वे क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जब इस कमेटी की रिपोर्ट इस महीने के अंत तक हमारे पास आ जाएगी, मैं मार्च में खुद इस पर फैसला लूंगा ताकि लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके।

श्री शिवराज सिंह : हमारी सी.जी.एच.एस. डिस्पैंसरियों में विशेषज्ञ डाक्टर कभी नहीं आते जिसके कारण विशेष रोग से ग्रस्त रोगी के अलावा साधारण रोगी को भी अस्पताल दौड़ना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी.जी.एच.एस. डिस्पैंसरियों में, भले ही सप्ताह में एक दिन विशेषज्ञ डाक्टरों को बिठाया जाए, स्पेशलिस्ट डाक्टर उपलब्ध हों, क्या ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी जिससे साधारण रोगी को भी अस्पताल न भागना पड़े।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : वैद्यनाथन कमेटी को मैंने बहुत से पाइंट्स रैफर किए है और इसलिए किए हैं ताकि हमारे मैम्बर्स और सी.जी.एच.एस. बैनिफीशियरीज को जो दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं, उसके एक-एक पहलू को देखा जाए। जैसा आप कह रहे हैं, उसमें यह भी शामिल है कि डिस्पैंसरियों में डाक्टर नहीं बैठते हैं, कोई स्पेशलिस्ट डाक्टर बैठते हैं या नहीं। अब चूंकि रिपोर्ट आने में समय बहुत कम रह गया है, रिपोर्ट इस महीने के अंत तक आने वाली है, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, वैसे ही हम इस संबंध में कदम उठाएंगे ताकि इन तमाम दिक्कतों और परेशानियों को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

प्रो. जितेन्द्रनाथ दास : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक उत्तर नहीं है। क्या यह सच है कि जीवन रक्षक औषधियों, जैसे कुत्ते के काटने का टीका और कैंसर निवारक औषधि की देश में अत्यन्त कमी है? ये अधिसूचित दवाएं हैं जो के.स.स्वा.यो. औषधालयों के माध्यम से दी जाती हैं। यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मुद्दा यह है कि मूलत: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की परिभाषा के अनुसार जीवन रक्षक दवाओं की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। कुछ आवश्यक औषधियों की निगरानी आवश्यक है। मूल्य निर्धारण और सीमा शुल्क, रसायन और पैट्रो कैमीकल मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि के.स.स्वा.यो. औषधालियों में हर समय आवश्यक औषधियां उपलब्ध रहें।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजना के जितने औषधालय दिल्ली में चलते हैं, उनमें आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित औषधालय भी संचालित किए जाते हैं लेकिन इन औषधालियों में 30 से 50 प्रतिशत कमीशन पर दवाएं आपका विभाग खरीदता है और जो दवाएं इस तरह खरीदी जाती हैं, वे बहुत हल्की और घटिया किस्म की होती हैं जिससे रोगी पर वे औषधियां प्रभावी रूप से असर नहीं करती। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं? यदि आई हैं तो उनके संबंध में क्या कोई कमेटी वगैरह बनाकर उसे रैफर किया गया है? आपने अभी जिस कमेटी के गठन की बात कही, उसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधियां भी ठीक प्रकार से परचेज की जाएं, अच्छी किस्म की औषधियां खरीदी जाएं, इस दिशा में क्या सरकार ने कुछ प्रयत्न किये हैं? यदि कुछ कदम उठाए हैं, तो उनकी जानकारी सदन को दी जाए।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, मगर आयुर्वेधिक और यूनानी औषधियों का जहां तक सवाल है, उनका महत्व मैं समझता हूं और मैंने कुछ कदम भी उठाए हैं। पचास साल की हिस्ट्री में पहली दफा मैंने आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हैल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से 19 तारीख को बुलाया था और उनसे यही कहा कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या नेचुरोपैथी आदि सारी चीजों को इन्वौल्व करके हमें न सिर्फ सी.जी.एच.एस. डिस्पैंसरियों में बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लेवल पर बढ़ावा देना है। इसकी एक योजना बन रही है। क्योंकि हमारे पास 6 लाख आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टीशनर हैं, जिन्हें हम इसमें ही नहीं, बल्कि अपने फैमिली वैल्फेयर प्रोग्राम में भी आल इंडिया लेवल पर इन्वौल्व करना चाहते हैं।

जहां तक इसका सवाल है कि हम इस समय इसे उठाएं, हमारी सी.जी.एच.एस. की जो डिस्पेंसरीज है, उनमें हमारे आर्युवेदिक और यूनानी के डाक्टर बैठते हैं और उनको हम बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : घटिया दवाएं खरीदी जा रही हैं, इस बारे में बताइए?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जी हां, मैं उसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारे ड्रग कंट्रोलर आफ इंडया हैं, उनसे हमने कहा है कि दवाओं का जो क्वालिटी कंट्रोल आस्पैक्ट है, उसको ज्यादा आगमेंट करें। इसके बारे में हम एक समिति भी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद और यूनानी की एक समिति बैठाएं जो अपनी रिपोर्ट दे। ऐसी जितनी भी समितियां मैं बैठा रहा हूं उनको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। तीन महीने में वे अपनी रिपोर्ट दें या ज्यादा से ज्यादा छ: महीने में वे अपनी रिपोर्ट दे दें, यही प्रयास मैं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री रुप चन्द पाल : न केवल के.स.स्वा.यो. औषधालियों में बल्कि कुछ चिकित्सक, यद्धपि वे ऐलोपैथिक प्रणाली से ईलाज करते हैं कुछ आर्युवेदिक दवाओं की सिफारिश करते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने न्यायालय से एक निर्णय लिया जिसके आधार पर ऐलोपैथी वाले केवल ऐलोपैथी दे सकते हैं और यदि वे आर्युवेदिक दवा जैसे रेचक औषधि का सुझाव देते हैं तो वे दण्ड के भागी होंगे। देश भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने सेल एजेन्टों के माध्यम से आर्युवेदिक दवाओं के निर्माताओं को धमकी दे रही हैं।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस अद्यतन मुद्दे की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार का उन 6 लाख आर्युवेदिक और ऐलोपैथी दवाओं के पैक्टीशनर्स जो आयुर्वेदिक दवाऐं देते है, के हितों की सुरक्षा व उन्हें प्रस्तावित दण्ड से बचाने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं इस संबंध में पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं। किन्तु जैसा मैं जानता हूं यह एकल खण्ड पीठ का निर्णय था जो कि एक तीन सदस्यी खण्ड पीठ के समक्ष गया है। निर्णय अभी आना है। हम इसे उच्चतम न्यायालय स्तर पर दे रहे हैं। जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के स्टेंडर्डाजेशन के लिए और पैकेज के लिए, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हों, उसके लिए यह सरकार क्या कोई योजना बना रही है या नहीं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां की बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं की मैडीशनल प्रापर्टीज हैं, जो उनके औषधीय गुण हैं, उनके विदशी पेटेंट करवा रहे हैं और उसके कारण आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माताओं और उनके उत्पादकों को बाधा

पहुंचती है जिससे हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों दिशाओं में वे क्या विचार कर रहे हैं?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है, इस बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया कि लगभग पांच दिन पहले दिल्ली में जो हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसी आस्पैक्ट को उठाया था और उस बैठक में हमने एक रिजोल्यूशन पास करके एक फैसला लिया है कि हमें आयुर्वेदिक और यूनानी मैडीसिन का एक फार्माकोपिया टाइमबाउंड प्रोग्राम के हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन इस समय मुझे यह मालूम नहीं है कि उसके लिए समय कितना निश्चित किया गया है, इसे मैं आपको बाद में बता दूंगा। जब हमारा यह फार्माकोपिया तैयार हो जाएगा, तो हम पेटेंट की तरफ भी आगे बढ़ेंगे कि उनमें से हम अपनी दवाएं पेटेंट करवा लें जिससे कि हमारी बहुत सी दवाएं जो विदेशों में इस्तेमाल हो रही हैं और उनका लाभ हमें नहीं मिल रहा है, पेटेंट के जरिए उनका बैनीफिट भी हमें मिले और उनका पेटेंट करना हम शुरू कर दें।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश के बीच जल बंटवारे सम्बन्धी समझौता

*26. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरक्का बैराज से जल बंटवारे के संबंध में हाल ही में संपन्न भारत-बंगलादेश समझौते के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को लाभ पहुचाने हेतु भूटान की संकोश परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कोई विशेष आश्वासन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस वार्ता के दौरान केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इस मुद्दे को उठाया गया था;

(घ) क्या बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ हाल ही में हुई वार्ता में फरक्का के लिये अतिरिक्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने से इंकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पानी की कमी वाले मौसम के दौरान फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह जल की उपलब्धता में बढोत्तरी के लिए प्रभावकारी समयबद्ध कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है। इस संबंध में संकोश बहुप्रयोजनीय परियोजना का हवाला दिया गया था। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया है कि फरक्का में जल की बढ़ोत्तरी के लिए एक से अधिक विकल्प हैं। संकोश परियोजना पर विशेष जोर देते हुए इन सभी विकल्पों पर शीघ्र अध्ययन किया जायेगा तथा सभी सम्बद्ध पक्षकारों के परामर्श से उत्कृष्ट विकल्प को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार ने भारत सरकार से आशंका व्यक्त की है कि प्रतिप्रवाह के उपयोग में वृद्धि की संधि से बिहार में जल का अभाव हो सकता है।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ गंगा के पानी का बंटवारा

*36. **श्री ए.सी. जोस** :
कुमारी उमा भारती :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समझौते के कार्यान्वयन हेतु एक संयुक्त समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत व बंगलादेश के बीच 12 दिसम्बर, 1996 को फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि की मुख्य शर्तें हैं:-

1. संधि 30 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी और पारस्परिक सहमति के आधार पर इसका नवीकरण किया जाएगा।

2. इस संधि के अंतर्गत बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा दोनों सरकारों द्वारा हर पांच वर्ष के बाद अथवा दोनों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा आवश्यकता होने पर पहले भी की जा सकती है तथा यदि आवश्यक हो तो इसमें समानता, निष्पक्षता के सिद्धान्त पर और किसी भी पक्ष को हानि पहुंचाये बिना जरूरी समायोजन भी किये जा सकते हैं।

3. प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 मई तक दस-दस दिन की अवधि के लिए फरक्का पर जल का बंटवारा संलग्न अनुलग्नक-1 पर दिए गए फार्मूले के अनुसार होगा और अनुलग्नक-1 के अंतर्गत बंटवारे की व्यवस्था का आशय बताने वाली अनुसूची संलग्न अनुलग्नक-2 पर है।

4. किसी भी दस दिन की अवधि में फरक्का बराज पर प्रवाह 50,000 क्यूसेक से कम होने की दशा में, दोनों सरकारें आपातकालिक आधार पर समायोजन करने के लिए तत्काल परामर्श करेंगी।

5. एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा जो फरक्का बराज के नीचे, फीडर नहर और नौवहन लॉक तथा हार्डिंग पुल पर फरक्का पर दैनिक प्रवाहों की निगरानी रखेगी और उसे रिकार्ड करने के लिए फरक्का और हार्डिंग पुल पर उपयुक्त दल गठित करेगी।

(ग) और (घ) सन्धि के अनुच्छेद-4 के अनुसार एक संयुक्त समिति गठित कर दी गई है। इस समिति ने पहली जनवरी, 1997 से फरक्का पर फीडर नहर में तथा नौवहन लॉक में गंगा के दैनिक प्रवाहों के डिस्चार्ज की निगरानी रखने के लिए संयुक्त दल गठित किया है। संयुक्त प्रेक्षणों के लिए बंगलादेश में हार्डिंग पुल पर भी संयुक्त दल गठित किया गया है। हर वर्ष मई में संयुक्त प्रेक्षण पूरे हो जाने के बाद एकत्र किए गये आंकड़ों को शामिल करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

अनुलग्नक-1

फरक्का पर उपलब्धि	भारत का हिस्सा	बंगलादेश का हिस्सा
70,000 क्यूसेक या उससे कम	50%	50%
70,000-75,000 क्यूसेक	प्रवाह का शेष	35,000 क्यूसेक
75,000 क्यूसेक या उससे अधिक	40,000 क्यूसेक	प्रवाह का शेष

इस शर्त पर कि भारत व बंगलादेश दोनों एक मार्च से 10 मई तक की अवधि के दौरान तीन दस-दस दिन की वैकल्पिक अवधि में 35,000 क्यूसेक जल अवश्य प्राप्त करेंगे।

अनुलग्नक-2

प्रति वर्ष जनवरी 01 तथा मई, 31 के बीच फरक्का पर जल का बंटवारा

वास्तविक उपलब्धता 1949 से 1988 की अवधि के औसत प्रवाहों से मिलती है, प्रत्येक पक्ष के अंश के लिए अनुलग्नक-1 में फार्मूले का तात्पर्य है:

अवधि	कुल प्रवाह का औसत 1949-88 (क्यूसेक)	भारत का हिस्सा (क्यूसेक)	बंगलादेश का हिस्सा (क्यूसेक)
जनवरी			
1-10	107,516	40,000	67,516
11-20	97,673	40,000	57,673
21-31	99,154	40,000	50,154
फरवरी			
1-10	86,323	40,000	46,323
11-20	82,859	40,000	42,859
21-28	79,106	40,000	39,106
मार्च			
1-10	74,418	30,418	55,000
11-20	78,931	33,931	35,000
21-31	64,688	35,000*	29,688
अप्रैल			
1-10	63,180	28,810	35,000*
11-20	62,633	35,000*	27,633
21-30	60,992	25,992	35,000*
मई			
1-10	67,351	35,000*	32,351
11-20	73,590	38,590	35,000
21-31	81,854	40,000	41,854

(*तीन दिन की अवधियां जिसमें 35,000 क्यूसेक का प्रावधान किया जाएगा)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न संख्या 36 को 26 के साथ जोड़ना चाहूंगा। मैं कुमारी उमा भारती और श्री ए.सी. जोश को अवसर दूंगा क्योंकि दोनों प्रश्न समान है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मेरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो इसका प्रत्येक भाग विशेष महत्व का है। मेरा प्रश्न बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौते से संबंधित है जिसका इस सभा में सभी ने स्वागत किया था। आपको याद होगा कि इस सभा में मैंने विशेष प्रश्न उठाया था कि क्या कलकत्ता पत्तन की नौवहन क्षमता, जल की उपलब्धता और पश्चिम बंगाल के हितों का संरक्षण किया जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ा सकारात्मक उत्तर दिया गया था। अब मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि वह बातचीत में शामिल थे और उन्होंने आवश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल के हितों का पूरा संरक्षण किया जाएगा।

मैं यूनीवार्ता से उल्लेख करता हूं: श्री बसु ने कहा कि अध्ययन किया गया था और उन्होंने कलकत्ता पत्तन के लिए 10,000 से 12,000 क्यूसेक पानी लेने के लिए तीस्ता बराज से होकर भूटान में संकोश नदी को 143 किलोमीटर लम्बी नहर बनाकर मोड़ने का सुझाव दिया था। श्री बसु ने आगे कहा कि इस समूची परियोजना पर लगभग 7000 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। उन्होंने प्रधानंत्री, श्री एच.डी. देवगौड़ा से अनुरोध किया था और उन्होंने विदेश सचिव श्री सलमान हैदर से इस पूरे मामले पर भूटान नरेश से बात करने के लिए कहा था।

अब, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह सम्पूर्ण गंगाजल समझौता राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच स्पष्ट समझदारी पर आधारित था कि यदि संकोश जल परियोजना के द्वारा उत्तर बंगाल से होकर भूटान से गंगा को जोड़ा जाता है तो बंगलादेश को पानी देने से पश्चिम बंगाल के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि – मैं माननीय मंत्री महोदय को अपने वक्तव्य में सच्चाई उजागर करने के लिए धन्यवाद देता हू.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा काल नहीं, बल्कि प्रश्नकाल है। यदि आप उत्तर चाहते हैं, तो कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं जो काफी प्रासंगिक है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि संकोश परियोजना अकेला विकल्प नहीं है, बल्कि अन्य अनेक विकल्प भी हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि संकोश परियोजना के अलावा वे अन्य विकल्प क्या हैं जिनकी जांच की जा रही है तथा जो पश्चिम बंगाल के उद्देश्य पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। यह पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे अपना प्रश्न पूछ सकते थे।

श्री पी.आर. दासमुंशी : पृष्ठभूमि में गए बिना मैं सीधे प्रश्न कैसे पूछ सकता था।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, संकोश के अलावा और भी विकल्प हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है और उनमें कोसी और ब्रह्मपुत्र विकल्प मुख्य हैं। इसके अलावा भी बहुत से रिजरवायर्स जो गंगा बेसिन में और उसके ट्रिब्यूटरीज में चलते हैं, मानसून के मौके पर उनमें ज्यादा पानी होता है। लीन सीजन में छोड़ने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, 1993 में श्री जायनल अबेदिन सी पी आई (एम) सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने उत्तर दिया था कि कलकत्ता पत्तन में नौवहन के लिए 40,000 क्यूसेक पानी होना अति आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बंगलादेश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों को विश्वास में तो लिया था क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पानी छोड़ने से इंकार किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बिहार से पानी न छोड़ने का निर्णय लिया है। इस मामले में पहले तो आप किस तरह कलकत्ता के नौवहनता को सुनिश्चित करेंगे और दूसरे बंगलादेश के साथ समझौते को पूरा कैसे करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, फरक्का से जो पानी प्रवाह होता है उसी की हिस्सेदारी के बारे में समझौता हुआ है और उस पानी के बारे में बिहार और उत्तर प्रदेश को कौन्फिडेंस में लेने का सवाल नहीं था। इसलिये कि जो पानी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहकर फरक्का तक जाता है उसी की हिस्सेदारी का सवाल था। यह सही है कि लीन सीजन में इन राज्यों से आग्रह किया जायेगा और दबाव डाला जायेगा कि वह पानी की उपलब्धता बरकरार रखने का प्रयास करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.सी. जोस, क्या आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बंगलादेश के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास है तो सारा सदन उस प्रयास में शामिल है और हम चाहते हैं कि बंगलादेश के साथ हमारी मैत्री और भी मजबूत हो। लेकिन पानी का प्रश्न भी गंभीर है। आज मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, उस उत्तर के एक अंश की ओर मैं उनका ध्यान खींचना चाहूंगा, इस सदन का ध्यान खीचना चाहूंगा। बिहार सरकार ने भारत सरकार से आशंका व्यक्त की है कि प्रति प्रवाह के उपयोग में वृद्धि की संधि से बिहार में जल का अभाव हो सकता है। कितना अभाव हो सकता है। क्या यह बिहार की आशंका साधार है और क्या उत्तर प्रदेश में भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया मिली है?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय सदस्य श्री चितरंजन दास मुंशी को जवाब दे दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पानी के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ता। जो पानी फरक्का तक बहकर जाता है उसी की हिस्सेदारी हुई है। इसलिये अपररीपेरीयन स्टेट में इस तरह की जो भी आशंकायें होती हैं, वह निराधार मानी जाती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ऐग्रीमेंट करने से पहले वैस्ट बंगाल सरकार को जो रिसपौन्सीबिलिटी दी गई थी, उसमें बिहार और यू.पी. भी इनवॉल्व था। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने बिहार, यू.पी. को कौनफीडैंस में लिया था या नहीं? ऐग्रीमेंट करने से पहले कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ था या नहीं? यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट से पहले कैबिनेट में यह बात आई थी। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया गया। जहां तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, फरक्का से जो भी पानी प्रवाहित होगा, वह सीधे कलकत्ता बन्दरगाह को प्रभावित करेगा। इसलिए बंगाल के इनटरस्ट में था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसमें दखल देते। वे हमारे देश के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी राय का सम्मान करना इस सरकार का फर्ज़ था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 27, श्री डी.पी. यादव - उपस्थित नहीं। प्रश्न संख्या 28, श्री जंग बहादुर सिंह पटेल-उपस्थित नहीं। प्रश्न संख्या 29, श्री प्रदीप भट्टाचार्य उपस्थित नहीं। श्री बनवारी लाल पुरोहित - उपस्थित नहीं। प्रश्न संख्या 30, श्री राधामोहन सिंह-उपस्थित नहीं। श्री भक्त चरण दास - वह भी उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 31, डा. अरूण कुमार शर्मा - उपस्थित हैं।

[अनुवाद]

असम में पुल

***31. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये पुलों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) असम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर नए पुलों के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनकी संवीक्षा की जा रही है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का मंत्री महोदय द्वारा पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नए पुलों के निर्माण हेतु मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा मांगा है।

अगस्त के महीने में गाई नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में बह गया था। उस समय से असम और अरूणाचल प्रदेश के कुछ भाग का संपर्क शेष देश से कटा पड़ा है।

जलकीसुती पर पुल के निर्माण हेतु एक और प्रस्ताव काफी पहले प्रस्तुत किया गया था। गत पांच वर्षों से, संबंधित विभागों ने इन दोनों पुलों के निर्माण हेतु समुचित कदम नहीं उठाए हैं।

मैं मंत्री महोदय से स्पष्टतया यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन दोनों प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, 348.20 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर एक 94 मीटर लम्बे पुल संख्या 350/2 के निर्माण हेतु दिसम्बर, 1996 में एक प्रस्ताव आया था। हमारा मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। 186.32 लाख रुपए की लागत से 95 मीटर लम्बाई के एक पुल संख्या 350/1 के निर्माण के लिए दूसरा प्रस्ताव जनवरी 1997 में मिला था। हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। और कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन परियोजनाओं को चालू वित्त वर्ष में कार्यान्वित करने की मंत्रालय की कोई योजना है क्योंकि बाढ़ फिर आने

वाली है और लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या मंत्री महोदय इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बारे में कोई उत्तर देंगे?

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन: महोदय, यदि वे अपने प्रस्ताव भेजते हैं, तो उन पर विचार होगा और समुचित कदम उठाए जाएंगे।

डा. अरूण कुमार शर्मा : प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। क्या मंत्री महोदय हमे आश्वस्त करेंगे कि इन प्रस्तावों को लोकहित में कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : मैं प्रस्तावों के कार्यान्वयन का आश्वासन तो नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं उन पर विचार अवश्य करूंगा।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि क्या सुनीतपुर जिले में भरौली नदी पर चौकीघाट पुल का प्रस्ताव भी संवीक्षा के अधीन है।

मध्यान् 12.00 बजे

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, इस विषय पर एक पृथक प्रश्न है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, उन्होंने कहा कि दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों प्रस्तावों में भरौली नदी पर चौकीघाट पुल भी सम्मिलित है। इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है।

श्री टिंडिवनाम जी वेकंटरामन : मुझे खेद है, इस पर पृथक प्रश्न है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खेल-कूद संस्थाओं को सहायता

***24. श्री जब प्रकाश अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित, सरकारी तथा गैर-सरकारी खेलकूद संस्थाओं को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संस्थाओं को निजी निकायों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुदानों का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से प्राप्त धन का दुरूपयोग रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत, सरकारी और गैर-सरकारी खेल संस्थाओं को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संस्था-वार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 से 5 में दिया गया है।

1. खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदान।

2. विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद के लिए अनुदान।

3. सिंथेटिक सतह के संस्थापन के लिए अनुदान।

4. राष्ट्रीय खेल संघों को अनुदान।

5. ग्रामीण खेल क्लबों को अनुदान।

(ख) और (ग) निजी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए, उपरिउल्लिखित संस्थाएं अपने स्वयं के नियमों/अन्तर्नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। केन्द्र सरकार से न तो ऐसे किसी प्राधिकार की आवश्यकता होती है और न ही केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई ब्यौरा रखती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रत्येक मंजूरी का अलग-अलग रिकार्ड रखकर जारी किये गये अनुदानों पर निगरानी रखी जा रही है। संबंधित संस्थाओं को उसी सूरत में खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जब वे अपना हिस्सा खर्च कर लेती हैं तथा परियोजना संबंधी प्रगति रिपोर्ट भेज देती हैं। परियोजना को पूरा हो जाने के पश्चात, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र/विश्विद्यालय/संस्था के माध्यम से उपयोग प्रमाण पत्र भी मंगवा लिये जाते हैं। राष्ट्रीय खेल संघों को जारी की जाने वाली धनराशि के मामले में, उपयोग प्रमाण पत्र तथा लेखों के लेखा परीक्षित विवरण निरपवाद रूप से मंगवाये जाते हैं और अगली रकम तब तक जारी नहीं की जाती जब तक कि ये ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते हैं।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	21,50,000	शून्य	12,50,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	10,86,000	20,65,000
3.	असम	शून्य	शून्य	46,20,000
4.	बिहार	34,50,000	शून्य	25,92,400
5.	गोवा	10,00,000	19,00,000	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	5,17,242
7.	हरियाणा	शून्य	97,50,000	38,88,000
8.	हिमाचल प्रदेश	70,78,000	45,50,000	1,86,000
9.	जम्मू व कश्मीर	22,50,000	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	12,32,500	15,74,250	64,34,000
11.	केरल	18,08,250	16,59,800	6,00,100
12.	मध्य प्रदेश	13,00,000	85,00,000	70,00,000
13.	महाराष्ट्र	6,82,28,000	10,00,000	1,17,90,500
14.	मणिपुर	शून्य	87,50,000	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	1,07,74,500
17.	नागालैंड	40,00,000	75,00,000	25,00,000
18.	उड़ीसा	1,95,000	45,000	4,95,000
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	1,04,95,000	शून्य	8,25,000
21.	सिक्किम	शून्य	13,15,918	शून्य
22.	तमिलनाडु	7,26,625	54,770	3,32,925
23.	त्रिपुरा	शून्य	64,50,000	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1,06,50,000	1,31,45,512	54,39,488
25.	पश्चिम बंगाल	40,18,500	4,95,000	5,86,490

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	17,50,000	शून्य	1,75,500
3.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	2,00,000	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	50,000	शून्य	शून्य
6.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
7.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण 2

विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेल-कूद के लिए अनुदानों की योजना के अन्तर्गत जारी अनुदानों का विवरण

	1993-94	बजट अनुमान : 230 लाख रु.	
क्र.सं.	संगठन का नाम	सरकारी/गैर-सरकारी	जारी की गई राशि (रु.)
1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	गैर-सरकारी	37,71,500
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सरकारी	1,50,00,000
3.	एन.आई.एस. पटियाला	सरकारी	29,75,525
4.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	सरकारी	2,52,500
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल (आंध्र प्रदेश)	सरकारी	3,00,000
6.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुर, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	सरकारी	3,00,000
7.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	सरकारी	2,99,985
8.	नागपुर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, धमतोली, नागपुर (महाराष्ट्र)	गैर-सरकारी	1,00,000
	1994-95	बजट अनुमान : 250 लाख रु.	
1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	गैर-सरकारी	54,51,000
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सरकारी	1,00,00,000
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	सरकारी	15,00,000

क्र.सं.	1994-95 संगठन का नाम	बजट अनुमान : 250 लाख रु. सरकारी/गैर-सरकारी	जारी की गई राशि (रु.)
4.	1991-92 और 1992-93 के दौरान माका ट्राफी पुरस्कार के लिए विजेता विश्वविद्यालयों को अनुदान	सरकारी	1,70,000
5.	संत गजानन महाराज इंजीनियरी कालेज, शेगांव (महाराष्ट्र)	गैर-सरकारी	27,00,000
6.	श्रीजय क्षेमराजेन्द्रा इंजीनियरी कालेज, मैसूर	गैर-सरकारी	2,99,365
7.	धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नादियाड (गुजरात)	गैर-सरकारी	3,00,000
8.	बी.वी. भूमरेड्डी इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, हुबली (कर्नाटक)	गैर-सरकारी	2,99,995
9.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस (उत्तर प्रदेश)	सरकारी	25,00,000
10.	डा. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	सरकारी	15,25,000
11.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को अनुदान	सरकारी	10,00,000
12.	बसवेश्वर इंजीनियरी कालेज, बगलकोट (कर्नाटक)	गैर-सरकारी	2,70,000
13.	अनुराधा इंजीनियरी कालेज, चिखली जिला-बुलडाना (महाराष्ट्र)	गैर-सरकारी	8,53,756
	1995-96	बजट अनुमान : 300 लाख रु.	
1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	गैर-सरकारी	49,02,106
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सरकारी	1,39,00,195
3.	एन.आई.एस. पटियाला	सरकारी	25,25,000
4.	संत गजानन महाराज, इंजीनियरी कालेज, शेगांव (महाराष्ट्र)	गैर-सरकारी	3,00,000
5.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब	सरकारी	15,00,000
6.	विश्वविद्यालय, बी.डी.टी. कालेज, देवनगेरे (कर्नाटक)	सरकारी	3,00,000
7.	बरदावेश्वर इंर्जानियरी कालेज, बगलकोट कर्नाटक	गैर-सरकारी	30,000

विवरण 3

सिंथेटिक सतहों के लिए अनुदान संबंधी योजना के कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण को जारी किए गए अनुदान

वर्ष	जारी अनुदानों की राशि (रु.)
1993-94	2.00 करोड़
1994-95	0.75 करोड़
1995-96	1.50 करोड़

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत बड़ी परियोजनाएं तथा आंशिक/पूर्ण रूप से जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सरकारी/गैर-सरकारी	राशि (लाख रु. में)
1.	नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में सिंथेटिक हाकी परत	सरकारी	160.00
2.	न्यू बर्टन पार्क, जालंधर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	सरकारी	75.00
3.	गवर्नमेंट कालेज, लुधियाना में सिंथेटिक सतह	सरकारी	45.00
4.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में सिंथेटिक टेनिस कोर्ट	गैर-सरकारी	4.60
5.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को पुन: बिछाना	सरकारी	100.00
6.	राधाकृष्ण मेयर स्टेडियम, मद्रास में सिंथेटिक हाकी परत	सरकारी (स्थानीय)	50.00

विवरण 4

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल संघों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संघ का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आल इंडिया कैरम फेडरेशन	1,08,093	56,750	2,90,772
2.	आल इंडिया चैस फेडरेशन	22,26,757	23,30,332	20,66,319
3.	आल इंडिया कराटे डो फेडरेशन	28,125	84,375	–
4.	अखिल भारतीय बधिर खेलकूद परिषद्	10,85,130	1,45,633	8,37,317
5.	एमेच्योर हैंडबाल फेडरेशन	11,99,960	3,06,250	3,12,500

क्र.सं.	संघ का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
6.	बास्केटबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया	1,87,500	1,31,250	4,12,500
7.	रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	–	–
8.	साईकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया	1,77,275	–	–
9.	जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया	7,29,616	7,90,766	4,67,404
10.	इंजियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन	1,12,500	–	75,000
11.	इंडियन गोल्फ यूनियन	–	47,985	–
12.	इंडियन पोलो एसोसिएशन	35,847	–	42,523
13.	जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया	20,58,115	41,02,454	9,46,086
14.	साफ्ट बाल एसोसिएशन ऑफ इंडिया	93,750	2,01,250	1,33,100
15.	ताइकवोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया	1,06,800	65,675	1,48,010
16.	टेन्नीकोइट फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	3,00,000	1,68,750
17.	वालीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया	11,45,988	12,58,329	21,32,297
18.	वूमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया	–	–	31,755
19.	एमेच्योर रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (मान्यता प्राप्त नहीं)	–	–	
20.	ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	–	–
21.	इंडियन कायकिंग एण्ड कैनोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	7,31,500	–	9,12,140
22.	स्कूलगेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया	6,95,588	9,89,824	6,32,415
23.	स्पेशल ओलम्पिक्स (मान्यता प्राप्त नहीं)	–	–	–
24.	भारतीय ओलम्पिक संघ	19,82,902	53,83,543	84,49,493
25.	फिजीकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन (मान्यता प्राप्त नहीं)	–	–	–
26.	विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (मान्यता प्राप्त नहीं)	–	–	–
27.	बाल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया	4,43,750	19,750	1,68,500
28.	एमेच्योर बेसबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया	2,25,000	75,000	2,18,750

क्र.सं.	संघ का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
29.	याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया	17,00,056	10,53,111	14,41,550
30.	रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	16,23,956		–
31.	आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया	17,93,890	10,36,956	6,04,336
32.	बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया	29,88,541	4,87,194	7,26,321
33.	बिलयर्ड्स एण्ड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया	1,90,185	93,511	1,60,315
34.	इंडियन एमेच्योर बाक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	20,14,077	11,99,362	22,58,734
35.	साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	17,95,495	2,31,760	–
36.	भारतीय घुड़सवारी संघ	7,25,327	3,09,402	8,36,501
37.	आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया	12,27,715	11,74,930	19,40,619
38.	भारतीय हाकी संघ (पुरुष)	46,77,326	39,70,402	80,54,831
39.	भारतीय महिला हाकी संघ (महिला)	28,43,820	33,85,231	12,70,006
40.	आल इंडिया टेनिस एसोसिएशन	2,57,594	1,50,170	–
41.	इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन	2,75,000	1,75,000	10,31,250
42.	स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	1,38,998	–
43.	भारतीय तैराकी संघ	16,06,010	7,15,000	4,94,218
44.	नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया	13,27,095	21,74,548	23,67,730
45.	टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया	17,35,807	24,28,144	15,19,312
46.	भारतीय भारोत्तोलन संघ	21,21,776	8,87,153	14,20,846
47.	भारतीय कुश्ती संघ	43,75,488	23,09,219	33,28,797
48.	एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया	33,20,780	47,59,662	2,02,383
49.	एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया	75,000	3,18,750	3,50,000
50.	जवाहरलाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट सोसायटी (मान्यता प्राप्त नहीं)	1,33,268	1,82,654	2,31,462
51.	विकलांगों के लिए भारतीय पुनर्वास एवं खेलकूद परिषद (मान्यता प्राप्त नहीं)	–	–	–
52.	इंडियन वेट्रन एथलीट्स फेडरेशन (मान्यता प्राप्त नहीं)	–	1,84,975	–
53.	खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	–	75,000
54.	वीमेन्स फुटबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	–	4,26,568
	जोड़	501,82,402	429,11,646	471,86,430

विवरण 5

1994-95 के दौरान जारी किए गए अनुदान

क्र.सं.	अनुदानग्राही क्लब/केन्द्र का नाम	मंजूर किए गए अनुदान की धनराशि (रु.)
1	2	3
1.	श्री जगनाथ युवक संघ, जयपुर	25,000/-
2.	लाल बहादुर क्लब (उड़ीसा)	25,000/-
3.	शहीद मेवा सिंह कमेटी, अमृतसर पंजाब	30,000/-
4.	शहीद बीबी गुलाब कौर स्पोर्टस क्लब, जिला संगरूर, पंजाब	30,000/-
5.	संत कृपाल सिंह स्पोर्ट्स एसोसिएशन, गुरूदासपुर, पंजाब	30,000/-
6.	स्पोर्ट्स क्लब, जिला होशियारपुर, पंजाब	30,000/-
7.	क्षेत्रीय युवा क्लब, जिला गुरूदासपुर, पंजाब	30,000/-
8.	ग्रामीण स्पोर्ट्सं क्लब, जिला कपूरथला, पंजाब	30,000/-
	कुल:	2,30,000/-रु.
	1995-96 के दौरान दिया गया अनुदान	
9.	स्वामी दयानन्द युवा क्लब, (हरियाणा)	27,000/-
10.	आदर्श युवा स्पोर्ट्स क्लब, ब्लाक सोनीपत (हरियाणा)	29,995/-
11.	लाल बहादुर क्लब, डाकघर कुलाश्री, जिला कटक (उड़ीसा)	15,000/-
12.	नानीमा युवक संघ, गोदल, वाया सीनापाली (विभाग नंदुदा) (उड़ीसा)	30,000/-
13.	गोपीनाथ युवक संघ, उड़ीसा	25,000/-
14.	कुलूमा युवक संघ, ब्लाक कनिका, उड़ीसा	30,000/-
15.	बोस वैज्ञानिक तकनीकी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, जिला खुर्दा, उड़ीसा	30,000/-
16.	फाईव स्टार क्लब, क्योंझार, उड़ीसा	35,000/-
17.	सत्य निरंजन सेवा संघ, क्योंझार, उड़ीसा	20,000/-
18.	पलसा पल्ली उन्नयन समिति, जिला मुर्शिदाबाद, प. बंगाल	30,000/-
19.	चाक महावाया संघ क्लब, जिला मुर्शिदाबाद, पं. बंगाल	30,000/-
20.	इकारा पल्लीमोंगल समिति, बीरभूम, पश्चिम बंगाल	18,000/-
21.	जुगाबारी स्पोर्ट्स क्लब, कुचीमिघाता, बीरभूम, पश्चिम बंगाल	30,000/-

1	2	3
22.	गामिला बबीना संघ, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	30,000/-
23.	नवभारत स्पोर्टिंग क्लब, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	30,000/-
24.	बालूघाट टाऊन क्लब, दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	30,000/-
25.	प्रगति संघ, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	30,000/-
26.	अमर सबाई, ब्लाक आई.डी. औसग्राम, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	30,000/-
27.	निहारिका संघ, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	30,000/-
28.	यंग रेजिमेंट, ब्लाक आई.डी. हावा, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	30,000/-
29.	तरूण संघ, बलाक औसाराम, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	30,000/-
30.	मनुसर साबे अमर साबे, पश्चिम बंगाल	30,000/-
31.	रंजीत मेमोरियल क्लब, चोवगवन, पंजाब	30,000/-
32.	देश भारत स्पोटर्स क्लब, फरीदकोट ब्लाक मोंगा 2 पंजाब	30,000/-
33.	ऐता भोवकरारी सोसायटी देव. ऐसोसिएशन बावपेटा, असम	30,000/-
34.	गराईबारी यूनाइटिड क्लब, जिला करबी अंगलोग, असम	30,000/-
35.	प्रगति संघ, डाकघर अरालिया, डाकघर पूर्व अगरतला, त्रिपुरा	30,000/-
36.	कोस्मोस आर्ट एण्ड स्पोटर्स क्लब, थिरूवेमपेडी, केरल	30,000/-
37.	नवोदयम आर्ट एण्ड स्पोटर्स क्लब, नीराविल, डाकघर कोलल्म, केरल	30,000/-
38.	विक्टरी आर्ट एण्ड स्पोटर्स क्लब, कोझीकोडी, केरल	8,000/-
	कुल :	8,37,995/- रु.

टिप्पणी : वर्ष 1993-94 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई केन्द्र

***27. श्री डी.पी. यादव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनेक लिफ्ट सिंचाई केन्द्र ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई प्रयोजनों के लिये पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर स्थिति इस प्रकार है:

यह कहना ठीक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कई लिफ्ट सिंचाई केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों

की रिपोर्ट की गई 24 वृहद/मध्यम और 229 छोटी लिफ्ट पम्प नहरों में से 7 छोटी लिफ्ट नहरें इलैक्ट्रिकल प्रणाली में दोषों के कारण अस्थाई रूप से बंद कर दी गई।

(ङ) वर्तमान प्रणाली द्वारा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करावाया जा रहा है और इलैक्ट्रिकल प्रणाली दोषों या मैकेनिकल दोषों के कारण नहरों के अस्थाई रूप से बंद होने जैसे अवरोधों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

***28. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996 और 1997 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम को अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिए गए अनुदान का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) से (ग) यह विभाग प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न प्रदान करने वाले भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को निधियां जारी करता है।

दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत अब तक उठाए गए गेहूं की मात्रा निम्नवत् है:-

वर्ष 1995-96	2150 मीट्रिक टन
वर्ष 1996-97	6389 मीट्रिक टन

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

एड्स का संक्रमण करने वाले ब्लड बैंक

***29. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ब्लड बैंक्स ट्रांसमिटर्स ऑफ एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के ब्लड बैंक संक्रामक रक्त उपलब्ध कराकर देश में एड्स फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में विभिन्न ब्लड बैंकों के कार्यकरण की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार रक्ताधान और रक्त के उत्पादों से होने वाला एच.आई.वी. संचरण 6 से 8 प्रतिशत के बीच है।

(ग) और (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में एच.आई.वी. के लिए रक्त की अनिवार्यत: जांच करने का प्रावधान है। इसकी औषध महानियंत्रक (भारत) और राज्य खाद्य और औषध प्रशासन विभागों द्वारा लाइसेंस देने/नवीकरण करने हेतु रक्त बैंकों का निरीक्षण करके मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

चालक रहित विमान द्वारा घुसपैठ

***30. श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 15 जनवरी, 1997 को भारतीय वायुसेना द्वारा एक दूर-संचालित संदिग्ध पाकिस्तानी चालक रहित विमान (पी.पी.वी.) को भारतीय वायु क्षेत्र में मार गिराया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमान का कोई मलबा बरामद कर लिया गया है और क्या यह पता लगा लिया गया है कि विमान कहां से आया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने के संबंध में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस तरह की घटनाओं से शिमला समझौते का उल्लंघन होता है;

(च) क्या इस प्रकार की घुसपैठ की घटनाएं पहले भी हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा विदेशी विमानों द्वारा हमारी सीमाओं में इस प्रकार की घुसपैठ रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) भारतीय वायुसेना ने 15 जनवरी, 1997 को एक घुसपैठिया पायलट रहित वायुयान को दागा था।

(ख) से (ङ) उक्त वायुयान का कोई मलबा बरामद नहीं हुआ है। दूरचालित पायलट रहित वायुयान उत्तर-पश्चिम की तरफ से आया था। दोनों देशों के बीच हुए हवाई क्षेत्र उल्लंघन के निवारण संबंधी द्विपक्षीय करार के खिलाफ भारतीय हवाई क्षेत्र में हुई इस घुसपैठ का विरोध, राजनीतिक माध्यमों द्वारा पाकिस्तान को दर्ज किया जा चुका है। पाकिस्तान सरकार ने अपने वायुयान द्वारा ऐसी किसी घुसपैठ से इंकार किया है।

(च) और (छ) भारतीय हवाई क्षेत्र में सीमा पार से कुछ उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से संबंधित सूचना से पड़ोसी देशों को अवगत कराया गया है।

(ज) भविष्य में ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक पूर्वोपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशों के साथ सम्बन्ध

***32. श्री कुंवर सर्वराज सिंह :**
श्री आर. साम्बासिव राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विदेशों से और अच्छे संबंध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार ने हाल ही में और बेहतर सम्बन्ध बनाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक नीति में परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुये अपनी विदेश नीति में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रधान मंत्री ने अनेक देशों का दौरा भी किया है और उन देशों के साथ कई करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(च) यदि हां, तो बंगला देश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका जैसे पड़ेसी देशों के साथ सम्बन्धों में किस हद तक सुधार हुआ है;

(छ) वर्ष 1996 और 1977 के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ज) क्या अमरीका और रूस के साथ भी सम्बन्धों में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ञ) उन देशों के साथ सम्बन्धों में किस हद तक सुधार हुआ है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ञ) सरकार की विदेश नीति का मूल उद्देश्य भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करना और न्याय तथा समानता के साथ चहुंमुखी आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने विश्व के प्रत्येक देश के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाने तथा उनके साथ परस्पर लाभदायक संबंध विकसित करने का निर्णय लिया है।

सरकार अपने निकटतम पड़ौसी देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने को उच्च प्राथमिकता देती है और तदनुसार साधारण पांच सूत्रीय फ्रेमवर्क के आधार पर प्रत्येक के साथ अपने संबंधों को आकार दिया है। सर्वप्रथम बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसियों से भारत अन्योन्यता की बात नहीं करता किन्तु वह सभी कुछ देता है जो सद्भाव और विश्वास के अन्तर्गत दिया जा सकता है। दूसरे, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी सीमा को क्षेत्र के किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। तीसरे, कोई भी दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथे, सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और संप्रभुता का आदर करना चाहिए, और पांचवे, वे अपने सभी विवाद शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से निपटाएंगे। इन सिद्धान्तों ने घनिष्ट और विशेष सहयोग का वातावरण तैयार करने में मदद दी है।

नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय और बढ़ते हुए क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में काफी हद तक संबंध सुधरे हैं। जहां तक पाकिस्तान के साथ संबंधों का प्रश्न है, सरकार ने आपसी हित-चिन्ता के सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत पुनः शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने इस

आशय का प्रस्ताव पाकिस्तान के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री को भेजे बधाई संदेश में भेजा था। चीन के साथ भारतीय संबंधों ने परिपक्वता और मूर्त रूप ग्रहण किया है और दोनों के बीच काफी हद तक द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष चीन के राष्ट्रपति च्यांग जामिन ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण परिणामस्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों पर एक करार सम्पन्न हुआ है।

बंगलादेश के संबंध में 12 दिसम्बर, 1996 को गंगाजल के बंटवारे पर भारत-बंगलादेश सन्धि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें सूखे के मौसम में, विशेषकर 1 मार्च, से 10 मई के बीच जल प्रवाह के बंटवारे के लिए एक विस्तृत फार्मूले की व्यवस्था है। यह संधि 30 वर्ष के लिए है किन्तु 5 वर्ष की अवधि के बाद इसकी अनिवार्य समीक्षा का प्रावधान भी है। दो वर्ष के बाद कोई भी पक्ष समीक्षा की मांग कर सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-अमरीका संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से इस प्रक्रिया को और प्रोत्साहन मिला है। भारत और अमरीका के संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए अब व्यापार और निवेश एक आधारशिला है। अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को तथा पारस्परिक लाभ के द्विपक्षीय सहयोग को और सुधारने तथा मजबूत बनाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। सरकार नए प्रशासकीय दल के प्रमुख व्यक्तियों के साथ शीघ्र उच्च-स्तरीय सम्पर्क स्थापित करने में भी पहल करेगी। सद्भाव और विश्वास के आधार पर मैत्री और सहयोग द्वारा रूसी परिसंघ के साथ भारत के संबंधों की विशेषता बनी रही। भारत-रूस के संबंध बहुपक्षीय हैं और इसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र आते हैं। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने और नए विषय के साथ इन्हें जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों देशों के बीच संयुक्त मोर्चे की सरकार की स्थापना के बाद से गहन उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परम्परा और बढ़ी है। व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के तीसरे सत्र की सह-अध्यक्षता के लिए मैं मास्को गया जहां व्यापारिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग की व्यापक समीक्षा हुई और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में अनिर्णीत मसलों का समाधान किया गया।

अर्थव्यवस्था में उदारीकरण से संभावनाओं के नए क्षेत्र खुले हैं और विदेशों के साथ लाभप्रद सहयोग के नए आयाम सामने आए हैं। इस संदर्भ में भारत की आर्थिक संभावनाओं और क्षमता का निरूपण ऐसे तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास है जिससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक विदेशी योगदान सतत् रूप से मिलता रहे, लोगों का सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुरक्षित रहे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

द्विपक्षीय यात्राओं के आधार पर प्रधानमंत्री ने बंगलादेश और मारिशस की यात्रा की। जी-15 शिखर-सम्मेलन, विश्व खाद्य शिखर-सम्मेलन और विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए हरारे, रोम और देबोस की अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने विश्व के अनेक नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री की यात्राओं से इन देशों के साथ भारत के संबंधों के स्तर और विषय-वस्तु में वृद्धि करने में मदद मिली है। इन उच्च-स्तरीय यात्राओं के दौरान सहयोग के कई करारों पर हस्ताक्षर हुए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् द्वारा आयोजित सम्मेलन

*33. **श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने अक्तूबर, 1995 में दिल्ली में तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो परिवार कल्याण योजना के कार्यान्वयन, हासिल किए गए लक्ष्यों तथा 20वीं शताब्दी के अंत तक हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशों और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में मुख्य संकल्पों में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने 2000 ई. के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था तथा जो लक्ष्यों के नजदीक पहुंच गए थे की प्रशंसा की थी। लक्ष्यों के संबंध में पिछड़ रहे राज्यों से आग्रह किया गया था कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने मात्रात्मक लक्ष्यों के स्थान पर गुणवत्ता संकेतक रखने के लिए भारत सरकार की पहलों का भी समर्थन किया।

[हिन्दी]

महत्वपूर्ण उपकरणों का कार्य न करना

*34. **डा. बलीराम :**
श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग, डा. राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों में आपरेशन, एक्स-रे और अन्य चिकित्सा संबंधी जांच के लिए रेडियो-थैरेपी मशीनों जैसे उपकरण कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही के कारण सरकारी अस्पतालों से लोगों का विश्वास उठ गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्पूर्ण मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) अधिकतर नैदानिक और विकिरण-विज्ञान/विकिरण चिकित्सा उपकरण तथा आपरेशन करने के लिए आवश्यक उपकरण केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक्स-रे/सी.टी. हैड स्केन के कुछ एककों और गुरू तेगबहादुर अस्पताल में एक्स-रे मशीनों को छोड़कर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अधीन अस्पतालों में सभी उपकरण उचित रूप से कार्य कर रहे हैं। गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में सी.टी. स्केन को बदला जा रहा है। उपकरणों का रख-रखाव/मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी भी कोई उपकरण खराब हो जाता है तो उसकी मुख्य रूप से वार्षिक सेवा संविदा के माध्यम से यथाशीघ्र मरम्मत करवा ली जाती है। पुर्जों और सहायक पुर्जो की खरीद में कभी-कभी समय लग जाता है क्योंकि मदों को यदा-कदा आयात किया जाना होता है।

(ग) जी, नहीं। सरकारी अस्पताल हजारों लोगों के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं और विशिष्टीकृत रोगी परिचर्या संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समय-समय पर अस्पतालों के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग कर रहे हैं। यदि लापरवाही अथवा उदासीनता का कोई मामला ध्यान में आता है तो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध दंड देने की कार्रवाई शुरू की जाती है।

[अनुवाद]

पोत निर्माण उद्योग को राजसहायता

*35. **श्री एल. रमना :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पोत निर्माण उद्योग की राजसहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय भारतीय शिपयार्ड पोत निर्माण के लिए किसी तरह की सरकारी राजसहायता या विभेदी ब्याज दर पर ऋण प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

(ग) यदि हां, तो क्या पोत निर्माण उद्योग ने सरकार से अपनी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है क्योंकि भारतीय शिपयार्डो को पोत निर्माण के लिये और साथ ही निर्यात के लिए पोत निर्माण में अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) पोत निर्माण उद्योग को राजसहायता प्रदान करने संबंधी अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा;

(ङ) क्या पोत निर्माण उद्योग के लिए नई नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनम जी. वेंकटरामन): (क) से (च) जहाज निर्माण उद्योग के पुनरुद्धार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय शिपयार्डों में निर्मित समुद्र-गामी जलयानों के लिए सितम्बर, 1993 में दो वर्ष की अवधि के लिए एक संशोधित मूल्य निर्धारण नीति लागू की गई थी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ आधार मूल्य के ऊपर 30% सब्सिडी (20% सरकार द्वारा देय और 10% जहाज मालिक द्वारा देय) की उपलब्धता और 9% ऋण राशि पर जहाज की लागत के 80% राशि तक ब्याज के अंतर की सब्सिडी की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। उक्त नीति के लागू रहते हुए संपन्न किए गए जहाज निर्माण आदेशों को यह सब्सिडी दी जा रही है।

जहाज निर्माण उद्योग ने सब्सिडी स्कीम के विस्तार और निर्यात आदेशों को भी सब्सिडी स्कीम में शामिल करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है, जो विचाराधीन है।

नई जल-भूतल परिवहन नीति

***37. श्री नामदेव दिवाथे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नागपुर में हुये भारतीय सड़क कांग्रेस के 57वें वार्षिक अधिवेशन में नई भूतल परिवहन नीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाली अनेक अभिनव सिफारिशें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु उन नये-नीतिगत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है और/अथवा जो विचाराधीन है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) भारतीय सड़क कांग्रेस के 57वें सत्र में सड़कों और पुलों के डिजाइन, निर्माण, रख-रखाव, वित्त पोषण और प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। सरकार नीतिगत परिवर्तनों, विशिष्टियों को अद्यतन करने, प्रथाओं के कोड और निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में निर्णय लेते समय आई आर सी की सिफारिशों पर विधिवत् विचार करती है।

(ग) सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण करने और निजी निवेश को आकर्षित करने तथा उसे सुगम बनाने के लिए नए नीतिगत प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है।

सन् 2040 तक जनसंख्या

***38. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :**
श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जनवरी, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इंडिया विल मी मोस्ट पौपुलस नेशन बाय 2040" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा भारत के महापंजीयक की अध्यक्षता में गठित जनसंख्या प्रक्षेपण तकनीकी दल ने जनसंख्या वृद्धि दर के वर्तमान रूझान को मानते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर 2016 ई. तक ही जनसंख्या प्रक्षेपण तैयार किए हैं। इसके अनुसार दल ने 2016 ई. तक भारत की जनसंख्या 126.4 करोड़ प्रक्षेपित की है।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम ने बहुत से राज्यों में जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान दिया है। 9वीं योजना में उन राज्यों/जिलों, जो पिछड़ रहे हैं, में विशेष प्रभाव डालने का प्रयास होगा। राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की अवसंरचना तथा कार्य प्रणालियों के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। गत वर्ष ऊपर से गर्भनिरोधक लक्ष्यों को स्थापित करने की पद्धति, जो बहुत से आंकड़ों के तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए उत्तरदायी थी, को प्रमुख रूप से स्थानीय लोगों को शामिल करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली द्वारा बदल दिया गया है।

पश्चिमी तट पर स्थित बड़े पत्तन

***39. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पश्चिम तट पर बड़े पत्तनों का विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण करने की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं पर हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम तट पर पत्तनों से संबंधित उन नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकार किया है अथवा उन पर सरकार द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) पश्चिम तट पर विभिन्न महापत्तनों पर 9वीं योजना (1997-2002) में निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं शामिल करने

का प्रस्ताव किया गया है:-

कांडला

1. वाडीनार में बहुउद्देश्यीय बर्थ और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
2. एम डी कच्छ वल्लभ का प्रतिस्थापन।
3. 11वीं और 12वीं कार्गो बर्थ का निर्माण।
4. कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाओं का विकास।
5. ग्रेन जेट्टी का निर्माण।
6. अतिरिक्त कार्गो बर्थ।

मुम्बई

7. जवाहरदीप में सबमैरीन पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन और जेट्टी 1, 2 और 3 का आधुनिकीकरण।
8. वाडला में भूमि अधिग्रहण और विकास।
9. नव पीर पाऊ पीयर से दूर पी ओ एल बर्थ के दूसरे तरल रसायन विशिष्ट ग्रेडों का निर्माण।
10. इन्दिरा एवं विक्टोरिया डॉक में व्हार्फ क्रेनों का प्रतिस्थापन।

जवाहर लाल नेहरू

11. अतिरिक्त पत्तन क्राफ्ट (3 टग्स और 2 पायलट लांचेज)

मुरगांव

12. व्हार्फ क्रेनों का प्रतिस्थापन।
13. कन्टेनर हैंडलिंग उपस्कर का अधिग्रहण।
14. मौजूदा अयस्क बैंडलिंग संयंत्र में आशोधन।

नव मंगलूर

15. कन्टेनर हैंडलिंग के लिए अवसंरचना।
16. एम आर पी एल विस्तारण के लिए पत्तन सुविधाएं।

कोचीन

17. 12.8 मीटर ड्राफ्ट तक चैनल को गहरा करना।
18. मट्टनेचरी पुल का प्रतिस्थापन (1/3 हिस्सा पत्तन का हिस्सा)

(ग) मुम्बई पत्तन की मुख्य परियोजनाओं की प्रगति इस प्रकार है:-

(करोड़ रु.)

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	दिसम्बर, 96 तक वास्तविक व्यय	पूर्ति की पूर्वानुमानित तारीख
पीर पाऊ में एक तेल बर्थ का निर्माण	110.89	82.15	जनवरी, 1997 (चालू किया गया)
ग्रेब ड्रेजर विकास का प्रतिस्थापन	30.00	3.43	मार्च, 1997
जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी टी एम एस) का संस्थापन	32.96	2.39	मार्च, 1997
सबमैरीन पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन	165.15	50.00	जनवरी, 1998

(घ) हाल ही में, जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर निजी क्षेत्र द्वारा दो-बर्थ कन्टेनर टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। मुम्बई पत्तन पर योजनागत कार्यक्रम द्वारा मैरीन तेल टर्मिनल के आधुनिकीकरण और जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर निजी क्षेत्र द्वारा मैरीन रसायन टर्मिनल तथा बी एवं सी ग्रेड रसायन टर्मिनल के निर्माण पर कार्रवाई चल रही है।

रूग्णता सहायता कोष

***40. श्री वी. वी. राघवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या महंगा उपचार करा रहे निर्धन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक रूग्णता सहायता कोष स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कोष से सहायता प्राप्त करने के लिये रोगियों की पात्रता के विषय में जारी मार्ग निर्देश क्या हैं; और इसके लिए आवेदन किस प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कोष की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 13-1-97 के संकल्प के तहत की गई है जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1, खण्ड 1, सं. 9) में प्रकाशित किया गया है।

इस स्कीम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) रूग्णता सहायता कोष की स्थापना करेंगे जो कि एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। इस सोसाइटी को राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से प्राप्त दान के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सम्पूरित की जाएगी जो कि गरीबी की रेखा से नीचे की अधिकांश जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक और अन्य राज्यों/संघ राज्यों के लिए 2 करोड़ रुपए तक होगी। गरीबी रेखा वह होगी जो योजना आयोग द्वारा पारिभाषित की गई है। इस कोष में कोई भी व्यक्ति, निगमित निकाय और अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय लोकोपकारी संगठन भी अंशदान कर सकते हैं। इस कोष में प्राप्त अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80(छ) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त होगा। सोसाइटी के खातों का अंकेक्षण राज्य/संघ राज्य के महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा।

इस कोष से आर्थिक सहायता ऐसे रोगियों को प्रदान की जाएगी जो गरीबी की रेखा से नीचे हों, प्राणघातक रोगों से पीड़ित हों और इस स्कीम में भाग लेने वाले किसी सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों/संस्थाओं अथवा अन्य किसी सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करा रहे हों। सहायता, अनुदान के रूप में एक ही बार दी जाएगी और उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को रिलीज की जाएगी जहां इलाज किया जा रहा है।

राज्यों को सहायता अनुदान रिलीज करने के लिए 1996-97 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट अनुदान में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 5 करोड़ रुपए के आरम्भिक दान से एक राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कोष भी स्थापित किया जाए। इस कोष में कोई भी व्यक्ति निगमित निकाय और गैर निगमित निकाय अंशदान कर सकेंगे। इस कोष में दिया गया अंशदान भी आयकर अधिनियम की धारा 80(छ) के अधीन कर मुक्त होगा। राष्ट्रीय रूग्णता सहयता कोष की प्रबंध समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री होंगे। यह सोसाइटी पंजीकृत होगी और इसके खातों का अंकेक्षण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा।

जब किसी निर्धन रोगी को आर्थिक सहायता की मात्रा 1.5 लाख से कम होगी, तो धनराशि राज्य/संघ राज्य स्तर पर अवमुक्त की जाएगी और यदि व्यक्तिगत मामले में सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो इसे केन्द्र में राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कोष को संस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कोष बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों को भी ऐसा अनुदान प्रदान करने के लिए बजट परिव्यय के बारे में निर्णय लेगा।

इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के आवेदन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कोष को भेजे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

रिक्त पड़े पद

168. श्री एन. जे. राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केन्द्र में रिक्त पड़े विशेषतौर से वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सक के पद पर की गई तदर्थ तथा स्थायी नियुक्तियां आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं तथा आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुली योग्यता के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षित पदों पर खपाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप आरक्षित पदों को भरने तथा आरक्षण नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है;

(घ) क्या आज तक इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) आरक्षण के मामले पर उच्च न्यायालय, दिल्ली के स्थगन आदेश के कारण जुलाई/सितम्बर 1994 से और आगे संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट डाक्टरों के पद पर नियमित नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। 19.8.96 को न्यायालय से स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर संस्थान को इस विषय के अनुदेशों में उल्लिखित आरक्षण के साथ तदर्थ आधार पर वरिष्ठ रेजिडेंट डाक्टरों के पद पर भर्ती करने का निर्देश दिया गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) संस्थान से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

आयोडीन की कमी

169. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आयोडीन की कमी से पीड़ित है;

(ख) देश के किन-किन क्षेत्रों में स्थानीय कारणों से घेघा रोग फैलता है;

(ग) क्या घेघा रोग के कारण कोई मृत्यु हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सभी प्रकार के सामान्य (खाद्य योग्य) नमकों में आयोडीनयुक्त बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) देश में घेघा रोग के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और ख) अनुमान है कि देश में आयोडीन अल्पता विकास से 200 मिलियन से अधिक लोग जोखिम में हैं। 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 275 जिलों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि गलगंड और दूसरे आयोडीन अल्पता विकारों की व्याप्तता 235 जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) ऐसी मौत की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण कार्यक्रम में खाद्य नमक का व्यापक आयोडीकरण करने का उल्लेख है। कार्यक्रम की कार्यनीति में शामिल हैं आयोडिन अल्पता विकार का सर्वेक्षण करना, आयोडीन युक्त नमक।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय

170. **श्री ए. जी. एस. राम बाबू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं;

(ख) इनमें प्रतिमाह औसतन कितने आवेदकों की जांच की जाती है;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी किए जाने में कोई विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या मदुरई में पासपोर्ट कार्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) चेन्नई और त्रिरूचिरापल्ली में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं।

(ख) दोनों पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रत्येक महीने जिन आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है उनकी औसतन संख्या इस प्रकार है:-

त्रिरूचिरापल्ली	15,980
चेन्नई	11,180

(ग) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई और पासपोर्ट कार्यालय, त्रिरूचिरापल्ली पासपोर्ट जारी करने में लगभग 6 से 8 सप्ताह का समय लेते हैं।

(घ) से (च) इस समय कोई और नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि मौजूदा कार्यालय राज्य से प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उचित समय-सीमा के भीतर पासपोर्ट ज़ारी करने में सक्षम हैं।

राजस्थान में परिवार कल्याण परियोजनाएं

171. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन परिवार कल्याण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में परिवार कल्याण क्षेत्र परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एक परियोजना 34.85 करोड़ रुपये की कुल लागत पर पहली मार्च, 1989 से 31 मार्च, 1997 तक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की सहायता से 13 जिलों में और दूसरी 9वीं भारत जनसंख्या परियोजना 188.57 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 16 जून, 1994 से 7 वर्षीय अवधि के लिए विश्व बैंक सहायता से

10 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित है। परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर, रूग्णता दर तथा जन्म दर को कम करना है। राज्य सरकार परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है तथा भारत सरकार कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

(ग) यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना के अंतर्गत 418 उप केन्द्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 महिला स्वास्थ्य विजिटर आवास, 10 सहायक प्रशिक्षण स्कूल, 3 महिला स्वास्थ्य विजिटर प्रशिक्षण स्कूल तथा 1 भवन राज्य स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार, सूचना संचार के लिए निर्मित किए गए हैं। अब तक 7000 दवाइयों और 5,092 बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष और महिला) को प्रशिक्षित किया गया है।

आई.पी.पी.-9 परियोजना के अंतर्गत 146 उप केन्द्र निर्मित किए गए हैं। 40 आपरेशन थियेटर और प्रसव कक्ष प्राथमिक संदर्भ एककों में भी प्रदान किए गए हैं। अब तक 2156 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

वीसा जारी किया जाना

172. श्री ए. सम्पथ : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कुछ देशों द्वारा भारत के नागरिकों को धर्म के आधार पर वर्क परमिट तथा वीसा जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों को वर्क परमिट तथा वीजा जारी करने से देशों के इन्कार करने के कोई विशिष्ट दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत में नवजात शिशुओं में फैल रही एड्स की बीमारी

173. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "असम ट्रिब्यून" में 24 सितम्बर, 1996 को "माउंटिंग एड्स इन न्यू बर्नस इन इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या भारत में प्रत्येक वर्ष पैदा होने वाले अस्सी हजार शिशुओं के ह्यूमन इम्यूनोडेफिसयेंसी वायरस ग्रस्त अपनी माताओं से संक्रमित होने की संभावना होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुमान केवल एक अस्पताल में किए गए अध्ययन पर आधारित है। एक ही अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर अनुमान लगाना मुश्किल है। भारत में एच.आई.वी./एड्स के प्रसार के निवारण और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम इस समय देश भर में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम की कार्यनीतियों में ये शामिल हैं: अधिक जोखिमपूर्ण व्यवहार करने वाले समूहों तथा एच.आई.वी./एड्स के बारे में आम जनता में जागृति पैदा करना, यौन संचारी रोगों का नियंत्रण, रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण उपयोग, परिचर्या और सहायता।

अन्तर्देशीय जल मार्ग

174. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) के नवीकरण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसमें कितना पूंजीगत परिव्यय अन्तर्विष्ट है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के पीछे क्या तर्काधार है और निजी संचालकों को आधुनिक बेड़ों की खरीद के लिए किस प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) अभी हाल में सरकार के विचारार्थ केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के लिए एक "टर्न-अराउण्ड पैकेज" तैयार करने हेतु एक अग्रणी परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति की गई है। परामर्शदाता द्वारा जून, 1997 तक रिपोर्ट पेश कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। निजीकरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

एच.आई.वी. परीक्षण सुविधा

175. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल स्थित क्षेत्रीय यौन संचारित रोग केन्द्र में यौन संचारित रोगियों के लिए एच.आई.वी. परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो एच.आई.वी. परीक्षण सुविधाएं, जिसमें एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्र पर एच.आई.वी. किट्स की आपूर्ति शामिल है, प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या एच.आई.वी. निगरानी केन्द्र हेतु किसी वाहन की स्वीकृति हुई थी तथा बाद में वापस ले लिया गया जिसके कारण प्रभावित लोगों की जांच, निदान तथा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करना टीम के लिए मुश्किल हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र को पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित पूर्णत: प्रभावी तथा कार्यात्मक बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सफदरजंग अस्पताल के क्षेत्रीय यौन संचारित रोग केंद्र में एच.आई.वी. जांच सुविधा उपलब्ध है। यह केंद्र चुने हुए यौन संचारित रोगियों की जांच एच.आई.वी. संक्रमण का पता लगाने हेतु भी करता है।

(ख) मौजूदा 62 निगरानी केंद्रों के अतिरिक्त और एच.आई.वी. की जांच निगरानी केंद्र न खोलने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि सफदरजंग एच.आई.वी. निगरानी केंद्र नहीं है, इसके लिए कभी किसी वाहन की मंजूरी नहीं दी गई, अत: वाहन को वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग

176. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की सभी शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की रैगिंग की प्रथा को रोकने के लिए कोई पहल कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के व्यवहार को निन्दनीय और अनुपयुक्त मानती है। विश्वविद्यालयों और संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को इस अभिशाप पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं और जहां रैगिंग की आड़ में विशिष्ट अपराध होते हैं, वहां कानून में दण्ड के प्रावधान भी रखे गए हैं। विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को रैगिंग को गैर-कानूनी बनाने के लिए अपने आदेशों/विनियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है और इसमें भाग लेने वालों को "सामूहिक कदाचार" के रूप में अपराधी माने जाने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि अपराधियों को विश्वविद्यालयों से निकालने अथवा नाम काटने का दण्ड दिया जा सके। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी राज्य ने रैगिंग को हटाने के लिए कोई विधान बनाया है।

सरकार का यह दृष्टिकोण है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कानून के प्रावधान उपयुक्त हैं और धारा 302, 304(क), 307, 324, 325, 326, 339, 340, 341, 342, 343, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 376, 377, 383, 509 और 511 रैगिंग के उत्तेजक रूपों पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त हैं। जब कभी भी आवश्यकता हो तब कानून के इन सामान्य प्रावधानों को बिना हिचक प्रयोग करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और रखरखाव

177. श्री मुख्तार अनीस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रखरखाव, उनको चौड़ा करने और अतिरिक्त राजमार्गों के निर्माण के लिए कितना धन उपलब्ध हैं;

(ख) 1996-97 के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97 के लिए आवंटित धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1996-97 के लिए कार्य योजना का राज्यवार संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और

मरम्मत के लिए 322 करोड़ रु. की निधियां उपलब्ध हैं। अतिरिक्त राजमार्गों को चौड़ा करने और उनके निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 759.64 करोड़ रु. की निधियां उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आवश्यकता का 55 से 65 प्रतिशत हैं। संसाधनों की घोर कमी के कारण विकास परक कार्यों के लिए उपलब्ध निधियां भी आवश्यकता से अत्यधिक कम हैं। 1996-97 वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव/विकासपूरक कार्यों हेतु निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(घ) 1996-97 वर्ष के लिए विकास कार्यों का राज्यवार कार्यक्रम अनुबंध-2 पर दिए विवरण के अनुसार है। चूंकि रख-रखाव और मरम्मत एक गैर-योजनागत कार्य है, इसलिए इसके लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है और निधियों की उपलब्धता और मरम्मत की आवश्यकताओं की तात्कालिकता के अनुसार कार्य शुरू किए जाते हैं।

विवरण-1

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रा.रा.(0)	ई ए पी	योग एन.एच(0) एवं ई ए पी	एम एवं आर (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
01.	आंध्र प्रदेश	2100.00	1600.00	3700.00	3054.34
02.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
03.	असम	1700.00	0.00	1700.00	1505.87
04.	बिहार	1400.00	100.00	1500.00	2026.95
05.	चण्डीगढ़	24.00	0.00	24.00	39.00
06.	दिल्ली	400.00	0.00	400.00	181.00
07.	गोवा	700.00	0.00	700.00	201.36
08.	गुजरात	2800.00	0.00	2800.00	1764.50
09.	हरियाणा	800.00	7100.00	7900.00	702.24
10.	हिमाचल प्रदेश	1200.00	0.00	1200.00	1110.80
11.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	0.00	100.00	97.37
12.	कर्नाटक	1900.00	1400.00	3300.00	1939.80
13.	केरल	2500.00	2500.00	5000.00	810.27
14.	मध्य प्रदेश	1000.00	20.00	1020.00	2303.72
15.	महाराष्ट्र	1900.00	20.00	1920.00	2733.04
16.	मणिपुर	360.00	0.00	360.00	193.00

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	900.00	0.00	900.00	440.70
18.	मिजोरम	0.0	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	10.00	0.00	10.00	12.00
20.	उड़ीसा	1700.00	3810.00	5510.00	1556.73
21.	पांडिचेरी	50.00	0.00	50.00	28.88
22.	पंजाब	1200.00	4600.00	5800.00	1000.13
23.	राजस्थान	1800.00	2400.00	4200.00	2029.08
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	1905.00	0.00	1905.00	2022.66
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3900.00	3710.00	7610.00	2793.40
28.	पश्चिम बंगाल	3400.00	10.00	3410.00	1452.68
29.	जोगीघोपा ब्रिज	2790.00	0.00	2790.00	0.00
30.	मंत्रालय	25.00	4430.00	4455.00	0.00
31.	बी आर डी बी	5300.00	0.00	5300.00	0.00
32.	एन एच ए आई	0.00	2400.00	2400.00	0.00
		41864.00	34100.00	75964.00	29999.52

विवरण 2

(करोड़ रु.)

		सामान्य			विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	सकल योग
		सड़क कार्य	पुल कार्य	योग		
		1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16.20	8.25	24.45	350.00	374.45
2.	असम	18.00	8.50	26.50	-	26.50
3.	बिहार	21.50	7.10	28.60	–	28.60
4.	चन्डीगढ़	0.10	–	0.10	–	0.10
5.	दिल्ली	6.50	5.25	11.75	–	11.75

	1	2	3	4	5
6. गोवा	8.00	6.25	14.25	–	14.25
7. गुजरात	21.35	7.25	28.60	–	28.60
8. हरियाणा	9.50	6.00	15.50	–	15.50
9. हिमाचल प्रदेश	13.80	6.50	20.30	–	20.30
10. जम्मू एवं कश्मीर	0.50	–	0.50	–	0.50
11. कर्नाटक	41.50	1.25	42.75	–	42.75
12. केरल	18.00	5.30	23.30	–	23.30
13. मध्य प्रदेश	21.50	12.00	33.50	–	33.50
14. महाराष्ट्र	15.00	8.50	23.50	–	23.50
15. मणिपुर	8.50	7.00	15.50	–	15.50
16. मेघालय	7.00	6.80	13.80	–	13.80
17. नागालैंड	0.50	–	0.50	–	0.50
18. उड़ीसा	20.00	4.00	24.00	250.00	274.00
19. पांडिचेरी	2.00	–	2.00	–	2.00
20. पंजाब	10.00	12.55	22.55	–	22.55
21. राजस्थान	19.30	5.45	24.75	–	24.75
22. तमिलनाडु	21.00	5.50	26.50	–	26.50
23. उत्तर प्रदेश	21.00	5.25	26.25	100.00	126.25
24. पश्चिम बंगाल	18.00	6.00	24.00	–	24.00
योग	338.75	134.70	473.45	700.00	1173.45
परिवहन और योजना व्यवहार्यता अध्ययनों से संबंधित अध्ययन करने के लिए जोड़ा गया	–	–	–	–	10.00

योग 1183.45 करोड़ रु.

सकल योग 1184.00 करोड़ रु.

जनसंख्या विस्फोट

178. श्री चमन लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि प्रदान की गई/व्यय की गई और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का प्रतिशत क्या है और जनसंख्या विस्फोट को रोकने में इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या कुछेक राज्यों में कतिपय तत्वों ने परिवार कल्याण योजनाओं का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा नहीं तो इसके क्या कारण हैं;.

(घ) क्या कश्मीर घाटी के उग्रवादियों और कट्टरपंथियों ने सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण योजनाओं पर रोक लगाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर कब से रोक लगाई गई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में कितनी धनराशि व्यय की गई और प्रत्येक वर्ष में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई रकम को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। आठवीं योजना के मुख्य लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

	आठवीं योजना के लक्ष्य	उपलब्धियों का वर्तमान स्तर
अस्थायी जन्मदर	26	28.3 (नमूना पंजीयन पद्धति 1995)
नवजात मृत्युदर	70	74 (नमूना पंजीयन पद्धति 1995)
दम्पति सुरक्षादर	56	46.5

(ख) और (ग) परिवार नियोजन की स्वीकार्यता महिला साक्षरता, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वासों, आर्थिक स्थिति आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करती है। ये पहलू राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

(घ) और (ङ) जम्मू व कश्मीर सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

राज्यों को दिए गए सहायता अनुदानों (नकद और वस्तुगत) को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	आवंटन 1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	7367.33	10686.06	11062.37	8752.96	5824.37
2.	अरूणाचल प्रदेश	54.65	64.56	178.93	250.54	142.42
3.	असम	2356.27	2485.74	3488.38	3075.38	3065.00
4.	बिहार	6203.99	9799.08	10949.98	10003.46	5751.19
5.	गोवा	127.62	136.61	166.67	169.22	134.42
6.	गुजरात	6186.76	9853.06	7525.79	5536.01	2771.16
7.	हरियाणा	2194.87	3651.68	2541.03	2213.55	1071.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1172.12	2230.76	2174.74	1195.68	1178.66

1	2	3	4	5	6	7
9.	जम्मू व कश्मीर	1015.74	2274.10	3027.19	1299.42	772.85
10.	कर्नाटक	3645.11	5768.42	9307.80	7557.81	4635.43
11.	केरल	4032.12	5068.42	6517.04	3335.75	2167.49
12.	मध्य प्रदेश	7425.04	9779.89	10386.16	10126.12	4721.23
13.	महाराष्ट्र	9392.23	11665.52	9994.27	11171.61	6515.42
14.	मणिपुर	469.39	622.45	557.96	517.73	383.83
15.	मेघालय	265.00	295.54	343.77	355.56	271.56
16.	मिजोरम	157.86	182.92	194.08	241.89	172.11
17.	नागालैंड	276.70	463.75	400.67	285.24	203.65
18.	उड़ीसा	3711.74	4493.17	6312.40	5365.77	2491.95
19.	पंजाब	2412.46	3608.47	3760.93	2989.72	1437.04
20.	राजस्थान	5919.50	7697.29	10991.90	9110.23	4912.51
21.	सिक्किम	135.61	251.29	222.05	271.85	235.55
22.	तमिलनाडु	5788.07	7891.70	9728.14	7882.94	3982.47
23.	त्रिपुरा	296.20	825.98	772.36	444.01	303.72
24.	उत्तर प्रदेश	18867.92	24324.37	23783.52	19953.46	9430.75
25.	पश्चिम बंगाल	5274.95	6803.81	6447.51	8189.78	5675.55
		94749.25	130924.64	140834.64	120295.69	68251.11
1.	पांडिचेरी	95.64	47.57	92.88	139.32	91.50
			0.00	0.00	0.00	
2.	दिल्ली	915.97	1162.07	1592.11	1972.55	1464.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	अंडमान व निकोबार	81.64	77.90	83.88	100.12	90.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	दादरा व नगर हवेली	22.50	24.66	38.72	32.80	29.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	चंडीगढ़	116.02	141.41	162.86	150.56	93.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7
6.	लक्षद्वीप	11.77	12.00	14.28	17.68	11.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	दमन व दीव	19.21	37.93	25.23	34.36	32.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल	1262.75	1503.55	2009.96	2447.39	1813.17

परिवार नियोजन पद्धति/ऑपरेशन

179. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान देश में राज्य-वार किये गये नसबन्दी तथा नलबन्दी आपरेशनों तथा परिवार नियोजन द्वारा अपनायी गयी अन्य पद्धतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार किए गए परिवार नियोजन ऑपरेशनों का लक्ष्य क्या था; और

(ग) उक्त लक्ष्यों के मुकाबले राज्य-वार कितनी उपलब्धि हासिल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान किए गए नसबंदी और नलबंदी आपरेशनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) परिवार नियोजन पद्धतियों के संबद्ध में राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण 1

1994-95 और 1995-96 के दौरान किए गए नसबन्दी और नलबन्दी के राज्य वार आपरेशन

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी		नलबंदी	
		1994-95	1995-96*	1994-95	1995-96*
1	2	3	4	5	6
1. प्रमुख राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ और अधिक)					
1.	आंध्र प्रदेश	28914	22943	546814	496043
2.	असम	376	426	22074	23440
3.	बिहार	3778	2918	202410	242565
4.	गुजरात	8767	8196	292531	271858
5.	हरियाणा	1898	1536	101332	96662
6.	कर्नाटक	485	493	371050	381141
7.	केरल	507	478	132547	118403
8.	मध्य प्रदेश	11081	8514	390774	376781
9.	महाराष्ट्र	10757	8054	571697	550237

1	2	3	4	5	6
10.	उड़ीसा	3986	3312	158099	143275
11.	पंजाब	2490	1814	123502	112261
12.	राजस्थान	2844	1725	200274	165366
13.	तमिलनाडु	580	403	325300	308263
14.	उत्तर प्रदेश	49192	45985	467674	483270
15.	प. बंगाल	2046	1747	359145	327239
2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	4807	3424	36147	32432
2.	जम्मू व कश्मीर	681	722	14789	14940
3.	मणिपुर	34	208	2202	2252
4.	मेघालय	1	2	848	1021
5.	नागालैंड	4	–	2999	522
6.	सिक्किम	44	35	1548	1026
7.	त्रिपुरा	50	51	13146	10174
8.	अन्दमान व निकोबार	31	23	1761	1643
9.	अरूणाचल प्रदेश	10	11	1717	1643
10.	चण्डीगढ़	92	91	2944	2986
11.	दादरा व नगर हवेली	80	49	522	446
12.	दिल्ली	2281	1833	37374	36000
13.	गोवा	15	11	4301	4134
14.	दमन व दीव	1	–	434	500
15.	लक्षद्वीप	4	1	23	23
16.	मिजोरम	1	–	3475	2834
17.	पांडिचेरी	31	32	8796	9580
3. अन्य एजेंसिया					
1.	रक्षा मंत्रालय	4629	4383	18178	17150
2.	रेल मंत्रालय	3369	1993	19221	20536
	अखिल भारत	143866	121413	4435648	4256646

*अनन्तिम आंकड़े

विवरण 2

बन्ध्यीकरण के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/इएलए और उपलब्धियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	1994-95		1995-96	
		*इएलए	उपलब्धि	**इएलए	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1. प्रमुख राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ अथवा अधिक)					
1.	आंध्र प्रदेश	600000	575728	550000	518986
2.	असम	130000	22450	130000	23866
3.	बिहार	600000	206188	679300	245483
4.	गुजरात	280000	301298	280000	280054
5.	हरियाणा	125000	103230	125000	98198
6.	कर्नाटक	418000	371535	473200	381634
7.	केरल	115000	133054	लक्ष्य रहित	118881
8.	मध्य प्रदेश	400000	401855	415000	385295
9.	महाराष्ट्र	560000	582454	580000	558291
10.	उड़ीसा	200000	162085	200000	146587
11.	पंजाब	120000	125992	100000	114075
12.	राजस्थान	250000	203118	250000	167091
13.	तमिलनाडु	325000	325880	लक्ष्य रहित	308666
14.	उत्तर प्रदेश	600000	516866	600000	529255
15.	पश्चिम बंगाल	400000	361191	440000	328986
2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	44000	40954	44000	35856
2.	जम्मू व कश्मीर	20000	15470	22600	15662
3.	मणिपुर	3500	2236	3500	2460
4.	मेघालय	1000	849	1000	1023
5.	नागालैण्ड	2500	3003	3000	522
6.	सिक्किम	1100	1592	1200	1061

1	2	3	4	5	6
7.	त्रिपुरा	11200	13196	11200	10225
8.	अ.नि. द्वीप समूह	2000	1792	1600	1666
9.	अरुणाचल प्रदेश	1500	1727	1700	1654
10.	चण्डीगढ़	2700	3036	लक्ष्य रहित	3077
11.	दादर व नगर हवेली	600	602	700	495
12.	दिल्ली	42840	39655	42850	37833
13.	गोवा	4300	4316	4300	4145
14.	दमन व दीव	400	435	450	500
15.	लक्षद्वीप	40	27	50	24
16.	मिजोरम	3500	3476	3500	2834
17.	पांडिचेरी	6000	8827	6800	9612
3. अन्य एजेंसियां					
1.	रक्षा मंत्रालय	22500	22807	22500	21533
2.	रेल मंत्रालय	33700	22590	38200	22529
	अखिल भारत	5326380	4579514	5031650	4378059

*उपलब्धि के प्रत्याशित स्तर
**आंकड़े अनन्तिम

अन्तर्गभाष्ययुक्ति निवेशनों के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/इएलए और उपलब्धि

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	1994-95		1995-96	
		*इएलए	उपलब्धि	*इएलए	उपलब्धि**
1	2	3	4	5	6
1. बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक)					
1.	आंध्र प्रदेश	500000	338289	350000	281831
2.	असम	56000	34688	56000	34964
3.	बिहार	508000	206551	575200	250797
4.	गुजरात	460000	473651	460000	452077
5.	हरियाणा	207000	166407	207000	164016

1	2	3	4	5	6
6.	कर्नाटक	331000	299504	374800	347637
7.	केरल	108000	88022	लक्ष्य रहित	78850
8.	मध्य प्रदेश	1000000	857822	1000000	796528
9.	महाराष्ट्र	566000	476283	515000	464724
10.	उड़ीसा	207000	193582	207000	207391
11.	पंजाब	496000	480101	561600	583402
12.	राजस्थान	282000	156060	282000	167596
13.	तमिलनाडु	350000	387989	लक्ष्य रहित	397999
14.	उत्तर प्रदेश	2144000	2194522	2144000	2265210
15.	पश्चिम बंगाल	350000	140002	396300	129153
2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	66000	49750	66000	47562
2.	जम्मू व कश्मीर	27000	8384	30600	9026
3.	मणिपुर	25000	9080	25000	9643
4.	मेघालय	1700	1611	1700	1803
5.	नागालैण्ड	3500	4004	4000	1665
6.	सिक्किम	1500	840	1700	1317
7.	त्रिपुरा	2500	4243	2500	3423
8.	अ. व नि. द्वीप समूह	2000	1603	1400	1473
9.	अरुणाचल प्रदेश	2500	2516	2800	2513
10.	चण्डीगढ़	10800	7790	लक्ष्य रहित	6519
11.	दादर व नगर हवेली	200	217	200	193
12.	दिल्ली	105800	80028	100000	75480
13.	गोवा	3200	3633	3500	3252
14.	दमन व दीव	500	403	250	268
15.	लक्षद्वीप	150	145	170	75
16.	मिजोरम	3500	2727	3500	2438
17.	पांडिचेरी	4000	4346	4000	4503

1	2	3	4	5	6
3. अन्य एजेंसियां					
1.	रक्षा मंत्रालय	22000	13510	22000	12750
2.	रेल मंत्रालय	22000	13692	24900	11602
	अखिल भारत	7868850	6701995	7423120	6817680

**आंकड़े अनन्तिम

* उपलब्धि के प्रत्याशित स्तर

कंडोम के उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/ईएलए और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	1994-95		1995-96+
		*ईएलए	उपलब्धि	उपलब्धि**
1	2	3	4	5
1. बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ अथवा उससे अधिक)				
1.	आंध्र प्रदेश	1520000	1252752	823622
2.	असम	90000	46677	49767
3.	बिहार	603000	194497	177732
4.	गुजरात	925000	1292247	1129672
5.	हरियाणा	700000	574525	510855
6.	कर्नाटक	393000	395110	373962
7.	केरल	421000	297969	253443
8.	मध्य प्रदेश	1957000	1993993	1997079
9.	महाराष्ट्र	1648000	1357480	1333715
10.	उड़ीसा	513000	466237	436517
11.	पंजाब	700000	670796	609035
12.	राजस्थान	677000	475272	491188
13.	तमिलनाडु	300000	322161	270024
14.	उत्तर प्रदेश	2656000	2778452	2520143
15.	पश्चिम बंगाल	659000	489140	444806

1	2	3	4	5
2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	हिमाचल प्रदेश	98000	89762	78198
2.	जम्मू व कश्मीर	26000	12756	11483
3.	मणिपुर	15000	4444	5040
4.	मेघालय	4700	1557	1342
5.	नागालैंड	2300	42	50
6.	सिक्किम	600	398	464
7.	त्रिपुरा	3000	15490	15113
8.	अंडमान व निकोबार	2500	2629	2875
9.	अरुणाचल प्रदेश	1000	1055	930
10.	चंडीगढ़	11700	8364	8543
11.	दादरा व नगर हवेली	1000	599	24
12.	दिल्ली	504900	435943	330650
13.	गोवा	10650	15143	13769
14.	दमन व दीव	1200	1569	1466
15.	लक्षद्वीप	600	201	187
16.	मिजोरम	3500	2886	2398
17.	पांडिचेरी	11100	12712	12164
3. अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मंत्रालय	75900	36633	43521
2.	रेल मंत्रालय	491700	276661	236859
	वाणिज्यिक संवितरण	6750000	4180833	5037222
	अखिल भारत	21777350	17706985	17223858

**आंकड़े अनंतिम

*ईएलए-उपलब्धि का प्रत्याशित स्तर

*1995-96 के दौरान कोई ईएलए निर्धारित नहीं किए गए।

खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/ईएलए और उपलब्धि

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एजेंसी	1994-95		1995-96	
		*इएलए	उपलब्धि	*इएलए	**उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1. बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक)					
1.	आंध्र प्रदेश	325000	261864	372000	269537
2.	असम	41000	21847	41000	24095
3.	बिहार	159000	65430	180000	63406
4.	गुजरात	165000	179060	165000	172985
5.	हरियाणा	57000	50516	57000	52869
6.	कर्नाटक	155000	137818	175500	150528
7.	केरल	60000	39971	लक्ष्य रहित	37065
8.	मध्य प्रदेश	453000	476282	512800	505437
9.	महाराष्ट्र	514000	418194	581900	431089
10.	उड़ीसा	94000	93904	94000	99716
11.	पंजाब	94000	106179	106400	111458
12.	राजस्थान	125000	92268	150000	163997
13.	तमिलनाडु	200000	216062	लक्ष्य रहित	208786
14.	उत्तर प्रदेश	457000	487244	457000	578349
15.	पश्चिम बंगाल	298000	267418	337400	257696
2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	35000	22006	35000	23308
2.	जम्मू व कश्मीर	10000	3609	11300	3024
3.	मणिपुर	6000	1636	6000	1955
4.	मेघालय	1700	1585	1700	1302
5.	नागालैंड	2700	369	2000	501
6.	सिक्किम	1100	2434	1200	2448
7.	त्रिपुरा	3000	12518	3000	15480

1	2	3	4	5	6
8.	अंडमान व निकोबार	1100	921	700	971
9.	अरूणाचल प्रदेश	1200	1587	1400	1865
10.	चंडीगढ़	500	370	लक्ष्य रहित	319
11.	दादरा व नगर हवेली	200	186	250	190
12.	दिल्ली	12000	10581	13000	10258
13.	गोवा	2125	2955	2400	2579
14.	दमन व द्वीव	300	252	350	279
15.	लक्षद्वीप	200	107	200	150
16.	मिजोरम	1500	1630	1500	1816
17.	पांडिचेरी	1080	1015	1100	1020
3.	अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मंत्रालय	5600	2901	5600	5001
2.	रेल मंत्रालय	5600	5038	6300	4347
	वाणिज्यिक संवितरण	2180000	1887554	2470000	1947677
	अखिल भारतीय	5467905	4873311	5793000	5151467

**आंकड़े अनंतिम

*उपलब्धि का प्रत्याशित स्तर

[अनुवाद]

केरल में अलेप्पी बाईपास पर उपरि पुल

180. श्री बी. एम. सुधीरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में अलेप्पी बाई पास पर उपरि पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) पर्याप्त निधि की कमी की वजह से दो ओवर ब्रिज के निर्माण सहित अलेप्पी बाईपास संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

महाराष्ट्र में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

181. श्री राम नाईक : क्या जल-भूतल पहिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 11 राजमार्गों को "राष्ट्रीय राजमार्ग" के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना में केन्द्रीय सैक्टर के सड़क कार्यक्रम के लिए अल्प आबंटन और संसाधनों के निरन्तर अभाव के कारण महाराष्ट्र राज्य में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना संभव नहीं हो पाया है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

182. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई क्या है;

(ख) भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई मानदंडों के हिसाब से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने सड़कों का उन्नयन करके उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजे थे; और

(च) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 2888 कि.मी. है।

(ख) से (घ) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानीय हितों से हटकर राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए होते हैं, इसलिए देश को समग्र रूप से ध्यान में रखकर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाता है न कि प्रादेशिक क्षेत्रों/जनसंख्या/राज्य के आधार पर।

(ङ) जी हां।

(च) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सैक्टर के सड़क कार्यक्रम के लिए अल्प आबंटन और संसाधनों के निरन्तर अभाव के कारण किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा कर पाना संभव नहीं हो पाया है।

पासपोर्ट जारी करना

183. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवेदकों को पुलिस जांच से पूर्व पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में पुलिस द्वारा ऐसी जांच से पूर्व इस प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट कार्यालय का जनसम्पर्क अधिकारी ऐसे पासपोर्ट जारी करने का आदेश देने के लिए प्राधिकृत है; और

(घ) यदि नहीं, तो पासपोर्ट कार्यालय के उन अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जो ऐसे पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रत्याशा में पासपोर्ट उन मामलों में जारी किए जाते हैं जिनमें आवेदक को तुरन्त यात्रा करने की आवश्यकता हो और उसने अपेक्षित दस्तावेज जिसमें निर्धारित अधिकारी का सत्यापन दस्तावेज शामिल है, जमा करा दिया हो अथवा उन मामलों में जहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्राप्त न हुई हो।

(ग) और (घ) पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार, अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारी, सभी पासपोर्ट कार्यालयों में जन-सम्पर्क अधिकारी, सहायक पासपोर्ट अधिकारी और पासपोर्ट अधिकारी, कुछ अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नामित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

सिंचाई क्षमता

184. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा वर्ष 1991-92 से 1996-97 की अवधि के दौरान वर्षवार कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है; और

(ख) किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में इस प्रकार की क्षमता सृजित की गयी है तथा राज्यवार संबंधित सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-92 से 1996-97 तक के दौरान बृहद

माध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचाई क्षमता का वर्ष-वार सृजन निम्न प्रकार है:-

हजार हेक्टेयर में

राज्य	के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता					
	1990-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अस्थाई)	1995-96	1996-97
बिहार	23.00	4.00	23.00	33.00	50.00	उ.न.
उत्तर प्रदेश	139.00	54.00	62.00	54.00	53.36	उ.न.

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1991-92 से 1996-97 तक के दौरान वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिलों का ब्यौरा

क्रमांक	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले
बिहार		
बृहद परियोजनाएं		
1.	पश्चिमी कोसी नहर	मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर
2.	बागमती	सीतामढ़ी
3.	सुवर्णरेखा	सिंघभूम
4.	उत्तरी कोइल जलाशय	पलामू, औरंगाबाद
5.	दुर्गावती जलाशय	रोहतास
6.	बरचर जलाशय	मुंगेर
7.	कोमार डायवर्जन	हजारीबाग, गिरडीह
8.	तिलईया डायवर्जन	हजारीबाग, नवादा
9.	वटेश्वरस्थन पम्प चरण 1	भागलपुर
10.	बाण सागर	भोजपुर
11.	अजय बराज, सिकटिया	दुमका, देओघर
12.	गुमानी बराज	साहिबगंज
13.	दकरानाला पम्प 1	मुंगेर
14.	सिन्धरवनी	मुंगेर
15.	मासन बांध	दुमका
16.	औरंगा जलाशय	पलामू
17.	पुनासी जलाशय	दुमका
बिहार		
मध्यम परियोजनाएं		
18.	ओरनी	भागलपुर
19.	बतानी	पलामू
20.	तोरई	साहिबगंज
21.	कोस	रांची
22.	झारझर	सिंघभूम
23.	बिलासी	भागलपुर
24.	सोनवा	सिंघभूम
25.	सुरु	सिंघभूम
26.	लातरातू जलाशय	रांची
27.	भैरवा जलाशय	हजारीबाग
28.	केसो	हजारीबाग
29.	पंचकेरू जलाशय	हजारीबाग, गिरिडीह
30.	नकताई जलाशय	सिंघभूम
31.	सारंगी जलाशय	रांची, सिंघभूम
32.	कांसजोर जलाशय	गुमला
33.	रामरेखा जलाशय	गुमला
34.	अपर शंख जलाशय	गुमला
35.	दानसिंह तोली जलाशय	गुमला
36.	कतारी जलाशय	गुमला
37.	मलाई सिंचाई	भोजपुर

क्रमांक	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले
उत्तर प्रदेश		
वृहद परियोजनाएं		
1.	गंडक नहर	देवरिया, गोरखपुर
2.	शारदासहायक	फैजाबाद, बाराबांकी, सुल्तानपुर, राय बरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, गाजीपुर और वाराणशी
3.	मध्य गंगा नहर	बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा
4.	सरयू नहर (एल/बी घाघरा नहर)	बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर
5.	पूर्वी गंगा नहर	बिजनौर, हरिद्वार, मुरादबाद
6.	राजघाट	ललितपुर, जलौन, झांसी, हमीरपुर
7.	किशनपुर पम्प नहर	इलाहाबाद
8.	उर्मिल बांध	महोबा
9.	सोन पम्प नहर	मिर्जापुर, सोनभद्र
10.	मंडाह बांध	हमीरपुर
11.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	गोंडा
12.	ज्ञानपुर पम्प नहर	मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी
मध्यम परियोजनाए		
13.	गुंटा नाला बांध	बांदा

जेट्टियों का आधुनिकीकरण

185. श्री टी. गोविन्दन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा केरल के जेट्टियों के आधुनिकीकरण कार्य हेतु 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्यों को राज्यवार अब तक कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आई डब्ल्यू टी क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को जारी निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	राज्य	जारी निधि (लाख रु.)
1993-94	-	शून्य
1994-95	गोवा	20.00
1995-96	पश्चिम बंगाल	15.00
	उत्तर प्रदेश	8.18
	केरल	32.51

(ग) (1) गोवा सरकार को जारी निधि मांडोवी, जुआरी और मापूसा नदियों में कैपिटल निकर्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन में किए गए व्यय के लिए थी।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी निधियां घाघरा नदी में नौचालन के लिए जलराशिक सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने की स्कीम के लिए थी।

(3) पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार को केन्द्रीय सहायता, हुगली नदी के चुने हुए स्थलों पर 5 टर्मिनलों की निर्माण-परियोजना के लिए प्राप्त हुई।

(4) केरल को जारी निधियां, यात्री जेट्टियों के आधुनिकीकरण की स्कीम के लिए हैं।

[हिन्दी]

प्रजनन रोधी टीका

186. श्री सुशील चन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों में प्रजनन रोधी टीका विनिर्मित किया जा रहा हैं;

(ख) क्या इस टीके का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह टीका सामान्य प्रयोग के लिए अस्पतालों और बाजार में उपलब्ध करा दिया गया है; और

(घ) इस टीके के विनिर्माण के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह टीका विनिर्मित किया जायेगा और उन स्त्रियों की संख्या कितनी है जिन्हें यह टीका उपलब्ध कराया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) नैदानिक परीक्षणों के अधीन दो प्रजनन-रोधी वैक्सीनों में से महिलाओं के लिए इंजेक्शन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफीन वैक्सीन ने चरण 1 और चरण 2 नैदानिक निरापदता और प्रभावकारी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और पुरुषों के लिए इंजेक्शन फोलिक्यूलर स्टीमुलेटिंग हार्मोन वैक्सीन चरण। ह्यूमन निरापदता और नैदानिक परीक्षण से गुजर रही है।

(ग) जी, नहीं। इस वैक्सीन् को इस अवस्था में अस्पतालों और बाजार में उपलब्ध नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा संगठनों का पुनर्गठन

187. श्री नारायण अठावले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा व्यय संबंधी अरूण सिंह समिति ने पूरे उच्चतर रक्षा संगठनों के पुनर्गठन की आवश्यकता सहित अनेक सिफारशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों पर कार्रवाई करने में विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) श्री अरूण सिंह की अध्यक्षता में रक्षा व्यय समिति ने अपनी एक के बाद एक रिपोर्टों में कई सिफारिशें की थीं, जिन्हें स्वयं इस समिति ने भी "गुप्त" की श्रेणी में रखा था। इसके अलावा, इन रिपोर्टों में ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी टिप्पणी की गई थी, जो उसके विचारणीय विषयों में शामिल नहीं थे। इन रिपोर्टों के ब्यौरे देना वांछनीय नहीं है, क्योंकि वे गुप्त और संवेदनशील दोनों ही हैं।

निदेशक के पद संबंधी विज्ञापन

188. श्री सौम्य रंजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में डायरेक्टर्स पोस्ट एडवर्टिजमेंट कास्टस मोर देन 5 इयर्स सैलरी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार-मद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक स्वायत्त संस्थान दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक पद की भर्ती हेतु विज्ञापन से संबंधित है। यह विज्ञापन मैसर्स माया एसोसियेट्स के माध्यम से दिया गया था, जिनके दावे विवादास्पद हैं। अब इस अभिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया है। यह मामला निर्णयाधीन है।

आंगनवाड़ी योजनाएं

189. श्री जयसिंह चौहन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आंगनवाड़ी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात के विषय में जिला-वार तथा स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए ग्रामीण स्तर पर चलाई जाती है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) गुजरात राज्य के बारे में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की जिला-वार तथा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना-वार सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

देश में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(30 सितम्बर 1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई सी डी एस परियोजनाओं की संख्या			पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या	पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाली माताओं की संख्या
		स्वीकृत	पूरी तरह चालू	रिपोर्टिंग आंगनवाड़ियों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	363	209	23194	1260141	286808
2.	अरूणाचल प्रदेश	51	39	1377	94012	15733
3.	असम	224	83	8833	163402	28773
4.	बिहार	598	323	21611	1251728	162739
5.	गोवा	11	11	1038	34935	9352
6.	गुजरात	227	163	19006	946875	179987
7.	हरियाणा	114	106	11724	861266	209276
8.	हिमाचल प्रदेश	75	42	4600	150087	30667
9.	जम्मू और कश्मीर	128	79	5367	170656	38726
10.	कर्नाटक	185	185	36564	2227301	391827
11.	केरल	164	120	14526	458670	95227
12.	मध्य प्रदेश	486	335	30021	1276735	265687
13.	महाराष्ट्र	326	274	26598	1823668	371856
14.	मणीपुर	32	29	2137	118971	22949
15.	मेघालय	30	30	1804	81476	11542
16.	मिजोरम	21	21	1236	69357	17042
17.	नागालैण्ड	53	27	1601	156291	45638
18.	उड़ीसा	324	229	20649	1328870	233624
19.	पंजाब	123	72	8375	233393	64523
20.	राजस्थान	270	194	18955	877722	176537
21.	सिक्किम	5	5	556	21254	4326
22.	तमिलनाडु	434	432	10028	585460	161066

1	2	3	4	5	6	7
23.	त्रिपुरा	23	20	2021	76561	9266
24.	उत्तर प्रदेश	935	580	31170	1982158	459596
25.	पं. बंगाल	366	294	27843	1372930	199713
26.	अण्डमान और निकोबार	5	5	281	12097	4095
27.	चण्डीगढ़	3	2	212	13200	3950
28.	दिल्ली	29	28	3641	355508	63851
29.	दादर और नगर हवेली	1	1	125	12560	3781
30.	दामन और द्वीव	2	2	87	5476	1228
31.	लक्षद्वीप	1	1	66	6958	1887
32.	पांडिचेरी	5	5	643	35534	10548
	योग	5614	3946	335889	18065342	3581820

विवरण 2

30 सितम्बर, 1996 के अनुसार, आई सी डी एस परियोजनाओं की स्थिति

(सिर्फ चल रही परियोजनाओं के बारे में)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य गुजरात											
जिला अहमदाबाद											
अहमदाबाद 1, सी.यू. 78-79	1	1	1	122	1739	629	3068	3962	7659	1959	2126
देहगम सी आर, 79280	1	1	1	215	2476	1011	3943	4964	9918	2399	2713
अहमदाबाद II, सी.यू. 86287	1	1	1	121	1807	1214	2794	4983	8991	2298	2750
ढोकस सी.आर. 89-90	1	1	1	378	0	0	0	0	0	0	0
ब्रहमगम सी आर 89-90	1	1	1	394	2829	1872	5751	7420	15043	3713	5020
सनन्द सी आर, 91-92	1	1	0	200	0	0	0	0	0	0	
दसक्रदोई सी आर, 92-93	1	1	0	334	0	0	0	0	0	0	0
धनदूका सी आर, 92-93	1	1	0	248	0	0	0	0	0	0	0
अहमदाबाद सी.यू., 94-95	1	1	0	130	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग :	9	9	5	2142	8851	4726	15556	21329	41611	10369	12609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला अमरेली											
धारी. एस आर 82-83	1	1	1	121	1419	359	1877	2728	4964	1321	1966
जाफराबाद एस आर, 83-94	1	1	1	121	0	0	0	0	0	0	0
ललिया सी आर, 89-90	1	1	1	79	0	0	0	0	0	0	0
राजूला सी आर, 89-90	1	1	1	193	0	0	0	0	0	0	0
बबरा सी आर, 90-91	1	1	0	121	0	0	0	0	0	0	0
कंकाबार सी आर, 90-91	1	1	1	121	0	0	0	0	0	0	0
अमरेली सी आर, 90-91	1	1	1	121	519	277	1115	800	2192	16539	16540
कोडीनार सी आर, 91-92	1	1	0	202	0	0	0	0	0	0	0
लाही सी आर, 91-92	1	1	1	146	0	0	0	0	0	0	0
लम्बा सी आर, 91-92	1	1	1	68	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग	10	10	8	1293	1938	636	2992	3528	7156	17860	18506
जिला बनासकन्था											
दान्ता सी आर 80-81	1	1	1	103	776	593	1860	2599	5052	0	0
बाव, सी आर 85-86	1	1	1	149	0	0	0	0	0	0	0
थराड सी आर, 85-86	1	1	1	179	0	0	0	0	0	0	0
डियोदार सी आर, 87-88	1	1	1	202	0	0	0	0	0	0	0
कनखरेज (सिहोरी)	1	1	1	205	0	0	0	0	0	0	0
रधानपुर सी आर, 87-88	1	1	1	112	0	0	0	0	0	0	0
धनेरा सी आर, 87-88	1	1	1	205	0	0	0	0	0	0	0
ढ़ीसा सी आर 87-88	1	1	1	363	0	0	0	0	0	0	0
सान्तलपुर एस आर, 87-88	1	1	1	61	0	0	0	0	0	0	0
पलानपुर सी आर, 89-90	1	1	1	447	0	0	0	0	0	0	0
बाडगम सी आर, 90-91	1	1	1	121	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग :	11	11	11	2147	776	593	1860	2599	5052	0	0
जिला बढौदा (बड़ौदरा)											
छोटा-उदीपुर, सीटी 75-76	1	1	1	375	5335	2705	9568	12742	25015	6044	7468
बढौता (एम सी क्षेत्र), 80-81	1	1	1	194	3367	1742	500	23531	25773	3613	4227
नसवाडी सी टी 83-84	1	1	1	152	1710	1012	3884	4227	9123	2046	2255
तिलकवाडा सी टी 83-84	1	1	1	168	895	530	1880	2089	4499	953	1006
दभोई सी आर 85-86	1	1	1	282	1904	964	3991	5103	10058	2454	2809
पावी जैतपुर सी आर 86-87	1	1	1	222	1641	1171	3532	4164	8867	2330	2964
सिनौर सी आर 89-90	1	1	1	100	609	415	1343	2069	3827	913	1133
संखेडा एस आर 89-90	1	1	1	121	1075	1291	2115	2551	5957	1413	1188
बड़ौदरा सी आर 92-93	1	1	0	242	0	0	0	0	0	0	0
कर्जन सी आर 93-94	1	1	0	123	0	0	0	0	0	0	0
सालवी सी आर 93-94	1	1	0	205	0	0	0	0	0	0	0
पडारा सी आर 94-95	1	1	0	218	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	12	12	8	2402	16536	9830	26813	56476	93119	19766	23050
जिला भरूच											
बालिया सी टच 79-80	1	1	1	174	1912	1226	4291	4463	9980	0	0
नादौड सी टच 81-82	1	1	1	259	2394	1508	4729	6236	12473	3253	3216
अंकलेश्वर सी आर 82-83	1	1	1	121	882	484	2096	3096	5676	0	0
डेडियापारा सी टच 82-83	1	1	1	154	1691	1168	2977	3909	8054	1950	1959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जम्बसूर सी आर 82-83	1	1	1	191	1668	657	3290	4647	8594	0	0
झगडिया सी टच 82-83	1	1	1	221	2088	1569	4638	5768	11975	2839	2929
सगवाडा सी टच 82-83	1	1	1	101	1077	685	2132	2554	5371	0	0
आमोद सी आर 83-84	1	1	1	96	913	404	1738	2449	4591	1263	1186
इनसोट सी आर 83-84	1	1	1	61	438	307	1098	1586	2991	0	0
बगरा सी आर 83-84	1	1	1	79	337	279	1064	1399	2742	868	876
भरूच सी आर 84-85	1	1	1	174	1302	918	3422	4964	9304	0	0
उप उपयोग:	11	11	11	1631	14702	9205	31475	41071	81751	10173	10166
जिला भावनगर											
गरियाधर एस आर 81-82	1	1	1	85	755	0	1393	2698	4091	1348	1331
वोटार एस आर 82-83	1	1	1	121	774	327	2227	3574	6128	1781	1908
गधाधा सी आर 85-86	1	1	1	149	1632	619	3292	4830	8741	2521	3079
भावनगर सी यू 85-86	1	1	1	121	1360	964	2602	5492	9058	1310	1364
सावर कुण्डली सी आर 89-90	1	1	1	303	2430	1492	3978	5620	11090	2814	2545
सीहोर सी आर 92-93	1	1	0	159	0	0	0	0	0	0	0
दलभीपुर सी आर 93-94	1	1	0	60	0	0	0	0	0	0	0
कालीठाना सी आर 93-94	1	1	0	131	0	0	0	0	0	0	0
पथरोला सी आर 94-95	1	1	0	85	0	0	0	0	0	0	0
भाव नगर सी यू 94-95	1	1	0	130	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	10	10	5	1344	6951	3402	13492	22214	39108	9774	10227
जिला डांग्स											
हवा	1	1	1	259	2153	1092	4458	5157	10107	2599	2558
उप उपयोग:	1	1	1	259	2153	1092	4458	5157	10707	2599	2558
जिला जामनगर											
सारका सी आर 81-82	1	1	1	92	831	0	1636	2263	3899	0	0
रामनगर सी यू 83-84	1	1	1	182	1049	913	25	9	947	1762	1875
डामरूमलिया सी आर 87-88	1	1	1	206	1183	833	2639	3235	6707	1529	2417
रैडिया/ढरोल सी आर 87-88	1	1	1	197	1297	1014	2873	4125	8012	1742	2012
निवाड सी आर 87-88	1	1	1	129	1104	743	2123	2400	5266	1359	1402
सालपुर सी आर 87-88	1	1	1	109	389	356	1163	1589	3108	1050	1030
कल्याणपुर एस आर. 87-88	1	1	1	145	1211	1057	2646	3270	6973	1704	2160
शमजोदपुर सी आर 89-90	1	1	1	161	964	1090	1777	3327	6194	2024	1309
लावड सी आर 92-93	1	1	0	152	0	0	0	0	0	0	0
रामनगर सी आर 93-94	1	1	0	149	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग :	10	10	8	1522	8028	6006	14882	20218	41106	11170	12205
जिला जूनागढ़											
लालपुर (जी आर आर) सी आर 78-80	1	1	1	105	476	3	1047	1232	2282	0	0
सब्सीड सी आर 89-90	1	1	1	198	723	369	1660	1976	4005	1346	1437
लठली सी आर 92-93	1	1	1	115	868	640	2099	3037	5776	0	0
नवदार सी आर 92-93	1	1	1	150	473	292	1018	1447	2757	747	690
टिवाना सी आर 93-94	1	1	0	64	0	0	0	0	0	0	0
निवाड सी आर 93-94	1	1	0	52	0	0	0	0	0	0	0
गरील सी आर 94-95	1	1	0	168	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	7	7	4	852	2540	1304	5824	7692	14820	2093	2127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला कच्छ											
मुवडा एस आर 81-82	1	1	1	73	3493	1212	4014	5309	10535	2654	3035
रपड सी आर 87-88	1	1	1	188	1298	303	1139	1235	2677	559	1217
भचउ सी आर 87-88	1	1	1	140	1781	425	1522	1678	3625	735	1592
भूज सी आर 87-88	1	1	1	301	4583	1122	3569	5099	9790	2577	3658
अजर सी आर 87-88	1	1	1	266	5752	1385	5472	7623	14480	4021	5269
नकवना सी आर 87-88	1	1	1	147	4067	865	3339	5239	9443	2824	4093
लखपत/अवचासा एस टी 87-88	1	1	1	121	1410	1064	2410	3443	6917	2097	2284
माडवी सी आर 89-90	1	1	1	189	446	271	979	1335	2585	1165	1424
उप उपयोग:	8	8	8	1425	22830	6647	22444	30961	60052	16632	22572
जिला महसाना											
कडी सी आर 81-82	1	1	1	218	1877	1675	4385	5773	11833	2764	2764
हरीज सी आर 87-88	1	1	1	96	802	357	1514	1729	3600	968	1460
चन्समा सी आर 87-88	1	1	1	289	1141	400	1865	2033	4298	827	827
खेरलू सी आर 87-88	1	1	1	342	1536	1189	3306	4959	9454	559	686
सामी एस आर 87-88	1	1	1	61	2387	1691	4913	6741	13345	2986	3660
विशनगर (सिदपुर-1) सी आर 89-90	1	1	1	289	1529	1143	3506	5126	9775	1791	1791
पाटन सी आर 92-93	1	1	0	354	0	0	0	0	0	0	0
महसाना सी आर 93-94	1	1	0	264	0	0	0	0	0	0	0
विशनगर सी आर 93-94	1	1	0	173	0	0	0	0	0	0	0
कलौल सी आर 94-95	1	1	0	261	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	10	10	6	2347	9272	6455	19489	26361	52305	9895	11188
जिला पंचमहल											
सेहरा सी आर 82-83	1	1	1	172	2380	492	2065	2169	4726	1942	1864
झलोड सिटी 81-82	1	1	1	347	869	403	2326	2806	5535	0	0
देवगढ बरायी सिटी 82-83	1	1	1	460	2773	212	3536	6328	10076	3136	3192
जम्मू घोडा सी आर 82-83	1	1	1	37	1466	1017	3271	4048	8336	0	0
लूनावेडा सी आर 82-83	1	1	1	278	2631	889	2788	3654	7331	1801	2238
लिम्खेडा सिटी 82-83	1	1	1	363	1931	497	4481	5378	10356	0	0
संतरामपुर सिटी 82-83	1	1	1	540	506	360	1228	1656	3244	959	980
हलोल सौ आर 83-84	1	1	1	143	1467	772	3254	4203	8229	2001	2618
कलौल सी आर 83-84	1	1	1	169	1785	903	3847	4538	9288	1834	2839
गोदरा सी आम 84-95	1	1	1	408	3589	1932	7985	11979	21896	5165	7433
दाहोद सिटी 86-87	1	1	1	438	5297	4274	13192	18065	35531	9357	9878
उप उपयोग:	11	11	11	3355	24694	11751	47973	64824	124548	26195	31042
जिला राजकोट											
बांकानेर सी आर 81-82	1	1	1	125	1438	1261	3102	3409	7772	1599	1834
लोचिका एस आर 82-83	1	1	1	121	2152	1469	4619	6370	12458	3486	3894
राजगोट सी यू 83-84	1	1	1	147	2665	241	3452	5982	9695	2887	3055
नसदन सी आर 85-86	1	1	1	182	900	817	1993	2672	5482	1252	1485
राजकोट सी आर 85-86	1	1	1	147	2666	265	3378	5860	9503	2840	3020
मोरवी सिटभ 86-87	1	1	1	252	2565	836	4899	6437	12172	3007	3838
जाम कन्डोरना सी आर 89-90	1	1	1	92	740	424	1056	1694	3174	756	999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पडचारी सी आर 89-90	1	1	1	96	726	612	1366	1997	3975	937	1112
गोन्डल सी आर 92-93	1	1	0	170	0	0	0	0	0	0	0
उपलेटा सी आर 92-93	1	1	0	135	0	0	0	0	0	0	0
जेतपुर सी आर 93-94	1	1	0	107	0	0	0	0	0	0	0
धीराजी सी आर 94-95	1	1	0	150	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग :	12	12	8	1724	13852	5945	23865	34421	64231	16764	19237
जिल्ला साबरकन्ठा											
खेद वर्धम्न एस टी 80-81	1	1	1	121	503	380	1224	1427	3031	0	0
मेघराज सिटी 83-84	1	1	1	205	1053	553	2280	3075	5908	0	0
विजयनगर सिटी 83-84	1	1	1	99	2732	1623	6307	88060	95990	4336	4470
मिलोडा सिटी 86- 87	1	1	1	278	939	466	1824	2049	4339	0	0
इडर सी आर 89-90	1	1	1	351	695	467	1603	3321	5391	1963	1863
होडुसा सी आर 92-93	1	1	1	224	2850	574	3176	6450	10200	0	0
हिम्मतनगर सी आर 92-93	1	1	1	226	1321	678	3224	4556	8458	2217	2332
प्रान्तिज सी आर 93-94	1	1	0	211	0	0	0	0	0	0	0
बायड सी आर 93-94	1	1	0	191	0	0	0	0	0	0	0
मनपुर सी आर 93-94	1	1	0	73	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	10	10	7	1979	10093	4741	19638	108938	133317	8516	8665
जिल्ला सूरत											
बालोद सिटी 80-81	1	1	1	107	817	502	1580	1816	3898	0	0
महुआ एस टी 81-82	1	1	1	61	553	414	1235	1485	3134	797	709
मांडवी एस टी 81-92	1	1	1	121	1153	753	2470	3167	6390	0	0
सोगन्द सी टी 81-82	1	1	1	206	1762	1064	3213	4150	8427	0	0
निजार सी टी 82-83	1	1	1	140	962	1038	2761	3568	7367	1921	182
सूरत सी यू 82-83	1	1	1	182	2445	1450	3810	5442	10702	0	0
उछल सी टी 83-84	1	1	1	89	838	525	1938	2130	4593	1071	1130
वैरा सी टी 83-84	1	1	1	288	1956	1234	4354	6556	12142	3136	3708
मगरौल सी टी 86-87	1	1	1	309	2448	2190	5514	8146	15850	3960	4466
वरदौली(सी) सी टी 89-90	1	1	1	322	1432	899	3309	4833	9041	2268	2702
ओलपाड सी आर 93-94	1	1	0	138	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	11	11	10	1963	14366	10069	30184	41291	81544	13153	12897
जिल्ला सुरेन्द्रनगर											
चोटीला सी आर 78-79	1	1	1	121	1118	679	2146	2342	5167	1044	1461
लखतार सी आर 85-86	1	1	1	75	1609	872	3294	4574	8740	2199	2604
दासादा सी आर 87-88	1	1	1	191	1199	846	2668	3637	7151	1851	1915
सैला/मूली सी आर 87-88	1	1	1	182	1298	828	2493	3726	7047	1881	2541
लिमडी सी आर 87-88	1	1	1	249	0	0	0	0	0	0	0
धरंगाधरा सी आर 89-90	1	1	1	200	1023	548	3046	4490	8084	3582	4888
वढवान सी आर 89-90	1	1	1	300	476	520	1288	1608	3416	954	930
हालवाड सी आर 93-94	1	1	0	93	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	8	8	7	1411	6723	4293	14935	20377	39605	11511	14339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला वडसाड											
चिखली सिटी 78-79	1	1	1	360	0	0	0	0	0	0	0
वन्सदा एस आर 81-82	1	1	1	121	0	0	0	0	0	0	0
धर्मपुर सी टी 83-94	1	1	1	420	3178	2699	6117	11293	20109	5342	6984
उमरगांव सी टी 83-84	1	1	1	152	7527	4336	967	1839	7142	7722	7167
परदी सी टी 86-87	1	1	1	391	3300	1641	6145	8459	16245	4126	4890
बलसाड सी टी 89-90	1	1	1	406	1677	788	4701	7858	13347	3675	5077
नवासारी सी आर 93-94	1	1	0	234	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	7	7	6	2084	15682	9464	17930	29449	56843	20865	24118
जिला खेडा											
खम्वात सी आर 89-90	1	1	0	446	0	0	0	0	0	0	0
मातार सी आर 92-93	1	1	0	193	0	0	0	0	0	0	0
वालासिनोर सी आर 93-94	1	1	0	152	0	0	0	0	0	0	0
पेटलाड सी आर 93-94	1	1	0	274	0	0	0	0	0	0	0
ठासारा सी आर 94-95	1	1	0	272	0	0	0	0	0	0	0
उप उपयोग:	5	5	0	1337	0	0	0	0	0	0	0
योग:	163	163	124	31217	179987	96159	313810	536906	946875	207335	235506

किलों का संरक्षण

190. श्री अनंत कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गहन संरक्षण के लिए पता लगाए गए किलों के राज्य-वार नाम क्या है;

(ख) इन ऐतिहासिक किलों के नवीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या सरकार का नवीकरण कार्य के लिए निजी कम्पनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार संघ सरकार द्वारा संरक्षित किलों की एक सूची का विशेष संरक्षण कार्य के लिए पता लगाया गया है।

(ख) संरक्षित किलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) संरचनात्मक संरक्षण

(2) रसायन परिरक्षण

(3) पर्यावरण विकास

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार संघ सरकार द्वारा संरक्षित किलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. गोलकोण्डा किला हैदराबाद
2. वारंगल किला - वारंगल
3. चन्द्रगिरी स्थित किला
4. बीदर स्थित किला, बीदर
5. सिद्दायत्तम स्थित किला

असम राज्य

1. दीमापुर स्थित किला

बिहार राज्य

1. रोहतास किला

दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)

1. तुगलकाबाद किला
2. अदिलाबाद किला
3. कोटला फिरोजशाह
4. लाल किला
5. पुराना किला

दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)

1. दीव किला
2. दमन किला
3. नानी दमन स्थित किला

गोवा राज्य

1. अगौडा किला

गुजरात राज्य

1. चम्पानेर स्थित किला

हिमाचल प्रदेश

1. कांगड़ा किला कांगड़ा
2. नूरपुर किला
3. कोटला स्थित किला कोटला

जम्मू और कश्मीर

1. रामनगर स्थित किला
2. अखनूर स्थित किला

केरल राज्य

1. अंजेंणों स्थित किला
2. तेलीचोरी स्थित किला तेलीचेरी

मध्य प्रदेश

1. ग्वालियर किला, ग्वालियर
2. अटर किला भिण्ड
3. बालाघाट किला
4. दमोह किला
5. जोगा किला जोगा
6. अजयगढ़ किला, पन्ना
7. रायसेन किला
8. खिमलासा स्थित किला, सागर
9. राहतगढ़ किला सागर

महाराष्ट्र राज्य

1. औरंगाबाद स्थित दौलताबाद किला
2. अमरावती स्थित गाबिलगढ़ किला
3. कोल्हापुर स्थित पानहाला किला
4. जुन्नार स्थित शिवनेरी किला
5. थाने स्थित वासिन किला
6. खण्डक स्थित किला
7. पाऊनी द्वार और किला दीवार पावनी
8. रायगढ़ किला रायगढ़
9. जंजीरा किला रायगढ़
10. सिन्दुदुर्ग किला मालवा
11. विजयदुर्ग किला सिन्दुदर्ग
12. सोलापुर किला सोलापुर

कर्नाटक राज्य

1. देवनाहाल्ली स्थित किला
2. चित्रादुर्ग स्थित किला
3. बादामी स्थित किला
4. बीदर स्थित किला
5. गुलबर्गा स्थित किला
6. दुर्गेस स्थित किला, हसन
7. मेरकारा किला, कूर्ग

पंजाब राज्य

1. भटिंडा स्थित भटिंडा किला

राजस्थान राज्य

1. चित्तूरगढ़ स्थित किला
2. जैसलमेर स्थित किला
3. रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर
4. भरतपुर स्थित स्मारक सहित प्राचीन किला
5. उदयपुर स्थित कुम्भलगढ़ किला
6. भटनेर किला

तमिलनाडु राज्य

1. मद्रास स्थित सेण्ट जोर्ज किला
2. जिंजी स्थित राजगिरि और कृष्णागिरी और कृष्णागिरी किला
3. वेलूर स्थित किला

उत्तर प्रदेश

1. आगरा स्थित आगरा किला
2. झांसी स्थित झांसी किला
3. तालबेहत किले की दीवार
4. बाँदा स्थित कर्शलंजर किला
5. जौनपुर का पुराना किला

पश्चिम बंगाल

1. कुरानवेडा किला, गंगेश्वरा

राजस्थान की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

191. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र के साथ-साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जल के बिना सम्भव नहीं हो पायेगा; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 1996-97 तथा नौवीं योजनावधि में इस परियोजना के शीघ्र पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी हां। पश्चिमी राजस्थान के मरूभूमि क्षेत्र में जल की दुर्लभता क्षेत्र के विकास में मुख्य बाधा है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान योजना आयोग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को 60 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सरकार सहायता उपलब्ध कराई गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को केन्द्रीय सहायता देने के प्रावधान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग

192. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने हेतु कितनी धनराशि का व्यय किए जाने की सम्भावना है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ग) क्या अब तक बनाई गई सड़कों में कई स्थानों पर मोड़ हैं;

(घ) क्या उक्त कार्य को पूरा करने हेतु और वित्तीय संसाधन जुटा लिये गये हैं; और

(ङ) उक्त चार लेन वाले राजमार्ग के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) फिलहाल जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के लिए दो परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

खण्ड		संभावित लागत (करोड़ रु.)	खर्च राशि (करोड़ रु.)	पूरी की गई लम्बाई (कि.मी.)
(1)	गुड़गांव से कोटपुतली (36.63 से 162.50 कि.मी.)	305	7	शून्य
(2)	कोटपुतली से अकरोल (162.50 से 231.00 कि.मी.)	113	83	34

(ग) जी हां। मोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) पूरा करने की नियत तारीखें इस प्रकार हैं:-

(1) गुड़गांव से कोटपुतली खण्ड मार्च, 2000

(2) कोटपुतली से अकरोल खण्ड जून, 1997

[अनुवाद]

गुजरात में नया राष्ट्रीय राजमार्ग

193. श्री बी. गढ़वी :
श्री सनत मेहता :
श्री काशीराम राणा :
श्री गोरधनभाई जावीया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित महत्वपूर्ण सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किए गए राज्यमार्गों की लम्बाई कितनी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, गाजीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर-पटना को जोड़ने वाली लगभग 240 कि.मी. लम्बी केवल एक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सैक्टर के सड़क कार्यक्रम के लिए अल्प आबंटन और संसाधनों के निरन्तर अभाव के कारण गुजरात राज्य में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना संभव नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

194. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विगत तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) 1993, 1994 और 1995 के दौरान राज्यवार दुर्घटना आंकड़ें दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है 1996 के दुर्घटना संबंधी आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) केवल उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभाजक लगाए जाते हैं जो चार अथवा उससे अधिक लेन के हों तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों की उपलब्धता जैसे अनेक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों में इकहरी लेन को चौड़ा करके दो लेन का बनाया जाना, कमजोर और तंग पुलों तथा पुलियों का पुन:निर्माण, लेवल-क्रासिंग के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज बनाना, अधिक यातायात सघनता वाले खंडों में परावर्तक सड़क संकेतों थर्मोप्लास्टिक सड़क चिन्हांकन, सड़कों के किनारे विश्राम क्षेत्रों और मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

विवरण

1993, 1994 और 1995 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों, घायल व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश		दुर्घटना			मारे गए व्यक्ति			घायल व्यक्ति		
		1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5533	6247	अनुपलब्ध	1911	2295	अनुपलब्ध	6466	7286	अनुपलब्ध
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	77	48	11	33	5	106	63	71
3.	असम	1553	1518	1477	757	736	774	2303	2433	2182
4.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	गोवा	907	983	अनुपलब्ध	96	82	अनुपलब्ध	692	781	अनुपलब्ध
6.	गुजरात	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	हरियाणा	1930	2380	अनुपलब्ध	827	1001	अनुपलब्ध	2130	2503	अनुपलब्ध
8.	हिमाचल प्रदेश	538	643	755	141	154	228	942	1055	1256
9.	जम्मू एवं कश्मीर	425	423	113	62	66	94	300	237	432
10.	कर्नाटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	7690	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1898	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10749
11.	केरल	8604	9202	8699	825	930	968	11349	12854	12393
12.	मध्य प्रदेश	4536	4525	अनुपलब्ध	863	998	अनुपलब्ध	3873	4447	अनुपलब्ध
13.	महाराष्ट्र	11812	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2761	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10427	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	मणिपुर	132	147	156	55	39	59	200	263	253
15.	मेघालय	98	116	अनुपलब्ध	42	42	अनुपलब्ध	78	177	अनुपलब्ध
16.	मिजोरम	29	24	30	13	6	28	49	28	121
17.	नागालैंड	40	36	58	10	14	31	131	30	130
18.	उड़ीसा	2128	2255	अनुपलब्ध	506	666	अनुपलब्ध	2216	2514	अनुपलब्ध
19.	पंजाब	546	645	688	334	439	591	487	575	560
20.	राजस्थान	4682	5367	7169	1427	1748	1821	5448	5964	8285
21.	सिक्किम	59	59	74	13	15	13	62	62	118
22.	तमिलनाडु	12891	12945	अनुपलब्ध	2792	2896	अनुपलब्ध	12225	12186	अनुपलब्ध
23.	त्रिपुरा	74	105	101	25	50	32	103	194	169
24.	उत्तर प्रदेश	4733	5081	अनुपलब्ध	2573	2767	अनुपलब्ध	3534	3881	अनुपलब्ध
25.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ शासित प्रदेश										
26.	अंडमान निकोबार द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	26	23	अनुपलब्ध	10	15	अनुपलब्ध	20	14	अनुपलब्ध
28.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दमन द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पॉडिचेरी	276	256	255	41	38	35	252	364	233
	जोड़	61591	53057	27313	16095	15030	6577	63393	57911	36952

बिहार शरीफ उपमार्ग

195. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "बिहार शरीफ बाईपास" के नाम से ज्ञात नालंदा जिले के मुख्यालय, बिहार शरीफ नगर के बीचों-बीच गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की छः किलोमीटर सड़क काफी खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) जी नहीं। उपलब्ध संसाधनों के तहत बाईपास को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं

196. श्री मुनव्वर हसन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक तथा पोलिटेक्निकल संस्थाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार पालिटेक्निकों सहित नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन की शक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में निहित है। परिषद द्वारा इन प्रस्तावों पर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों सहित सभी प्रस्तावों पर यह कार्यविधि और तंत्र लागू होता है।

साक्षरता दर

197. श्री अमरपाल सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है;

(ख) विश्व के अन्य भागों में साक्षरता दर की तुलना में भारत की स्थिति क्या है; और

(ग) देश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता की प्रतिशतता 52.21 प्रतिशत है।

(ख) यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की गई स्टैटिस्टिकल इयर-बुक 1993 के अनुसार 1990 तक 15 तथा इससे अधिक आयु-वर्ग में भारत और नौ जनसंख्या बहुल देशों की साक्षरता दर को दर्शानेवाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रमुख उद्देश्य स्वयंसेवक आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से साक्षरता को बढ़ावा देना है। ये अभियान जिलों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर शुरू किए जाते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जिनमें स्वैच्छिक संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व शामिल है। जिन क्षेत्रों में अभी तक संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू नहीं किए गए है उन क्षेत्रों के छोटे-छोटे क्षेत्रों में साक्षरता संबंधी कार्य शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं (एजेंसियों) को सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	अनुमानित साक्षरता दर (वर्ष 1990)
1.	बंगलादेश	38.1
2.	ब्राजील	83.3
3.	चीन	81.5
4.	मिश्र	51.4
5.	भारत	52.0
6.	इण्डोनेशिया	83.8
7.	मैक्सिको	89.6
8.	नाईजीरिया	57.1
9.	पाकिस्तान	37.8

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थान

198. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी शैक्षिक संस्थानों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश संस्थानों में शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 11 आयुर्वेद और 7 यूनानी मेडिकल कालेज कार्यरत हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेद और यूनानी मेडिकल कालेजों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इनमें से अधिकतर संस्थाओं में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार पर्याप्त शिक्षण सुविधाएं नहीं हैं।

(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के एक दल ने लखनऊ का दौरा किया और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बातचीत की। इस दल ने स्थिति में सुधार करने हेतु विशेष सिफारिशें भी की हैं।

विवरण

31.1.97 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी शैक्षिक संस्थाएं

क्र.सं.	जिले का नाम	आयुर्वेदिक कालेजों की संख्या		यूनानी मेडिकल कालेजों की संख्या	
		सरकारी	गैर-सरकारी	सरकारी	गैर-सरकारी
1.	अलीगढ़	–	–	1*	–
2.	इलाहाबाद	1	–	1	–
3.	आजमगढ़	–	–	–	1
4.	बरेली	1	–	–	–
5.	बांदा	1	–	–	–
6.	हरिद्वार	2**	–	–	–
7.	झांसी	1	–	–	–
8.	लखनऊ	1*	–	1	1
9.	मुजफ्फरनगर	1	–	–	–
10.	पीलिभीत	1*	–	–	–
11.	सहारनपुर	–	–	–	2
12.	वाराणसी	1+1***	–	–	–
	कुल	10+1*	–	3	4

टिप्पण: * स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चला रहा है।
** एक कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चला रहा है।
*** केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहा है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा

199. श्री पंकज चौधरी :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में कोई महत्वकांक्षी योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) प्रारंभ में यह योजना कितने विद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के जरिए संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सूचना, शिक्षा और संचार घटक को सुधारने तथा निवारक परिव्ययी के पहलुओं पर भी जोर डालने के लिए प्रयत्नों को तेज करने का फैसला किया है।

(ग) ये कार्यक्रम चल रहे कार्यकलाप हैं और स्कीमें प्रतिवर्ष कार्यान्वित की जाएंगी।

(घ) स्कीमें विशेष स्थान के आधार पर आम जनता को कवर करती हैं तथा जहां लागू हो वहां स्कूली बच्चों का कवरेज उनमें शामिल है। दिल्ली सरकार ने भी शुरू में 100 स्कूलों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा स्कीम तैयार की है।

(ङ) भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य स्कीमों जैसे एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, आयोडीन अल्पता, स्कूल में स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल आदि के भाग के रूप में दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कोई एकीकृत बजट नहीं है।

पूर्णिया में केन्द्रीय विद्यालय

200. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्णिया (बिहार) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) पूर्णिया में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध अगस्त, 1995 में प्राप्त हुआ था। जिला प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो उनसे प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए सहायता

201. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी गयी है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं तो शेष धनराशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस सहायता का उपयोग कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुमोदित पैटर्न के अनुसार बजटीय परिव्यय की उपलब्धता की शर्तों पर अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) आडिट व्यय विवरण में दर्शाए अनुसार राज्यों को स्वीकार्य बकाया बजटीय परिव्यय की उपलब्धता की शर्त पर शेष राशि प्रदान की जाती है।

(घ) खर्च के ऑडिट विवरण में दर्शाए अनुसार व्यय के आधार पर शेष राशि जारी की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान (नकद और वस्तुगत)

		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10686.06	11062.37	8752.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.56	178.93	250.54
3.	असम	2485.74	3488.38	3075.38
4.	बिहार	9799.08	10949.98	10003.46
5.	गोवा	136.61	166.67	169.22
6.	गुजरात	9853.06	7525.79	5536.01
7.	हरियाणा	3651.68	2541.03	2213.55
8.	हिमाचल प्रदेश	2230.76	2174.74	1195.68
9.	जम्मू व कश्मीर	2274.10	3027.19	1299.42
10.	कर्नाटक	5768.42	9307.80	7557.81
11.	केरल	5068.42	6517.04	3335.75
12.	मध्य प्रदेश	9779.89	10385.16	10126.12
13.	महाराष्ट्र	11665.52	9994.27	11171.61
14.	मणिपुर	622.45	557.96	517.73
15.	मेघालय	295.54	343.77	355.56
16.	मिजोरम	182.92	194.08	241.89
17.	नागालैंड	463.75	400.67	285.24
18.	उड़ीसा	4493.17	6312.40	5365.77
19.	पंजाब	3608.47	3760.93	2989.72
20.	राजस्थान	7697.29	10991.90	9110.23
21.	सिक्किम	251.29	222.05	271.85
22.	तमिलनाडु	7891.70	9728.14	7882.94
23.	त्रिपुरा	825.98	772.36	444.01
24.	उत्तर प्रदेश	24324.37	23783.52	19953.46
25.	पश्चिम बंगाल	6803.81	6447.51	8189.78
		130924.64	140834.64	120295.69

1	2	3	4	5
1.	पांडिचेरी	47.57	92.88	139.32
		0.00	0.00	0.00
2.	दिल्ली	1162.07	1592.11	1972.55
		0.00	0.00	0.00
3.	अंडमान व निकोबार	77.90	83.88	100.12
		0.00	0.00	0.00
4.	दादरा व नगर हवेली	24.66	38.72	32.80
		0.00	0.00	0.00
5.	चंडीगढ़	141.42	162.86	150.56
		0.00	0.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	12.00	14.28	17.68
		0.00	0.00	0.00
7.	दमन व दीव	37.93	25.23	34.36
		0.00	0.00	0.00
	कुल	1503.55	2009.96	2447.39

"त्रिशूल" का परीक्षण

202. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री वी. प्रदीप देव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 दिसंबर, 1996 को पृथ्वी से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "त्रिशूल" का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्षेपास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह कहां तक सफल रहा; और

(ग) त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों को कब तक सशस्त्र सेनाओं में शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का उड़ान परीक्षण 28 दिसंबर, 1996 को किया गया था।

(ख) त्रिशूल तीव्र प्रतिक्रिया वाला जमीन से हवा में कम दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र के 28 दिसंबर, 1996 को विकासात्मक उड़ान परीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक उड़ान भरने के बाद कुछ विचलन देखे गए थे। तथापि, आरंभिक उड़ान के दौरान कमान निर्देश संबंधी मूल्यांकन के लक्ष्य की मिशन आवश्यकताओं के अनुसार सफलतापूर्वक जांच की गई थी। उड़ान परीक्षणों की एक शृंखला शुरू की जाएगी।

(ग) त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र 1997 के उत्तरार्द्ध में प्रयोक्ता परीक्षण के चरण में प्रवेश करेगा तथा उसके बाद इसका उत्पादन करके इसे शामिल कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र

203. लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से अपने विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों को उनका चित्र लगाने हेतु निदेश जारी करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठ कमांडरों की कतिपय श्रेणियों के अलावा केवल निम्नलिखित व्यक्तियों के फोटोग्राफ ही सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न यूनिटों के परिसरों में प्रदर्शित किए जाते हैं:-

(क) महात्मा गांधी

(ख) राष्ट्रपति

(ग) प्रधान मंत्री

(घ) रक्षा मंत्री।

[अनुवाद]

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा

204. श्री बादल चौधरी :
श्री उधव बर्मन :
श्री बाजू बन रियान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों को और अधिक लाभ देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) सरकार सीमा सड़क संगठन के सभी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में संभाव्य सुधार करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय में इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में रेंगाली सिंचाई परियोजना

205. श्री के.पी. सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन रेंगाली सिंचाई परियोजना का मुख्य कार्य तथा दाहिनी नहर का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) क्या इन कार्यों से राज्य में डेंकनाल अथवा ऐसे किसी अन्य जिले में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार की राहत मिली है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) रेंगाली सिंचाई परियोजना की दाहिनी नहर (राइट कनाल) के कार्य को जल्दी पूरा किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) उड़ीसा में रेंगाली सिंचाई परियोजना के मुख्य कार्य 1995-96 में पूरे कर लिए गए हैं। दायीं मुख्य नहर जिसको डेंकानल मुख्य नहर भी कहते हैं, को 2000-2001 में पूरा किया जाना है। इसका कार्य पूरा हो जाने पर उड़ीसा के निम्नलिखित जिले लाभान्वित होंगे:-

(1) डेंकानल

(2) कटक

(3) किओंझार

(4) बकसोर

(घ) और (ङ) रेंगाली परियोजना दायीं मुख्य नहर के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.00 करोड़ की धनराशि

केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में अनुमोदित की गई और नवम्बर 1996 में राज्य सरकार को 7.50 करोड़ की पहली किस्त निर्मुक्त की गई।

[हिन्दी]

स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना

206. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अब तक पूरा न होने के कारण अनेक गांव जलमग्न हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-96 के दौरान इससे कितने गांव प्रभावित हुए हैं और कुल कितनी क्षति हुई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित गांवों के लोगों को सहायता के लिए किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना इस समय निर्माणाधीन है। इस परियोजना से बिहार में 203 गांव, उड़ीसा में 36 गांव प्रभावित होंगे।

(ग) राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा राहत उपाय प्रारंभ किए गए हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा एम-11 मिसाइलों की खरीद

207. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा जमीन से जमीन पर मार करने वाली एम-11 बैलिस्टिक मिसाइलों की प्राप्ति से उत्पन्न खतरे की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से उत्पन्न ऐसे खतरे का मुकाबला करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अमरीकी रक्षा सचिव, की विलियम पैटी ने चीनी एम-11 मिसाइलें पाकिस्तान को दिए जाने की पुष्टि की है तथा यह कहा है कि इस्लामाबाद के पास निकट भविष्य में मिसाइलें तैयार करने की पूरी क्षमता उपलब्ध हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (घ) सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन से कथित रूप से एम-11 प्रक्षेपास्त्र प्राप्त किए जाने की जानकारी है। प्राप्त सूचना के अनुसार, अमरीका के पूर्व रक्षा मंत्री मिस्टर विलियन पैरी ने भी पुष्टि की है कि चीन ने पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्र दिए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा चीन से एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की प्राप्ति से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए कोई उपयुक्त निवारक उपाय मौजूद हो।

बौद्ध स्तूप

208. श्री अजमीरा चन्दूलाल :
श्री के. एस. रायुडू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के खम्मान जिले में हाल ही में दूसरी शताब्दी का एक विराट बौद्ध स्तूप मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस स्तूप के निकट यह पता लगाने के लिए कि यहां एक बड़ा आवासीय परिसर था, उत्खनन कार्य चल रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1986-87 में पुरातत्व विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गांव नेलाकोण्डापल्ली, जिला खम्मान में किए उत्खनन कार्यों के दौरान बौद्ध स्तूप, विहार गर्भगृह, धर्मसभा भवन और चैत्य, नौ बौद्ध मूर्तियां, एक स्तूप का मॉडल, जिसमें ब्राह्मी लेख शामिल है और सातवाहन इक्षावाकु, चांतामूला और विष्णु कुन्दिन शासकों के सिक्कों का पता चला है। पंचधातु की एक बौद्ध मूर्ति भी खुदाई में मिली है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क कोष से उत्तर प्रदेश को धन का आवंटन

209. श्री सोहन वीर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से सड़क विकास के लिए धन आवंटन की मांग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सड़क कोष से गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य को 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) से निधियों का आबंटन विभिन्न राज्यों की जमा राशियों, संस्वीकृत स्कीमों और वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि के आधार पर किया जाता है।

(ग) पिछले चार वर्षों में सी आर एफ से उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित राशि इस प्रकार है:-

(लाख रु.)

वर्ष	राशि
1993-94	100.00
1994-95	157.00
1995-96	111.00
1996-97	159.00 (प्रस्तावित)

(घ) 1997-98 के दौरान प्रस्तावित आबंटन के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

हुगली नदी में गाद की सफाई संबंधी अनुबंध

210. **श्री चित्त बसु** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन ने हुगली नदी में गाद की सफाई संबंधी सभी अनुबंध निजी कम्पनियों को दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली स्थित अस्पतालों की दयनीय स्थिति

211. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री थामस हंसदा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन दिनों दिल्ली स्थित प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को परेशानी हो रही है;

(ख) क्या लोक नायक अस्पताल में स्नायु शल्य चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण जी.बी. पन्त अस्पताल से स्नायु शल्य चिकित्सक बुलाए जाते हैं;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल में सर्वोत्तम चिकित्सा विशेषज्ञता होने के बावजूद वहां हृदय रोग शल्य चिकित्सक की कोई व्यवस्था नहीं है;

(घ) क्या अस्पतालों में उपकरणों की खरीद और रख-रखाव में गड़बड़ी और जिन दवाओं की मियाद पूरी हो जाती है उन दवाओं का खरीदा जाना आम बात है;

(ङ) इन अस्पतालों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल घटिया है और ये अस्पताल सभी तरह से कीड़ों से मुक्त नहीं हैं;

(च) क्या सरकार का इन सभी पहलुओं की जांच करने हेतु संसदीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों के कार्यकरण की चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आने वाले रोगियों का जी.बी. पंत अस्पताल के तंत्रिका विज्ञान सर्जन द्वारा देखभाल की जाती है क्योंकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में तंत्रिका विज्ञान सर्जन का कोई स्वीकृत पद नहीं है।

(ग) सफदरजंग अस्पताल में कार्डियो-सर्जरी विशिष्टता के दोनों पद भरे हुए हैं। तथापि, दो विशेषज्ञों में से एक की

सेवाओं का उपयोग डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

212. **श्री मंगत राम शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में केन्द्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से चलने वाले जिला-वार प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इंकबाल शेरवानी) : (क) 29.2.96 को उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में 335 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) योजना आयोग से उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में 1995-96 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम हेतु 1946 लाख रु. अलग से रखे गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या राज्य का विषय है। तथापि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 98,000 उप-केंद्रों की देखरेख केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

(ग) परिवार कल्याण विभाग को अभी कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.एन.एस. विक्रान्त

213. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़** :
श्री मोहन रावले :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रथम वायुयान वाहक आई.एन.एस. विक्रान्त को नौसेना से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय नौसेना की मारक शक्ति को बनाये रखने के लिए इसके स्थान पर उपयुक्त विकल्प के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या आई.एन.एस. विक्रान्त को नौसेना संग्रहालय में बदलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नौसेना पोत विक्रांत ने अपना संक्रियात्मक जीवन चक्र पूरा कर लिया था इसलिए उसे 31 जनवरी, 1997 को सेवा से हटा दिया गया है। इसे, आयात अथवा स्वदेशी निर्माण के माध्यम से बदले जाने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) सेवा से हटाए गए इस पोत को नौसेना संग्रहालय में परिवर्तित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में कोई भी निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे परिवर्तन की संभाव्यता पर निर्भर करेगा।

पासपोर्ट कार्यालय

214. **श्री के. एस. रायुडू** :
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने हेतु अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राप्त समाचार के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान पासपोर्ट जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त करने और पासपोर्ट

जारी करने में हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय देश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पहले स्थान पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय का कार्यभार कम करने हेतु विशाखापत्तनम, रायल सीमा और अनन्तपुर में नया पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया है;

(घ) क्या लोगों की अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में कुछ और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना हेतु क्या मानदंड अपनाया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने पासपोर्ट कार्यालय/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कार्यरत हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। वर्ष 1996 के दौरान हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय, में 1,90,722 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं। मुम्बई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को 1996 के दौरान सबसे अधिक 2,22,007 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विशाखापट्टनम में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोल दिया गया है और यह कार्य कर रहा है। इस समय रायल सीमा और अनन्तपुर में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय कतिपय मानदण्डों जैसे राज्य का क्षेत्र और उसकी जनसंख्या, पासपोर्टों की मांग, निकट में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यभार, जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, संसद की स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि नया पासपोर्ट कार्यालय केवल उन्हीं क्षेत्रों में खोला जाए जहां से वर्ष भर में नए पासपोर्ट जारी करने के लिए कम-से-कम 50,000 आवेदन प्राप्त होते हों।

पासपोर्ट कार्यालयों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा सभा पटल पर रखा है।

19.02.1997 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालयों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

आंध्र प्रदेश	2
असम	1
बिहार	1
दिल्ली	1
गोवा	1
गुजरात	1
जम्मू और कश्मीर	1
केरल	3
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	3
मध्य प्रदेश	1
उड़ीसा	1
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	2
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
पश्चिम बंगाल	1
उत्तर प्रदेश (यू.पी.)	3
योग	26

विश्व बैंक ऋण

215. श्री दिलीप संघानी :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से 749.28 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विश्व बैंक से यह राशि प्राप्त हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि में से प्रत्येक राज्य को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम को लागू किये जाने के क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) विगत तीन वर्षों से आज तक की तारीख में देश में क्षय रोगियों की संख्या कितनी रही तथा इसी अवधि के दौरान कुल कितनों की मृत्यु हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच विकास के लिए ऋण संबंधी करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ङ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1993-94	32.15
1994-95	41.19
1995-96	41.80

इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग के ज्ञात नए रोगियों की संख्या विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार है:-

वर्ष	क्षयरोग के ज्ञात नए रोगी
1993-94	13.58 लाख
1994-95	12.49 लाख
1995-96	13.89 लाख
1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	5.77 लाख (अनंतिम)

(च) अनुमान है कि देश में क्षयरोग के 140 लाख मामले हैं तथा 22 लाख नए मामलों की प्रति वर्ष वृद्धि हो जाती है। यह भी अनुमान है कि क्षयरोग से पीड़ित 5,00,000 व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजना

216. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी कितनी है;

(ख) पोषक खाद्य पदार्थों पर आने वाला खर्च किस एजेंसी द्वारा उठाया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार पोषक खाद्य पदार्थों पर होने वाले खर्च का कुछ अंश वहन करती है;

(घ) यदि नहीं तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उपरोक्त योजना के अंतर्गत पोषक खाद्य पदार्थों पर किए जाने वाले खर्च का कुछ अंश वहन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) संघ सरकार, पूरक पोषाहार, जो कि राज्यों का दायित्व है, पर होने वाले खर्च को छोड़कर, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना की पूरी लागत की पूर्ति हेतु राज्यों को सहायतानुदान प्रदान करती है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत पोषाहारीय भोजन पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) संघ सरकार ने अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता

[अनुवाद]

नई रेजीमेंट का गठन

217. श्री सनत मेहता : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई रेजीमेंट के सृजन के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक रेजीमेंट के गठन संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके गठन के क्या कारण हैं और अन्य राज्यों पर इसका क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (ग) सरकार को कर्नाटक रेजिमेंट बनाए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

एम बी बी एस और एम डी विद्यार्थियों पर व्यय

218. श्री पवन दीवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में एम बी बी एस और एम डी विद्यार्थियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इस व्यय का कुछ हिस्सा विद्यार्थियों से वसूल किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितने डाक्टर विदेश चले गए हैं;

(घ) क्या सरकार का उन डाक्टरों, जो सरकारी चिकित्सा कालेजों से स्नातक हुए हैं, के लिए एक निश्चित अवधि के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने हेतु शर्त निर्धारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार सरकारी मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा पर किया जाने वाला प्रति छात्र खर्च स्नातक स्तर पर 74000/- रुपये से 1.78 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक और स्नातकोत्तर स्तर पर 71,000/- रुपये से 1.46 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक होता है। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक छात्र से लिए जाने वाले शुल्क की राशि बहुत कम. है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश गए डाक्टरों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

1993	5,989
1994	आंकड़े संकलित नहीं किए गए
1995	आंकड़े संकलित नहीं किए गए

(घ) और (ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने संकल्प लिया है कि एक विशिष्ट अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती को अनिवार्य और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व इसे एक पूर्वापेक्षा बनाया जाए।

[अनुवाद]

दो-दो पासपोर्ट

219. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीयों द्वारा दो-दो पासपोर्ट रखने के कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने व्यक्तियों के पास दो-दो पासपोर्ट पाये गये हैं;

(ग) क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। दो-दो पासपोर्ट धारकों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाते हैं। उन मामलों में जिनमें पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के उपबंधों के उल्लंघन का मामला बन जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 10(3)(ख) के अन्तर्गत पासपोर्ट या तो जब्त कर लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है तथा आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि यदि वह पासपोर्ट सुविधा की बहाली चाहते हैं तो वे मुख्य पासपोर्ट अधिकारी को अपील कर सकते हैं।

कावेरी जल विवाद

220. श्री एम. सैल्वारासु :
श्री वी. वी. राघवन :
श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कावेरी जल बंटवारे के बारे में जनवरी 1997 के पहले सप्ताह के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुई पांचवें दौर की वार्ता पुनः विफल हो गई है;

(ख) क्या उन वर्षों के दौरान, जब पानी अधिक मात्रा अथवा कम मात्रा में उपलब्ध हो, आनुपातिक विवरण को सुगम बनाने के लिए पृथक-पृथक प्रतिशत के आधार पर जल के आबंटन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अंतिम समाधान निकालने के लिए दोनों राज्यों के किसान प्रतिनिधियों की कोई बैठक आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के बीच कावेरी जल के बंटवारे के मामले में चेन्नई में 5 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका।

(ख) सह-बेसिन राज्यों की सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) यह विवाद, कावेरी जल विवाद अधिकरण के अधिनिर्णय के अंतर्गत है और बेसिन राज्य अधिकरण की कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं।

[हिन्दी]

गर्भवती महिलाओं पर कीटनाशक दवाओं का दुष्प्रभाव

221. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशक दवाएं महिलाओं में गर्भधारण संबंधी अनियमितताएं पैदा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कीटनाशक दवाओं के संबंध में वर्तमान कानून सख्ती से कार्यान्वित किए जाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) नाशक जीवमारों के आयात, विनिर्माण और इस्तेमाल को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन विनियमित किया गया है और इस अधिनियम की प्रस्तावना में मानवों/जन्तुओं को होने वाले खतरे और उनसे संबंधित मामलों से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन एक पंजीकरण समिति का गठन किया गया है। जो अन्य बातों के साथ-साथ नाशक जीवमारों की प्रभावकारिता और मानवों, जन्तुओं के लिए उसके सुरक्षित होने के संबंध में संतुष्ट होने पर नाशक जीवमारों को पंजीकृत करती है। यह पंजीकरण आवेदन द्वारा प्रजनक विरूपताओं पर पड़ने वाले प्रभाव सहित विषाक्तता के विभिन्न मापदण्डों पर प्रस्तुत किए गए प्रायोगिक आंकड़ों का प्रयोग करके किया जाता है ताकि गर्भावस्था पर नाशक जीवमारों के प्रभाव को निश्चित किया जा सके। प्रत्येक आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले विषाक्तता मापदंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन बनाये गए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन भी विभिन्न खाद्य वस्तुओं में सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाले नाशक जीवमारों की अधिकतम सह्य सीमा निर्धारित की गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहें।

विवरण

नाशक जीवभारों के पंजीकरण के लिए आवेदक द्वारा अपेक्षित तौर पर प्रस्तुत किए जाने वाले विषाक्तता आंकड़ों से संबंधित मापदंड

1.	एक्यूट ओरल रैट एंड माइस
2.	एक्यूट डर्मल
3.	प्राइमरी स्किन इरिटेशन
4.	एक्यूट इन्हेलेशन
5.	इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन
6.	सब एक्यूट ओरल रैट एंड डाग
7.	सब एक्यूट डर्मल
8.	सब एक्यूट इन्हेलेशन
9.	मानोटाक्सिसिटा
10.	सिनर्जिजम एंड पेटेंशियेशन
11.	टैरेटोजेनिसिटी

12. इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन
13. कार्सिनोजेनिसिटी
14. मेटाबालिज्म
15. म्युटाजेनिसिटी
16. टाक्सिसिटी टू बर्ड्स
17. टाक्सिसिटी टू फिस
18. टाक्सिसिटी टू हनीबी
19. टाक्सिसिटी टू लाइव स्टाक
20. मेडिकल आंकड़े
21. विदेशों से मानव विषाक्तता विषयक सूचना
22. मानव में निरीक्षण (स्प्रे ऑपरेटर के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड)।
23. औद्योगिक कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड।
24. लाइव स्टाक के प्रति विषाक्तता (क्षेत्रीय सर्वेक्षण और निरीक्षण
25. कार्सिनोजेनेसिटा और जीनोटासिक्ससिटी पर अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट।

[अनुवाद]

कलकत्ता में केन्द्रीय जल आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

222. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में केन्द्रीय जल आयोग का एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में निर्णय ले लिया है अथवा इस संबंध में गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण हेतु दिशा निर्देश

223. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों तथा पत्तन क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध कराने संबंधी दिशा निर्देशों में छूट दिए जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत किन-किन परियोजनाओं का पता लगाया गया है;

(ग) क्या विदेशी वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध कराने संबंधी दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित छूट के फलस्वरूप सड़क तथा पत्तन क्षेत्रों का पूर्ण रूप से निजीकरण हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसका औचित्य क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) चूंकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है इसलिए इसके ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

करनाल में उपमार्ग

224. **श्री आई. डी. स्वामी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की हरियाणा में करनाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उपमार्ग बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कार्य में कितना विकास/प्रगति हुई है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) एक बाईपास पहले ही मौजूद है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी राजनयिकों के साथ बैठक

225. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अमरीकी राजदूतावास के एक अधिकारी को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण चौबीस घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मामले में कोई भारतीय अधिकारी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने इस मामले में अमरीकी अधिकारियों के पास कोई विरोध दर्ज किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास के कुछ राजनयिकों के बीच अप्राधिकृत संपर्क की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने संबंधित अमरीकी अधिकारियों को वापस बुलवाने के लिए कहा। अमरीकी राजदूतावास ने यह सूचित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) यह एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध आरोप का मामला है। इस मामले में शामिल अधिकारी ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली है।

(ङ) सरकार ने मामले की गम्भीरता के बारे में अमरीकी प्राधिकारियों को बता दिया है। संबंधित अमरीकी कर्मचारियों को वापस बुलाने के सरकार के निर्णय में ही इस बात की गम्भीरता निहित है।

[हिन्दी]

एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट

226. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर नई दिल्ली, रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के रेफरल ट्रीटमेंट वाले अस्पतालों की सूची में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त इंस्टीट्यूट द्वारा रक्षा कर्मचारी से वसूल की गई राशि की सरकार द्वारा पूर्णत: प्रतिपूर्ति कर दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कितनी राशि वहन की जाती है;

(घ) क्या कानपुर में डिफेंस इंस्टीट्यूट में कार्यरत कर्मचारी के उपदान का भुगतान इसलिए रोक दिया गया कि उक्त इंस्टीट्यूट में उसके इलाज पर हुए पूरे व्यय का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया;

(ङ) क्या बहुत से रक्षा कर्मचारी उक्त इंस्टीट्यूट में इसलिए इलाज कराने से वंचित है कि वे इस इंस्टीट्यूट का खर्च वहन नहीं कर सकते; और

(च) यदि हां, तो अब तक इलाज से वंचित रहने के कारण कितने कर्मचारियों की मृत्यु हो गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पैकेज डील के अंतर्गत दरें नियत की गई हैं जिनके आधार पर रक्षा सिविलियनों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती है। यदि अस्पतालों द्वारा पैकेज डील के अंतर्गत निर्धारित दरों से अधिक कोई धनराशि ली जाती है तो उसे संबंधित कर्मचारियों द्वारा वहन करना पड़ता है।

(घ) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस प्रकार का कोई संस्थान नहीं है। तथापि, लघु शस्त्र निर्माण, कानपुर में कार्यरत एक कर्मचारी के उपदान भुगतान को चिकित्सा अग्रिम के समायोजन के लिए रोक दिया गया क्योंकि यह राशि पैकेज डील की धनराशि से अधिक थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त प्रश्न संख्या (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"रिसाइकल्ड सिरिंज रैकेट थाइविंग"

227. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रिसाइकल्ड सिरिंज रैकेज श्राइविंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि समाचार की विषय-वस्तु को तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अस्पताल अर्जित संक्रमण के नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सूइयों और सिरिंजों को एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें नष्ट करने की क्रियाविधि का उल्लेख है ताकि उनके पुनः इस्तेमाल से बचा जा सके। सिरिंजों को इस्तेमाल के बाद इन्सिनरेशन की प्रक्रिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा सूई शैडर और सिरिंज शैडर खरीदने के लिए पहले ही उपाय किए गए हैं ताकि इन्हें प्रभावकारी ढंग से नष्ट किया जा सके और इनका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। अस्पताल संक्रमण नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 20 राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को प्रति घंटा 90 कि.ग्रा. अपशिष्ट को जलाने की क्षमता वाला एक इन्सिनरेटर खरीदने के लिए प्रधिकृत किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों की रिहाई किया जाना

228. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान, 225 मछुआरों के रिहाई का मामला उठाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रीस्तरीय वार्ता के दौरान इन मछुआरों की रिहाई हेतु किसी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया था;

(ग) क्या पाकिस्तान में वहां के अधिकारियों ने भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए अपने जासूसों सहित अपने मछुआरों की रिहाई करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) पाकिस्तान के विदेश मंत्री सार्क मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 18 दिसम्बर, 1996 को भारत आए थे तथा उन्होंने विदेश मंत्री से सद्भावना भेंट की। बैठक के दौरान एक दूसरे के देश में बंदी मछुआरों को मुक्त कराने/स्वदेश वापस भिजवाने के मामले पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष इस संबंध में आंकड़ों का आदान-प्रदान करेंगे तथा संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र बातचीत करेंगे। संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं।

अस्पताल संबंधी सेवाओं और चिकित्सा पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति

229. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
श्री जय प्रकाश हरदोई :
श्री आई. डी. स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पताल में चिकित्सा पर व्यय की गई राशि के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध पंजाब सरकार द्वारा दायर किए गए मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि राज्य सरकारों को आम मरीजों के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जाये और कहा है कि सरकारी अस्पतालों में उपयुक्त रख-रखाव और उपचार की ओर उचित ध्यान दिया जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के इलाज के दौरान पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और फिर एस्कोर्ट हार्ट इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली में दाखिल रहने के लिए कमरे के किराये के रूप में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने हेतु दिए गए निर्देश सही थे।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार काउंसेल की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि अधिक आवंटन आम रोगियों के लिए किया जाना जरूरी है परन्तु यह बताया है कि सरकारी अस्पतालों में समुचित रख-रखाव और उपचार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कुप्रबंध को नहीं रोका जा रहा है।

(ङ) राज्य सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अस्पतालों के रख-रखाव के लिए निर्णय लेने में सक्षम है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं न कि केन्द्र सरकार को।

कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि का उपयोग

230. श्री पी. सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों तथा उन पर बने पुलों पर कर लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अब तक कितनी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल की गयी है;

(ग) क्या इस प्रकार जुटाई गयी धनराशि का सड़क विकास कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की किसी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस धनराशि को भारत की संचित निधि का हिस्सा माना जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार बोल्ट (निर्माण संचालन पट्टा) योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करने का है;

(ज) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के किसी सड़क का निर्माण किया गया है अथवा किए जाने का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभी तक कोई पथकर नहीं लगाया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थायी पुलों पर शुल्क वसूला जाता है। 1995-96 के दौरान 52.05 करोड़ रु. की राशि वसूली गई। निधि में जमा राशि केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित कर दी जाती है। इस प्रकार वसूला गया शुल्क, भारत की समेकित निधि का हिस्सा होता है।

(छ) से (झ) जी हां। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 2 बाईं पास और एक पुलापरि सड़क (आर ओ बी) निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के तहत सौंपे गए हैं।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

231. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां प्रत्येक विकास खंड में कम से कम दो-तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है;

(ख) क्या इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे/पैथोलोजी सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जिला/विकास खंड स्तर पर इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं रख-रखाव किया जाता है। स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 30,000 जनसंख्या और पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है तथापि, राज्य सरकार को अपनी सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के मानदंडों में ढील देने की छूट है।

(ख) से (घ) अनुमोदित पद्धति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दैनिक मूल प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए पहले ही प्रयोगशाला तकनीशियन का एक पद प्रदान किया गया है।

बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

232. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने और वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) बिहार राज्य में एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव को संसाधनों की कमी के कारण स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, बिहार राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1996-97 में 15.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

कैंसर का पता लगाने वाला केन्द्र

233. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक देश में कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) देश में कैंसरग्रस्त पता लगाए गए रोगियों तथा उपलब्ध इलाज केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कैंसर के इलाज के लिए धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कैंसर के इलाज के लिए कुल कितना अनुदान निर्धारित किया गया है और इसे किस प्रकार वितरित किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंसर से प्रभावित रोगियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

1994	6.80 लाख
1995	6.98 लाख
1996	7.16 लाख

(ख) वर्ष 1991 के लिए कैंसर रजिस्ट्री द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इस रोग से मरने वाले लोगों की कुल संख्या का अनुमान लगाया गया है जो नीचे दी गई है:-

1994	3.35 लाख
1995	3.40 लाख
1996	3.46 लाख

(ग) देश में उपलब्ध कैंसर पहचान एवं उपचार केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए धर्मार्थ संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

(1) क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों का संवर्धन

(2) कोबाल्ट थेरेपी की स्थापना

(3) जल्दी पहचान व जागरूकता गतिविधियों के लिए

(ङ) कैंसर उपचार के लिए अलग से रखे कुल अनुदान और किस ढंग से इसका आबंटन किया जाता है, इसका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण ।

कैंसर पहचान एवं निदान केन्द्रों की सूची (राज्यवार)

आंध्र प्रदेश

1. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद-500033 ।
2. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, गुंन्टूर-522001 ।
3. निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद।
4. एम एन जे कैंसर अस्पताल एवं रेडियम इंस्टीट्यूट, हैदराबाद।
5. बी आई बी आई जनरल अस्पताल, हैदाबाद।
6. जगदीश कैंसर एवं अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद।
7. मिडविन अस्पताल, हैदराबाद।
8. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, काकीनाडा।
9. क्रिश्चन कैंसर अस्पताल, काकीनाडा।
10. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, कुरूनूल।

11. एस.वी.आर.आर. अस्पताल, तिरूपति।
12. किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापत्तनम।
13. विजग अस्पताल एवं कैंसर अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम।
14. एम.जी.एम. अस्पताल, वारंगल।

असम

1. असम मेडिक कालेज, अस्पताल, डिब्रूगढ़।
2. डा. बी. बरौह कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी।

बिहार

1. बोकारो जनरल अस्पताल, बोकारो।
2. टाटा मैन अस्पताल, जमशेदपुर।
3. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना।

चंडीगढ़

1. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।

दिल्ली

1. धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एवं अनुसंधान केंद्र, वशुंधरा एन्क्लेव।
2. आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर।
3. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली।
4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।
5. इंस्टिट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल।
6. बतरा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, महरोली बदरपुर रोड, नई दिल्ली।
7. आनन्द अस्पताल, प्रीत विहार, नई दिल्ली।

गोआ

1. गोआ कैंसर सोसाइटी

   जी.एम. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, डोना पौल।

गुजरात

1. एम.एस.जी. अस्पताल, बड़ोदा।
2. एम.पी. शाह मेडिकल कालेज, एंड इर्विन जामनगर।
3. राजकोट कैंसर सोसाइटी, श्री एन.पी. कैंसर संस्थान, राजकोट।
4. लाइन्स कैंसर पहचान केंद्र ट्रस्ट, नया सिविल अस्पताल कैम्पस, सुरत

हरियाणा

1. मेडिकल कालेज अस्पताल, रोहतक।

हिमाचल प्रदेश

1. इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल, शिमला।

जम्मू एवं कश्मीर

1. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, जम्मू।
2. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड एस.एम.एच.एस. अस्पताल, श्रीनगर।
3. शेर-ए कश्मीर इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस, श्री नगर।

कर्नाटक

1. विक्टोरिया अस्पताल, बंगलौर।
2. किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आन्कोलोजी, हाउसर रोड, बंगलौर।
3. बंगलौर इंस्टिट्यूट आफ आन्कोलाजी, बंगलौर।
4. दा बंगलौर अस्पताल, बंगलौर।
5. मणिपाल अस्पताल, बंगलौर।
6. जिला सामान्य अस्पताल, गुलबर्ग।
7. कर्नाटक कैंसर थिरेपी एवं अनुसंधान संस्थान, हुबली।
8. पेरीफेरल कैंसर अस्पताल, मंडया।
9. टी.एम.ए. पाई अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, अट्टवार।
10. कस्तूरबा मेमोरियल अस्पताल, मणिपाल।
11. भारत कैंसर अस्पताल, मैसूर।

केरल

1. टी.डी. मेडिकल कालेज अस्पताल, अल्फूजा।
2. मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट।
3. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, एरनाकुलम।
4. मेडिकल कालेज अस्पताल, कोट्याम।
5. अमला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, त्रिचुर।
6. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, मेडिकल कालेज परिसर, त्रिवेन्द्रम।

मध्य प्रदेश

1. गांधी मेडिकल कालेज एव महीदिया अस्पताल, भोपाल।
2. मध्य प्रदेश कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति, भोपाल।
3. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर।
4. एस.जी. कैंसर अस्पताल, इन्दौर।
5. कैंसर परिचर्या केन्द्र, इन्दौर।
6. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं कैंसर अस्पताल, जबलपुर।
7. पधार अस्पताल, पधार।
8. पंडित जे.एन.एम. कालेज एवं अस्पताल, रायपुर।

महाराष्ट्र

1. संत तुकाराम अस्पताल एवं मेडिकल अनुसंधान केन्द्र, अकोला।
2. मेडिकल कालेज अस्पताल, औरंगाबाद।
3. मराठवाड़ा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, औरंगाबाद।
4. नर्गिस दत्त, मैमोरियल कैंसर अस्पताल, बर्षी।
5. जसलोक अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई।
6. बम्बई अस्पताल और आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई।
7. डा. बालाभाई नानावती अस्पताल. और आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई।
8. लेडी रतन टाटा आयुर्विज्ञान केन्द्र, मुम्बई।
9. टाटा मैमोरियल अस्पताल, मुम्बई।
10. मिराज मेडिकल सेंटर, मिराज।
11. राजकीय मेडिकल कालेज और अस्पताल, नागपुर।
12. राष्ट्र संत तुकदोजी कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, नागपुर।
13. मैलिरनेंट डिजीज ट्रीटमेंट सेंटर, पुणे।
14. पुना मेडिकल फाउंडेशन, पुणे।
15. जनरल अस्पताल, सांगली।
16. श्री सिद्धेश्वर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर।

मणिपुर

1. रीजनल मेडिक कालेज, इम्फाल।

मेघालय

1. सर्जन सुपरिटेंडेंट-कम-जायंट डायरेक्टर हैल्थ सिविल हास्पिटल, शिलांग।

उड़ीसा

1. एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज हास्पिटल, बरहमपुर।
2. वी.एस.एस. मेडिक कालेज अस्पताल, बुरला (साम्बलपुर)
3. ए.एच. कैंसर अनुसंधान क्षेत्रीय केन्द्र एवं उपचार सोसाइटी, कट्टक

पांडिचेरी

1. जिपमेर, धनवन्तरी नगर

पंजाब

1. एस.जी.टी.बी. अस्पताल, अमृतसर
2. सी.एम.सी. अस्पताल, लुधियाना
3. एम.डी.ओ. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, लुधियाना।
4. जी.एम.सी. एवं राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला।

राजस्थान

1. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अजमेर
2. एम.पी.एम.सी. एवं पी.बी.एम.जी. अस्पताल, बीकानेर
3. एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर
4. एस.एन.एम.सी. अस्पताल, जोधपुर
5. आर.एन.टी.एम.सी. एवं ए.जी. अस्पताल, उदयपुर

तमिलनाडु

1. क्रिश्चियम कैंसर केंद्र, अम्बीलिकई
2. वी.एन. कैंसर केन्द्र, कोयम्बतूर
3. गवर्नमेंट अरिगनार अन्ना स्मारक अस्पताल, कारामेटई
4. कैंसर संस्थान, मद्रास
5. डा. के.आर. दोरायस्वामी स्मारक कैंसर केन्द्र, मद्रास
6. गवर्नमेंट स्टान्ले अस्पताल, मद्रास
7. बर्नार्ड रेडियोलाजी एवं आनकलाजी संस्थान, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मद्रास
8. डा. राय स्मारक कैंसर संस्थान, मद्रास
9. डा. राय स्मारक कैंसर संस्थान, मद्रास
10. आई.ओ.जी. गवर्नमेंट महिला एवं बाल अस्पताल, मद्रास
11. गवर्नमेंट रोयापूटा अस्पताल, मद्रास
12. तमिलनाडू अस्पताल, मद्रास
13. अपोल्ला अस्पताल इन्टरप्राइज लिमिटेड, मद्रास
14. गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल, मदुरई
15. मीनाक्षी मिशन अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मदुरई
16. अन्तरर्राष्ट्रीय कैंसर केन्द्र, नियोर
17. जी.वी.एन. कैंसर केन्द्र, त्रिचुरापल्ली
18. सी.एम. कालेज एवं अस्पताल, वेलोर

त्रिपुरा

1. कैंसर अस्पताल, अगरतला

उत्तर प्रदेश

1. एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा
2. जे.एन. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अलीगढ़
3. के.एन. स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद
4. केशलता कैंसर हास्पिटल, बरेली
5. हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गोरखपुर
6. जे.के. कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर
7. के.जी. मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, लखनऊ
8. संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुएट इंस्ट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ
9. लाला लाजपत राय मैमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ.
10. इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

पश्चिम बंगाल

1. बी.एस. मेडिकल कालेज हास्पिटल, बांकुरा
2. एस.एस.के.एम. एंड पी.जी. इंस्टीट्यूट, कलकत्ता
3. चितरंजन नैशनल कैंसर रिसर्च सेंटर कलकत्ता
4. मेडिकल कालेज हास्पिटल, कलकत्ता
5. आर.जी.आर. मेडिकल कालेज हास्पिटल, कलकत्ता
6. एन.आर.एस. मेडिकल कालेज हास्पिटल, कलकत्ता
7. कैंसर सैंटर एंड वेलफैयर होम, कलकत्ता
8. नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, दार्जिलिंग।

कर्नाटक

1. क्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, सैंट जान मेडिकल कालेज; शारजापुर रोड, मंगलौर।

मध्य प्रदेश

1. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ हैड एंड नैक आन्कोलॉजी, इंदौर

विवरण ॥

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	सेवा/योजना	1993-94	1994-95	1995-96
1.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र	715.00	675.00	810.00
2.	ऑनकोलॉजी विंग का विकास	530.00	783.95	150.00
3.	कोबाल्ट थिरेपी	500.00	208.00	521.00
4.	जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना	55.00	95.00	90.00
5.	गैर सरकारी संगठन (जल्दी पहचान एवं जागरूकता के लिए)	15.31	37.50	27.50
	कुल	1815.31	1799.45	1598.50

[हिन्दी]

संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत जारी धनराशि

234. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जनवरी, 1997 तक संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी.एल.सी.) के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) पिछले तीन वर्षों और जनवरी, 1997 तक जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए संपूर्ण साक्षरता अभियानों को प्रदान की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) शिक्षा विभाग ने संपूर्ण साक्षरता अभियानों की स्थिति तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रोफेसर अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस दल की रिपोर्ट के प्रमुख अंश निम्नलिखित हैं:-

सफलताएं

- कार्यक्रम की अपेक्षा आन्दोलन पर अधिकाधिक बल।
- महिलाओं पर अत्यधिक असर।
- जाति तथा सांप्रदायिक सद्भावना के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग उत्पन्न हुई।
- न्यायोचित तथा मानवोचित समाज के विकास के लिए सक्रियता से विचार किया गया।
- अधिकारी तंत्र को संप्रेरित किया जाना।
- साक्षरता को राष्ट्रीय कार्य-सूची में शामिल किया जाना।

विफलताएं

- कुछ स्थानों में बिना पूर्व तैयारी के संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए जिससे इसके स्तर में गिरावट आयी।
- अधिकारी तंत्र की मनमानी कुछ स्थानों में।
- सतही तौर पर प्राप्त की गई साक्षरता निरक्षरता में परिवर्तित हो सकती है।
- कुछ अभियान बिना पर्याप्त तैयारी के शुरू किए गए।
- उत्तर प्रदेश तथा बिहार में साक्षरता की प्रगति निराशानजक और संदिग्ध है।
- शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की कम प्रगति हुई।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (जनवरी, 1997 तक) के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियानों को प्रदान की गई राज्यवार केन्द्रीय अनुदान राशि

(राशि रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97 (जनवरी तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17,19,74,500	11,06,93,000	6,11,50,000	63,40,000
2.	असम	25,00,000	10,14,67,000	2,48,70,000	26,55,000
3.	बिहार	8,74,08,000	13,11,00,000	16,76,73,000	1,83,00,000
4.	चंडीगढ़	18,00,000	-	-	11,50,000
5.	दमन और दीव	1,40,000	-	-	-

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	55,43,000	56,53,000	2,98,44,000	–
7.	गुजरात	8,35,55,000	5,83,30,000	35,00,000	1,90,00,000
8.	हरियाणा	1,81,05,000	2,32,42,000	1,41,43,000	3,00,000
9.	हिमाचल प्रदेश	64,67,000	92,87,000	11,14,000	31,08,000
10.	जम्मू और कश्मीर	25,00,000	25,00,000	1,00,00,000	30,00,000
11.	कर्नाटक	14,94,83,000	8,16,45,000	1,40,83,000	66,84,000
12.	केरल	1,00,00,000	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	11,60,99,000	25,11,99,010	6,90,20,880	1,56,33,000
14.	महाराष्ट्र	6,77,27,000	5,58,03,000	7,17,77,000	82,14,000
15.	मेघालय	–	–	94,65,000	–
16.	उड़ीसा	4,32,38,000	4,22,95,000	6,27,05,000	37,00,000
17.	पंजाब	25,00,000	2,61,34,000	3,44,47,000	1,00,00,000
18.	राजस्थान	5,01,97,000	13,37,24,000	14,23,36,000	8,97,10,000
19.	तमिलनाडु	9,26,00,000	11,51,53,000	9,64,82,250	15,00,000
20.	त्रिपुरा	2,22,45,000	–	–	–
21.	उत्तर प्रदेश	22,12,88,500	23,44,43,461	15,04,44,000	2,76,22,000
22.	पश्चिम बंगाल	5,38,65,000	13,53,12,500	2,38,00,000	40,00,000

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध

235. श्री तारीक अनवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 55(19) में शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशनें करने की मनाही की गई है। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टी-72 युद्धक टैंक का निर्माण

236. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवडी हैवी व्हीकल्स कारखाना मुख्य युद्धक टैंक टी-72 का निर्माण केवल 35 प्रतिशत क्षमता पर कर रहा है;

(ख) हैवी व्हीकल्स कारखाने की क्षमता का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मुख्य युद्धक टैंक टी-72 की आवश्यकता को आवडी कारखाने का शीघ्र उन्नयन करके पूरा करने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) सेना ने भारी वाहन निर्माण आवडी को टी-72 टैंकों के उत्पादन के लिए जो आर्डर दिए हैं वे क्षमता के लगभग 80% के लिए हैं, जिसके लिए जनशक्ति स्वीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त टी-72 टैंकों के ओवरहाल में धीरे-धीरे तेजी लाई जा रही है ताकि उपलब्ध आधारभूत संरचना की क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

(ग) और (घ) निर्माण में उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रस्तुत की गई बढ़ी हुई आवश्यकता को बजट में सम्भावित वृद्धि के भीतर पूरा किया जा सके।

राजस्थान में शिशु मृत्यु दर

237. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान में शिशुओं की उच्च मृत्यु दर से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो शिशुओं की मृत्यु दर को नियंत्रित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) वर्तमान स्वास्थ्य परिवार कार्यक्रम में सुधार लाने तथा इसे बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार से कौन सा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राजस्थान और भारत के लिए वर्ष 1995 की नवजात शिशु मृत्यु दर के अस्थायी अनुमान नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्मों पर क्रमश: 85 एवं 74 हैं।

(ख) नवजात शिशु मृत्यु दर की रोकथाम करने हेतु रोग प्रतिरक्षण, अतिसार रोग और चिरकारी श्वसनों संक्रमण का नियंत्रण, नवजात शिशु को अनिवार्य परिचर्या तथा विटामिन "ए" अल्पता के रोग निरोधन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) प्रजननात्मक और शिशु स्वास्थ्य की सेवा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार को राज्य कार्यान्वयन योजना पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। विश्व बैंक प्रजननात्मक तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत अनुमोदन तथा धन की व्यवस्था की जा रही है तथा परियोजना के जुलाई, 1997 से कार्य करने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल और डिस्पेंसरियां

238. डा. कृपासिंधु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली और अन्य राज्यों में नए अस्पताल तथा औषधालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नए अस्पताल और औषधालय खोलने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले औषधालयों और अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। सरकार का दिल्ली में और दिल्ली से बाहर निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन हैदराबाद में एक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव भी है।

(ख) निर्धारित मानदंडों के अनुसार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में कवर किए गए शहर में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का नया औषधालय स्थापित करने के लिए जिस क्षेत्र में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय स्थापित किया जाना है, उस क्षेत्र में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के 2500 कर्मचारी/पेंशनर होने

चाहिएं। किसी नए शहर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा प्रदान करने के लिए उस शहर में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ के पात्र सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों की संख्या कम से कम 7500 होनी चाहिए।

(ग) और (घ) चंडीगढ़, भोपाल और शिलांग में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा प्रारंभ करने, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल मौजूदा शहरों में और एलोपैथिक औषधालय खोलने और जिन औषधालयों में कार्य का बोझ अधिक है, उन्हें शाखाओं में विभाजित करने आदि को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा का अधिकार

239. श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'शिक्षा' को भारतीय संविधान के अन्तर्गत न्यायोचित मौलिक अधिकार में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सभा के समक्ष कानून कब तक लाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाए जाने और इसे उचित सांविधिक उपायों के माध्यम से लागू किए जाने का संकल्प किया गया है। सरकार ने इस प्रस्ताव के आशयों पर विचार करने के लिए राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्मारक

240. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्थित विशेषरूप से राज्य के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में स्थित उन प्राचीन स्मारकों के नाम क्या हैं जिनको अनुदान दिया जा रहा है; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान उन स्मारकों के रखरखाव पर किए गए व्यय का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

मानवे संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की एक सूची विवरण 1 में है।

(ग) स्मारकों के रखरखाव पर किए गए व्यय संलग्न विवरण 2 में दिये गये हैं।

विवरण 1

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची
महाराष्ट्र राज्य में

क्र.सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
		अहमदनगर जिला
1.	अहमदनगर	दामरी मस्जिद (कैंटूमेंट अहाते के भीतर)
2.	–वही–	नियामत खान के महल के समीप स्थित द्वार
3.	–वही–	बारह इमामों वाला कोटला
4.	–वही–	मक्का मस्जिद
5.	–वही–	चेंगेज खान के महल के समीप स्थित पुराना मकबरा
6.	–वही–	निजाम अहमदशाह का मकबरा
7.	बामिनी	हेमदपन्ती मंदिर
8.	दोके	दोकेश्वर गुफा
9.	भिंगदकैंटूमेंट	फरीद बाग के नाम से मशहूर भवन
10.	घोटन	जैन मंदिर
11.	वही	मल्लिकार्जुन का मंदिर
12.	जोर्वे	जरासंघ नगरी
13.	कारजात	मल्लिकार्जुन का मंदिर
14.	–वही–	नकरीकेदोल के नाम से जाना जाने वाला शिव का मंदिर

1	2	3
15.	हरिश्चन्द्रगढ़	गुफाएं एवं मंदिर
16.	कोकुमथन	पुराना मंदिर
17.	मांडव गांव कटराबाद	देवी का मंदिर
18.	मेहेकारी	सलावत खान का मकबरा
19.	पारनेर	नदी के दूसरी ओर स्थित शिव का मंदिर
20.	पेदगांव	बालेश्वर मंदिर
21.	–वही–	लक्ष्मी नारायण मंदिर
22.	रतनवाड़ी	अमृतेश्वर का मंदिर
23.	तहाकी	भवानी का तीन बलिवेदियों वाला मंदिर
24.	तिसगांव	पांव प्रस्तर द्वार
25.	टोका	देवी का मंदिर
26.	–वही–	सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर
27.	–वही–	विष्णु का मंदिर एवं इससे लगे पांच घाट
28.	दैमाबाद गांव लादगांव	दैमाबाद स्थित प्राचीन स्थल एवं अवशेष
29.	नेवासा	लाडमोद के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल
	अकोला जिला	
1.	अकोला	बाह्य शहर दीवार का दाहीहान्डा गेट
2.	–वही–	बाह्य शहर दीवार का खिड़की द्वार
3.	–वही–	बाह्य शहर दीवार के समीप की एक अन्य दीवार जो पांच पुर्ज हजरत याब के विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है और जिस पर फारसी लेख अंकित है, के दोनों ओर दक्षिण-पूर्व में 10 वर्ष से बस्तियां बसी हुई हैं।
4.	बालापुर	बालापुर जिला
5.	–वही–	डाक बंगला के निकट स्थित छतरी
6.	बाखी ताकली	भवानी का काले प्रस्तरों वाला मंदिर
7.	नारनाला	किला:
		1. आकोट गेटवे
		2. अम्बेर महल
		3.
		4. बड़ी तथा दो लघु बंदूकें
		5. महाकाली गेटवे
		6. मेघा गेटवे
		8. सिरपुर गेटवे
		9. छोटी मस्जिद
		10. तेल तथा घी को मिश्रित करने के लिए बनाया गया हौज।
8.	तुर	दो गुफाएं
	अमरावती जिला	
1.	आमेर	लाल खान गुम्बद के सामने तालाब
2.	–वही–	गुम्बद (लालखान)
3.	चिकालदा	गालीवगढ़ किला (दीवारें और पूरा क्षेत्र उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।)
4.	इलीछपुर	नवाब इस्माइल की शहरी दीवार
5.	–वही–	दुला गेट
6.	–वही–	हरीपुरा गेट
7.	–वही–	हौज काटोरा
8.	–वही–	जीवनपुरा गेट
9.	लासुर	आनंदेश्वर

1	2	3
		औरंगाबाद जिला
1.	अजंता	गुफाएं
2.	औरंगाबाद	औरंगाबाद गुफाएं
3.	–वही–	रबिया दौराणी का मकबरा (बीबी का मकबरा) (उदाहरण स्वरूप चांद मीनार)
4.	दौलताबाद	दौलताबाद किला और स्मारक
5.	ऐलोरा	ऐलोरा गुफाएं
6.	खुलादाबाद	औरंगजेब का मकबरा
7.	–वही–	मल्लिक अम्बर का मकबरा
8.	पैंठण	प्राचीन टीला
9.	पैठालरखोरा	पीठालखोरा गुफाएं
10.	वेरूल (एलोरा)	कृष्णेश्वर मंदिर, छत्तरियां और अन्य प्राचीन स्थल
11.	भोरखारदन	पुरातत्वीय स्थल और अवशेष
		भंडारा जिला
1.	पदमपुर	क्षेत्र जिसमें दो मंदिरों के प्राचीन अवशेषों जिसमें दो अलग-अलग ढेरो में भारी पत्थरों का संग्रहण निहित है, एक बाहरी उत्तर पदमपुर के निकट और दूसरा दक्षिण गणेशपुर के निकट।
2.	–वही–	गांव के उत्तर में मंदिर के अवशेष
3.	–वही–	गांव के उत्तर-पश्चिम में मंदिर के अवशेष
4.	–वही–	गणेशपुर गांव के दक्षिण के निकट स्थित मंदिर के अवशेष
5.	–वही–	मंदिर के अवशेष जिन्हें आम भाषा में नाथ बाबा कहा जाता है।
6.	प्रतापगढ़	किला
7.	पौनी	पौनी किले की घुमावदार दीवार के सभी अवशेष
8.	पौनी	प्राचीन टीला जिसके ऊपर आधुनिक जगन्नाथ मंदिर खड़ा है।
9.	–वही–	टीला जो कि हरदुलाला-की-टेकरी के नाम से जाना जाता है।
10.	फोमलगांव	कोमलेक जो कि ''तिलोता'' (फ्राइंग पेन) के नाम से जाना जाता है।
		मुम्बई शहर जिला
1.	सियोन	सियोन का समूचा पहाड़ी किला जिसके साथ इसकी एड़ी पर स्थित पहाड़ी के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं पर भवनों के सभी प्राचीन पुर्तगाली अवशेष।
		मुंबई उपनगर जिला
1.	मंडपेश्वर	प्राचीन पुर्तगाली चर्च वॉच टावर और गुफाएं
2.	कन्हेरी	बौद्ध गुफाएं
3.	कोडोंसीय	गुफाएं
4.	मजास	जोगेश्वरी गुफाएं
5.	मंडपेश्वर	गुफाएं
6.	–वही–	गुफाओं के ऊपर पुर्तगाली मठ और इसके साथ सटे हुए पहाड़ के उपर बड़ी वॉच टावर।
		बुलदाना जिला
1.	दुलगांव राजा	मोती समाध
2.	धोत्रा	तीन प्राचीन मंदिर

1	2	3
3.	फतेहखेलदा	मस्जिद
4.	कोठाली	दो प्राचीन मंदिर
5.	लोंनार	धर्मशाला जिसे आम भाषा में छात्रा कहा जाता है।
6.	–वही–	पंद्रह मंदिर
7.	–वही–	गेयमुख मंदिर और तालाब
8.	–वही–	दैत्य असूदन का गेयमुख मंदिर सं.1
9.	–वही–	टाउन के पूर्व में चौरस कुंड
10.	–वही–	दैत्यसूदन का मंदिर
11.	मेखर	टाऊन के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित धर्मशाला
12.	रोहीनखेड़	मस्जिद
13.	साकेगांव	महादेव मंदिर
14.	सतगांव	विष्णु का मंदिर, इस मंदिर के पूर्व में प्राचीन मंदिर के अवशेष और लघु मंदिर के अवशेष
15.	सिंघखड़े	तालाब
16.	–वही–	महादेव मंदिर
17.	सिंघखडे	राजा लाखूजी जाधवरॉव की छत्तरी
		बीद जिला
1.	उक्काड पिम्परी	उक्कादेश्वर और महादेव मंदिर
		चंदा जिला
1.	अरमोरी	प्राचीन मंदिर
2.	अरसोड़ा	पत्थर परिमंडल
3.	बल्लारपुर	किले की दीवार
4.	बंधक	किला
5.	–वही–	बद्रनाथ मंदिर के एकदम पूर्व की सीध में विशाल जर्वा टीला जिसमें मंदिर के अवशेष हैं और बहुत बड़े पत्थर की नक्काशी किए हुए शिलाखंड और गणेश की मूर्ति है।
6.	–वही–	पांडवों की गुफा जिसमें तीन मूर्तियां हैं।
7.	चामुर्सी	बीस शवगृहों अथवा किस्तावीन्स का समूह।
8.	चंदा	अहाते के अन्दर अंकलेश्वर मंदिर और अन्य लघु मंदिर।
9.	–वही–	शहर के अंकलेश्वर गेट के थोड़ा सा बाहर गोंड राजा के गुम्बद का अहाता और भवन
10.	–वही–	किले की दीवार
11.	–वही–	16 विशाल पत्थर की मूर्तियों वाली लालपीठ मोनोलिथ
		1. अन्नपूर्णा
		2. भीम
		3. फिश
		4. गंगा
		5. गंगा
		6. गणपति
		7. हनुमान
		8. हनुमान
		9. काली
		10. महादेव
		11. हनुमान
		12. महादेव
		13. नंदी
		14. रावण
		15. सांप
		16. कछुआ

1	2	3
12.	चंदा	नगर निगम कार्यालय के समीप महादेव मंदिर
13.	–वही–	महाकाली मंदिर
14.	चुरूल	केशवनाथ मंदिर
15.	देवतेक	प्राचीन मंदिर
16.	धनोरा	हेमादपंथी मंदिर जिसमें दत्तआर्य, महादेव और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां निहित हैं।
17.	घुत्तकला	प्राचीन पुल
18.	–वही–	चंडीका देवी का प्राचीन मंदिर
19.	झारापापरा	शैलगुफाएं
20.	खचेरा	महादेव मंदिर
21.	महादवारा	महादेव मंदिर
22.	मरकंद	मंदिरों का समूह
23.	गरमागांओ	टीपागढ़ का किला
24.	मेरी	महादेव मंदिर
25.	निमधेंला वन	रामदीगी मंदिर और रामदीगी तालाब
26.	पालीबरास	प्राचीन हेमादपंथी मंदिर
27.	राजगढ़	प्राचीन महादेव मंदिर
28.	थानेगांव	विशाल मंदिर
29.	वेरगढ़	किले की दीवार
30.	–वही–	भंडारेश्वर दीवार
	धुलिया जिला	
1.	बलसाना	मठ
2.	–वही–	सर्वेक्षण सं. 141 पर लघु मंदिर
3.	–वही–	दुर्गा मंदिर
4.	–वही–	शिव मंदिर
5.	–वही–	सर्वेक्षण सं. 418 में शिव मंदिरों के दायीं तरफ का मंदिर
6.	–वही–	सर्वेक्षण सं. 418 में उपर्युक्त के सामने मंदिर
7.	–वही–	सर्वेक्षण सं. 141 में दुर्गा मंदिर और मठ के बीच मंदिर
8.	भामेर	ध्वस्त किले और गुफाओं में प्राचीन रास्ते
9.	थालनेर	सात मुस्लिम गुम्बद
10.	–वही–	तीन मुस्लिम गुम्बद
11.	प्रकाश	प्राचीन स्थल और अवशेष
	जलगांव जिला	
1.	बाहल	प्रवार की गांधी के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टोला एवं स्मारक
2.	चंगदेव	चंदादेव मन्दिर
3.	दिघी	देबी तथा संभा का मन्दिर
4.	पाटन	महेश्वर मंदिर
5.	–वही–	चंडिका देवी का मंदिर
6.	–वही–	नागार्जुन का मंदिर
7.	–वही–	श्री नारगर चाउदी का मंदिर
8.	संगमेश्वर	महादेव मंदिर
9.	वाघली	भुधाई देवी का मंदिर
10.	–वही–	उत्तरी दीवार के भीतर की ओर बनाई गई तीन अभिलेखयुक्त पट्टियों वाला सिद्धेश्वर का पुराना मंदिर
11.	टेकवाड़ा	प्राचीन स्थल एवं अवशेष
	कोलाबा जिला	
1.	अचलोली	सोंगद
2.	अगरकोट	कैथेड्ल

1	2	3
3.	–वही–	चेपुल का चौभुर्जी महल अथवा फैक्टरी
4.	–वही–	अगस्ताइनियनों का चर्च तथा कावेंट
5.	–वही–	डोमिनियन चर्च तथा कान्वेंट
6.	–वही–	जेसूत मठ
7.	–वही–	कोठी
8.	–वही–	एक बुर्ज
9.	–वही–	संत प्रासिस जेवियर वैपल
10.	अगरकोट	सतखानी संत बारबारा की मीनार
11.	–वही–	दो द्वार पोर्ट्र डा मार तथा पोती डा टेरा
12.	अलीबेरा	हीराकोटा का पुराना किला
13.	–वही–	कोलाबा किला जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।
		1. मानिक चावड़ा
		2. नानीसाहिब का महल
		3. नार्थ कॉजवे
		4. पदमावत तीर्थ मंदिर
		5. अपसराओं वाला जलाशय
		6. सजी कोट
		7. भवानी तीर्थ मंदिर
		8. मारूती तीर्थ मंदिर
		9. यक्षबंतादारी तीर्थ मंदिर
		10. साउथ कॉजवे
		11. तलघर
		12. बापदेव का मंदिर
		13. गनपती-पान-चायतन का मंदिर
		14. गुलबाई अथवा महिषासुरी मंदिर
		15. कनोबा का मंदिर
		16. महादेव का मंदिर
		17. बोरलाबाड़ा
		18. एक मुस्लिम संत का मकबरा
14.	अम्बीवली	गुफा
15.	बीरवादी	वीरवादी किला
16.	चेयूल	बारबर का महल
17.	–वही–	दादर (सीढ़ियां)
18.	–वही–	कमान (मेहराव)
19.	–वही–	मस्जिद
20.	–वही–	राजकोट
21.	–वही–	आंग्रे का मकबरा
22.	–वही–	नाचती लड़कियों का वाड़ा
23.	धपाला	चंद्रगढ़
24.	घारापुरी	एलीफेंटा गुफाएं
25.	घेरा सुरगढ़	घेरागढ़ अथवा सुरगढ़ का किला
26.	घोसाले	घोसालगढ़ किला
27.	कादासरी कंगोरी	पुराना किला जिसमें भगवान कंगोरमल का मंदिर एवं दो हौज हैं
28.	गोमाशी	बौद्ध गुफा
29.	कादासारी लिंगाना	रायगढ़ जिले के निकट एक प्रपाती पहाड़ी जिस पर एक शैलकृत कुंड है। इसका आम तौर पर बंदियों के लिए जेल के रूप में प्रयोग होता था।
30.	कोल	गुफाएं

1	2	3
31.	–वही–	सर्वेक्षण सं. 49 तथा 86 की गुफाएं
32.	कोंधाने	गुफाएं
33.	कोरलाई	पुराना किला
34.	कुडा	गुफाएं
35.	मेधे	अवचितगढ़
36.	मुसद	कासा किला
37.	नादसुर	धनाला गुफाएं
38.	नागोथना	नागोथना पुल
39.	नेनावली	खड़सामला गुफाएं
40.	पावढ़	चार मीनारों वाली जीजामाता की समाधि
41.	–वही–	चार जीर्ण मकानों तथा एक प्रस्तर दीवाल से घिरे तीन कुओं वाला जीजामाता का बाड़ा
42.	पाला	गुफाएं
43.	पे.	कोटाली किले के समीप स्थित गुफा
44.	–वही–	दो लौह तोपों तथा एक पीतल की तोप वाला कोटाली किला
45.	राजपुरी	जंजीरा किला
46.	–वही–	खोकरी नाजिक गुम्मज स्थित मकबरे (खोकरी गुम्मज)
47.	रायगढ़	रायगढ़ का किला
48.	तला	तला का किला
49.	धारनपुरी	एलीफेंटा द्वीप स्थित ईंटों का बना प्राचीन स्तूप
	कोल्हापुर जिला	
1.	खिदराजपुर	कोपेश्वर मंदिर
2.	कोल्हापुर	ब्रह्मपुरी स्थित प्राचीज स्थल
3.	पनहला	पनहला किला 1. अम्बरखाना 2. आन्ध्र वाव 3. धर्मा कोठी 4. नटर्कित्वा सज्जा 5. तटबन्दी सहित बेसिन 6. तीन दरवाजा 7. वाग दरवाजा
4.	पाहाता	बौद्ध गुफाएं
	नागपुर जिला	
1.	भिगढ़	पहाड़ी पर पुराने किले के अवशेष
2.	डोंगरतल	किला
3.	घोगड़ा	महादेव का मन्दिर
4.	घोरार	प्रस्तर वृत्त
5.	जूनापानी	–वही–
6.	मनसर और खेड़ी	प्राचीन बौद्ध अवशेष, जिनमें मठ, स्तूप, चट्टानों से काटे गए शिलालेख इत्यादि शामिल हैं।
7.	निलधो	प्रस्तर वृत्त
8.	रामटेक	काली माता का मन्दिर
9.	रामटेक	रामटेक पहाड़ी के अन्तिम भाग में स्थित पश्चिमी पहाड़ी पर बहुत पुराने देवमन्दिर के अवशेष जिसमें मन्दिर के द्वारमण्डप के कुछ भाग और विष्णु के त्रिविक्रम अवतार की अंग-भंग मूर्ति शामिल है।
10.	–वही–	दत्तायां के मन्दिर के सामने टैंक और मण्डपे।
11.	टकलघाट	प्रस्तर मंडल

1	2	3
		नान्देड़ जिला
1.	महूर गांव	ब्रामनी गुफाएं जिन्हें स्थानीय रूप से पाण्डवलेना जाना जाता है।
		नासिक जिला
1.	अम्बे गांव	हिन्दू मन्दिर
2.	अजनमेरी	पुराना मन्दिर
3.	अकई	गुफाएं
4.	देवथान	हिन्दू मन्दिर
5.	नासिक	पुरानी मटीची गढ़ी
6.	पथरडी	पाण्डव लेना गुफाएं
7.	सिननार	ऐश्वर का मन्दिर
8.	–वही–	गोण्डेश्वर महादव का मन्दिर
9.	त्रिम्बक	त्रिम्बकेश्वर मन्दिर
10.	त्रिगलवड़ी	जेना–गुफाएं
11.	जोडगा	महादेव के हेम्दार्पटी मन्दिर
		पूना जिला
1.	अयर	हब्शी गुम्बज के निकट स्थित छोटी दरगाह
2.	बेदसा	गुफा मन्दिर एवं अभिलेख
3.	भाबा	–वही–
4.	घाटगढ़	नानापास स्थित गुफाएं एवं अभिलेख
5.	जुन्नार	गुफा मन्दिर एवं अभिलेख
6.	–वही–	शिवनेरी का किला
7.	–वही–	हब्शी गुम्बज
8.	कार्ले	गुफा मन्दिर एवं अभिलेख
9.	खेड़	ताता तथा जलद्वारों वाला प्राचीन बांध

1	2	3
10.	–वही–	दिलवर खान की मस्जिद
11.	खेड़	दिलवर खान का मकबरा
12.	लोहगढ़	किला
13.	गालसिराज	भुलेश्वर महादेव मन्दिर
14.	पूना	भामबुद्धी का गुफा मन्दिर
15.	–वही–	शानवार वाड़े का नाम से प्रसिद्ध पुराना किला
16.	–वही–	पुरानी यूरोपीय कब्र
17.	राजमाची	किला
18.	सेलारवाडी	उत्खनन एवं अभिलेख
19.	वीसापुर	किला
		रत्नगिरी जिला
1.	दाभोल	मस्जिद
2.	दपोली	शैलकृत गुफाएं (गणेलेजा समूह)
3.	हारनाई	सुवर्णा दुर्ग किला
4.	जयगढ़	जयगढ़ किला
5.	मालवां	सिधदुर्ग किला
6.	विजयदुर्ग	विजयदुर्ग किला
		सिंगली जिला
1.	खानापुर	मुहम्मद तुगलक की मस्जिद
		सतारा जिला
1.	जखिन्दवड़ी	बौद्ध गुफाएं
2.	काराड	पत्त का कोट या खुला स्थान प्राप्त किया
3.	पुराना महाबलेश्वर	कृष्णा नदी का पुराना मंदिर
4.	पल्टन	ज्ञबरेश्वर महादेव मंदिर
		शोलापुर जिला
1.	घोडेश्वर्	बेगामी का मकबरा

1	2	3
2.	मच्नुर	औरंगजेब का किला
3.	–वही–	श्री सिद्धेश्वर का पुराना किला (संड़जे युक्त प्रागंण सहित)
4.	महालंग	उपनिवेश सहित (कुएं के दक्षिण की ओर)
5.	–वही–	महादेव का हेमदपष्टी
6.	–वही–	विदोभा का हेमदपष्टी मंदिर
7.	–वही–	हेमदपष्टी कुआं
8.	–वही–	महादेव शिलाएं
9.	–वही–	देवी का मंदिर (येमाई)
10.	शोलापुर	पुराना किला
11.	वेलापुर	दोनों दिशाओं की ओर वीरागल शिलाओं सहित द्वारमार्ग और पुराना मुरारी मंदिर
12.	–वही–	पुरानी दोहरा देवमंदिर
13.	–वही–	पुराना मंदिर और वीरागल या मूर्ति स्मारक शिलाएं
14.	–वही–	सरकरवदा में पुराना मंदिर स्थानीय रूप से विख्यात पारसनाथ मंदिर
15.	वेलापुर	हरनरेश्वर का मंदिर और अर्द्धनारीनटेश्वर एक हेमदापष्टी टैंक (लघु वर्गाकार कुण्ड) और प्रांगण में रखी गयी वीरागल शिलाएं।
		थाना जिला
1.	अम्बरनाथ	अम्बरनाथ का मंदिर
2.	अरनाला	किला
3.	बसाइन	किला एवं पुराने पुर्तगाली अवशेष
4.	बेलिंज	अमराला गांव से बेलिंज तक की सड़क के पश्चिम किनारे पर स्थित हौज
5.	गास	"सोनार भाट" के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध टीला
6.	खुनावाड़ा	बरद पहाड़ी की गुफाएं
7.	महुली	महुली किला
8.	मानदेस	बुरूद कोट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध टीला
9.	पोलू सोनाला	ब्राह्मणी गुफाएं
10.	वाड़ा	उत्कीर्ण प्रस्तर
		वर्धा जिला
1.	पौनार	किला
		येओत्वाल जिला
1.	नेइर	महादेव का हेमादपंथी मंदिर
2.	पांधारदेव	भगवान पांधारदेवी का मंदिर
3.	पाथ्रोट (महागांव)	कमलेश्वर का मंदिर
4.	रूट स्वागों	महादेव मंदिर
5.	रुई	महादेव मंदिर
6.	टपोरा	श्री महादेव का हेमादपंथी मंदिर
7.	येलाहारा	महादेव मंदिर

विवरण II

केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों पर किए गए व्यय के ब्यौरे जिनका महाराष्ट्र राज्य में विशेष मरम्मत (योजना-भिन्न) के तहत वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रख रखाव किया गया

क्र.सं.	स्मारक का नाम	किया गया व्यय (रुपयों में)
1.	घृष्णेश्वर मन्दिर तथा छतरी एतोरा	1,43,421
2.	कालां की गुफाएं	78,929
3.	नालासोपारा	89,082
4.	शोलापुर का किला	53,603
5.	जंजीरा किला	71,382
	कुल	4,36,415

केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों पर किए गए व्यय के ब्यौरे, जिनका महाराष्ट्र राज्य में विशेष मरम्मत (योजना-भिन्न) के तहत वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रखरखाव किया गया

क्र.सं.	स्मारक का नाम	किया गया व्यय (रुपए में)
1	2	3
1.	अजंता एलोरा विकास परियोजना के तहत इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर	65224.00
2.	उत्खनित अवशेष (पश्चिम-भाग) मंसूर	41625.00
3.	अजंता गुफाएं	843869.70
4.	चगंदेव मंदिर	403455.25
5.	पितलखोरा गुफाएं	195250.00
6.	गोंडेश्वर, त्रिम्बाकेश्वर के प्रकाश कंडक्टकर का स्थानांतरण	180212.00
7.	अजंता गुफाओं की अजंता/एलोरा विकास परियोजना के तहत टुबुतर स्कैफोल्डिंग प्रणाली	153027.00
8.	-वही- एलोरा गुफाएं	172227.00
9.	-वही- दौलताबाद किला	162627.00
10.	-वही- मकबरा, औरंगाबाद	162627.00
11.	प्राचीन स्थित-मंसर	210675.00
12.	विश्व दाय-एलिफंटा	1581.00
13.	विश्व दाय-अजंता	2000.00
14.	-वही- एलीफेंटा गुफाएं	12577.00
15.	शिव मंदिर, अम्बेरनाथ	118005.00
16.	कन्हेरी गुफाएं	176815.00
17.	बीबी-का-मकबरा	158882.00
18.	1 से 5 नं. की गुफाएं, औरंगाबाद	104118.00
19.	बराइन किला	109988.00
20.	बारबेड तार की बाड़ तथा चैनलिंक लगाना, एलोरा	944759.00
21.	गुफा न. 17 में ट्रैक लाइटनिंग प्रदान करना, अजंता	85756.00
22.	गुफा नं. 1 से 32 तक तार रोड का निर्माण, एलोरा	7000.00
23.	गुफा नं. 3 से 10 तथा 1, एलोरा	17790.00
24.	पितलखोरा गुफाएं	17822.00
25.	दीवाल का संरक्षण एवं रेलिंग एसीफेंटा गुफाएं	321516.50
26.	किला दीवाल तथा गेट पौनी	41127.00
27.	किला दीवाल तथा गोंड राजाका मकबरा	99433.00
28.	मार्कण्डादेव मंदिर	168239.80
	कुल रु.	2643939.30

वार्षिक मरम्मत (गैर-योजना) के तहत वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर किए गए व्यय के ब्यौरे दिए गए हैं।

क्र.सं.	स्मारक का नाम	किया गया व्यय (रुपए में)
1.	अजंता गुफाएं	2,44,553
2.	दौलताबाद किला	2,12,52
3.	एलोरा गुफाएं	1,76,276
4.	पातातेश्वर गुफाएं	40,908
5.	गुफाएं 6 से 1 औरंगाबाद	38,750
6.	विभिन्न स्मारकों में लाइटनिंग कंडक्टर	8,250
7.	घ्रिश्नेश्वर मंदिर	5,637
8.	पितलखोरा गुफाएं	395
9.	गुफाएं 1 से 5 तक ए. बाद	34,245.50
10.	थाट्टे नहर, औरंगाबाद	17,470
11.	बीबी-का-मकबरा	1,52,198.50
12.	मल्लिकार्जुन मंदिर	7,540.00
13.	कार्ले गुफाएं	4,340.00

क्र.सं.	स्मारक का नाम	किया गया व्यय (रुपए में)
14.	रायगढ़ किला	8,755
15.	शिवनेरी किला	5,972
16.	सिंधदुर्ग किला	6,297
17.	शानीवारवाड़ा, पूना	17,150
18.	एलीफेंटा गुफाएं	14,989
19.	पार्डवलेना गुफाएं	6,140
20.	मंसूर का स्मारक	7,191
21.	गोंडराजा का मकबरा	7,614
22.	मार्कण्डादेव मंदिर	7,209
23.	प्राचीन स्थल, पैठज	2,350
24.	सातपेठ, उत्कीर्ण शैल	4,969
25.	बाल्तारन किला	1,287
26.	महाकाली मंदिर	1,543
27.	मांडक का स्मारक	1,195
28.	अंकाई गुफाएं	1,754
29.	सीयन किला	8,059
30.	कन्हेरी गुफाएं	8,731
31.	पनहातेकाजी गुफाएं	2,970
32.	मलिक अम्बर का मकबरा	933
33.	वैसाइन किला	6,121
34.	टालासोपारा	2,430
35.	वाघाती का स्मारक	788
36.	प्राचीन स्थल, बाहल	48
37.	पाटन स्थित स्मारक	3,507
38.	कुदा की गुफाएं	60
39.	जंजीरा किला	2,835
40.	शेलारवाड़ी गुफाएं	527
41.	सलाबत डाज का मकबरा	1,575
42.	सोलापुर किला	2,025
43.	हरिचंद्रगढ़ स्थित स्मारक	143
44.	पनहाला किला	874
45.	बेदसा गुफाएं	2,704
46.	जुन्नेर स्थित स्मारक	2,417
47.	नटेश्वर मंदिर	1,490
48.	शिव मंदिर, अम्बेरनाथ	1,485
49.	कोंडीवार्ते गुफाएं	1,646
50.	जोगेश्वरी गुफाएं	3,910
51.	गोंडेश्वर मंदिर	1,208
52.	बेगमी मकबरा, जिला-सोलापुर	2,785
53.	सिद्धेश्वर मंदिर	2,820
54.	वेदसा गुफाएं	98
55.	भुलेश्वर मंदिर	91
56.	भाजा गुफाएं	127
57.	बातापुर किला	4,497
58.	पौनी स्थित स्मारक	780
		11,25,199.00

[अनुवाद]

दिल्ली छावनी बोर्ड में अनियमितताएं

241. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली छावनी बोर्ड में अनियमितता बरते जाने और भ्रष्टाचार के बारे में बोर्ड के एक सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) से (ग) दिल्ली छावनी बोर्ड के सदस्यों से बोर्ड की अनियमितताओं और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में निम्नलिखित तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:-

(1) दिल्ली, छावनी के छावनी कार्यपालक अधिकारी के अवैध और विधि विरुद्ध कार्यों के बारे में श्री अनिल मित्रर का 4.8.96 का पत्र।

(2) छावनी कार्यपालक अधिकारी और छावनी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के अवैध और कदाचारपूर्ण कार्यों के बारे में श्री छन्नू मल का 14.9.96 का पत्र।

(3) 2 फरवरी 1997 को हुए छावनी बोर्ड के चुनावों में छावनी कार्यपालक अधिकारी और छावनी बोर्ड के स्टाफ की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में श्री विमल चौधरी का 17.1.97 का पत्र।

उपर्युक्त अभ्यावेदनों में लगाए गए आरोपों की रक्षा सम्पदा महानिदेशक द्वारा जांच की गई है परन्तु छावनी कार्यपालक अधिकारी अथवा छावनी बोर्ड के अध्यक्ष किसी के भी विरुद्ध कुछ भी अनियमित नहीं बताया गया है।

असम में नवोदय विद्यालय

242. **डा. अरूण कुमार शर्मा :**
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन असम में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों को कब तक खोला जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) नवोदय विद्यालय समिति का प्रयास असम सहित देश के प्रत्येक जिले में शीघ्रातिशीघ्र एक नवोदय विद्यालय खोलने का है, जो कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से समिति के मानदंडों के अनुसार 30 एकड़ नि:शुल्क भूमि, किरायामुक्त अस्थाई आवास और अन्य आधारभूत सुविधाओं की पेशकश के साथ उपयुक्त प्रस्तावों और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

कोट्टापुरम-कोल्लम जलमार्ग-तीन

243. **श्री एन. के. प्रेचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोट्टापुरम-कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग-तीन के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) इसमें से उपरोक्त जलमार्ग के विकास कार्यों के लिए गत वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल कितना धन व्यय किया गया था;

(ग) जलमार्ग के विकास के लिए निर्धारित पूरी धनराशि के उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण थे; और

(घ) परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनम जी. वेंकटरामन): (क) 10.50 करोड़ रु.।

(ख) वर्षवार बजट आबंटन और व्यय नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटन	व्यय
1992-93	1.50	0.10
1993-94	3.00	0.70
1994-95	1.00	0.89
1995-96	1.00	0.97
1996-97	4.00	1.03*
	10.50	3.69

*जनवरी, 1997 तक।

(ग) यह जलमार्ग वित्त वर्ष 1992-93 के अंत में (फरवरी, 1993) राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। वर्ष 1993-94, इस राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रथम वर्ष था। संगठन की स्थापना, क्षेत्र जांच-पड़ताल और सर्वेक्षण, पर्यावरण संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन, पर्यावरण प्रबंधन योजना संबंधी अध्ययन आदि जैसे प्रारंभिक उपाय किए

गए। बाद के दो वर्षों के दौरान व्यय, आबंटन का क्रमशः 89% और 97% था।

(घ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पूर्ण विलम्बित सभी स्कीमें तैयार करने के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं। प्राधिकरण ने अनेक स्कीमें प्रक्रियानुसार पहले ही अनुमोदित कर दी हैं। भूमि अधिग्रहण और कैपिटल निकर्ष से संबंधित दो मुख्य स्कीमों पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान

244. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में अनेक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, नहीं। अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ में स्थित 4 भारतीय प्रबंध संस्थान हैं और सरकार ने दो नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की कालीकट और इन्दौर में स्थापना के लिए अभी हाल में अनुमोदन दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी अधिकारियों की जासूसी गतिविधियां

245. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य आसूचना अधिकारियों द्वारा हाल ही में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को भारतीय सेना के एक अधिकारी के साथ उसकी तथाकथित जासूसी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सेवा सैन्य आसूचना की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) 28-29 सितम्बर, 1996 की रात में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को रक्षा संबंधी दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चूंकि वह कर्मचारी अपने पद के कार्यों से भिन्न कार्य में संलिप्त पाया गया इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से उस कर्मचारी को 2 अक्टूबर, 1996 तक भारत से वापस बुलवाने की मांग की। पाकिस्तानी कर्मचारी ने 2.10.96 को भारत छोड़ दिया।

मंत्रियों के विदेशी दौरे

246. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् किन-किन मंत्रियों ने विदेशों का दौरा किया है;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और प्रत्येक दौरा कितने दिन का रहा;

(ग) इन दौरों पर रुपये में तथा विदेशी मुद्रा में कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) मंत्रियों के साथ इन दौरों पर गए व्यक्तियों पर कितना व्यय हुआ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि

247. श्री येल्लैया नंदी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने, निजी भागीदारी बढ़ाने और वाहन पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करने इत्यादि हेतु एक दीर्घकालिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इस योजना के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सड़क क्षेत्र में निवेश संबंधी योजना में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने संबंधी एक संशोधित संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 1988 में पारित किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन अभी सरकार के पास विचाराधीन है। जहां तक निजी सहभागिता का संबंध है, सरकार ने हाल ही में सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कतिपय उपाय किए हैं। निजी क्षेत्र द्वारा परियोजनाएं शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वाहन

पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई दीर्घकालिक कार्य नीति नहीं है।

उत्प्रवास-रैकेट

248. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "टाउट्स वुड रादर सी इमिगरेट्स डाइ दैन रिटर्न" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उत्प्रवास-रैकेट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस लेख में वर्णित इस प्रकृति के कदाचार से संबंधित सूचना के प्राप्त होने पर सरकार के संबंधित अभिकरण तत्काल सचेत हो जाते हैं। ऐसे अपराधों के दोषी पाए गए अपराधियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के उद्देश्य से संबंधित अभिकरण आवश्यक जांच करते हैं।

[हिन्दी]

स्वर्ण रेखा-सिंचाई परियोजना

249. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना में विस्थापित हुए सभी परिवारों को कई वर्षों बाद भी रोज़गार, मुआवजा तथा अन्य सुविधायें प्रदान नहीं की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने विस्थापित परिवारों को रोज़गार, मुआवजा तथा अन्य सुविधायें प्रदान की गयी हैं और कितने परिवार इन सुविधाओं से वंचित हैं;

(ग) उन्हें अभी तक ये सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सभी विस्थापित परिवारों को उक्त सुविधायें प्रदान कराए जाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

250. श्री वी. प्रदीप देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 दिसम्बर, 1996 से भारत के दौरे पर आए विदेशी उच्च पदाधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके साथ किस-किस विषय पर चर्चा की गई तथा उनके साथ जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने देशों का दौरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) 1 दिसम्बर, 1996 के बाद भारत की यात्रा पर आने वाले प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह प्रथा है कि भ्रमणकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने-अपने देश की यात्रा करने का निमंत्रण देते हैं।

विवरण

दिसम्बर, 1996 के बाद भारत की यात्रा पर आये विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति

क्र.सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम	विचार-विमर्श तथा सम्पन्न किए गए करारों का ब्यौरा
1.	श्री थाबो एमबेकी दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति (3-7 दिसम्बर, 1996)	द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने तथा क्षेत्री एवं अन्तर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर बातचीत हुई। निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए:- (1) दोहरे कराधान के परिहार तथा आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचन की रोकथाम से सम्बद्ध अभिसमय।

क्र.सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम	विचार-विमर्श तथा सम्पन्न किए गए करारों का ब्यौरा
		(2) सांस्कृतिक सहयोग, (3) रक्षा उपकरण के क्षेत्र में सहयोग करने से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।
2.	श्री नूरसुल्तान नजरवाएब कजाकीस्तान के राष्ट्रपति (9-11 दिसम्बर, 1996)	हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्री नजरवाएब के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। हमारे उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति श्री नजरवाएब से मुलाकात की। राष्ट्रपति श्री नजरवाएब ने हमारे राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।
3.	महामान्या शेख हसीना बंगलादेश की प्रधानमंत्री (9-12 दिसम्बर, 1996)	उनके साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण मसले शामिल थे। इस यात्रा के दौरान फरक्का पर गंगा-जल बंटवारे से सम्बद्ध तीस वर्षीय संधि सम्पन्न हुई।
4.	श्री साहबजादा याकूब खान, पाकिस्तान के कार्य-वाहक विदेश मंत्री (18-21 दिसम्बर, 1996)	सार्क मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लिया। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत की।
5.	डा. पी.सी. लोहानी नेपाल के विदेश मंत्री (18-21 दिसम्बर, 1996)	सार्क मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। अवसर का लाभ उठाते हुए पारस्परिक हित के मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए और अवसरों की तलाश करने से संबद्ध अवसरों का लाभ उठाना रहा।
6.	श्री दावा शेरिंग, भूटान के विदेश मंत्री (18-23 दिसम्बर, 1996)	-वही-
7.	श्री अबुस समद आजाद बंगलादेश के विदेश मंत्री (18-21 दिसम्बर, 1996)	सार्क मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लिया। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री के साथ भी अनौपचारिक बातचीत की।
8.	श्री फातउल्ला जमील मालदीव के विदेश मंत्री (18-21 दिसम्बर, 1996)	-वही-
9.	श्री लक्ष्मण कादिरगमर श्रीलंका के विदेश मंत्री (18-21 दिसम्बर, 1996)	-वही-

क्र.सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम	विचार-विमर्श तथा सम्पन्न किए गए करारों का ब्यौरा
10.	महामहिम डाटो डा. महाथिर बिन मोहम्मद, मलेशिया के प्रधानमंत्री (19-22. 12.96)	दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आपसी हित के मामलों के संबंध में द्विपक्षीय बातचीत संपन्न हुई।
11.	श्री एजेर वाइजमेन इजराईल के राष्ट्रपति (29-12-96 से 5-1-97)	द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, द्विपक्षीय संबंध और आगे मजबूत करने के उपायों पर विचार तथा आपसी हित के महत्वपूर्ण मसलों और प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों के विनिमय पर चर्चाएं केन्द्रीत रही। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित चार करार संपन्न हुए: (1) विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था सहित तकनीकी सहयोग से संबद्ध करार (2) एक संयुक्त उच्च-तकनीक कृषि संबंधी प्रदर्शन सहयोग परियोजना के संबंध में आशय ज्ञापन (3) औद्योगिक और प्रौद्योगकी अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग के विकास से संबद्ध अंबरेला करार और (4) 1997-99 के लिए सांस्कृतिक और सहयोग के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम से सम्बद्ध करार।
12.	श्री लायड आक्सवर्दी कनाडा के विदेश मंत्री (7 से 15-1-97)	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तथा आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सहयोग एवं परामर्श गहन करने के लिए संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति स्थापित करने के संबंध में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।
13.	श्री जान मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री (9 से 12-1-97)	द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों की तलाश करने के लिए चर्चा हुई। सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। कोयला क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ।
14.	डा. क्लोस किंकेल जर्मनी के विदेश मंत्री	द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों की तलाश करने के लिए चर्चा हुई। सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।
15.	श्री वासुदेव पाण्डेय त्रिनीडाड और टोबेगो के प्रधानमंत्री (23.1.97 से 4.2.97)	द्विपक्षीय/राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा पारस्परिक हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस यात्रा के दौरान छह करार सम्पन्न हुए। (1) तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार (2) व्यापारिक करार (3) आवास के क्षेत्र में सहयोग करने तथा सहायता देने से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन (4) त्रिनोडाड और टोबेगो में लघु उद्योगों के विकास में सहयोग करने से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन (5) भारत के विदेश मंत्रालय और त्रिनिडाड तथा टोबेगो के विदेश मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय परामर्श से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन (6) चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

क्र.सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम	विचार-विमर्श तथा सम्पन्न किए गए करारों का ब्यौरा
16.	श्री जैमे गामा पुर्तगाल के विदेश मंत्री	द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। इस यात्रा के दौरान पुर्तगाल सरकार के साथ नागर विमानन करार सम्पन्न हुआ।
17.	श्री ग्लाफोस क्लेरीडेज साइप्रस के राष्ट्रपति	द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। इस यात्रा के दौरान साइप्रस की सरकार के साथ एक व्यापारिक नौवहन से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुआ।
18.	डा. साम सुजोमा, नामीबिया के राष्ट्रपति (13 से 18.2.97)	द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर चर्चा हुई। आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में दोहरे करों से बचने और वित्तीय अपवंचन को रोकने संबंधी अभिसमय पर हस्ताक्षर हुए।
19.	महामान्या शेख हसीना, बंगलादेश की प्रधानमंत्री (14 से 16-2-1997)	"राजनीति में पुरुषों और महिलाओं के बीच भागीदारी की ओर" नामक अन्तर-संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया।
20.	श्री एरिक डेरिके बेल्जियम के विदेश मंत्री	द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के तरीके तलाश करने के संबंध में चर्चा हुई।
21.	श्री नील्स हेलवेग पीटरसेन डेनमार्क के विदेश मंत्री	-वही-
22.	श्री अबको डियोफ सेनेगल के राष्ट्रपति (16 से 19-2-97)	द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर चर्चा हुई। आर्थिक तकनीकी राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में एक संयुक्त आयोग की स्थापना से संबंध करार और सेनेगल में एक कृषि विकास परियोजना की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ।
23.	श्री इरिया काटेगाया उगांडा के प्रथम उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री	द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर चर्चा हुई।

[हिन्दी]

भारत-पोलैंड समझौता

251. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच पूंजी निवेश, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विदेशी नीति पर चर्चा करने के बारे में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत के महामहिम राष्ट्रपति की पोलैंड यात्रा के समय 7 अक्टूबर, 1996 को भारत और पोलैंड के बीच निवेश संवर्धन और संरक्षण, 1997-99 की अवधि के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रम और भारत के विदेश मंत्रालय एवं पोलैण्ड के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) (1) भारत गणराज्य की सरकार और पोलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।

इस करार पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एस. आर. बोम्मई और पोलैण्ड के विदेशमंत्री श्री दारियुस्ज रोसाती ने हस्ताक्षर किए। इसके अन्तर्गत निवेश संरक्षण हेतु पारस्परिक गारण्टी, लाभों का प्रत्यावर्तन और विवाद तय करने संबंधी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।

(2) भारत गणराज्य की सरकार और पोलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच 1997-99 की अवधि के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

इस पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एस.आर. बोम्मई और पोलैण्ड के विदेश मंत्री श्री दारियुस्ज ने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृति, कला, उच्च ज्ञान और शिक्षा, जनसंचार और खेल के क्षेत्र में सहयोग और आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है।

(3) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और पौलेण्ड गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी नयाचार।

इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) और पोलैण्ड के विदेश मंत्रालय के उपमंत्री ने हस्ताक्षर किए। इसके अन्तर्गत भारत और पोलैण्ड के विदेश मंत्रालयों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों से संबंधित क्षेत्रों में नियमत रूप से द्विवार्षिक परामर्श की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्थापित करना

252. श्री संदीपान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि की स्थापना के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव का वर्तमान स्वरूप संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आागामी पांच वर्षों में खेलकूद के विकास के लिए अन्य क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में खेलकूद के संवर्धन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय खेल विकास निधि सृजित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) वर्तमान योजनाओं के अलावा, देश में खेलकूद का संवर्धन करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए, नौवीं योजना के प्रस्तावों में विभिन्न नई योजनायें शामिल की गई हैं। इनमें ये योजनायें आ जाती हैं: विशिष्ट वर्ग के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की योजना; विभिन्न स्तरों पर अंतर-विद्यालय टूर्नामेंटों की योजना; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष योजना आदि।

पासपोर्ट रैकेट

253. श्री राम कृपाल यादव : क्या विदेश मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान, दिल्ली, मुम्बई में संपर्क रखने वले ट्रैवेल एजेंटों द्वारा सुनियोजित ढंग से चलाये जा रहे जाली पासपोर्ट रैकेट के बारे में 15 तथा 16 दिसम्बर, 1995 को "द इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या कुछ ट्रैवेल एजेंटों की क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ तथा उनके दलाल की मध्य-पूर्व देशों में भी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे पासपोर्ट रैकेट के भंडाफोड़ के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने 15 और 16 दिसम्बर, 1996 के इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों को देख लिया है।

(ख) चूंकि ये मामले प्राथमिक रूप से राजस्थान से संबंधित हैं अत: पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर को राज्य सरकार और पुलिस एजेंसियों के माध्यम से समाचारपत्रों में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था। इस जांच से दलालों और पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध प्रमाणित नहीं हो सके।

(ग) पासपोर्ट कार्यालयों में कदाचार संबंधी सभी विशिष्ट शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

वायुसेना के लिए उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान की खरीद

254. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के लिए उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों की खरीद के संबंध में वाणिज्यिक वार्ताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विमान प्रशिक्षण के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान को नौंवी योजना अवधि के दौरान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेशार्थ मानदंड

255. श्री बी. एल. शंकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में राज्यवार प्रवेशार्थ क्या नीति अपनायी गई है और इस संबंध में राज्यवार क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्तमान में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की राज्यवार प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों के छात्रों को 10 प्रतिशत अंक कम करने/विशेष अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) शैक्षिक सत्र 1995-96 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश में प्रस्तावित आरक्षण प्रदान करने के अलावा प्रवेश नीति में अतिरिक्त अर्हता अंकों के रूप में विशेष प्रावधान (अधिकतम 10% तक कम किए अंक के रूप में भी जाने जाते हैं) रखे गए हैं ताकि "अन्य पिछड़े वर्गों" और उन छात्रों के, जो देश के चुने हुए पिछड़े जिलों से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं के भविष्य में सुधार हो सके।

प्रतिशतता के साथ वर्ष 1996-97 के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश दिए गए छात्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्वविद्यालय समुदाय के सभी वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श और परामर्श करने के पश्चात, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद ने वर्ष 1995-96 से अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और पिछड़े जिलों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए अलग से विशेष प्वाईंट देना शुरू करने का निर्णय लिया है। चूंकि यह विश्वविद्यालय स्वायत्त रूप से कार्य कर रहा है इसलिए इसकी दाखिला नीतियों में निर्णय लेने के क्षेत्र में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। किसी भी मामले में इस नई पद्धति को शुरू करने के प्रभाव की आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करना अभी बहुत जल्दी होगा। सभी राज्यों में विशेष प्वाईंट दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लेने से पहले इन व्यवस्थाओं को कुछ और समय जारी रखना वांछनीय होगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल छात्र जिन्हें 1996-97 में प्रवेश दिया गया	प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	43	3.72
2.	असम	14	1.21
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–
4.	अरूणाचल प्रदेश	3	0.26
5.	बिहार	304	26.27
6.	चंडीगढ़	3	0.26
7.	दिल्ली	135	11.67
8.	गुजरात	2	0.17
9.	हरियाणा	26	2.25
10.	हिमाचल प्रदेश	7	0.60
11.	जम्मू और कश्मीर	5	0.43
12.	केरल	33	2.85
13.	कर्नाटक	14	1.21
14.	मध्य प्रदेश	19	1.64

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल छात्र जिन्हें 1996-97 में प्रवेश दिया गया	प्रतिशतता
15.	महाराष्ट्र	24	2.07
16.	मणिपुर	26	2.25
17.	मेघालय	3	0.26
18.	मिजोरम	3	0.26
19.	नागालैंड	8	0.69
20.	उड़ीसा	77	6.65
21.	पांडिचेरी	3	0.26
22.	पंजाब	10	0.86
23.	राजस्थान	35	3.02
24.	सिक्किम	–	–
25.	तमिलनाडु	32	2.76
26.	त्रिपुरा	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	179	15.47
28.	पश्चिम बंगाल	146	12.61
	(विदेशी राष्ट्रीक	3	0.26)
	योग	1157	

स्वास्थ्य सेवाएं

256. श्री के. प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विशेष कार्यक्रम तैयार किये गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उड़ीसा सहित देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तीन स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के जरिए प्रदान की जाती है। सरकार को आधारभूत ढांचे और कार्मिक शक्ति को कतिपय कमियों जिससे गुणकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रूकावट पैदा हो रही है, की जानकारी है।

(ख) क्षेत्रीय परियोजनाओं के अधीन गुणवत्ता युक्त परिचर्या में सुधार करने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं शुरू की गई हैं। देश में आदिवासियों को पूरी कवरेज प्रदान करने हेतु जहां तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रावधान का संबंध है, 26 आदिवासी जिलों को एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अधीन पूरी तरह से तथा 157 आंशिक जनजातीय जिलों को जनजातीय उप योजना द्वारा कवर किया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण एक और दो में दिया गया है।

विवरण एक

नवम्बर, 1996 तक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अधीन पूरे किए गए सांस्थानिक/आवासीय भवनों को दर्शानेवाला विवरण

क्र.सं.	दाता एजेंसी राज्य का नाम	उप केन्द्र	आवासीय क्वार्टर	प्रा.स्व. केन्द्र स्वा.के./उप.स्वा. के का सुदृढ़ीकरण	नए प्राथ. स्वा केंद्र/	स्वा.केन्द्र/ परीक्षण प्रा.स्वा.के.	प्रशिक्षण संस्थान	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. पूरी की गई परियोजनाएं									
1. विश्व बैंक									
(1)	आंध्र प्रदेश आईपीपी-II	653	956	–	14	–	6	190	1819
(2)	केरल आईपीपी-II।	760	484	27	–	–	8	156	1443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(3) कर्नाटक आईपीपी-I	694	97	–	–	–	–	65	856
	(4) -तदैव- आईपीपी-III।	700	1352	337	–	30	2	28	2449
	(5) उत्तर प्रदेश आईपीपी-I	638	–	–	–	–	–	142	780
	(6) -तदैव- आईपीपी-II	1550	635	34	42	–	1	69	2331
	(7) पश्चिम बंगाल आईपीपी-IV	722	–	–	32	14	25	306	1099
2.	**यू एन एफ पी ए**								
	(1) बिहार	166	49	–	–	–	–	97	312
	(2) राजस्थान	279	201	9	–	–	1	431	921
3.	**यू एस ऐड**								
	(1) गुजरात	480	147	7	–	–	–	50	684
	(2) हरियाणा	298	98	14	3	–	–	9	422
	(3) हिमाचल प्रदेश	137	183	21	4	–	1	28	294
	(4) पंजाब	440	140	8	–	–	–	48	636
	(5) महाराष्ट्र	421	199	7	2	–	–	27	656
4.	**ओ डी ए उड़ीसा**								
	चरण-।	1256	485	–	16	–	–	75	1832
	चरण-॥	572	544	–	17	–	7	96	1236
5.	**डेनिडा**								
	(1) मध्य प्रदेश चरण-।	396	272	–	42	–	10	112	832
	(2) -तदैव- चरण-॥	175	–	–	–	–	–	3	178
	(3) तमिलनाडु चरण-।	524	318	–	16	–	–	8	866
	(4) -तदैव- चरण-॥	362	4	–	1	–	2	–	369
6.	**आई पी पी-V**								
	(क) मद्रास	64*	–	–	–	–	–	–	64
	(ख) बम्बई	36*	–	–	–	–	–	–	36
	क. कुल	11331	6084	464	188	45	63	1940	20115

*स्वास्थ्य केन्द्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ख. चल रही परियोजनाएं								
	(1) विश्व बैंक								
	(2) आई पी पी-VI								
	(क) उत्तर प्रदेश	750	–	–	–	–	63	–	813
	(ख) आंध्र प्रदेश	599	–	–	–	–	26	23	648
	(ग) मध्य प्रदेश	344	–	–	–	–	17	–	361
	(3) आई पी पी-VII								
	(क) पंजाब	396	98	–	–	–	19	41	554
	(ख) हरियाणा	438	–	–	–	–	15	49	502
	(ग) गुजरात	532	4	–	–	–	20	34	590
	(घ) बिहार	382	–	–	–	–	45	12	429
	(ङ) जम्मू और कश्मीर	267	–	–	–	–	5	49	321
	(4) आई पी पी-VIII								
	(क) दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ख) कलकत्ता	–	–	–	–	–	–	7	7
	(ग) हैदराबाद	8	–	–	–	–	–	1	9
	(घ) बंगलौर	–	–	–	–	–	–	–	–
	(5) आई पी पी-IX								
	(क) असम	41	20	–	–	–	–	–	61
	(ख) कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ग) राजस्थान	105	–	–	–	–	–	–	105
	2. यू एन एफ पी ए								
	(क) राजस्थान	420	28	–	19	–	12	7	486
	(ख) महाराष्ट्र	400	–	–	–	–	29	–	429
	(ग) हिमाचल प्रदेश	595	4	–	44	–	1	75	719
	ख. योग	5277	154	–	63	–	252	298	6044
	क+ख महायोग	16608	6238	464	251	45	315	2238	26159

नवम्बर, 1996 तक क्षेत्रीय विकास परियोजना के अधीन स्टाफ के प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	दाइयां	ग्राम स्वा.गाइड/ सामु.स्वा.विजिटर	ए एन एम/ एल एच वी	अन्य	कुल
क. पूरी की गई परियोजनाएं (चरण-1)						
1.	आंध्र प्रदेश	3382	2850	876	275	7385
2.	बिहार	1570	5050	966	–	7586
3.	गुजरात	1196	666	1032	–	2894
4.	हरियाणा	1328	1305	–	–	2633
5.	हिमाचल प्रदेश	1787	891	360	110	3148
6.	केरल (आई पी पी-III)	–	–	1063	831	1894
7.	कर्नाटक (आई पी पी-I)	–	–	3110	75	3185
	(आई पी पी-III)	–	–	600	110	710
8.	मध्य प्रदेश	4355	5216	374	876	10821
9.	महराष्ट्र	3788	3788	438	–	8014
10.	उड़ीसा	6987	6409	1208	–	14604
11.	पंजाब	906	3426	182	–	4514
12.	राजस्थान	2452	3574	743	–	6769
13.	तमिलनाडु	4077	–	734	–	4811
14.	उत्तर प्रदेश (आई पी पी-I)	–	–	3075	689	3764
	(आई पी पी-II)	2801	5805	1576	–	10182
15.	पश्चिम बंगाल	–	–	5694	6969	12663
ख. पूरी की गई परियोजनाएं (चरण-II)						
16.	मध्य प्रदेश	28661	–	36405	23826	88982
17.	तमिलनाडु	3884	–	–	487	4371
18.	उड़ीसा	10481	–	–	13844	23525
19.	बम्बई (आई पी पी-V)	–	–	109	22656	22765
20.	मद्रास (आई पी पी-V)	–	–	–	12432	12432
	क+ख कुल	77655	38980	58635	82380	257650

क्र.सं.	राज्य	दाइयां	ग्राम स्वा.गाइड/ सामु.स्वा.विजिटर	ए एन एम/ एल एच वी	अन्य	कुल
ग. चली रही योजनाएं						
I. विश्व बैंक						
1.	आंध्र प्रदेश (आई पी पी-VI)	34423	–	7907	104113	146443
2.	असम (आई पी पी-IX)	–	–	71	1128	1199
3.	बंगलौर (आई पी पी-VIII)	–	–	96	1012	1108
4.	बिहार (आई पी पी-VIII)	–	–	8701	7044	15745
5.	कलकत्ता (आई पी पी-VIII)	–	–	–	4400	4400
6.	दिल्ली (आई पी पी-VIII)	126	–	75	380	581
7.	गुजरात (आई पी पी-VIII)	9974	–	7938	71699	89611
8.	हरियाणा (आई पी पी-VIII)	9565	–	2908	7966	20439
9.	हैदराबाद (आई पी पी-VIII)	–	–	110	1659	1769
10.	कर्नाटक (आई पी पी-IX)	–	–	–	1199	1199
11.	जम्मू एवं कश्मीर (आई पी पी-VIII)	855	–	2849	5792	9496
12.	मध्य प्रदेश (आई पी पी-VI)	6501	–	29276	33430	69207
13.	पंजाब (आई पी पी-VII)	15239	17208	11276	59747	103470
14.	राजस्थान (आई पी पी-IX)	–	–	–	–	–
15.	उत्तर प्रदेश (आई पी पी-VI)	95098	–	–	70445	165543
II. यू एन एफ पी ए						
(1)	हिमाचल प्रदेश	7311	–	4160*	5004	16475
(2)	महाराष्ट्र	4158	–	3806	21346	29310
(3)	राजस्थान	7000	–	5092*	–	12092
	ग. कुल	190250	17208	84265	396364	688087
	क+ख+ग कुल	267905	56188	142900	478744	945737

टिप्पणी : –*बहुद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) शामिल हैं।

विवरण-II

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए राज्यवार/राज्य क्षेत्रवार जिलों के नाम

1. बिहार

1. रांची
2. लोहारडुगा
3. गुमला
4. दुमका
5. साहिबगंज
6. सिंहभूम

2. गुजरात

7. दंग्स

3. हिमाचल प्रदेश

8. किनौर
9. लाहौल स्पीति

4. मध्य प्रदेश

10. झबुआ
11. मांडला
12. सरगुजा
13. बस्तर

5. मणिपुर

14. नार्थ मणिपुर
15. ईस्ट मणिपुर
16. साउथ मणिपुर
17. वैस्ट मणिपुर
18. तंगनिओपाल

6. उड़ीसा

19. मयूरभंज
20. सुंदरगढ़
21. कोरापुट

7. राजस्थान

22. बांसवाड़ा
23. डुंगरपुर

8. सिक्किम

24. नार्थ सिक्किम

9. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

25. निकोबार

10. दमण व दीव

26. दमण

जनजातिय उप-योजना के अधीन आंशिक रूप से कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जिलों के नाम

1. आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. ईस्ट गोदावरी
3. खम्मम
4. श्रीकाकुलम
5. विशाखापत्तनम
6. विजीन्नगरम
7. वारंगल
8. वैस्ट गोदावरी
9. गूंटूर
10. कृष्णा
11. करीमनगर
12. महबूब नगर
13. मिडाक
14. नलगोंडा

15. निजामाबाद
16. रंगारेड्डी

2. असम

17. कच्छार
18. दारांग
19. डिब्रुगढ़
20. गोलपाड़ा
21. कामरूप
22. लखीमपुर
23. नोगांव
24. सिबसागर

3. बिहार

25. पलामू
26. डालभूम
27. भागलपुर
28. धनबाद
29. गिरीदीह
30. हजारीबाग
31. कटिहार
32. मुंगेर
33. संथाल परगना
34. वैस्ट चंपारण
35. देवगढ़
36. रोहताश

4. गुजरात

37. बनासकांठा
38. भडौच
39. पंचमहल
40. सबारकांठा
41. सूरत
42. वडोदरा
43. वलसाड

5. हिमाचल प्रदेश

44. चम्बा

6. कर्नाटक

45. चिकमंगूलूर
46. कुरग
47. मैसूर
48. साउथ केनरा

7. केरल

49. त्रिवेन्द्रम
50. क्वालिन
51. इदुक्की
52. एर्णाकुलम
53. मालापुरम
54. कोझिकोड
55. व्यनाड
56. कनानोर
57. पालघाट

8. मध्य प्रदेश

58. धार
59. खारगांव
60. खांडवा
61. विलासपुर
62. रायपुर
63. दुर्ग
64. राजानंद गांव

65. रायगढ़
66. बालाघाट
67. सियानी
68. छिंदवाड़ा
69. जबलपुर
70. सोढ़ी
71. शहडोल
72. बेतुल
73. रतलाम
74. देवास
75. मुरैना
76. होशिंगाबाद
77. शिवपुरी
78. सतना
79. रीवा
80. सिरोही
81. रायसीन
82. नरसिंहपुर
83. इंदौर
84. दमोह
85. सागर
86. गुणा
87. पन्ना
88. छतरपुर

9. महाराष्ट्र

89. अहमदनगर
90. अमरावती
91. चन्द्रपुर
92. धुले
93. जलगांव
94. नांदेड
95. नासिक
96. पुणे
97. थाणे
98. यवतमाल
99. अकोला
100. चांद्रा
101. बुलढ़ाना
102. कोलाबा
103. नागपुर
104. परभणी
105. रायगढ़
106. वर्धा

10. उड़ीसा

107. बालासोर
108. बोधखडोमल्स
109. गंजम
110. क्योंझर
111. कालाहांडी
112. बालनगिरी
113. बोलेशवर
114. कटक
115. धनेकनाल
116. फूलभंणी
117. पुरी
118. संभलपुर

11. राजस्थान

119. चितौड़ गढ़
120. सिरोही
121. उदयपुर
122. अलवर
123. भरतपुर
124. भीलवाड़ा
125. बूंदी
126. जयपुर
127. जलावर
128. कोटा
129. पाली
130 स्वाई माधोपुर
131. टांक
132. अजमेर

12. सिक्किम

133. साउथ डिस्ट्रीक
134. ईस्ट डिस्ट्रीक
135. वैस्ट डिस्ट्रीक

13. तमिलनाडु

136. धरमपुरी
137. नार्थ आरकट
138. सेलम
139. साउथ आरकाट
140. त्रिचुल्लापल्ली

14. त्रिपुरा

141. नार्थ त्रिपुरा
142. साउथ त्रिपुरा
143. वैस्ट त्रिपुरा

15. उत्तर प्रदेश

144. लखीमपुर खेरी
145. गोंडा

16. पश्चिम बंगाल

146. बांकुरा
147. बीरभूम
148. बर्धावान
149. दार्जिलिंग
150. हुगली
151. जलपाईगुड्डी
152. मालदा
153. मिदनापुर
154. मुर्शिदाबाद
155. पुरलिया
156. 24 परगना
157. वैस्ट दिनाजपुर

परिवार नियोजन

257. श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्तूर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए प्रोत्सहन देने और उपलब्ध बंद करने संबंधी योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों संबंधी प्रस्तावित विचार लोक सभा में दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 को प्रश्न संख्या 156 के उत्तर में रखे गए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संबंधी प्रारूप विवरण के पैरा 12.5.1 और 12.6.1 में दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को आबंटित धनराशि

258. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सभी विश्वविद्यालयों ने इस धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी विश्वविद्यालय ने अप्रयुक्त धनराशि को वापस किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चिकित्सा सुविधा

259. श्री सत्यपाल जैन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के लगभग 20 हजार कर्मचारी हैं लेकिन उनके लिए वहां पर चिकित्सा सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का कोई प्रबंध किए जाने तक चिकित्सा भत्ता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में चंडीगढ़ में रह रहे सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ओर से चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में चंडीगढ़ में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं शुरू करने हेतु एक प्रस्ताव शामिल किया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केंद्रीय सरकारी पेंशनरों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के मामले को पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ उठाया गया था। उनकी सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है।

गंगा से भूमि कटाव

260. श्री थामस हंसदा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहबगंज जिले के अंतर्गत राजमहल तथा उधवा ब्लाकों में गंगा नदी के तटों पर भारी भू-कटाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त भू-कटाव को रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) राजमहल और उधवा ब्लॉकों में गंगा नदी द्वारा कटाव के संबंध में कोई स्कीम केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय हज समिति द्वारा कथित अनियमितताएं

261. श्री इलियास आजमी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय हज समिति द्वारा प्रत्येक हज हेतु विमान किराए और मक्का तथा मदीना में आवास के किराये के लिए कितनी राशि ली गई थी;

(ख) गत वर्षों के दौरान केन्द्रीय हज समिति द्वारा कितने विमान भाड़े पर लिये गये तथा मक्का और मदीना में कितने भवन किराये पर लिये गये थे तथा सऊदी मकान मालिकों को कितनी राशि दी गई थी;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय हज समिति द्वारा तीर्थयात्रियों की मक्का तथा मदीना की यात्रा तथा उनके वहां ठहरने और भोजन की व्यवस्था के संबंध में की गई अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां तो जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले साल, केन्द्रीय हज समिति ने प्रत्येक हाजी से वायुयान किराये के लिए 12,000 रुपए वसूल किए। आवास की अवस्थिति के आधार पर, मक्का में आवास के किराए के लिए प्राप्त की गई धनराशि क्रमशः 1235 अथवा 904 या 900 सऊदी रियाल प्रति हाजी थी, मदीना में आवास के लिए प्रति हाजी 200 सऊदी रियाल की रकम वसूल की गई थी।

(ख) केन्द्रीय हज समिति ने हज 1996 के लिए चार वायुयान किराए पर लिए थे। 1995 और 1996 में मक्का में आवास के वास्ते क्रमशः कुल 452 और 648 इमारतें किराए पर ली गई और क्रमशः 33,063,536.00 सऊदी रियाल तथा 48780255.50 सऊदी रियाल की रकम का भुगतान किया गया। 1995 और 1996 में मदीना में आवास के लिए अल रोहाह ग्रुप की मार्फत आरक्षित आवास योजना के तहत हाजियों के लिए क्रमशः 25983 और 44634 आवास 5,589,070.00 सऊदी रियाल और 8,926,80.00 सऊदी रियाल की लागत पर किराए पर लिए गए।

(ग) इस प्रकार की शिकायतों की सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम

262. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को सुविधाओं से वंचित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) निरुत्साहन संबंधी प्रस्तावित विचार दिसम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर में लोक सभा में रखे गए राष्ट्रीय जन-संख्या नीति विषेयक प्रारूप विवरण के पैरा 12.6.1 में निहित है।

संविधान (79वां संशोधन) विधेयक 1992 में संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या बनाए जाने के लिए दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव किया गया है। यह अयोग्यता भविष्य में प्रभावी होगी।

[अनुवाद]

मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी

263. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी को दिए गए मानित विश्वविद्यालय स्तर को वापस लेने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी के विरुद्ध कुछ शिकायतें उच्च शिक्षा मंत्री, कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है। संस्थान से भी विभिन्न आरोपों का उत्तर देने के लिए कहा गया है।

आई.आई.ए.एस. शिमला को अन्यत्र ले जाना

264. श्री जगमोहन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज को उसके वर्तमान परिसर से अन्यत्र ले जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे प्रस्तावित दूसरे स्थान पर ले जाने में अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(घ) क्या शासी निकाय द्वारा किए गए विरोध, इसके विरोध में जनता की संभावित प्रतिक्रिया तथा इसमें होने वाले भारी व्यय के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सरकार ने वर्ष 1982 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया था कि जबकि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, शिमला में ही रहेगा, इसका वास्तविक परिसर जहां यह बनाया जायेगा वह अलग बनाया जा सकता है। उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वित नहीं हो पाया क्योंकि जिन वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया गया उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया। मई, 1990 में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल सरकार द्वारा दिये गये वैकल्पिक स्थान पर संस्थान को स्थानांतरित कर दिया जाये तथा सम्पूर्ण कैम्पस को पर्यटन विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाये ताकि भारतीय पर्टयन विकास निगम इसे टूरिस्ट रिसोर्ट के रूप में विकसित कर सके परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि मुख्य भवन का प्रयोग पर्यटकों के लिए नहीं किया जायेगा। यह निर्णय भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये स्थान या तो उपयुक्त नहीं थे अथवा संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।

इसलिए संस्थान को राष्ट्रपति निवास से स्थानांतरित करने का निर्णय, नया निर्णय नहीं है। यह वर्ष 1982 में लिए गए निर्णय की पुनरावृत्ति है। सरकार के पास एक सुझाव यह है कि राष्ट्रपति निवास की राज्यों के अध्यक्षों तथा सरकारी व्यक्तियों के सम्मेलनों तथा विचार विमर्श को एकान्त वातावरण में करवाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

इस निर्णय का पुनरीक्षण जानने के लिए संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

दरभंगा-फारबिसगंज सड़क

265. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य के दरभंगा-निर्मली-फारबिसगंज मार्ग को राजीव पैकेज के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना को कब तक मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओरल पल्स पोलियो

266. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को पिछले 6 महीनों में भारत के अनेक स्थानों पर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल ने ''ओरल पल्स पोलियो'' अथवा इनजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले टीके के दौरान बच्चों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अब तक पल्स पोलियो टीकाकरण के दौरान मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन देने के कारण होने वाली मौतों की कोई सूचना नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल के एक गांव में पल्स पोलियो टीकाकरण के बाद होने वाली मौतों के संबंध में की गई समाचार पत्र की रिपोर्ट की जांच राज्य सरकार द्वारा की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि ये मौंते ओरल पोलियो वैक्सीन के कारण नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना अकादमी एजीमाला

267. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एजीमाला में नौ सेना अकादमी का कितना कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस कार्य को चालू वर्ष के दौरान पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) मौजूद भवनों आदि का जीर्णोद्धार तथा परिवर्धन/परिवर्तन से संबंधित सिविल निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली, पानी, सड़कों तथा तलकर्षण का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।

(ख) परियोजना की अनुमोदित लागत 166.94 करोड़ रुपए है तथा अब तक 244.07 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) नौसेना अकादमी परियोजना एझिमाला के 1995 से 2002 तक 8 वर्ष से अधिक अवधि में पूरा होने की योजना है।

आंध्र प्रदेश विद्यालय स्वास्थ्य परियोजना

268. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ओवरसीज डैवलपमैन्ट एडमिनिस्ट्रेशन" ने आन्ध्र प्रदेश विद्यालय स्वास्थ्य परियोजना को राज्य प्रशासन द्वारा "कार्य निष्पादन" न करने के फलस्वरूप सहायता बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को कुशलता के क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर

269. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर में थोड़ी कमी आई है लेकिन राज्य की जनसंख्या आठ करोड़ तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाह के समय महिलाओं की आयु कम होने और वर्तमान जन्म दर राज्य में जनसंख्या वृद्धि का कारण रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या जनसंख्या में इस समय तेजी से हो रही वृद्धि का सामाजिक-आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है तथा इस प्रयोजन हेतु और अधिक धनराशि आबंटित करने का भी निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) नमूना पंजीयन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में कुल प्रजनन दर 1981 में 4 से कम होकर 1991 में 3 और 1995 में और कम होकर 2.7 हो गई है। वर्ष 1996 में अनुमानित जनसंख्या 72.16 मिलियन है।

(ख) से (च) आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। सभी राज्यों को सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार निधियां प्रदान की जाती हैं। सभी राज्यों को समय-समय पर कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की भी सलाह दी जाती है।

गणतंत्र दिवस समारोह पर व्यय

270. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गणतंत्र दिवस समारोह पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस प्रयोजन के लिए टिकटों की बिक्री, विज्ञापन आदि से कितनी आय हुई है; और

(ग) इस प्रकार के समारोहों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) गणतंत्र दिवस समारोह सारे देश में आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में, व्यवस्था संबंधत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। चूंकि संबंधित एजेंसियों द्वारा विभिन्न मदों के संबंध में वहन किए जाने वाले व्यय के ब्यौरे इकट्ठे नहीं किए जाते हैं और न ही ये एक ही शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं, अत: गणतंत्र दिवस समारोहों पर खर्च की गई धनराशि का आकलन करना संभव नहीं है।

(ख) इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह के टिकटों की बिक्री से 9,57,399.00 रुपए प्राप्त हुए। विज्ञापन आदि से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

(ग) गणतंत्र दिवस समारोहों के संबंध में व्यय करने वाली प्रत्येक एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता संबंधी सामान्य सावधानियां बरते ताकि कम से कम व्यय किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र का बजट

271. **श्री मुख्तार अनीस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 और 1996 के लिए संयुक्त राष्ट्र का स्वीकृत बजट कितना था और वर्ष 1995 के दौरान अमरीकी डालर में वास्तविक आय और व्यय कितना था;

(ख) 31 दिसम्बर, 1995 को सदस्य देशों के नियमित अंशदान की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ग) उन दस सदस्य देशों के नाम क्या हैं जो बकाया राशि का भुगतान न करने के सार्वधिक दोषी हैं और यदि उन पर कोई राशि बकाया है तो कितनी; और

(घ) वर्ष 1996 के दौरान बकाया वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) संयुक्त राष्ट्र संघ का 1994-95 के लिए अनुमोदित द्विवार्षिक बजट 2,608,274,400 अमरीकी डालर था और 1996-97 का अनुमोदित द्विवार्षिक बजट 2,608,274,00 अमरीकी डालर है। वर्ष 1995 के नियमित बजट के अंतर्गत वास्तविक व्यय 1.396 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ा।

(ख) जुलाई 1996 तक सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए जाने वाले योगदान में 2.925 बिलियन अमरीकी डालर का बकाया था।

(ग) 30 जून, 1996 तक दस प्रमुख व्यक्तिक्रमी देशों की सूची और उनकी बकाया राशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य देशों से बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिए किए गए कई उपायों में, सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अपील करना, बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करने वाले देशों के राज्याध्यक्षों से संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभापति द्वारा अपील करना, और संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई करने के संबंध में एक मुक्त उद्देश्य उच्च स्तरीय कार्यदल की स्थापना करना शामिल हैं।

विवरण

30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों द्वारा देय राशि

	देश का नाम	राशि (अमरीकी डालर)
1.	संयुक्त राज्य अमरीका	1,576,003,208
2.	रूसी संघ	375,624,481
3.	उक्रेन	245,097,702
4.	बेलारूस	62,830,156
5.	ईरान (इस्लामिक गणराज्य)	26,224,906
6.	ब्राजील	25,121,021
7.	वेनेज्युएला	16,804,513
8.	यूगोस्लाविया	15,832,867
9.	पोलैण्ड	15,675,003
10.	कजाकिस्तान	13,453,916

मध्याह्न भोजन योजना

272. **श्री चमनलाल गुप्त** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना कब से शुरू की गई है;

(ख) इस योजना के इस संबंध में की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे स्थानों जहां पर यह योजना कार्यान्वित की जा रही है तथा जहां पर यह सही तरीके से कार्यान्वित नहीं की गई है, का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल राशि का उसमें से अब तक उपयोग की गई कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन पर आपत्ति की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा

के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्यत: मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, का आरंभ देश में 15 अगस्त, 1995 में किया गया था। इस योजना में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया गया है। वर्ष 1996-97 में यह कार्यक्रम देश के 475 जिलों के 4426 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारतीय खाद् निगम को निधियां प्रदान की जाती हैं जो राज्यों/संघ शासित राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न सप्लाई करता है। भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1995-96 में 441.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी तथा वर्ष 1996-97 के दौरान 506.59 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ शासित राज्यों को खाद्यान्न के उठाए जाने तथा आवंटन से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) इस विभाग को इस प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन तथा उनका उठाया जाना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न मी. टन		
		कुल आवंटन	कुल उठाया गया खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्नों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	63664.22	52347.00	82.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	2126.69	1098.00	51.63
3.	असम	44115.92	29648.00	67.20
4.	बिहार	61214.46	28193.00	46.06
5.	गोवा	66.20	66.20	100.00
6.	गुजरात	31532.83	22001.00	69.77
7.	हरियाणा	10342.78	10334.00	99.72
8.	हिमाचल प्रदेश	3549.47	3151.00	88.77
9.	जम्मू और कश्मीर	7520.64	3232.00	42.98
10.	कर्नाटक	65588.23	50485.00	76.97
11.	केरल	5127.59	5127.00	99.99
12.	मध्य प्रदेश	81238.75	78996.00	97.24
13.	महाराष्ट्र	84478.61	50903.00	60.26
14.	मणिपुर	2361.80	1367.00	57.88
15.	मेघालय	4918.07	4396.00	89.38
16.	मिजोरम	2030.92	1917.00	94.39
17.	नागालैंड	2190.05	1460.00	66.67
18.	उड़ीसा	25992.95	25767.00	99.13
19.	पंजाब	11150.98	5502.00	49.34
20.	राजस्थान	62096.93	54965.00	88.51
21.	सिक्किम	1397.75	1651.00	118.12
22.	तमिलनाडु	18929.17	18737.00	98.98
23.	त्रिपुरा	8085.94	8085.00	99.99
24.	उत्तर प्रदेश	57179.20	48390.00	84.63
25.	पश्चिम बंगाल	39996.73	25193.00	62.99
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	122.03	106.00	86.86
27.	चंडीगढ़	1020.13	69.00	6.76
28.	दादरा और नगर हवेली	399.98	399.00	99.75
29.	दमन और दीव	169.07	142.00	83.99
30.	दिल्ली	13500.00	2150.00	15.93
31.	लक्षद्वीप	124.41	–	–
32.	पांडिचेरी	677.42	139.00	20.52
	भारत	712909.93	536016.20	75.19

एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

273. श्री राम नाईक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केवल एक लेन वाले कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं;

(ख) राजमार्गों की कुल संख्या में से इनका प्रतिशत कितना है; और

(ग) इन राजमार्गों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) रा.रा.-1ख, 31क, 31ख, 51, 53, 54, 54क और 54ख के कुल खंडों में इकहरी लेन है।

(ख) इकहरी लेन वाले खंड कुल नेटवर्क का लगभग 15% है।

(ग) आपसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणों में चौड़ा किया जाता है।

संक्रामक बीमारी

274. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में संक्रामक (वेक्टर बोर्न) बीमारियों के नियंत्रण/रोकथाम के लिए मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में विशेषत: करोलबाग, पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंग्यू और जापानी मस्तिष्कशोथ जैसे रोगाणुजनित रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए देश भर में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में बल्ड स्मीयर एकत्र करना और उसकी जांच करना, रोग-लक्षण वाले रोगियों का इलाज करना, उपर्युक्त कीटनाशकों के उपयोग से मच्छर लार्वा का नाश करना तथा ग्रामीण और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में लार्वानाशी का उपयोग करना शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा नियंत्रण उपाय दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। करोलबाग, पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली सहित दिल्ली में 1996 में मलेरिया के रोगियों में सामान्य वृद्धि सूचित की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को निगरानी कार्यों को तेज करने और अगले संचरण सत्र से पहले-पहले निवारक कदम उठाने के लिए एक कार्ययोजना प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाएं

275. श्री ललित उरांव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु कोई अनुदान सहायता योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत बिहार को गत तीन वर्षों के दौरन कितना अनुदान दिया गया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) विशेष तौर से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सहायतानुदान की कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है। तथापि "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना" नामक एक योजना पहले से ही है जिसके अन्तर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान प्रदान किया जाता है।

(ख) उक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा अस्पताल-भवन, आपरेशन थियेटर, आवासीय एककों के निर्माण और बिजली और पानी के संस्थापना प्रभारों सहित भूमि की लागत के लिए 8.00 लाख रुपये और उपकरणों की खरीद के लिए 4.00 लाख रुपये है। इस योजना का प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों, जहां मौजूदा चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं अपर्याप्त हैं, में नये अस्पताल/औषधालय स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए इस योजना के अन्तर्गत किसी स्वैच्छिक संगठन को कोई सहायतानुदान प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-

जो स्वैच्छिक संगठन/संस्था निम्नलिखित मानदंड पूरा करते हैं, इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र होंगे:-

(1) इसे सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

(2) इसे अखिल भारतीय स्वरूप अथवा राज्य स्तर की महतता का होना चाहिए अथवा उसे उत्कृष्ट और अभिनव कार्य में लगा हुआ होना चाहिए।

(3) इसे गैर-सरकारी और गैर-स्वामित्व प्रबन्ध का संस्थान होना चाहिए।

(4) इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।

(5) इस संस्था को सामान्य जनता को धर्म, जाति अथवा रंग में भेदभाव किए बिना सामान्य जनता की सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

(6) इस संस्था की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए और अनावर्ती लागत के लिए अपना अंश देने के साथ-साथ इसके स्थापित होने के पश्चात् उसे अस्पताल/औषधालय चालने के लिए पूरी लागत वहन करने में समर्थ होना चाहिए।

(7) आवेदन-पत्र के एक भाग के रूप में निःशुल्क पलंग/ निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या की परिभाषा के अनुसार उसे कम से कम एक तिहाई पलंगों को आरक्षित करने के लिए सहमत होना चाहिए।

(8) उस प्रयोजन, जिसके लिए वित्तीय सहायता के अनुदान मांगा गया है, को चलाने के लिए उसके पास कार्मिक, संसाधन और प्रबन्ध संबंधी योग्यता होनी चाहिए।

(ग) उसका कार्य और वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक सूचित की जानी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा सहायतानुदान के भुगतान की संस्तुति की जानी चाहिए। राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित और अनुरक्षित किए जाने वाला संगठन/संस्था इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं का श्रेणीकरण

276. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बड़ी, मझौली तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के वर्तमान श्रेणीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) कमान क्षेत्र के एक हेक्टेयर पर बनी सिंचाई परियोजना के निर्माण की वर्तमान औसत लागत (बड़ी मझौली तथा छोटी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग आंकड़े) क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को मझौली परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार नहीं दिया गया है तथा अंतिम स्वीकृति के लिए इन्हें भारत सरकार को भेजना होता है;

(घ) क्या भविष्य में राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में सिंचाई परियोजनाओं को निम्नलिखित मानदण्डों पर वृहद्, मध्यम और लघु के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.	वृहद	–	10,000 है० से अधिक कृष्य कमान क्षेत्र वाली परियोजनाएं
2.	मध्यम	–	2001 से 10,000 है० तक कृष्य कमान क्षेत्र वाली परियोजनाएं
3.	लघु	–	2000 है० तक कृष्य कमान क्षेत्र वाली परियोजनाएं

(ख) वार्षिक योजनाएं 1990-92 के दौरान व्यय और सिंचाई क्षमता के आधार पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई क्षमता की प्रति हैक्टेयर लागत 66,570 रुपए बैठती है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किए जाने के पश्चात योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। देश के नियोजित विकास के लिए मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्राधिकृत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय महिला परिषद

277. श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी पक्षों के महिला दलों ने राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसमें उठाये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (घ) अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ सहित कुछ महिला दलों ने राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति के प्रारूप में परिकल्पित प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय परिषद् का इस भ्रम से विरोध किया है कि यह एक स्वतंत्र निकाय होगा। वास्तव में, यह परिषद् सरकार के भीतर एक ऐसा तंत्र होगी, जिसमें अन्तर-मंत्रालयी समन्वय, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को मुख्य-धारा में शामिल करने तथा महिला शक्ति सम्पन्नता से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन में सुविधा मिलेगी।

ब्रह्मवाणी-स्वर्णरेखा

278. श्री सौम्य रंजन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मवाणी-स्वर्णरेखा डिवीज़न को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कार्यालय को बंद करने से जल सामान्य सम्पूर्ण पूर्वी नदी क्षेत्र कर्मचारियों और राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में असंतोष भड़क गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस डिवीज़न को फिर से खोलने हेतु संसद सदस्यों सहित अनेक लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस कार्यालय को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में केन्द्रीय जल आयोग के दो प्रभाग कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक प्रभाग नामशः ब्राह्मणी-सुवर्णरेखा प्रभाग को केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीयकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मानीटरी और मूल्यांकन यूनिट में परिवर्तित किया गया है। यह यूनिट राज्य में बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरी करेगा।

(ग) और (घ) इस प्रभाग को मानीटरी और मूल्यांकन यूनिट के रूप में परिवर्तित करने के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किन्तु सरकार का यह विचार है कि चूंकि केन्द्रीय जल आयोग के कार्यकलापों में अथवा विद्यमान स्टाफ में कोई भी कमी किए बिना राज्य में केन्द्रीय जल आयोग के कुशल प्रचालन के लिए वर्तमान व्यवस्था अधिक उपयुक्त है।

(ङ) और (च) जी, हां। उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तरों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

279. श्री जयसिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रपति के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के चयन हेतु क्या मानदंड तथा प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या निर्धारित मानदंड के अनुसार चुने गए तथा अनुशंसित शिक्षकों की सूची में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी किए जाने के आरोप प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में हेरा-फेरी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के चयन का निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया

- कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले कक्षाकक्ष शिक्षकों और 20 वर्षों के अनुभव वाले प्राधानाध्यापकों जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वास्तव में शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा I/III तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग में तथा कक्षा IX-XII तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग में विचार किया जाना चाहिए।

- सामान्यतया सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, परंतु उन शिक्षकों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने शैक्षिक वर्ष की कुछ अवधि तक (कम से कम चार महीने के लिए) सेवा की है तथा अन्य सभी शर्तों को पूरी करते हैं।

- पिछले वर्ष या इससे पहले जिन शिक्षकों के नामों की सिफारिश की गई थी, उनके नामों पर भी फिर से विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे अभी भी अन्यथा पात्र हैं और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनके नामों की सिफारश की जाती है।

- शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक भी पुरस्कार के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे अन्य सभी विहित शर्तों को पूरा करते हों।

- शैक्षिक प्रशासक (शिक्षा निरीक्षक आदि) तथा प्रशिक्षण कालेजों के कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त के अलावा शिक्षकों के चयन के समय निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

- स्थानीय समुदाय में शिक्षक की प्रतिष्ठा।

- उसकी शैक्षिक दक्षता और इसमें सुधार की इच्छा।

- बच्चों में उनकी वास्तविक रूचि और उनके लिए प्यार।

- समुदाय के सामाजिक जीवन में उसकी सहभागिता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में जल विज्ञान संबंधी अध्ययन

280. श्री अनंत कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायद्वीपीय राज्यों में जल विज्ञान संबंधी अध्ययन कराने संबंधी परियोजना में कर्नाटक को भी शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो आई.डी.ए. द्वारा सहायता प्राप्त इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक की सहायता से 22 सितम्बर, 1995 को बहु-राज्यीय जल विज्ञान परियोजना चालू की गई, कर्नाटक इसमें 26.728 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता के साथ 22 जुलाई, 1996 को सम्मिलित हुआ। यह परियोजना 31.3.2001 को समाप्त हो रही है। इस परियोजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा जल वैज्ञानिक आंकड़ा संग्रह प्रणालियों, जलाशय प्रबंध, वास्तविक समय जल संसाधन प्रबंध में सुधार करने और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव किया है। चूंकि ऋण की प्रभावकारिता 10 दिसम्बर, 1996 से आरंभ हुई थी अत: परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति राज्य में अभी-अभी आरम्भ हुई है।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद

281. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में उक्रेन के मुख्य युद्धक टैंक (एम बी टी) चीन से नाभकीय हथियार तथा अनेक अन्य देशों से हथियार और गोलाबारूद की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध जताया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) उक्रेन से टी-80 यू डी टैंकों के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा विभिन्न स्रोतों से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने के प्रयत्नों और नाभकीय क्षेत्र में चीन के साथ इसके निकट संबंधों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) सरकार ने संबंधित देशों के साथ पाकिस्तान के प्रच्छन्न हथियारोन्मुख नाभकीय कार्यक्रम और उसके द्वारा अपनी वैध रक्षा जरूरतों से अधिक हथियारों की अधिप्राप्ति से संबंधित मसला उठाया है।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े सभी मसलों पर लगातार नजर रखे हुए है तथा देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

भारतीय राजनयिक का निष्कासन

282. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश द्वारा भारतीय उच्च आयोग के निष्कासित अधिकारी वर्ग का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें किन कारणों की वजह से निष्कासित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निष्कासनों के बारे में विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) पाकिस्तान की सरकार ने विगत तीन वर्ष की अवधि के दौरान, पाकिस्तान स्थित भारत के हाई कमीशन में तैनात निम्नलिखित छह भारतीय राजनयिक तथा गैर-राजनयिक भारत आस्थानी अधिकारियों को इस मिथ्या आरोप के आधार पर अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया है कि वे अपनी राजनयिक/सरकारी हैसियत के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त थे:

(1) वी.एस. चौहान, अताशें, भारत का हाईकमीशन, इस्लामाबाद (12-7-1994)

(2) ई.ए. एडम्स, स्टाफ सदस्य, भारत का हाईकमीशन कराची (13-7-1994)

(3) जे.जे. सिंह, कौंसल, भारत का प्रधानकौंसलावास, कराची (30-8-1994)

(4) दीपक ठाकुर, स्टाफ सदस्य, भारत का हाईकमीशन, इस्लामाबाद (26-12-1994)

(5) ए.सी. सिन्हा, स्टाफ सदस्य, भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद (1.10.1996)

(6) ए.के. वाही, स्टाफ सदस्य, भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद (26.10.1996)

2. भारत सरकार ने पाकिस्तान से हमारे अधिकारियों के निष्कासन के सभी मामलों में लगाए गए पाकिस्तानी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तान को इस बात से अवगत करा दिया है कि इस संबंध में की गई उसकी कार्रवाई पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है और पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध पाकिस्तानी खुफिया तंत्रों द्वारा हिंसा का प्रयोग करने का मामला खेदजनक और गम्भीर चिन्ताजनक है। सरकार ने यह भी मांग की है कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में तैनात हमारे अधिकारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करे।

3. अमरीकी प्राधिकारियों ने हाल ही में अमरीका में तैनात दो भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाने का अनुरोध यह आरोप लगाकर किया है कि वे अपनी कौंसली हैसियत के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त है। 17 फरवरी को जारी वक्तव्य में, भारत सरकार ने इस फैसले पर गम्भीर खेद प्रकट किया और कहा कि ये संबंधित व्यक्ति कौंसली अधिकारी के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से इसके विपरीत किसी भी विवक्ष को सुस्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस हाइवे

283. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस हाइवे" के कार्य को पूरा किए जाने संबंधी संभावनाओं का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संभावनाओं तथा स्वीकृत की गई संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर कार्य पूरा किए जाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) जी हां। सरकार गुजरात राज्य में अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रैस मार्ग परियोजना के लिए बचे हुए कार्यों को पूरा करने में निजी क्षेत्र को निर्माण-प्रचालन-हस्तातंतरण आधार पर शामिल करने पर विचार कर रही है। इसके लिए निविदाएं मांगी गई हैं।

गणतंत्र दिवस परेड में झांकियां शामिल करना

284. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गणतंत्र दिवस परेड में अनेक राज्यों की झांकिया शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान गणतंत्र दिवस परेड में किस-किस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की झांकी शामिल की गई और किस वर्ष शामिल नहीं की गई;

(ग) इस झांकी को शामिल नहीं करने का क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाने का है कि गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी शामिल की जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ङ) गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की जाने वाली झाकियों के चयन के लिए राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों तथा अन्य संगठनों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। समिति द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय केवल सौन्दर्यपरक तथा कलात्मक दृष्टिकोण के आधार पर लिया जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की झांकी का चयन किया गया था।

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

285. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे विश्व से कुष्ठ रोग के उन्मूलनार्थ कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में कुष्ठ रोग के उन्मूलनार्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ भारत को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान कितने कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास किया गया; और

(च) युवा कुष्ठ रोगियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) जी नहीं। विश्व स्वास्थ्य सभा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था के रूप में 2000 ईस्वी तक कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक संकल्प पारित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के सभी देशों को उनकी तथ्यपूर्ण आवश्यकता को पूरी करने के लिए कुष्ठ-रोग औषधें नि:शुल्क प्रदान करने की योजना बनाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रशिक्षण, उपकरण और संभार-तंत्र के लिए इस कार्यक्रम को तकनीकी दिशा-निर्देश और सहायता देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के लिए वर्ष 1996 के लिए 82500 अमरीकी डालर और वर्ष 1997 के लिए 78,000 अमरीकी डालर का प्रावधान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1995-96 के दौरान 5.6 मिलियन अमरीकी डालर और 1996-97 के दौरान 6 मिलियन अमरीकी डालर की औषधों की आपूर्ति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे देश के स्थानिक बीमारी वाले क्षेत्रों, जहां कार्यक्रम की गति धीमी है, में कुष्ठ उन्मूलन अभियान परियोजना को सहायता की पेशकश की है।

(ङ) और (च) कल्याण मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

286. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) 1996 वर्ष के दौरान नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना संबंधी कितने प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए तथा उनमें से कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च 1996 को उत्तर प्रदेश में 3761 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(ख) राज्य में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे 47.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के अनुरोध के साथ योजना आयोग को भेजा गया था। वित्त विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि उत्तर प्रदेश सरकार को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के फार्मूले के आधार पर अवमुक्त किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह राशि वार्षिक योजना के समय समायोजित कर ली जाएगी।

(ग) परिवार कल्याण विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जी.टी. रोड इलाहाबाद पर उपमार्ग

287. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विमानपत्तन जी.टी. रोड के निकट स्थित है जिसके कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही रहती है तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की बार-बार आवाजाही के कारण सड़क पर परिवहन रूक जाता है;

(ख) क्या सड़क पर अनेकों दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जी.टी. रोड पर भीड़-भाड़ हटाने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जी.टी. रोड/एफ.टी. रोड पर उपमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हां। भारी यातायात के कारण सड़क व्यस्त रहती है। तथापि, वी आई पी आवा-जाही के कारण सड़क के बन्द होने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि यह खण्ड असामान्य रूप से दुर्घटना-बहुल क्षेत्र है।

(ग) और (घ) इलाहाबाद में एक बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा अधिकारियों की भर्ती

288. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या शिक्षा अधिकारी के पद पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) शिक्षा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और शेष पचास प्रतिशत पद केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती द्वारा शिक्षा अधिकारी के पद भरने के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर चयन किया जाता है। उम्मीदवारों की छंटनी लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है और अंतिम सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की संयुक्त योग्यता के आधार पर तैयार की जाती है।

भूमध्य सागर में भारतीयों का डूबना

289. कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री सुधीर गिरि :
डा. मुरली मनोहर जोशी :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री बृज भूषण तिवारी :
श्री प्रमोद महाजन :
श्री देवी बक्स सिंह :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री तारीक अनवर :
श्री थामस हंसदा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 25 दिसम्बर, 1996 को कम से कम तीन सौ अवैध अप्रवासी जिनमें दो सौ सताइस भारतीय भी थे, यूनान जाते समय रास्ते में माल्टा के निकट समुद्र में डूब गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अवैध प्रवासियों के चोरी-छिपे भाग जाने की परिस्थितियों तथा उनके जल समाधिस्थ होने की घटना के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) इस घटना में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 7 जनवरी, 1997 को एथेंस स्थित हमारे राजदूत ने माल्टा-सिसली चैनल में

अन्य यात्रियों के साथ भारतीय राष्ट्रिकों को ले जाने वाले जहाज के डूबने की सूचना दी। सूचना के अनुसार डूबने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 175 है। यद्यपि अभी तक शवों और जहाज के मलवे का कोई पता नहीं चल पाया है। डूबने वाले लोगों की संख्या और उनकी पहचान जीवित बचे 22 लोगों द्वारा दिये गये साक्ष्यों पर आधारित है जिन्हें बचा लिया गया है और बाद में भारत वापस भेज दिया गया है।

(ख) इस सूचना के प्राप्त होने पर, सरकार ने तत्काल सी.बी.आई. जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ग) और (घ) कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तथापि, इस संबंध में सी.बी.आई. जांच चल रही है। इस संबंध में इस जांच के आधार पर ही अगली आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में भारतीय यात्रियों को वीजा सुविधाएं

290. श्री हरिन पाठक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने व्यापार शिष्टमंडल की ओर से वीजा के लिए अनुरोध प्राप्त करने की तिथि से 24 घंटे के भीतर वीजा की स्वीकृति दिए जाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सुविधा पाकिस्तान जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए लागू कर दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में पाकिस्तान एक ऐसी प्रतिबन्धात्मक वीजा व्यवस्था का अनुसरण कर रहा है जिसमें सभी वीजा आवेदनों के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर पूर्व साक्ष्यांकन का प्रावधान है।

तथापि, दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में संपन्न विदेश मंत्रियों की सार्क परिषद ने अपनी बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भाग लिया था, आर्थिक सहयोग से संबद्ध सार्क समिति (सीईसी) की इन सिफारिशों का अनुमोदन किया कि जिनके प्रत्यय-पत्र प्रत्येक सदस्य देश के संबंधित शीर्ष व्यापार निकायों ने प्रमाणित किए हैं, उन व्यावसायियों के वीजा आवेदनों पर निर्णय यथाशीर्ष और अधिक से अधिक 72 घंटे के भीतर लिए जाने चाहिएं। सार्क के प्रत्येक सदस्य देश को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए। तथापि, इस संबंध में पाकिस्तान द्वारा किए गए किन्हीं उपायों की सरकार को जानकारी नहीं है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में रिक्तियां

291. डा. बलिराम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में प्राध्यापकों के पदों के लिए कितने साक्षात्कार आयोजित किए गए;

(ख) उनमें से आरक्षित और अनारक्षित पदों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को बाद में अनारक्षित घोषित कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त साक्षात्कारों द्वारा आरक्षित पदों को नहीं भरने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 और 1995 के दौरान, लेक्चरर पदों के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया। वर्ष 1996 के दौरान, लेक्चरर के 45 पद भरे गए थे।

(ख) 45 पदों में से 8 पद आरक्षित थे जबकि शेष 37 पद सामान्य श्रेणी के अंतर्गत भरे गए।

(ग) जी नहीं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित पद पुन:विज्ञापित किये गए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत पाक संबंध

292. कुमारी उमा भारती :
श्री नामदेव दिवाथे :
कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री बृजभूषण तिवारी :
श्री शरत पटनायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार बदलने के साथ कश्मीर मुद्दे तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत सरकार या

पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई नई कूटनीतिक पहल की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को भेजे गए अपने बधाई पत्र में प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर हित के सभी मसलों पर व्यापक बातचीत फिर से शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री ने संदेश भेजा है कि परस्पर लाभकारी सहयोग के अनेक अवसर विद्यमान हैं और इन अवसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक तथा रचनात्मक है।

[अनुवाद]

रस्तोगी वेतन आयोग की रिपोर्ट

293. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षकों के कई संगठनों ने सरकार को वेतन वृद्धि तथा इससे संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु गठित रस्तोगी वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए आग्रह किया है

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आशा है कि रस्तोगी वेतन समिति अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 31 मार्च, 1997 तक प्रस्तुत कर देगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल

294. श्री डी. पी. यादव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गत दो वर्षों के दौरान कितने पुलों का निर्माण हुआ है;

(ख) इन पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या पुल निर्माण के कतिपय प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (घ) आगरा में रा.रा. 2 पर यमुना नदी पर केवल एक पुल का निर्माण पूरा किया गया था। उस पर 940.11 लाख रु. का व्यय हुआ था।

(ग) और (घ) जी हां। निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है:-

क्र.सं.	पुल का नाम	अनुमानित लागत
1.	अनूप शहर ब्रांच नहर रा.रा. 24 का 77 कि.मी.	1.15 करोड़ रु.
2.	पीली नदी पुल रा.रा. 56 का 191 कि.मी.	2.18 करोड़ रु.

सिंचाई क्षमता

295. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :
श्री प्रमोद महाजन :
श्रीमती मीरा कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सृजित और पूरी तरह से प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार और राज्यवार छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रबन्धन में भागीदारी द्वारा किसानों को नहर आदि जैसी सिंचाई प्रणालियों का नियंत्रण सौंपने का है क्योंकि वे फसलों की आवश्यकतानुसार इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के मध्य अंतराल है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं में विशेषकर जल वितरण और जल दरें एकत्र करने में क्रमिक रूप से किसानों की भागीदारी को अनुबद्ध किया गया है। केन्द्रीय प्रवर्तित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु स्तर पर जल उपयोगकर्ता संगठनों के निर्माण और किसानों के मध्य जल के अनुरक्षण और वितरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

केन्द्र सरकार ने सिंचाई के प्रबन्ध में किसानों की भागीदारी के लिए निम्न उपाय किए हैं:-

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसान संगठनों को प्रबंध आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(2) जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य और परियोजना स्तर पर किसानों की भागीदारी के साथ भागीदारिता सिंचाई प्रबन्ध पर राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रायोजित राज्य और परियोजना स्तर के सम्मेलन आयोजित करना;

(3) राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(4) जल उपयोगकर्ता संगठनों के निर्माण के लिए और सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करने के लिए नियमावली तैयार करने में उन्हें दिशा-निर्देश देना और उनकी सहायता करना; और

(5) भागीदारिता सिंचाई प्रबन्ध को बढ़ावा देने हेतु नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यदलों के गठन पर राज्य सरकारों को सलाह देना।

विवरण

सृजित सिंचाई क्षमता, उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का राज्यवार विवरण और दोनों के मध्य अंतराल

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना के अंत तक			सातवीं योजना के अंत तक			आठवीं योजना के अंत तक (अस्थाई)		
		आईपीसी	आईपीयू	अंतराल	आईपीसी	आईपीयू	अंतराल	आईपीसी	आईपीयू	अंतराल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	5243.0	4891.0	352.0	5788.0	5431.9	356.1	6362.9	5868.6	494.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.0	34.0	6.0	56.0	49.6	6.4	82.1	73.1	9.0
3.	असम	489.0	404.0	85.0	681.0	535.9	145.1	849.6	642.7	206.9
4.	बिहार	5968.0	5154.0	814.0	7171.0	6250.0	921.0	8667.7	7614.2	1053.7
5.	गोवा	15.0	14.0	1.0	30.2	21.0	9.2	35.8	32.1	3.7
6.	गुजरात	2729.0	2255.0	474.0	3049.3	2628.2	421.1	3392.4	3178.6	213.8
7.	हरियाणा	3310.0	3106.0	204.0	3509.0	3245.9	263.1	3675.5	3379.1	296.4
8.	हिमाचल प्रदेश	123.0	110.0	13.0	134.6	118.7	15.9	159.6	133.3	26.3
9.	जम्मू और कश्मीर	490.0	439.0	51.0	514.3	463.2	51.1	549.2	514.4	34.8
10.	कर्नाटक	2313.0	2168.0	145.0	2663.4	2500.4	163.0	3323.5	3000.0	322.6
11.	केरल	765.0	707.0	58.0	881.4	792.3	89.1	1243.8	1158.5	85.3
12.	मध्य प्रदेश	3584.0	2942.0	642.0	4196.4	3516.2	680.2	5019.6	4119.7	899.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	3719.0	2586.0	1133.0	4380.1	3140.6	1239.5	4915.6	3767.2	1048.4
14.	मणिपुर	79.0	59.0	20.0	105.9	85.5	20.4	151.1	127.7	23.4
15.	मेघालय	35.0	32.0	3.0	40.4	35.6	4.8	53.1	46.7	6.4
16.	मिजोरम	7.0	6.0	1.0	9.5	8.2	1.3	13.1	11.4	1.7
17.	नागालैंड	51.0	47.0	4.0	62.7	54.4	8.3	68.0	57.9	10.1
18.	उड़ीसा	2296.0	2158.0	138.0	2512.2	2313.5	198.7	2971.5	2604.0	367.5
19.	पंजाब	5426.0	5373.0	53.0	5596.7	5505.4	91.3	5934.1	5805.0	129.1
20.	राजस्थान	3699.0	3488.0	211.0	4176.1	3943.3	232.8	4821.2	4360.2	461.0
21.	सिक्किम	14.0	10.0	4.0	20.4	15.9	4.5	25.8	20.1	5.7
22.	तमिलनाडु	3449.0	3449.0	0.0	3597.0	3585.3	12.1	736.0	3726.3	9.7
23.	त्रिपुरा	58.0	50.0	8.0	82.5	74.5	8.0	101.5	93.6	7.9
24.	उत्तर प्रदेश	18354.0	16600.0	1754.0	23309.0	20887.0	2422.0	30779.7	27452.0	3327.7
25.	पश्चिम बंगाल	2887.0	2669.0	218.0	3868.6	3307.0	561.6	4749.7	4042.4	707.3
	कुल राज्य	65143.0	58751.0	6392.0	76436.1	68509.5	7926.6	91682.3	81929.7	9752.6
	संघ राज्य क्षेत्र	72.0	72.0	0	89.3	77.1	12.2	108.1	94.4	13.7
	कुल जोड़	65215.0	58823.0	6392.0	76525.4	68586.6	7938.8	91790.4	82024.1	9766.3

टिप्पणी : चूंकि क्षमता के सृजन और उपयोग के राज्य-वार आंकड़ों में अत्यधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित क्षमता/सृजन एवं उपयोग भी शामिल किया गया है और चूंकि लघु सिंचाई परियोजनाओं के सृजन, उपयोग और सिंचाई क्षमता के विवरणों का परियोजनावार विवरण केन्द्र सरकार स्तर पर नहीं रखा जाता, अत: इस संबंध में परियोजनावार विवरण देना संभव नहीं हैं।

ब्रीफकेशों की खरीद

296. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायुसेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य प्रशासनिक कार्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने ब्रीफकेसों की खरीद की गयी;

(ख) इन ब्रीफकेसों की औसत मियाद कितनी है तथा इनमें से कितने ब्रीफकेस खराब हो गये;

(ग) ब्रीफकेसों के हकदार अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(घ) आवश्यकता से अधिक ब्रीफकेसों की खरीद के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) विवरण इस प्रकार हैं:-

	खरीदे गए ब्रीफकेसों की संख्या		
	1994-95	1995-96	1996-97
वायुसेना मुख्यालय	128	158	67
नौसेना मुख्यालय	82	62	41
संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय	105	238	275

(ख) सामान्यतया एक ब्रीफकेस की उपयोगिता अवधि इसके जारी होने की तारीख से 4 से 5 वर्ष है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वायुसेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कंडम हुए ब्रीफकेसों की संख्या क्रमश: 243, 306 और 132 थी।

(ग) वायुसेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)' एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जो अधिकारी ब्रीफकेसों के हकदार हैं उनकी कुल संख्या क्रमश: 750, 550 और 2500 के लगभग है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि किसी प्रकार की अधिक खरीद नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बाल स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थान

297. श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार का विचार बाल स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु एक संस्थान स्थापित करने का, है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत तथा ब्रिटेन द्वारा सैन्य अभ्यास

298. श्री राजकेशर सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा ब्रिटेन ने अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऊपरोल्लेखित योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) यद्यपि, सरकार के पास ब्रिटेन के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यवस्था है तथापि, फिलहाल, हमारे पास ब्रिटेन के साथ अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

छावनी बोर्ड की कार्यात्मक प्रक्रिया

299. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छावनी बोर्ड की कार्यात्मक प्रक्रिया क्या है;

(ख) छावनी बोर्ड में चुने गए प्रतिनिधियों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान छावनी बोर्डों के कार्य में सुधार लाने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) छावनी बोर्ड की कार्य प्रक्रिया का विनियमन छावनी अधिनियम, 1924 और उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के तहत किया जाता है।

(ख) बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा की गई सरकारी यात्रा के लिए उन्हें यात्रा भत्ता सुविधा दी जाती है।

(ग) और (घ) छावनी बोर्डों के कार्य-कलाप के संबंध में समय-समय पर कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने, संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों, के नामांकन, बोर्ड में महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, छावनी बोर्डों के चुने हुए सदस्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने, छावनी बोर्डों को वित्तीय सहायता बढ़ाने, एफ एस आई प्रतिबंधों को उदार बनाने तथा भूमि नीति को और उदार बनाने के संबंध में।

भारतीय दल को प्रशिक्षण देना

300. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1998 में जकार्ता में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय दल को तैयार करने तथा उसे प्रशिक्षण देने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के प्रति सचेत है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन) : (क) और (ख) जी हां। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुछ राष्ट्रीय संघों के साथ पहले से ही बैठकें आयोजित की हैं और बैंकाक में होने वाले एशियाई खेल, 1998 के लिए राष्ट्रीय टीमों की तैयारी की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है। प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विभिन्न खेल-विधाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर पहले से ही चलाये जा रहे हैं।

टीमों तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में शेष संघों के साथ की जाने वाली समीक्षा का कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

नया अस्पताल खोलना

301. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का अस्पताल खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ चयनित क्षेत्रों में अति-विशिष्टता स्तर पर सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों को उन्नत और विशिष्टीकृत चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस परियोजना के चरण-1 के दौरान 30 पलंगों के अस्पताल में हृदय रोग विज्ञान और जठरान्त्र रोग विज्ञान में अति विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्तरिम सुविधाएं स्थापित करने की बात पर ध्यान दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

302. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रारंभिक प्रारूप पर मंत्रालयों/राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में एक विवरण तैयार किया गया था और तारांकित प्रश्न संख्या 156, जिसका उत्तर 2 दिसम्बर, 1996 को दिया गया, के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखा गया था। मंत्रिमंडल के लिए प्रारूप नोट के साथ इस प्रारूप का विवरण मंत्रिमंडल के अनुमोदन प्राप्त करने से पहले अन्तिम टिप्पणियों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया है।

एड्स के मामले

303. श्री के. पी. सिंह देव :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किस वर्ष से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आज तक देश में कितने एच.आई.वी. मामलों की पहचान की गयी है;

(ग) उन राज्यों के नाम बतायें जहां ऐसे मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) एच.आई.वी. के संक्रमण के मुख्य स्रोत क्या है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस भयानक बीमारी से ग्रस्त कितने मरीजों का उपचार किया गया है;

(च) क्या एड्स की रोकथाम के लिए कोई विशेष योजना बनाई गयी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार द्वारा एड्स के मरीजों के परीक्षण के लिए अस्पतालों में कोई विशेष "सेल" बनाये गए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 से चल रहा है। तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1992 में स्थापित किया गया।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) एच.आई.वी. संक्रमण के तीन ज्ञात स्रोत हैं:-

(1) असुरक्षित यौन सम्पर्क,

(2) प्रदूषित सूईयों और सिरिंजों को एक-दूसरे को लगाने तथा एच.आई.वी. संक्रमित रक्ताधान हैं; और

(3) संक्रमित माता भ्रूण में विषाणु संचरित कर सकती है।

(ङ) इस कार्यक्रम में मुख्य जोर निवारण पर है। तथापि, एड्स का कोई प्रमाणित उपचार नहीं है। एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को अवसर वादी संक्रमणों का उपचार दिया जाता है।

(च) और (छ) 23 सितम्बर, 1992 से एच.आई.वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण की एक व्यापक योजना देश-भर में एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना की महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में (1) एच.आई.वी./एड्स के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करना, (2) रक्त निरापदता और रक्त का युक्ति संगत उपयोग, (3) यौन-संचारित रोगों का नियंत्रण और (4) एच.आई.वी./एड्स के रोगियों की निगरानी और नैदानिक नियंत्रण शामिल है।

(ज) और (झ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य एड्स कक्ष स्थापित किए गए हैं। देश-भर में 62 निगरानी केन्द्रों और 154 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों की भी स्थापना की गई है जहां पर एच.आई.वी./एड्स परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*दिसम्बर 1994 तक	*दिसम्बर 1995 तक	*दिसम्बर 1996 तक
		एच.आई.वी. पॉजिटिव रोगी		
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	143	215	290
2.	असम	6	134	150
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह (संघ क्षेत्र)	–	82	85
5.	बिहार	3	3	17
6.	चण्डीगढ़ (संघ क्षेत्र)	–	–	184
7.	पंजाब	165	184	4
8.	दिल्ली	994	978	1244
9.	दमण एवं दीव (संघ क्षेत्र)	–	8	8
10.	दादरा एवं नगर हवेली (सं.क्षे.)	–	–	1
11.	गोवा	357	752	1040
12.	गुजरात	513	517	527
13.	हरियाणा	120	136	219
14.	हिमाचल प्रदेश	13	13	71
15.	जम्मू व कश्मीर	10	10	34
16.	कर्नाटक	1569	1995	2630
17.	केरल	180	180	215
18.	लक्षद्वीप (संघ क्षेत्र)	2	5	7
19.	मध्य प्रदेश	64	214	345
20.	महाराष्ट्र	5482	6310	32014
21.	मणिपुर	2758	3989	3712
22.	मिजोरम	53	65	72
23.	मेघालय	–	53	57
24.	नागालैंड	112	261	261

1	2	3	4	5
25.	उड़ीसा	33	144	205
26.	पांडिचेरी (संघ क्षेत्र)	1009	1599	2069
27.	राजस्थान	43	53	125
28.	सिक्किम	–	1	1
29.	तमिलनाडु	2766	2805	2986
30.	त्रिपुरा	–	13	13
31.	उत्तर प्रदेश	475	593	689
32.	पश्चिम बंगाल	251	252	252
	योग	17121	21564	49527

*समग्र संचयी आंकड़े

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

304. श्री सोहन वीर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने पुलों का निर्माण किए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पुलों का निर्माण किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) दो

(ख) चालू वर्ष (1996-97) में पांच पुलों को पूरा करने का लक्ष्य है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) रा.रा.-24 पर सीतापुर बाईपास पर सरायण नदी पर पुल

(2) रा.रा.-29 के 70 कि.मी. पर खजूरी पुल।

(3) रा.रा.-29 के 88 कि.मी. पर मधै पुल।

(4) रा.रा.-29 के 188/2 कि.मी. पर अमी पुल।

(5) रा.रा.-29 के 165 कि.मी. पर तरैना पुल।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद इसका पता चल पाएगा।

[अनुवाद]

ईच्छामती नदी की सिंचाई क्षमता

305. श्री चित्त बसु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24-परगना और नाडिया जिले में ईच्छामती नदी की सिंचाई क्षमता के नवीकरण, अपवहन तथा उपयोग तथा गंगा नदी से इसे मिलाने हेतु कोई व्यापक बहुउद्देश्यी मास्टर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह योजना अब छोड़ दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार आवश्यक संशोधन के साथ उक्त योजना को फिर से क्रियान्वित करेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने इच्छामती नदी के आधुनिकीकरण और दोहन के लिए मास्टर योजना के संबंध में केन्द्र को अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

306. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को सिंचाई परियोजना के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य में अब तक कौन-कौन सी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, परियोजना-वार कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो धनराशि की कमी के कारण लंबित पड़ी हैं;

(ग) उन अन्य परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए बिहार सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगने के बारे में प्रस्ताव भेजा है;

(घ) इन प्रस्तावों के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ङ) क्या बिहार सरकार को दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम सहायता प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्र सरकार राज्य सरकार को ब्लाक ऋण एवं अनुदान जारी करती है जो विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से नहीं जुड़े होते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने हाल ही में सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

(ख) से (च) बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कोसी, अपर कोयल दुर्गावती, सुवर्णरेखा, सोन आधुनिकीकरण, उत्तरी कोइल, अजय बैराज तथा औरंगा परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है। वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत ऋण	जारी की गई राशि
1.	कोसी	20.00	10.00
2.	अपर कोयल	5.00	2.50
3.	दुर्गावती	2.00	1.00

अन्य परियोजनाओं को सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि वे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि के संबंध में संसदीय संकल्प

307. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद ने सड़कों के रख-रखाव और विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने हेतु कोई संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संकल्प को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा संकल्प पारित कर दिए जाने के बाद केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) संसद के दोनों सदनों में 1988 में केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने संबंधी एक संशोधित संकल्प पारित किया।

(ख) और (ग) संकल्प का कार्यान्वयन विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सिलिकासिस ब्रान्काइटल रोग

308. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूरे देश में खान क्षेत्र में विद्यमान "सिलिकासिस ब्रान्काइटल" रोग की समस्या से अवगत है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष खान से पत्थर निकालने वाले सैकड़ों श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) क्या यह रोग आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के क्वार्ट्ज-खनन गांवों में अधिक फैल रहा है;

(ग) क्या इस बीमारी के मरीजों को "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आक्युपेशनल हैजार्डस" और आंध्र प्रदेश चेस्ट होस्पिटल में उपचार हेतु भेज दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बीमारी के अधिकतर मरीज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्गों के हैं, सिलिकासिस से पीड़ित मरीजों का इलाज आधुनिक मशीनों से प्रभावी ढंग से करने हेतु राज्य तथा जिला-स्तर के अस्पतालों को चिकित्सा सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में श्रीरामसागर परियोजना

309. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल जैसे पिछड़े जिलों में सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई विकास कार्यक्रम

(ए.आई.डी.पी.) के अंतर्गत श्रीरामसागर परियोजना (एस.आर.एस.पी.) में क्या प्रगति हुई है और चालू वर्ष के लिए कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार नितान्त रूप से श्रीरामसागर परियोजना (एस.आर.एस.पी.) की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग, राज्य सिंचाई विभाग और इंजीनियरों का एक दल गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को राज्य सरकार के सहयोग से पूरा करने का है क्योंकि तेलंगाना क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करना यह एक समेकित परियोजना है; और

(ङ) निजामाबाद जिले में लक्ष्मी नहर और बालकांडा में पम्पसेट स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) श्रीराम सागर परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई वी पी) के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 6.3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी और वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय ऋण सहायता की प्रथम किस्त के रूप में 31.50 करोड़ की धनराशि निर्मुक्त की गयी। नवम्बर, 1996 तक परियोजना के ए आई वी पी घटकों पर 20.70 करोड़ का खर्चा है।

(ख) से (घ) केवल श्रीराम सागर परियोजना की प्रगति को मानीटर करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग, राज्य सिंचाई विभाग और इंजीनियरों का एक निगरानी दल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इस परियोजना की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है।

(ङ) 3.5 किलोमीटर तक लक्ष्मी नहर का काम पूरा कर लिया गया है। इसका वितरक नहरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निजामाबाद जिले के बालकडा में अभी तक पम्पसेट नहीं लगाए गए हैं।

सरदार सरोवर परियोजना की लागत में भागीदारी

310. श्री सनत मेहता :
श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के भागीदार राज्यों तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान द्वारा इसकी लागत का अपना-अपना हिस्सा वहन करने के संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान बार-बार आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक भागीदार राज्य द्वारा कितनी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने बकाया राशि के भुगतान हेतु इस मुद्दे को भागीदार राज्यों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सरदार सरोवर परियोजना को अतिशीघ्र पूरा करने हेतु इस मुद्दे को किस प्रकार सुलझाने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में पक्षकार राज्यों से गुजरात सरकार को 31 दिसम्बर 1996 को देय हिस्से का विवरण निम्न प्रकार है।

मध्य प्रदेश	432.30 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	69.32 करोड़ रुपए
राजस्थान	146.95 करोड़ रुपए
कुल	648.57 करोड़ रुपए

(ग) से (ङ) जी, हां। गुजरात सरकार को अन्य पक्षकार राज्यों में सरदार सरोवर परियोजना की अंश लागतों के भुगतान से संबंधित मामले पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में समय-समय पर विचार विमर्श किया गया है। राज्यों को गुजरात सरकार को बकाया देयों का भुगतान शीघ्र करने के लिए सूचित किया गया है। इस मामले पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की 13.11.1996 को आयोजित 7वीं बैठक में विचार भी किया गया था, जिसमें राज्यों ने शीघ्र भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। पक्षकार राज्य अपनी वार्षिक योजना/बजट में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए भी सहमत हो गए थे। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भी संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से गुजरात को अपनी अंश लागत का भुगतान शीघ्र करने का अनुरोध किया है।

उत्तर प्रदेश में स्मारकों की जीर्ण स्थिति

311. श्रीमती शीला गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, फर्रूखाबाद और अलीगढ़ जिलों में पुरातत्व महत्व के अमूल्य स्मारकों की स्थिति उनके अपर्याप्त रख-रखाव के कारण जीर्ण हो गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में इनके रख-रखाव और संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) संघ सरकार के अन्तर्गत संरक्षित स्मारकों का भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण द्वारा भली-भांति रख-रखाव किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरदार सरोवर नहर संबंधी कार्य योजना

312. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार से सरदार सरोवर नहर और वितरण प्रणाली को पूरा करने के लिए एक तीन वर्षीय समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित 100 करोड़ रुपए की तुलना में 150 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोट्टापुरम-कोल्लम जलमार्ग

313. **श्री टी. गोविन्दन :**
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण को घोषित पश्चिम तट नहर को बढ़ाकर राष्ट्रीय जलमार्ग-तीन के रूप में विकसित करने हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पूरी राशि तत्काल जारी करने और यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि जारी करने के भी कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग-तीन के उत्तर में कोट्टापुरम से कासरगोड़ तक और दक्षिण में कोल्लम से कोवलम तक विस्तार की व्यवहार्यता के अध्ययन तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) राष्ट्रीय जलमार्ग पर विकास कार्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों के लिए निधियां भा.अ.ज.प्रा. को प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट में से स्कीमवार अनुदानों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 1996-97 में केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर विकास कार्य शुरू करने के लिए 4.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का पूरी तरह उपयोग किए जाने की आशा है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी पर्याप्त निधियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ग) 1989 से 1993 की अवधि के दौरान पश्चिमी तटीय नहर के कोट्टापुरम-कसारगोड़ और कोलम-कोवलम खंडों में नौचानल के विकास की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का चरणबद्ध रूप से अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से पता चला कि उपर्युक्त खंडों में नौचालन का विकास तकनीकी रूप से जटिल और आर्थिक तौर पर अव्यवहार्य है। तथापि, पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करने हेतु एक अध्ययन राष्ट्रीय परिवहन योजना एवं अनुसंधान केन्द्र (एन ए टी पी ए सी) को सौंपा गया है। एन ए टी पी ए सी द्वारा अपना अध्ययन मार्च, 1997 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। आई डब्ल्यू टी पर कार्य दल द्वारा 9वीं योजना के लिए कोट्टापुरम-कसारगोड और कोलप-कोतलम खंडों में विकास कार्य के लिए विभिन्न प्रावधान करने के सुझाव दिए गए हैं। इन खंडों का राष्ट्रीय जल-मार्ग के रूप में विकास करने के लिए अगली कार्यवाही चल रहे अध्ययन के परिणाम के आधार पर की जाएगी।

आयुर्वेदिक औषधि घोटाला

314. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश में हुए आयुर्वेदिक घोटालों के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो के क्या निष्कर्ष हैं और इस घोटाले में संलिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां

315. श्री बी. वी. राघवन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में संलग्न तत्वों से संपर्क रखने हेतु पाकिस्तान की आई.एस.आई. एजेंसी द्वारा बंगलादेश में एक अड्डा बनाने का संदेह है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को बंगलादेश के साथ उठाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके क्षेत्र का उपयोग भारत विरोधी तत्वों द्वारा नहीं किया जा सके?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को बंगलादेश के भीतर पाकिस्तान की इण्टर-सर्विसेज इण्टेलिजेंस द्वारा हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारतीय विद्रोहियों को सहायता देने सहित भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है। इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति हम अपनी चिंता बंगलादेश की सरकार के साथ नियमित रूप से उठाते रहते हैं। इस मामले पर विदेश मंत्री की 6-9 सितम्बर, 1996 की और प्रधानमंत्री की 6-7 जनवरी, 1997 की ढाका-यात्रा के दौरान उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्ष आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों का एक-साथ मिलकर सामना करने पर सहमत हुए हैं और यह कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का एक-दूसरे के विरुद्ध लक्षित गतिविधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। बंगालदेश की प्रधानमंत्री ने हमारे संबंधित राष्ट्रहित को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के आतंकवाद अथवा विद्रोह को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छे पड़ोसी देशों के रूप में बंगलादेश और भारत की प्रतिबद्धता और दृढ़ निश्चय का भी उल्लेख किया। दोनों देशों के संयुक्त कार्यकारी दल को फिर से सक्रिय करके यह सुनिश्चित करने के लिए और बातचीत की गई कि बंगलादेश क्षेत्र का उपयोग भारत विरोधी बलों द्वारा न किया जाए।

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग

316. श्री ए. सम्पथ : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के संबंध में किसी पक्ष की ओर से कोई रूकावट उत्पन्न की गई है;

(ख) केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केरल में जलमार्ग द्वारा प्रतिवर्ष यात्री और माल यातायात द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया जा सकता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) केरल में उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ पश्चिमी तटीय नहर का कोल्लाम से कोट्टापुरम् खंड, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 205 कि.मी. है, एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। चम्पाकारा नहर, उद्योग मंडल नहर और पश्चिमी तटीय नहर के कोची-इडापल्ली कोटा खंडों का उपयोग फिलहाल यंत्रीकृत कार्गो जलयानों द्वारा नौचालन के लिए किया जा रहा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस जलमार्ग के निकर्षण कार्य, बांधों की मरम्मत और सुधार, दिन के समय नौचालन सुविधाओं, जलराशिक सर्वेक्षण संबंधी कार्य नियमित रूप से कर रहा है। भूमि अधिग्रहण और नहरों के संकरे खंडों को चौड़ा करने के लिए कैपिटल निकर्षण के लिए स्कीमें तैयार कर ली गई हैं।

(ग) तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों से पता लगता है कि इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास से यात्री और माल के परिवहन की लागत में काफी कमी करना एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो सकता है। कुछ समय में जब यह राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित हो जाएगा, कार्गो/यात्री सेवाओं से राजस्व प्राप्त होगा। यातायात, अंतर्देशीय जल परिवहन साधन के विस्तार सहित अनेक कारकों पर निर्भर करेगा। तकनीकी-आर्थिक अध्ययन में राजस्व का कोई आंकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

317. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या इन स्वास्थ्य केन्द्रों में अत्यधिक अल्प मात्रा में दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में उपरोक्त पद रिक्त हैं तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितनी मात्रा में दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने का है तथा इन केन्द्रों पर आपूर्ति की जाने वाली दवाइयों की मात्रा बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) यह राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं रखती है। तथापि, राज्य सरकारों से 30 जून, 96 तक मिली सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में डाक्टरों और फार्मेसिस्टों की रिक्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है। इन केन्द्रों को औषधियां राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने बजट से प्रदान की जाती हैं। चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती और औषधियों की आपूर्ति राज्य सरकारों के दायरे में आती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने और औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रहती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1996 को डाक्टरों/फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों की स्थिति

	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
डाक्टर	3787	2263	1524
फार्मेसिस्ट	927	927	शून्य

निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

318. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अस्पतालों को वित्तीय सहायता जारी करते समय उनके द्वारा कुछ नियमों के अनुपालन हेतु निर्देश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा 40 प्रतिशत निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपबल्ध कराने के लिए कोई शर्त निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन न किये जाने की जांच का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते समय विदेशी निवेश सम्बर्धन बोर्ड द्वारा निर्धन और जरूरतमन्द लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने की शर्त लगाई जा रही थी।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 1.3.88 की अधिसूचना सं. 64/88 कस्ट० के अनुसार आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अस्पताली उपस्करों के आयात के लिए सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र जारी करते थे। सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करते समय सम्बन्धित राज्य सरकार से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अस्पताल अपने कुल बहिरंग रोगियों में से औसतन कम से कम 40 प्रतिशत को निःशुल्क उपचार प्रदान करता है जो कि अधिसूचना की शर्तों में से एक है।

1.3.94 की अधिसूचना सं. 64/88 कस्ट० को अब 1.3.94 से निरस्त कर दिया गया है तथा राजस्व विभाग की 1.3.88 की अधिसूचना सं. 64/88 कस्ट० के अन्तर्गत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1988 से सीमा शुल्क छूट जारी करने का सारा मामला माननीय दिल्ली उच्च-न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 409/96 दायर करके प्रस्तुत किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय में अपने अन्तरिम आदेश में निदेश दिया कि अस्पताली उपस्करों के आयात में अनियमितताओं, कदाचार की जांच करने के लिए दो समितियां नियुक्त की जाएं। तदनुसार, वित्त

मंत्रालय ने अपने 1.11.96 के अपने पत्र सं. ए-11013/7/96-सा० 1 के तहत अपने आदेश सं. 241/1996 के द्वारा दो समितियां गठित की हैं। इस प्रकार सारे मामले की इन दो समितियों द्वारा उन्हें सौंपे गए विचारार्थ विषयों के अनुसार जांच की जा रही है।

कार्निया लगाना

319. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समयनेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या दुर्घटना या बीमारी के कारण हुई नेत्रहीनता को कार्निया लगा कर दूर किया जा सकता है;

(ग) क्या हमारे देश में लोग कार्निया दान करने के इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्निया दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 989 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान है कि देश में 12 मिलियन से अधिक व्यक्ति दृष्टिहीन हैं और दृष्टिहीन व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के अनुमानित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कार्नियल प्रत्यारोपण दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण हुई दृष्टिहीनता के कुछ मामलों में उपयोगी हो सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) नेत्र दान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 28 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।

विवरण

राज्यवार दृष्टिहीनता और दृष्टिहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

	राज्य/संघ राज्य	जनसंख्या	प्रति 10,000 जनसंख्या पर दृष्टिहीन	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	66508008	150	10,88,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	864558	123	13,500
3.	असम	22414322	134	3,00,000
4.	बिहार	86374465	128	10,66,000
5.	दिल्ली	9420644	63	62,000
6.	गोवा	1169793	203	25,000
7.	गुजरात	41309582	144	5,83,000
8.	हरियाणा	16463648	113	1,83,000
9.	हिमाचल प्रदेश	5170877	87	45,000
10.	जम्मू और कश्मीर	7718700	280	2,11,000
11.	कर्नाटक	44977201	129	5,59,000

1		2	3	4
12.	केरल	29098518	131	3,67,000
13.	मध्य प्रदेश	66181170	201	13,22,000
14.	महाराष्ट्र	78937187	164	12,52,000
15.	मणिपुर	1837149	65	11,000
16.	मेघालय	1774778	22	3,000
17.	मिजोरम	689756	अनुपलब्ध	–
18.	नागालैंड	1209546	38	4,000
19.	उड़ीसा	31659736	172	5,38,000
20.	पंजाब	20281969	73	1,40,000
21.	राजस्थान	43997990	224	9,38,000
22.	सिक्किम	406457	45	3,000
23.	तमिलनाडु	55858946	165	9,22,000
24.	त्रिपुरा	2757205	118	34,000
25.	उत्तर प्रदेश	139112287	158	20,98,000
26.	पं. बंगाल	68077965	96	6,54,000
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	280661	67	1,900
28.	चंडीगढ़	642015	189	11,400
29.	दादरा एवं नहर हवेली	138477	अनुपलब्ध	–
30.	दमन एवं दीव	101586	अनुपलब्ध	–
31.	लक्षद्वीप	51707	89	400
32.	पांडिचेरी	807785	अनुपलब्ध	–
	कुल	846302688	149	12435200

*स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन/भारत सरकार राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986-89)।

**1991 की जनगणना के आधार पर सर्वेक्षण परिणाम।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

320. श्री एन. जे. राठवा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात ने सड़क और भवन विभागों ने गत तीन वर्षों के दौरान "गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार" के संबंध में केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वर्ष-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया गया है और कितने प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित हैं;

(घ) इस संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ङ) जी हां। पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त लगभग 186 प्रस्तावों में से 9962.08 लाख रु. की लागत की 90 सड़क/पुल परियोजनाओं को निर्माण कार्यों के विकास के लिए स्वीकृति दे दी गई है। अन्य कार्यों को स्वीकृति मुख्यत: केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के तहत वित्तीय अभाव के कारण नहीं दी जा सकी।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल परिवहन

321. डा. कृपा सिंधु भोई : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन को विकसित करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतर्देशीय जल परिवहन को विकसित करने के लिए दीर्घावधि योजना की समयावधि कितनी है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ एक अलग कृतक बल गठित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में आई डब्ल्यू टी सैक्टर के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देने के लिए गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कार्यदल की सिफारिशों में अगले पांच वर्षों के दौरान आई डब्ल्यू टी के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रमों तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तथा उसके बाद अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख किया गया है, ताकि आई डब्ल्यू टी के लिए जहां भी संभावनाएं मौजूद हों, उसे एक सक्षम परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित किया जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्

322. श्री बी. एल शर्मा "प्रेम": क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 24 अगस्त, 1990 को किया गया था। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री इस परिषद् के सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य प्रयास राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में उभरती विदेशी स्थिति और हमारी घरेलू स्थिति के बीच के संबंधों को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है।

2. एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसमें विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के 35 सदस्य लिए गए हैं, का गठन 3 नवम्बर, 1990 को एक राजपत्र-अधिसूचना द्वारा किया गया था।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अपने गठन के प्रयोजन को पूरा कर सके इसके लिए इसे एक अधिक कारगर निकाय बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन करने के प्रस्तावों व सुझावों पर इस समय सरकार ध्यान दे रही है।

राजस्थान में केन्द्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

323. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में कुछ केन्द्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में इन केन्द्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान के लोगों विशेष रुप से कमजोर वर्गों जैसे बच्चों, महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु इस राज्य को पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जिनमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता शामिल है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) स्वास्थ्य क्षेत्र में ससाधनों को बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य सहित समूचे देश में चल रहे क्षयरोग, कुष्ठ रोग, दृष्टिहीनता तथा एड्स जैसे विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने जैसे कुछ कदम उठाए गए हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य तथा व्यापक रोग प्रतिरक्षण पर जोर दिया गया है। ये कार्यक्रम समाज के संवेदनशील वर्गों, जिनमें बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोग शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं।

विवरण

8वीं योजना (1992-97) के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राजस्थान राज्य को वित्तीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	546.53	779.38	560.59	1196.57	805.58 (ब.अ.)
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	57.96	35.40	58.20	95.78	51.00 (ब.अ.)
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	91.47	87.52	118.30	322.28	322.70 (ब.अ.)
4.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	85.69	61.95	156.51	312.88	202.25 (अनन्तिम आवंटन)
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	52.86	47.64	123.84	90.00	225.00 (31.1.97 तक)
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	5919.50	7697.29	10991.90	9110.23	4912.51 (ब.अ.-केवल नकद)

ब.अ. = बजट अनुमान

कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के मामले में बहुऔषध चिकित्सा कार्यकलापों के लिए जिला कुष्ठ सोसायटियों को 451.90 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि विमुक्त की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण तथा पुनर्वास

324. **श्री कचरू भाऊ राउत :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जनजातीय, ग्रामीण, पिछड़े तथा पठारी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के कल्याण तथा पुनर्वास हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों/शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के कल्याण तथा पुनर्वास हेतु वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) इन योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण संबंधी केन्द्र सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य तथा उसके आदिवासी, ग्रामीण, पिछड़े, पठारी क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

(1) केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के निम्नलिखित प्रतिशत की व्यवस्था की हुई है:-

	केंद्र सरकार	केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक
समूह "ग" पद	10%	14.5%
समूह "घ" पद	20%	24.5%

(2) इसके अलावा, अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक काडिटों के पदों में भी 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की हुई है। रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित की गई है।

(3) सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं में छूट।

(4) सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों की नियोज्यता बेहतर बनाने या उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(5) स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सेमफेक्स-1, सेमफेक्स-2 और सेमफेक्स-3 के अंतर्गत ऋण सुविधाएं।

(6) मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं/आश्रितों युद्ध में निशक्त हुए, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को पेट्रोलियम उत्पादन एजेंसियों का 7.5% आबंटन आरक्षित है।

(7) थोक में द्रवित पेट्रोलियम गैस/कोयला ढोने के लिए भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियां।

(8) रक्षा मंत्री की विवेकाधिकार निधि से जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता।

(9) बाइपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सशस्तर सेना झंडा दिवस निधि से 60% व्यय की प्रतिपूर्ति।

(10) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने क लिए रेल किराए में 75% छूट तथा श्रेणी 1 तथा 2 अर्थात् परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और युद्ध में स्थाई रूप से निशक्त हुए अफसरों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों में हवाई यात्रा करने के लिए किराए में 50% छूट।

(11) नजदीकी यूनिट चालित कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं।

(12) मौजूदा सैन्य अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(13) सैनिक विश्राम-गृहों में थोड़े समय के लिए ठहरने के वास्ते हकदार।

(14) सैन्य कार्रवाई में मारे गए या निशक्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें।

2. उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार अपने यहां रह रहे भूतपूर्व सैनिकों को अनेक रियायतें तथा लाभ दे रही है।

3. पुनर्वास तथा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की गई राशि के बारे में आदिवासी, ग्रामीण, पिछड़े और पठारी क्षेत्रवार सूचना तथा लाभार्थियों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1995 और 1996 के दौरान क्रमश: 646 और 861 भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी गई थी। पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान राज्य में सेमफेक्स योजना के तहत कुल 415 भूतपूर्व सैनिकों को लगभग 209.02 लाख रुपए के ऋण/वित्तीय सहायता दी गई। भूतपूर्व सैनिकों को महाराष्ट्र राज्य में स्थित 12 सैन्य अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य में 26 सैनिक विश्राम-गृह हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान 32 भूतपूर्व सैनिकों को मकान की मरम्मत कराने, पुत्री के विवाह, चिकित्सा उपचार आदि के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि तथा रक्षा मंत्री की विवेकाधिकार निधि से 6.10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पेक्सेम योजना के तहत 1,04,535/- रुपए का व्यय किया गया है।

अनिवासी भारतीयों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा

325. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों में प्रायोजकों द्वारा खाड़ी देशों में मरने वाले अनिवासी भारतीयों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान करने में भारी विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) क्या खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों के इस मामले को उन देशों के प्राधिकारियों के ध्यान में लाने के निदेश दिए गए हैं; और

(ग) मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के शीघ्र भुगतान के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) खाड़ी के देशों में मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों से समय-समय पर सरकार और भारतीय मिशनों को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। ये अभ्यावेदन वैध देय राशियों और मृत्यु मुआवजों के भुगतान से संबंधित हैं। इन अभ्यावेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गई है तथा भारतीय मिशनों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मामला संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों और प्रायोजकों के साथ उठाने का निर्देश दिया गया है। भारतीय मिशन स्थानीय नियमों के अन्तर्गत मुआवजा संबंधी मामले पर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से इकट्ठी की गई मृत्यु मुआवजा राशि तथा अन्य वैध राशि एकत्रित करके राजदूतावास भारत में जिला प्राधिकारियों के माध्यम से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के पास भिजवा देता है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

326. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण और रख-रखाव/मरम्मत के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कितना ऋण तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त की गई;

(ख) क्या कुल ऋण राशि उन्हीं परियोजनाओं पर खर्च की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे ऋण तथा अग्रिम धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ खर्च की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) महाराष्ट्र में रा.रा-8 के मनार बसैन क्रीक खंड (58 कि.मी.) को चौड़ा करके चार लेन का बनाए जाने और मौजूदा दो लेन को मजबूत बनाने के कार्य को हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार और उड़ीसा में राज्यीय सड़कों पर पुल के पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक के साथ सम्पन्न हुए 306 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण समझौते में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र उप-परियोजना पर कार्य अभी चालू नहीं हुआ है और इस कार्य पर ऋण राशि का कोई भाग व्यय नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) अन्तर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्रक्रिया के अन्तर्गत परियोजना पर सर्वप्रथम व्यय, बजटगत आबंटन में से करना पड़ता है। उसके बाद व्यय के दावे संबंधित वित्तीय संस्थाओं को भेजे जाते हैं जो ऋण समझौते के तहत स्वीकार्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हैं। इस प्रकार, किसी अन्य प्रयोजन से ऋण के डाइवर्जन की संभावना नहीं है।

ललित कला अकादमी

327. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ललित कला अकादमी के प्रशासन को अपने अधिकार में लिए जाने का आधार क्या है;

(ख) इस अकादमी में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंध हेतु दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अकादमी में भविष्य में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंध की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु इसकी संरचना में क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) हक्सर समिति की अनुशंसाओं, जिनमें अकादेमी के ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था, को स्वीकार करने में ललित कला अकादेमी की अनिच्छा, अकादेमी के मामलों में प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों तथा सरकार के आदेश से कराई गयी विशेष लेखा-परीक्षा, अकादेमी की जन-विश्वसनीयता में क्षति, आदि वे आधार हैं, जिनके कारण ललित कला अकादेमी के प्रबंधन का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) पारंभिक जांच रिपोर्ट और विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दोषी पाए गए कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अकादेमी के प्रशासक को पहले ही सरकार द्वारा निदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) कुछ समय पश्चात् हक्सर समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में ललित कला अकादेमी की सामान्य परिषद, कार्यकारिणी बोर्ड, वित्त समिति आदि को पुनर्गठित करने का सरकार का प्रस्ताव है।

भारत-इजरायल समझौता

328. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजरायल के राष्ट्रपति, ईजर वाइजरमैन की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान भारत और इजरायल ने चार द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) (1) भारत और इजराइल की सरकारों के बीच विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण-अवसरों के प्रावधान के साथ-साथ आपसी तकनीकी सहयोग संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग से संबद्ध करार सम्पन्न किया गया।

(2) दोनों सरकारों के बीच संयुक्त उच्च तकनीकी कृषि प्रदर्शन सहयोग के लिए आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) औद्योगिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्रों में संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी स्थापना के लिए दोनों देशों के बीच औद्योगिक तकनीकी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने से संबंधी अम्ब्रेला करार सम्पन्न किया गया।

(4) दोनों सरकारों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग संबंधी कार्यक्रम सम्पन्न हुआ इसमें 1997-1999 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों में आदान-प्रदान कार्यक्रम संबंधी करार भी निहित है।

दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा

329. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1997 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' में ''कैम्पस वायलेंस रिफ्लैक्ट्स शिफ्ट इन स्टुडेंट एटीट्यूइस'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) 6 जनवरी, 1997 को इंडियन एक्सप्रैस में छपे समाचार में दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के परिसरों में घटनाओं/अराजकता के मामलों/घटनाओं में वृद्धि का आरोप है। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को समाचार पत्र में उल्लिखित घटना विशेष पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने और परिसर में शान्ति बनाए रखने हेतु ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

तटरक्षक

330. श्री संदीपान थोरात : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1997 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' में ''कोस्ट गार्ड सीक्स कोर्ट्स फार मेरिटाइम केसेस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तटरक्षक ने एम.जेड.आई. अधिनियम, 1981 के तहत मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतें गठित किए जाने के लिए 1985 में सरकार को प्रस्ताव किया था। परन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं समझा था और इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कर्नाटक में सिंचाई सुविधाएं

331. श्री बी. एल. शंकर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान सिंचाई योजनाओं पर राज्य में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत राज्य को वार्षिक योजना आबंटन के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए वृहत परियोजनाओं नामत: अपर कृष्णा चरण-1 और मालाप्रभा तथा मध्यम परियोजना हिराहाला को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत 122.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए राज्य को केन्द्रीय ऋण सहायता की 61.25 करोड़ रुपए की राशि की पहली किश्त पहले ही जारी कर दी गई है।

(ख) योजना आयोग ने सिंचाई क्षेत्र के लिए अगले दो वर्षों के लिए योजना परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत अवैतनिक प्राध्यापक

332. श्री के. प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कितने अवैतनिक प्राध्यापक कार्यरत हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ की छंटनी की जानी है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें नौकरी से हटाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके मामलों की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर सीमा पर गोलाबारी

333. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने पिछले एक वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में तथा देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर गोलीबारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध जताया है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखा तथा जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण गोलीबारी करना एक अक्सर होते रहने वाली घटना है। इस तरह की गोलीबारी को कारगर ढंग से रोकने के लिए सेना द्वारा समुचित और पर्याप्त कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की घटनाओं पर हमारी चिन्ता से उन्हें अवगत कराने के वास्ते भारतीय सैन्य संक्रियाओं के महानिदेशक और उनके समकक्ष पाकिस्तानी अधिकारी के बीच दूरभाष पर साप्ताहिक वार्ताएं और स्थानीय स्तर की ध्वज बैठकें होती हैं। ये बैठकें सीमा के आर-पार के तनाव को कम करने में प्रभावी रही हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्मारक

334. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चारमीनार और मक्का मस्जिद हैदराबाद के प्राचीनतम राष्ट्रीय स्मारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग इन स्मारकों को देखने आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या प्राधिकारियों ने दर्शकों के लिए कोई प्रतिबंध लगाया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप चारमीनार और मक्का मस्जिद की स्थिति में गिरावट आई है;

(ङ) क्या सरकार इन स्मारकों के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रदान करने और दर्शकों पर लगाये गये प्रतिबंध को उठाने पर विचार कर रही है; और

(च) सरकार द्वारा इन स्मारकों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से इनके सौन्दर्यीकरण हेतु कब तक कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। चारमीनार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है और मक्का मस्जिद की देख-रेख आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) 17.11.1986 में हुई एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप जिसमें एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने मीनार के उच्चतम तल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी, आगन्तुकों को चार मीनार के उच्चतम तल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) चार मीनार स्मारक का समुचित परिरक्षण किया गया है और इसके रखरखाव के प्रति नियमित रूप से ध्यान दिया गया है। चार मीनार के उच्चतम तल पर जाने के लिए प्रतिबन्ध को हटाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल करना

335. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने नौवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित राज्य मार्गों को शामिल करने के मुद्दे पर योजना आयोग के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधई ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) 9वीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और फिलहाल कोई ब्यौरे देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी, बिहार में अतिक्रमण

336. श्री शत्रुघ्न प्रताप सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पटना जिले के अंतर्गत दानापुर छावनी स्थित बस स्टैंड के आस-पास की संपूर्ण भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भूम को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) बस स्टैंड की कुछ भूमि का भाग और उसके आस पास के क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह भूमि लगभग 558 वर्ग मीटर है।

(ख) छावनी बोर्ड ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

पत्तन क्षेत्र में निजी भागीदारी

337. श्री एस. डी. एन. आर. वडियार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तन क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में बड़े पत्तनों के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पत्तन सैक्टर में इन क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है:-

1. पत्तन की मौजूदा परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना।
2. अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निर्माण/सृजन जैसे कि:-
   (i) कन्टेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन।
   (ii) बल्क, ब्रेक बल्क, बहु-उद्देश्यी और विशिष्ट कार्गो बर्थों का निर्माण और प्रचालन।
   (iii) भंडारण, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, संग्रहण सुविधाएं तथा टैंक फार्म।
   (iv) क्रेनेज/हैंडलिंग उपकरण।
   (v) आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
   (vi) शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाएं।
3. पत्तन हैंडलिंग के लिए उपकरण पट्टे पर देना तथा निजी क्षेत्र से फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।
4. पायलटेज।
5. पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ग) जी हां।

(घ) इन मार्ग निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(1) मौजूदा विधायी ढांचा पत्तनों में इसकी निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देता है।

(2) पत्तन, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अपनी नियामक भूमिका निर्वहन करते रहेंगे।

(3) बी ओ टी आधार पर निविदाएं दिए जाने के लिए अभिनिर्धारित परियोजनाओं के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पत्तन के खर्च पर तैयार की जाएगी जिसकी लागत बाद में सफल निविदादाता से वसूल कर ली जाएगी।

(4) बी ओ टी मॉडल का उपयोग, सामान्यतया निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किया जाएगा और रियायत अवधि के बाद परिसम्पत्तियां निशुल्क पत्तन को लौटा दी जाएंगी। इसका मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित मापदंड के आधार पर किया जाएगा और यह एन पी वी विश्लेषण का प्रयोग करके पत्तन के लिए अधिकतम वसूली के आधार पर होगा।

(5) प्रत्येक मामले में रियायत अवधि संबंधित पत्तन द्वारा नियत की जाएगी जो 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(6) पत्तन संभावित वित्तीय लाभ अथवा यातायात के लिए कोई गारंटी नहीं देगा।

(7) टैरिफ प्राधिकरण टैरिफ की एक सीमा नियत कर सकता है और निजी उद्यमी, उद्यमी द्वारा नियत की जाने वाली दरों पर लेकिन टैरिफ सीमा तक प्रभार वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि टैरिफ प्राधिकरण संतुष्ट हो तो न्यायोचित आधार पर टैरिफ में उपयुक्त रूप से आवधिक बढ़ोतरी की अनुमति दी जा सकती है।

(8) निजी क्षेत्र की सहभागिता खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर होगी, जो दो लिफाफों में आमंत्रित की जाएगी।

(9) पत्तन न्यासों द्वारा उपकरण/पत्तन क्राफ्ट और पायलटेज के पट्टे पर लेने में मूल्यांकन का मापदंड पत्तनों की न्यूनतम लागत होगी।

(10) पत्तन श्रमिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रमिकों की सहमति बग़ैर कोई छंटनी नहीं की जाएगी और यह छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम और संगत श्रम कानूनों के अनुसार की जाएगी। पट्टाधारक देश के सभी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

पश्चिम बंगाल की तीस्ता नहर परियोजना

३०८. **श्री पी. आर. दासमुंशी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी बंगाल तीस्ता नहर परियोजना के शुरू किए जाने से अब तक पश्चिम बंगाल सरकार को कुल कितनी योजना सहायता अथवा नई योजना सहायता ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) इन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर होने वाले व्यय सहित इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तीस्ता परियोजना को 1983-84 में 5.00 करोड़ रुपए की और वर्ष 1986-87 और 1987-88 प्रत्येक वर्ष में 10.00 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। आठवीं योजना के दौरान 150.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई। इसके अलावा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 में परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई, जिसमें से 5 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त किए गए।

(ख) वर्ष 1994-95 तक राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि लगभग 457 करोड़ रुपए है।

(ग) जून, 1996 तक परियोजना में हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजना को पूरा करना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगी। वर्ष 1990 के मूल्य स्तर पर 695 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में वर्ष 1994-95 तक कुल प्रत्याशित व्यय लगभग 593.00 करोड़ रुपए है।

विवरण

तीस्ता परियोजना की वास्तविक स्थिति

क्र.सं.	कार्य की मद	यूनिट	कुल अनुमानित मात्रा	मात्रा 6/96 तक बढ़ाई गई
1.	**तीस्ता बराज :**		मई, 1987 में पूरी हुई	
2.	**महानन्दा बराज :**		मई, 1987 में पूरी हुई	
3.	**डॉक नगर बराज :**		10/89 में पूरी हुई	
4.	**तीस्ता महानन्दा संपर्क नहर (25.79 कि.मी.)**			
	सं. 2 पुल जिसके लिए वन विभाग द्वारा स्थल का निर्धारण किया जाना है, को छोड़कर पूर्ण।			
5.	**महानन्दा मुख्य नहर (32.22 कि.मी.)**			
	(1) मिट्टी कार्य	कि.मी.	32.22	32.22
	(2) पक्का करना	कि.मी.	32.22	32.17
	(3) संरचनाएं	संख्या	55	54
6.	**डॉक नगर मुख्य नहर**			
	(1) मिट्टी कार्य	कि.मी.	79.80	60.00
	(2) पक्का करना	कि.मी.	79.80	50.67
	(3) संरचनाएं	संख्या	133	63
7.	**नगर टान्गांव मुख्य नहर (45 कि.मी.)**			
	(1) मिट्टी कार्य (2) पक्का करना (3) संरचनाएं	अभी शुरू नहीं किया गया।		
8.	**तीस्ता जलधाका मुख्य नहर (30.35 कि.मी.)**			
	(1) मिट्टी कार्य	कि.मी.	30.35	18.64
	(2) पक्का करना	कि.मी.	30.35	11.88
	(3) संरचनाएं	संख्या	50	10

प्राइवेट विश्वविद्यालय

339. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई नीति/दिशा-निर्देश तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) "निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995" नामक विधेयक 25 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में पुरस्थापित किया गया।

प्रमुख पत्तनों का आधुनिकीकरण

340. डा. टी सुब्बारामी रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम पत्तन के विशेष संदर्भ सहित 1996-97 के दौरान माह वार तथा पत्तनवार देश में बड़ी पत्तनों पर कितने माल की आवाजाही हुई;

(ख) क्या सरकार के पास पत्तनों की पोतभार संचालन क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रमुख पत्तनों के आधुनिकीकरण संबंधी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) विशाखापत्तनम पत्तन के विशेष संदर्भ सहित, 1996-97 के दौरान महापत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो की महीने-वार मात्रा इस प्रकार है:-

(अनंतिम) (मिलियन टन में)

महीना	महापत्तन	विशाखापत्तनम पत्तन
अप्रैल, 1996	19.22	3.07
मई	19.34	2.57
जून	16.07	2.30
जुलाई	17.90	2.96
अगस्त	17.13	3.01
सितम्बर	16.78	2.80
अक्टूबर	18.58	2.51
नवम्बर	18.75	2.81
दिसम्बर	20.11	2.71
जनवरी, 1997	21.02	3.05

(ख) और (घ) जी हां। 9वीं योजना में प्रस्तावित पत्तनवार परिव्यय इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु.)

कलकत्ता	927.44
मुम्बई	979.86
मद्रास	1803.30
कोचीन	336.70
विशाखापत्तनम	1178.00
कांडला	871.28
मुरमोगाब	259.35
पाराद्वीप	1452.00
न्यू मंगलौर	341.50
तूतीकोरिन	446.50
जवाहर लाल नेहरू पत्तन	515.13

रक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय

341. श्री मुख्तार अनीस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना द्वारा चलाए जा रहे माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए ऐसे विद्यालयों हेतु कितना बजटीय अनुदान दिया गया है;

(ग) शैक्षिक वर्ष 1996-97 के लिए उन विद्यालयों में रक्षा सेना-वार कितने छात्र पंजीकृत हैं;

(घ) उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए इन विद्यालयों में रक्षा सेना-वार असैनिक वर्ग के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है; और

(ङ) इन विद्यालयों में रक्षा सेनाओं तथा असैनिकों के छात्रों के नामांकन की क्या प्रक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपने नियंत्रण में चलाए जा रहे माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है:-

	सेना	नौसेना	वायुसेना
माध्यमिक	20	2	21
उच्चतर	42	4	15
माध्यमिक	–	–	–
	62	6	36

(ख) इन विद्यालयों के लिए वर्ष 1996-97 के वास्ते कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है तथापि वायुसेना द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को वायुसेना की कल्याण निधि से कुछ धनराशि राशि दी जाती है।

(ग) इन विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 1996-97 में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है और उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

सेना	-	58,320
नौसेना	-	7,538
वायुसेना	-	40,163

(घ) इन विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 1996-97 के लिए जिन असैनिक वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया गया है उनका सेनावार ब्यौरा इस प्रकार है:-

असैनिक वर्ग के छात्रों की संख्या

सेना	-	12,728
नौसेना	-	2,38
वायुसेना	-	सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ङ) वायुसेना विद्यालयों में यथासंभव वायुसेना कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है किन्तु जहां तक सिविलियनों के पात्र बच्चों के प्रवेश का संबंध में उन्हें स्थान उपलब्ध होने पर तथा उनका स्क्रीनिंग टेस्ट' लेकर प्रवेश दिया जाता है।

नौसेना विद्यालयों में निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर प्रवेश दिया जाता है:-

	श्रेणी	प्राथमिकता
(1)	सेवारत कार्मिकों के बच्चे	1
(2)	नौसेना पेंशनरों के बच्चे	2
(3)	नौसेना में कार्यरत सेना/ वायुसेना/सैन्य परिचर्या सेवा/ तटरक्षक/सैन्य इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों के बच्चे	3
(4)	अन्य	4

थलसेना के विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। यह परीक्षा सैन्य और असैन्य छात्रों के लिए एक समान होती है।

[हिन्दी]

विदेश के साथ समझौते

342. श्री ललित उराव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों के साथ गत छः माह के दौरान देश-वार किए गए समझौतों/समझौता ज्ञापनों में से प्रत्येक की मुख्य विशेषताएं क्या है

(ख) क्या पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न मुद्दों से संबंधित व्यापक समझौते किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चीन

1. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ इसमें कई महत्वपूर्ण विश्वासोत्पादक उपाय शामिल हैं और इसे 17 सितम्बर, 1993 को सम्पन्न वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने से संबद्ध करार के आधार पर तैयार किया गया है।

2. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में चीन लोक गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में भारत के प्रधान कोंसलावास को बनाए रखने से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें 30 जून, 1997 को हांगकांग के चीन लोक गणराज्य की सम्प्रभुता में अंतरण हो जाने के बाद हांगकांग में हमारे प्रधान कोंसलावास को बनाए रखने के लिए आधारभूत कानूनी संरचना का प्रावधान है।

3. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में स्वापक भेषजों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए सहयोग से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार और अन्य अपराधों को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग की व्यवस्था की गई है।

4. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में नौवहन से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें भारत और चीन के बीच समुद्री

व्यापार के विकास के लिए एक आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है।

मंगोलिया

1. 16 सितम्बर, 1996 को उलान बातर में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें भारत और मंगोलिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करने की व्यवस्था की गई है।

2. 16 सितम्बर, 1996 को कृषि के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षी सहयोग के लिए आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है।

3. 16 सितम्बर, 1996 को उलान बातर में भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है।

ओमान

1. ओमान में 5 अक्तूबर, 1996 को अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त अयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें नशीली दवाओं एवं मन:प्रभावी प्रदार्थों के अवैध व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों जिसमें आतंकवाद आर्थिक क्षेत्र में तथा शस्त्रों, एवं गोला बारूद से संबद्ध गैर-कानूनी गतिविधियां, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुओं की तस्करी तथा यात्रा दस्तावेजों इत्यादि की जालसाजी शामिल है। इन क्षेत्रों में, सूचना/आंकड़ों के आदान-प्रदान और अन्वेषण में सहायता के माध्यम से अपराध को रोकने में परस्पर सहायता की व्यवस्था की गई है।

2. ओमान में 5 अक्तूबर, 1996 को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग से संबद्ध एक करार सम्पन्न हुआ जसमें विशेषज्ञों, सूचना और आंकड़ों के आदान-प्रदान संगोष्ठियों और कार्यशालाओं प्रशिक्षणों के आयोजन और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की गई है।

3. ओमान में 5 अक्तूबर, 1996 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें कृषि अनुसंधान, बागवानी, मृदा संरक्षण, सिंचाई, डेरी विकास एवं खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण इत्यादि के क्षेत्रों में संयुक्त क्रियाकलापों की व्यवस्था की गई है।

यमन

1. कृषि, मरूस्थलीकरण और मृदा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग का विकास करने के लिए 7 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन में इस क्षेत्र में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए सहायता देने हेतु भारतीय कृषि विशेषज्ञों को यमन में प्रतिनियुक्ति करने की व्यवस्था है।

2. नई दिल्ली में 7 दिसम्बर, 1996 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबद्ध में एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें न केवल एक ऐसे सहयोग के लिए तंत्र की व्यवस्था है बल्कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।

3. 7 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार परिषद से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें दोनों पक्षों के व्यपार प्रतिनिधियों के बीच व्यापार सूचना तथा संबंधित क्रिया कलापों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच का प्रावधान किया गया है।

सूडान

1. स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन 13 अक्तूबर, 1996 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, रक्षा इत्यादि के नाजुक क्षेत्रों में सूडान को सहयोग एवं भारतीय सहायता की व्यवस्था है।

ट्यूनिशिया

1. 1996-97 के लिए कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए कार्ययोजना पर अक्तूबर, 1996 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए, इसमें दोनों देशों द्वारा सूचना एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा कृषि प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की व्यवस्था की गई है।

इजराइल

1. दिसम्बर, 1996 में भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और इजराइल के लघु व्यापार प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की गई है। भारत की विशेषज्ञता और इजराइल के अनुभव को उन नोडल एजेंसियों के माध्यम से दोनों देशों के पक्षकारों को सौंप दी जाएगी जिन्होंने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. भारत सरकार और इजरायल सरकार के बीच उनके परस्पर तकनीकी सहयोग के संवर्द्धन के लिए तकनीकी सहयोग संबंधी

करार 30.12.96 को सम्पन्न हुआ जिसमें विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण के अवसरों की व्यवस्था शामिल है।

3. औद्योगिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास के क्षेत्रों में संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की स्थापना का पता लगाने और सुलभ कराने के लिए दोनों सरकारों के बीच औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और विकास क्षेत्र में सहयोग विकास संबंधी छत्र करार 30.12.1995 को सम्पन्न हुआ।

स्लोवाक गणराज्य

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर 10 अक्तूबर, 1996 को हस्ताक्षरित करार का अभिप्राय दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

2. भारत और स्लोवाक गणराज्य के बीच 10 अक्तूबर, 1996 को वायु सेवाओं से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच भावी वायु संपर्कों के लिए रूप-रेखा की व्यवस्था की गई है।

चेक गणराज्य

1. भारत के विदेश मंत्रालय और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच 11 अक्तूबर, 1996 को परामर्श संबंधी प्रोतोकोल संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है।

2. निवेशों के संवर्धन और संरक्षण के लिए 11 अक्तूबर, 1996 को एक करार संपन्न हुआ जिसमें निवेशों के संरक्षण लाभों के प्रत्यावर्तन और विवाद निपटान तंत्र के लिए परस्पर गारंटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

3. संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध 11 अक्तूबर, 1996 को संपन्न करार एक ऐसा छत्र करार है जिसमें दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग करने की व्यवस्था की गई है।

पोलैंड

1. 1997-1999 की अवधि के लिए भारत और पोलैंड के बीच 7 अक्तूबर, 1996 को हस्ताक्षरित एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, 1957 के भारत-पोलैंड सांस्कृतिक करार, की समय-सीमा के भीतर सम्पन्न हुआ और इसमें शिक्षा और अध्ययन, संस्कृति और कला तथा जन-संचार में विशिष्ट रूप से द्विपक्षीय आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

2. 7 अक्तूबर, 1996 की निवेशों के संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें निवेशों के संरक्षण, लाभों के प्रत्यावर्धन और विवाद निपटान तंत्र के लिए परस्पर गारंटी का प्रावधान किया गया है।

3. 7 अक्तूबर, 1996 को भारत के विदेश मंत्रालय और पोलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है।

स्लोवानिया

1. भारत और स्लोवानिया के बीच एक सांस्कृतिक सहयोग संबंधी करार 16 दिसम्बर, 1996 को सम्पन्न हुआ। यह एक ऐसा छत्र करार है जिसमें एक दूसरे के देश में सांस्कृतिक महात्सवों के आयोजन, विद्वानों खिलाड़ियों आदि के आदान-प्रदान सहित विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था की गई है।

क्रोएशिया

1. भारत और क्रोएशिया के बीच नौवहन परिवहन संबंधी करार 3 जनवरी 1997 को सम्पन्न हुआ जिसमें अपनी अपनी जहाजरानी सेवाओं के बीच और दोनों के बन्दरगाह प्राधिकरणों के बीच की व्यवस्था की गई है।

रूसी परिसंघ

1. 22 अक्तूबर, 1996 को भारत के रक्षा मंत्रालय और रूसी परिसंघ के रक्षा मंत्रालय के बीच एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

2. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय, और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत रूसी अन्तर सरकारी आयोग के तीसरे सत्र पर एक प्रोतोकोल 11 फरवरी 1997 को सम्पन्न हुआ। इसमें व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स, बिजली, धातुकर्म कोयला, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, विज्ञान और प्रौद्योगकी, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों की व्यवस्था की गई है।

3. भारत और रूस के बीच संयुक्त जहाजरानी सेवा संबंधी करार 11 फरवरी, 1997 को सम्पन्न हुआ। इसमें भारत के किसी निर्धारित बन्दरगाह और रूस में निर्धारित बन्दरगाह के बीच संयुक्त जहाजरानी सेवा की स्थापना की व्यवस्था की गई है जिससे प्रक्रिया संबंधी कार्यों में होने वाली देरी को कम करने में सहायता मिले और दोनों देशों के बीच माल ढुलाई में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4. भारत और रूस के बीच 11 फरवरी, 1997 को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ जिसमें

आई टी से सम्बद्ध एक दूसरे के उत्पाद के परस्पर प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था की गई है।

बल्गारिया

1. 4 दिसम्बर, 1996 को व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार सम्पन्न हुआ जो पहले के करार को अद्यतन करता है और जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को तेज करने के लिए आवश्यक रूपरेखा की व्यवस्था की गई है।

कज़ाकस्तान

1. 9 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में निवेशों के संवर्धन और संरक्षण संबंधी करार संपन्न हुआ जिसमें कज़ाकस्तान में भारतीय निवेशों और भारत में कज़ाकस्तान निवेशों के संवर्धन और इसके साथ-साथ दोनों देशों में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार इन निवेशों के सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है।

2. 9 दिसम्बर, 1996 को आय और पूंजीकर से संबद्ध दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए अभिसमय सम्पन्न हुआ जिसमें कज़ाकस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों और भारत में कज़ाक राष्ट्रिकों के पूंजी और आयकर पर दोहरे कराधार के परिहार का प्रावधान किया गया है। इस अभिसमय में एक देश के राष्ट्रकों जो दूसरे देश के निवासी हैं, द्वारा आयकर के भुगतान के अपवंचन की रोकथाम की व्यवस्था भी की गई है।

3. कजाकस्तान में डेज आफ इंडियन कल्चर तथा भारत में डेज आफ कजाक कल्चर की मेनवानी करने के उद्देश्य से डेज आफ कल्चर से सम्बद्ध प्रोतोकोल क्रमशः 1997 और 1998 में सम्पन्न हुआ।

थाइलैंड

1. 18 अक्तूबर, 1996 को भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और थाई शिक्षा मंत्रालय के बीच एक करार संपन्न हुआ जिसमें थाइलैंड ने भगवान बुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्हों की प्रदर्शनी और भारत में बौद्ध स्थलों और धार्मिक स्थानों पर फोटोग्राफिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त संभारतंत्र, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है।

2. भारत के विदेश निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) और थाइलैंड के निवेश बोर्ड (बीओआई) के बीच निवेश के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार 27.1.1997 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ।

लक्समबर्ग

1. 12 सितम्बर, 1996 को ग्रेंड डची आफ लक्समबर्ग के साथ एक सांस्कृतिक करार सम्पन्न हुआ जिसमें भारत और लक्समबर्ग के बीच संस्कृति के कई क्षेत्रों मे सहयोग करने की व्यवस्था की गई है।

पुर्तगाल

1. पुर्तगाल के साथ वायू सेवा संबंधी करार सितम्बर, 1996 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के निर्धारित एयरलाइन्स द्वारा दोनों देशों के बीच उड़ानों के संचालन की व्यवस्था की गई है।

फिनलैंड

1. द्विपक्षीय संबंधों के संवर्धन के लिए विदेश कार्यालयों के बीच संस्थागत परामर्श स्थापित करने के लिए 26 नवम्बर, 1996 को विदेश कार्यालय परामर्श संबंधी एक प्रोतोकाल संपन्न हुआ।

साइप्रस

1. दोनों देशों के बीच पर्यटन और सम्बद्ध क्षेत्रों के संवर्द्धन में सहयोग के लिए नवम्बर, 1996 में द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग संबंधी करार सम्पन्न हुआ।

2. फरवरी, 1997 में दोनों देशों के बीच व्यापार नौवहन संबंधी करार सम्पन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच और तीसरे देशों के बीच कार्गो परिवहन में दोनों देशों के व्यापारिक जहाजों द्वारा भागीदारी करने की व्यवस्था की गई है।

नार्वे

1. भारत और नार्वे के बीच नवम्बर, 1996 में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अन्तरिक्ष अनुसंधान में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

यूरोपीय संघ

1. भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम संबंधी समझौता ज्ञापन 25 नवम्बर, 1996 को ब्रसेलस में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नेटवर्किंग और आदान प्रदानों के जरिये भारत और यूरोपीय संस्थाओं तथा संगठन के बीच दीर्घावधि के सम्पर्कों की स्थापना करके दोनों देशों के बीच परस्पर समझबूझ को बढ़ाना है। जिन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा वे हैं-मीडिया, विश्वविद्यालय और उद्योग।

सेशेल्स

1. भारत और सेशेल्स के बीच पर्यटन विकास के लिए 3 अक्तूबर, 1996 को पर्यटन सहयोग से संबद्ध करार संपन्न हुआ।

जिम्बाब्वे

1. 2 नवम्बर, 1996 को जिम्बाब्वे में लघु उद्योगों के विकास के लिए सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें यह सुस्पष्ट व्यवस्था है कि 3 वर्षों की लघु उद्योग परियोजनाओं के लिए जिम्बाब्वे आधारभूत संरचना सहायता उपलब्ध करायेगा और भारत तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, प्रशिक्षण और कार्मिक मुहैया करायेगा।

सेनेगल

1. 3 नवम्बर, 1996 को सेनेगल में उद्यम निवृत्त और तकनीकी विकास केंद्र की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें कहा गया है कि 3 वर्षों को लघु उद्योग परियोजना के लिए सेनेगल आधारभूत संरचना सहायता उपलब्ध करायेगा। और भारत तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, प्रशिक्षण और कार्मिक मुहैया करायेगा।

2. आर्थिक तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना से संबंधी करार (16.2.97 को सम्पन्न)

3. सेनेगल में कृषि विकास परियोजना की स्थापना संबंधी समझौता ज्ञापन। (16.2.1997 को सम्पन्न)

नामीबिया

1. आयकर और पूंजीगत लाभ के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन के निवारण से संबद्ध अभिसमय (15.2.1997 को सम्पन्न)

तंजानिया

1. डाक एवं दूरसंचार के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन (12.12.1996 को संपन्न)

मारीशस

1. पूंजीगत माल, उपभोक्ता डयूरेबल का मारीशस से और परामर्शी सेवाओं का भारत से आयात की व्यवस्था के संबंध में 3 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रंखला से संबद्ध करार (5.2.1997 को सम्पन्न)

आस्ट्रेलिया

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में 2.11.1996 को संपन्न हुआ।

माईक्रोनेशिया

भारत और माईक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के बीच राजनयिक और कौंसली संबंधों की स्थापना के लिए प्रोतोकोल टोक्यो में 29.11.96 को संपन्न हुए। टोक्यो में भारत के राजदूत माइक्रोनेशिया में दूत होंगे।

इंडोनेशिया

1. 1972 में संपन्न सांस्कृतिक करार के अन्तर्गत जकार्ता में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 20.12.1996 को सम्पन्न हुआ।

दक्षिण अफ्रीका

1. 4 दिसम्बर, 1996 को दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार संपन्न हुआ जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक देश में कर देने पर उद्यमी को दूसरे देश में दुबारा कर नहीं देना पड़ेगा।

2. शिक्षा, संस्कृति, जनसंचार इत्यादि में सहयोग के संबंध में 4 दिसम्बर, 1996 को संपन्न सांस्कृतिक सहयोग करार, एक छत्र करार है।

3. 4 दिसम्बर, 1996 को रक्षा उपकरण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें रक्षा से संबंधित मसलों में सहयोग की व्यवस्था की गई है।

हैती

1. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन 27 सितम्बर, 1996 को संपन्न हुआ।

क्यूबा

1. विज्ञान संबंधी सामग्री, वैज्ञानिकों और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 1997-98 के लिए नई दिल्ली में 22 नवंबर, 1996 को एक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए।

2. कृषि संबंधी अनुसंधान और क्यूबा के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने संबंधी क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध सहयोग कार्यक्रम पर 22 नवंबर, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

3. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और इस क्षेत्र में क्यूबा के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध सहयोग कार्यक्रम पर 22 नवंबर, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

4. स्वास्थ्य और क्यूबा के टीकों तथा अन्य दवाइयों के निर्माण संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन हवाना में 5 फरवरी, 1997 को संपन्न हुआ।

त्रिनीडाड एवं टोबेगो

1. विभिन्न क्षेत्रों में तथा विदेश मंत्रालय के आई टी ई सी कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिनीडाड एवं टोबेगो के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के संबंध में तकनीकी सहयोग से संबद्ध करार पर 27 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

2. सस्ते मकानों के क्षेत्र में सहयोग और सहायता से संबद्ध समझौता ज्ञापन 27 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। त्रिनीडाड एवं टोबेगो में सस्ते मकानों की प्रौद्योगिकी और सस्ते मकानों की प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर प्रदर्शनी होगी।

3. त्रिनीडाड एवं टोबेगो में लघु उद्योगों के विकास और उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण के प्रावधान से संबद्ध समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में 27 जनवरी, 1997 को संपन्न हुआ।

4. अति अनुकूल राष्ट्र व्यवहार के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को गहन बनाने, मजबूत करने और उन्हें विविधता प्रदान करने से संबद्ध व्यापार करार 27 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

5. द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के संबंध में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच द्विपक्षीय परामर्शों से संबद्ध समझौता ज्ञापन 27 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

6. कृषि अनुसंधान और विभिन्न कृषि संस्थानों में त्रिनीडाड एवं टोबेगो के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा त्रिनीडाड एवं टोबेगो में प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञों को भेजने से संबंधित क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन 27 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

बंगलादेश

1. 12 दिसम्बर, 1996 को गंगाजल बंटवारे के संबंध में भारत बंगलादेश संधि सम्पन्न हुई जिसमें शुष्क मौसम और विशेष रूप से 1 मार्च और 10 मई के बीच जल-प्रवाह के बटवारे के लिए बिस्तृत फार्मूला की व्यवस्था की गई है। यह संधि 10 वर्ष के लिए है जिसमें 5 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् आवश्यक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। कोई भी पक्ष दो वर्ष के पश्चात् समीक्षा के लिए मांग रख सकता है।

श्रीलंका

1. कोलोम्बो में 19 से 22 जनवरी, 1997 तक सम्पन्न हुए भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश संवर्द्धन और संरक्षण संबंधी करार पर हस्ताक्षर हुए।

2. संयुक्त आयोग की इसी बैठक के दौरान श्रीलंका को जनवरी, 1996 के आरम्भ में ऋण श्रृंखला की 15 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी खेप जारी करने के लिए एक करार पर भी हस्ताक्षर हुए। श्रीलंका को यह ऋण भारत से माल और सेवाएं दोनों का आयात करने के लिए दिया जाएगा।

3. दोनों देशों ने संयुक्त आयोग की बैठक में वर्ष 1996-97 और 1998 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ।

[अनुवाद]

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

343. श्री सुशील चन्द्र : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने नर्मदा सागर, सरदार सरोवर आदि बड़े-बड़े बांधों की ऊँचाइयों से जुड़े जिन सभी मसलों पर 1979 के दौरान अपना अधिनिर्णय दे दिया था; उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी पुन: सुनवाई शुरू की गयी है;

(ख) गुजरात में सरोवर बांध के निर्माण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस बांध कि कितनी ऊंचाई निर्धारित की गयी है तथा कितनी ऊंचाई तक निर्माण कार्य पूरा हुआ है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 319 में, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई का एक विचारार्थ विषय के रूप में उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) इस समय नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार 138.68 मीटर निर्धारित पूर्ण जलाशय स्तर की तुलना में सरदार सरोवर बांध को 81.5 मीटर ई. एल. के निम्नतम ब्लाक स्तर तक बढ़ाया गया है।

पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर

344. श्री अनंत कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 1996 तक कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) क्या उक्त कार्यभार निपटाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 31 दिसंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में 6,600 पासपोर्ट आवेदन लंबित थे। इनमें से 703 एक महीने से अधिक समय से लंबित थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या निम्नलिखित हैं:

1994	1995	1996
77646	95672	105905

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा कथित अनियमितताएं

345. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा लेखे के रखरखाव में चूक के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा धनराशि के दुरूप्रयोग को रोकने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) निर्धारित नियमों और विनियमों के अन्तर्गत लेखे विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैयार किए जाते हैं तथा इन नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाये जाते हैं। ये लेखे प्रत्येक महीने रोकड़ लेखे के रूप में मुख्य लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय के कार्यालय में भेजे जाते हैं। इन लेखों में पाई जाने वाली विसंगतियों को अगले महीने के लेखों में दूर किया जाता है। ये लेखे मुख्य लेखा नियंत्रक विदेश मंत्रालय के पश्च-लेखा परीक्षा के अधीन होते हैं और इनकी विधिक लेखा परीक्षा भी की जाती है।

[हिन्दी]

पत्तनों का निर्माण तथा विस्तार

346. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए पत्तनों के निर्माण तथा वर्तमान पत्तनों के विस्तार हेतु गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्तर पर क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) इन पत्तनों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में गुजरात में कौन-कौन से कार्य शुरू किए गए हैं; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहने पर केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होती है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने किसी नए पत्तन का निर्माण नहीं किया है। तथापि, 593.90 करोड़ रु. की लागत से चेन्नई पत्तन के उपग्रह पत्तन के रूप में इन्नोर का निर्माण किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में मौजूदा महापत्तनों की क्षमता में 7.83 मिलियन टन की बढ़ोतरी की गई है।

(ख) और (ग) गुजरात में, कांडला पत्तन न्यास केवल एक ऐसा महापत्तन है जो केन्द्र सरकार द्वारा विकसित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कांडला पत्तन पर प्रारंभ की गई मुख्य स्कीमें हैं – तीसरी तेल जैट्टी का निर्माण, सातवां सामान्य कार्गो बर्थ, आठवां कार्गो बर्थ, दो आभासी जैट्टियां तथा इफको द्वारा बनाई गई एक आबद्ध जैट्टी। लघु पत्तन के विकास के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

यमुना पर पुल का निर्माण

347. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में आई.टी.ओ. के समीप यमुना नदी पर समानान्तर पुल के निर्माण के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस पुल का निर्माण कार्य किस तिथि को शुरू हुआ था तथा किस तिथि तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) इस पुल के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस पुल के निर्माण की लागत कई गुना बढ़ गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए मुख्य रूप से भारत सरकार जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कों के लिए मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। दिल्ली में आई टी ओ के समीप यमुना नदी पर सामानंतर पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के क्षेत्र में आता है।

(क) 26.50 करोड़ रुपए।

(ख) कार्य दिसम्बर, 1992 में शुरू हुआ और जून, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) इस पुल के निर्माण-कार्य के पूरा होने में विलंब का मुख्य कारण अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित समस्याएं, निर्माण स्थल से संबंधित समस्याएं और तकनीकी कठिनाइयां थीं जो पुल पर जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए कार्य क्षेत्र और अभिकल्पना में किए गए बदलाव और निष्पादन के दौरान आई।

(घ) और (ङ) पुल परियोजना की स्वीकृत लागत 25.78 करोड़ रु. है और कार्य पूरा होने की संभावित लागत लगभग 40 करोड़ रु. है। कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि इसे नियत तारीख तक पूरा किया जा सके।

विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा

348. श्री शिवराज़ सिंह :
श्री ए. सी. जोस :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में श्रीलंका की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान श्रीलंका के नेताओं तथा अधिकारियों के साथ किन-किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गयी;

(ग) इन चर्चाओं के परिणाम क्या रहे तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनकी यात्रा के दौरान श्रीलंका सरकार द्वारा वहां के जातीय संघर्ष की समस्या को सुलझाने हेतु भारत द्वारा मध्यस्थता किये जाने के मुद्दे को उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): जी, हां। यह यात्रा 19 से 22 जनवरी, 1997 तक संपन्न हुई और इस यात्रा के दौरान भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र की बैठक हुई।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने परस्पर हित के विभिन्न मसलों पर व्यापक रूप से विचार विनिमय किया था और इस बात की संपुष्टि की कि दोनों पक्ष नजदीकी और सहयोगी संबंध बनाए रखने को उच्च प्राथमिकता देते हैं।

संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान, दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को दृढ़ और विस्तृत करने के संबंध में और उपाय करने के लिए सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान निवेशों के संवर्धन और संरक्षण से संबध एक करार संपन्न हुआ। यह करार निवेशों के दुतरफा प्रवाह को अधिक सरलीकृत करने के संबंध में विधिक रूपरेखा प्रदान करेगा। श्रीलंका के लिए भारतीय ऋण (15 मिलियन अमरीकी डालर) की दूसरी किस्त का भुगतान करने के लिए भी एक करार संपन्न हुआ। इसके अलावा, संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का एक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस यात्रा के दौरान, यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने कोलम्बो में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का फैसला किया है।

श्रीलंका के निर्यात हित की प्रमुख वस्तुओं पर सीमाशुल्क घटाने और यात्रा संबंधी प्रतिबन्धों को हटाने संबंधी सरकार के निर्णय को संप्रेषित किया गया और यह सहमति हुई कि दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों की बैठक के दौरान विवरण तैयार किए जाएंगे।

भारतीय मछुआरों के विरुद्ध हिंसा की वारदातों के बारे में भारत की गम्भीर चिंता के संबंध में श्रीलंकाई नेतृत्व को सूचित

कर दिया गया है और भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में इस प्रकार की वारदातों को टालने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था ढूंढ़ निकालने की आवश्यकता है। दोनों पक्ष निकट भविष्य में मत्स्य-उद्योग के मसलों पर अधिकाधिक स्तर पर बातचीत आयोजित करने के लिए सहमत हुए। श्रीलंका की सरकार ने यह सूचित किया कि वह उसकी हिरासत में बन्द उन 25 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगी जो श्रीलंका के जल क्षेत्र में पाए गए थे और जिनके खिलाफ सुरक्षा से संबद्ध कोई आरोप नहीं है।

यह भी सहमति हुई कि तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच चलने वाली नौकाओं के प्रचालकों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थायी हल खोजने के लिए बातचीत की जाए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं

349. श्री डी. पी. यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में अनेक योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक सूखा प्रवण क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की नौ नई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकन के अधीन हैं। अन्य क्षेत्रों को सिंचाई लाभ देने के साथ-साथ इन परियोजनाओं में इलाहाबाद, मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा और वाराणसी के सूखा-ग्रस्त जिलों के लिए सिंचाई लाभों की परिकल्पना है।

(ग) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

350. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर निगम की बसें किराए पर लेने के एवज में बहुत अधिक धनराशि देय है; और

(घ) यदि हां, तो निगम की कितनी राशि देय है और यह राशि निगम को कब तक दे दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

असम में महिला विकास निगम

351. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में महिला विकास निगम का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी इकाइयां किन-किन जिलों में गठित की गयी हैं; और

(ग) इस निगम द्वारा अब तक क्या कार्य आरम्भ किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रजातिगत नाम से औषधों को बेचा जाना

352. श्री हरिन पाठक : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह निर्देश दिया है कि औषधों को उनके प्रजातिगत नामों से बेचा जाये;

(ख) क्या सरकार ने इस निदेश को समर्थन देने का निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो फार्मास्यूटिकल कम्पनियों द्वारा उन्हीं औषधों को अपने नाम से बेचने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रथा रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में रिक्तियां

353. डा. बलिराम :
श्री मुखतार अनीस :
श्री सुखलाल कुशवाहा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों के भिन्न-भिन्न कैडरों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। तीनों सेनाओं में रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है:

	अफसर	जे.सी.ओ./अन्य रैंक/वायुसैनिक
सेना	12,972	55,263
नौसेना	690	2,782
वायुसेना	1,045	5,876

(ग) सेना में, जहां रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है, भर्ती होने के लिए संभावित सैनिकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने सेना को सफल भविष्य के लिए सर्वोत्कृष्ट विकल्प के रूप में पेश करने के वास्ते व्यवसायिक प्रचार एजेंसियों में सहायता लेकर सेना की छवि निर्माण के लिए एक परियोजना को कार्यरूप देने का निर्णय लिया है। नौसेना और वायुसेना के मामले में सरकार, समाचार पत्रों और प्रचार माध्यमों के मार्फत अधिकाधिक प्रचार करने, योग्यतम युवाओं को नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

सेना के कर्मचारियों के लिए आवास की कमी

354. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के कर्मचारियों के लिए दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्रों में आवास की भारी कमी है;

(ख) क्या दिल्ली में मकान के किराये इतने अधिक हो गए हैं कि सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यधिक गंदगी के माहौल में रहना पड़ रहा है;

(ग) क्या अधिकतम किराया सीमा में संशोधन पिछली बार अप्रैल, 1988 में हुआ था;

(घ) क्या यह सही है कि "ए क्लास" के शहरों में अधिकतम किरायों की सीमा इतनी कम है कि किराया-खर्च वहन करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो अधिकतम किराये की सीमा को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ङ) दिल्ली/नई दिल्ली में सेना कार्मिकों के लिए रिहायशी आवास की कमी है। तथापि, सेना अफसरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अधिकतम किराए सीमा, जिसे पिछली बार चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल, 1988 में संशोधित किया गया था, पर आवास किराए पर लेने के लिए सेना मुख्यालयों को प्राधिकृत किया गया है। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में आवास किराए पर लेने के लिए किराए की मौजूदा अधिकतम सीमा ब्रिगेडियर व उससे ऊपर के अफसरों के लिए 2100/- रुपए, मेजर से कर्नल तक 1900/- रुपए, कैप्टन और उससे नीचे के अफसरों के लिए 1800/- रूपए, जूनियर कमीशन अफसरों के लिए 750/- रुपए और गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों व अन्य रैंकों के लिए 500/- रुपए है। इन स्केलों के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य के लिए एजेंसी प्रथा

355. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित भौतिक कार्य/रख-रखाव और मरम्मत कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध एक दशक से भी अधिक समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु एशियाई विकास बैंक की सहायता

356. श्री भक्त चरण दास :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वित्तीय संस्थाओं की सहायता से जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य आरम्भ किया जाएगा उनका ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस कार्य हेतु विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से कितनी सहायता राशि प्राप्त होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययनों के आधार पर, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के आगरा-बरवा अड्डा खंड और रा.रा. 45 के मद्रास-त्रिची खंड की मौजूदा 2 लेनों को मजबूत करने और 4 लेन तक चौड़ा बनाने के लिए विश्व बैंक की ऋण सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए मिलने वाली ऋण सहायता की राशि फिलहाल बता पाना संभव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी

357. श्री आर. साम्बाशिवा राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए अनेक सिंचाई परियोजनाएं भेजी थीं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कितनी परियोजनाएं अभी भी लम्बित हैं;

(ग) लम्बित परियोजनाओं को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं की मंजूरी हेतु निर्धारित तारीख क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) गत पांच वर्षों के दौरान (अप्रैल 1992 के बाद से) आन्ध्र प्रदेश की पांच मध्यम परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई। 7 वृहद परियोजनाओं और 2 मध्यम परियोजनाओं को कुछ टिप्पणियों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया और दो वृहद परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है। दस वृहद और आठ मध्यम परियोजनाएं विभिन्न कारणों से राज्य सरकार को लौटा दी गई जैसे, अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान, दीर्घकालीन आधार पर जल उपलब्ध कराना, परियोजना आयोजन में मूल कमियां आदि।

(घ) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करती है।

ब्यास तथा पार्वती नदियों पर पुल

358. श्री सुखराम : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो पुलों के निर्माण प्रस्ताव अर्थात् एक रामशीला के समीप ब्यास नदी पर तथा दूसरा पार्वती नदी पर जिया नामक स्थान पर, काफी लम्बे समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पुलों के निर्माण को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना आबंटन किया गया है तथा कितनी राशि का उपयोग हुआ है तथा अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) दो पुलों अर्थात् एक ब्यास नदी पर रामशिला के निकट और दूसरा पार्वती नदी पर जिया पर, के निर्माण हेतु प्रस्ताव को कुल्लु बाईपास के निर्माण कार्य में शामिल कर लिया गया है जिसके लिए 19.3158 करोड़ रु. संस्वीकृत लिए गए हैं। व्यवहार्यता अध्ययन और पुलों के प्रारंभिक डिजाइन पूरे कर किए गए हैं। निविदा मंगवाने की कार्रवाई अंतिम चरणों में है।

इन पुलों के लिए निधियों को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए समग्र आबंटन में शामिल कर लिया गया है। गत तीन वर्षों में आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

1994-95	13.5 करोड़ रु.
1995-96	16.0 करोड़ रु.
1996-97	12.0 करोड़ रु.

शिक्षण और उपचार सुविधाओं में सुधार

359. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में दी जा रही वर्तमान शिक्षण और उपचार सुविधाओं में सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों का निजीकरण

360. प्रो जितेन्द्र नाथ दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन को निजी क्षेत्र या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप देने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय नागरिक

361. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तानी जेलों में इस समय कितने भारतीय नागरिक हैं;

(ख) इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त जेलों में एक वर्ष से अधिक समय से कौद व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन्हें स्वदेश वापस लाने हेतु गत एक वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय पाकिस्तान की हिरासत में 1318 भारतीय असैनिक बन्दी हैं, जिसमें कराची के इधी कल्याण केन्द्र में बनाए गए 38 भारतीय बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 1233 बंदी एक वर्ष से अधिक समय से पाकिस्तान हिरासत में हैं।

इसके अलावा यह विश्वास किया जाता है कि 1965 और 1971 के युद्धों में गुम हुए 54 भारतीय रक्षा कार्मिक भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

पाकिस्तान की अभिरक्षा से सभी भारतीय बन्दियों को शीघ्र रिहा करने तथा उनके प्रत्यावर्तन के प्रश्न को पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया जाता रहा है। इस मामले को विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ 18.1.1996 को हुई बैठक में भी उठाया है। इस संबंध में हमारे प्रयास जारी हैं।

खेल-कूद को बढ़ावा देना

362. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना में खेलकूद को बढ़ावा तथा इसके विकास पर बल देने का है;

(ख) क्या खेलकूद के लिए धनराशि के आवंटन को बढ़ाये जाने की अत्यधिक मांग है;

(ग) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त योजना अवधि के दौरान खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं तैयार की गयी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) योजना आयोग ने खेल-कूद के लिए नौवीं योजना के आबंटन के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया है।

(घ) वर्तमान योजनाओं के अलावा, देश में खेल-कूद का संवर्धन करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए, नौवीं योजना के प्रस्तावों में विभिन्न नई योजनायें शामिल की गई हैं। इनमें नई योजनायें आ जाती हैं; विशिष्ट वर्ग के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की योजना, विभिन्न स्तरों पर अंतर-विद्यालय टूर्नामेंटों की योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष योजना आदि।

कुल्पी (पश्चिम बंगाल) में लघु पत्तन की स्थापना

363. श्री चित्त बसु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम और मुकुंडा उद्योग समूह ने कुल्पी, 24 परगना दक्षिण, पश्चिम बंगाल में एक लघु पत्तन स्थापित करने के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मुकंडा उद्योग समूह ने परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे केन्द्र सरकार को सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) ज्ञात हुआ है कि ऐसे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रस्तावित पत्तन स्थल के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेने के संबंध में बंगाल पत्तन लि. द्वारा मै. हॉव इंडिया प्राइवेट लि. के माध्यम से तैयार कराई गई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की एक प्रति भेजी थी। बाद में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने कुल्पी में पत्तन एवं इससे संबंधित सुविधाओं तथा औद्योगिक परिसर के विकास से संबंधित बंगाल पत्तन लि. के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए भारतीय पत्तन संघ को नियुक्त किया था।

(ग) भारतीय पत्तन संघ के मूल्यांकन के अनुसार कुल्पी के प्रस्तावित पत्तन और अन्य सुविधाओं का विकास एक अव्यावहारिक कार्य है।

(घ) इस मंत्रालय ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी अनापत्ति प्रदान कर दी है और यह सुझाव दिया है कि कलकत्ता पत्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

364. श्री जी. ए. चरण रेड्डी :
श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में एक वरिष्ठ पद "एस टी डी" परामर्शदाता के बजाय एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा भर दिया गया है तथा भारत सरकार के एस टी डी सलाहकार का पद 1990 से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो एड्स को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में एस टी डी विशेषज्ञ के पद को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में बने केन्द्र सहित क्षेत्रीय एस टीडी शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्रों को सुसज्जित करने से कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) अपर निदेशक (रा. एड्स नि. संगठन) का पद केन्द्रीय स्वास्थ्य जन-सेवास्थ्य उप-संवर्ग में शामिल है और तदनुसार उस पर 4500-5700 रुपये के वेतनमान में जन स्वास्थ्य अधिकारी कार्य कर रहा है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में यौन संचारित रोग (परामर्शदाता) अथवा यौन संचारित रोग सलाहकार, भारत सरकार का कोई स्वीकृत पद नहीं है।

(ग) स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

छटी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों से आंचलिक आधार पर जरूरतें पूरी करने के लिए क्षेत्रीय यौन संचारित रोग शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए थे:

- यौन संचारित रोगों के विषयों में सेवाकालीन चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण और शिक्षण,
- सिफिलस के लिए विशिष्ट परीक्षणों के मानकीकरण के लिए अन्तर-प्रयोगशाला मूल्यांकन करना,

- यौन संचारित रोगों के प्रयोगशाला निदान संबंधी अनुसंधान कार्य
- रोग के जानपदिक रोग विज्ञानीय स्थिति को समझने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्यकलाप, और
- स्वास्थ्य और सामुदायिक शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता।

इन घटकों का संचालन सभी क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है जिसमें सफदरजंग अस्पताल स्थित केन्द्र भी शामिल है। राज्य सरकारों को अनुदान विमुक्त किया जा रहा है और निम्नलिखित पर व्यय वहन करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम बजट में से केन्द्रीय संस्थाओं को प्रशासनिक मंजूरी विमुक्त की जा रही है/की सूचना दी जा रही है:

- कर्मचारियों का वेतन
- अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा,
- उपभोज्य (ग्लासवेयर, अभिकर्मक, किटें, डिस्पोजेवल रसायन इत्यादि।)
- पी ओ एल और वाहनों का रख-रखाव, और
- निम्नलिखित पर होने वाले व्यय वहन करने के लिए आकस्मिक अनुदान:

  क. संकाय सदस्यों को मानदेय (केन्द्रीय संस्थाओं के लिए नहीं)

  ख. पुस्तकें और पत्रिकाएं

  ग. लेखन-सामग्री और

  घ. डाक-खर्च इत्यादि

पिछले 3 वर्षों के दौरान सफदरजंग अस्पताल के क्षेत्रीय केन्द्र को दी गई प्रशासनिक मंजूरी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1993-94	1994-95	1995-96
1,00,000/- रु.	3,00,000/- रु.	2,00,000/- रु.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए कतिपय उपकरण प्रदान करके इन केन्द्रों को सामग्री सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सफदरजंग अस्पताल के त्वचा और रतिज रोग विभाग में त्वचा रतिज रोग में विशेषज्ञ का केवल एक पद रिक्त है और भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर

365. **श्री सनत मेहता :**
श्री बी. एल. शंकर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान राज्यवार साक्षरता दर क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई। इस मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कला एवं संस्कृति, युवा कार्यक्रम एवं खेल के क्षेत्रों में मानवीय क्षमता के विकास के लिए समेकित प्रयास करना था। वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय ने शिक्षा विभाग, संस्कृति, युवा मामले एवं खेल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग आदि अपने घटकों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखे। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषहार सहायता कार्यक्रम, 15 से 3 आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजनाएं, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, विज्ञान शिक्षा का सुधार, दूरस्थ शिक्षा, क्षेत्री इंजीनियरी कालिजों में उत्कृष्टता संवर्धन, तकनीकी शिक्षा पद्धति का स्तरोन्नयन आदि मुख्य कार्यक्रमों को जारी रखा गया।

(ख) और (ग) साक्षरता संबंधी आंकड़े महापंजीयक जनगणना कार्यालय द्वारा दस वर्षीय आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं। अन्तिम जनगणना वर्ष 1991 में की गई अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1991 की साक्षरता दरें प्रतिशत		वर्ष 1981-91 के दौरान साक्षरता दरों में वृद्धि प्रतिशत	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.13	32.72	8.30	8.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	51.45	29.69	16.34	15.68
3.	असम	61.87	43.03	**	**
4.	बिहार	52.49	22.89	5.89	6.37
5.	गोवा	83.64	67.09	7.63	11.92
6.	गुजरात	73.13	48.64	7.99	10.18
7.	हरियाणा	69.10	40.47	10.59	13.54
8.	हिमाचल प्रदेश	75.36	52.13	11.09	14.41
9.	जम्मू और कश्मीर	*	*	*	*
10.	कर्नाटक	67.26	44.34	8.53	11.17
11.	केरल	93.62	86.17	5.88	10.52
12.	मध्य प्रदेश	58.42	28.85	10.00	9.85
13.	महाराष्ट्र	76.56	52.32	6.90	11.31
14.	मणिपुर	71.63	47.60	7.48	12.93
15.	मेघालय	53.12	44.85	6.47	7.68
16.	मिजोरम	85.61	78.60	6.73	9.99
17.	नागालैंड	67.62	54.75	9.04	14.37
18.	उड़ीसा	63.09	34.68	6.64	9.54
19.	पंजाब	65.66	50.41	10.10	10.71
20.	राजस्थान	54.99	20.44	10.23	6.44
21.	सिक्किम	65.74	46.69	12.74	19.31

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	73.75	51.33	73.75	10.90
23.	त्रिपुरा	70.58	49.65	9.09	11.64
24.	उत्तर प्रदेश	55.73	25.31	8.28	8.12
25.	पश्चिम बंगाल	67.81	46.56	7.88	10.49
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	78.99	65.46	8.70	12.27
27.	चंडीगढ़	82.04	72.34	3.15	3.02
28.	दादरा और नगर हवेली	53.56	26.98	8.92	6.61
29.	दमन और दीव	82.66	59.40	8.20	12.90
30.	दिल्ली	82.01	66.99	2.73	4.39
31.	लक्षद्वीप	90.18	72.89	8.94	17.57
32.	पांडिचेरी	83.68	65.63	6.59	12.61

* इसमें जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। वहां वर्ष 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

** इसमें असम शामिल नहीं है, वहां वर्ष 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

366. श्रीमती शीला गौतम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य अपमिश्रण (निवारण) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित मानक की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 तथा नियम 1955 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अन्तर्गत 1955 से नियमों तथा मानकों के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित 223 संशोधनों का प्रकाशन अंब तक किया गया है।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना के लिए विशेष अनुदान

367. श्री दिनशा पटेल :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी करने का है;

(ख) क्या गुजरात सरकार पर अनुदान जारी करने के लिए कोई शर्त लगाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है और गुजरात सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 के दौरान गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए 95 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता का अनुमोदन किया गया है। इसमें से 71.25 करोड़ रुपए पहले ही निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय ऋण सहायता की अगली किश्त तभी निर्मुक्त की जाएगी जब राज्य पहले से निर्मुक्त की गई केन्द्रीय ऋण सहायता राशि से दुगुनी राशि परियोजना पर वास्तविक रूप से व्यय कर लेंगे। गुजरात सरकार ने और सहायता का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना पर बांध को ऊंचा बनाने संबंधी प्रस्ताव

368. श्री एन. जे. राठवा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को "सरदार सरोवर परियोजना पर बांध को ऊंचा बनाने संबंधी" कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि से लेकर अब तक प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वर्षवार उनमें से स्वीकृत/अस्वीकृत और विचाराधीन/लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की आशा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों से गुजरात सरकार परियोजना से अंतरिम लाभ प्राप्त करने के लिए सरदार सरोवर बांध के स्पिलवे भाग में 100 मीटर ई. एल. तक प्रभावी ऊंचाई बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कर रही है। तथापि, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी उपायों के अनुरूपी प्रगति में बाधाओं के कारण स्पिलवे भाग में मौजूदा 81.5 मीटर ई.एल. की सतह से बांध की प्रभावी ऊंचाई को अब तक पुनः नहीं बढ़ाया जा सका।

(ङ) स्पिलवे भाग में 81.5 मीटर ई.एल. की वर्तमान सतह से बांध की प्रभावी ऊंचाई को पुनः बढ़ाने की प्रगति को परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपायों के क्रियान्वयन के साथ जोड़ दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को योजना के शीघ्र निर्माण के लिए परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी कार्य की प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के आस पास हरित क्षेत्र बनाना

369. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरित क्षेत्र बनाने का है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरित क्षेत्र बनाने का कार्य कब तक पूरा किए जाने की योजना है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए वर्षवार निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा किए जाने की दिशा में अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ वृक्षरोपण, पिछले अनेक वर्षों से सरकार की स्वीकृत नीति रही है और मार्ग के अधिकार के भीतर जहां वृक्षरोपण किया जा सकता है, भूमि की उपलब्धता तथा निधि की पर्याप्तता आदि के आधार पर यह कार्य निरंतर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकांश लम्बाई में वृक्षरोपण किए जा चुके हैं। अधिकांश राज्यों में वृक्षरोपण का कार्य राज्य वन विभाग, बागवानी विभाग के माध्यम से अथवा उनके साथ परामर्श करके किया जाता है।

नौका दुर्घटनाएं

370. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम": क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान वर्ष-वार नौका दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगाने तथा और सुरक्षा उपाय करने के विचार से कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यमुना नदी के जल का बंटवारा

371. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना नदी के जल बंटवारे के संबंध में दिनांक 12 मई, 1994 को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के बीच हुए समझौते की मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों को जल का बंटवारा इसी प्रकार कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यमुना नदी के जल से राजस्थान को कितना आवंटन किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यनुमा के सतही जल प्रवाह के आबंटन सम्बन्धी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच 12 मई, 1994 को हुए समझौता ज्ञापन विवरण I के रूप में संलग्न है।

(ख) जी हां। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड 22 अप्रैल, 1995 से समझौता ज्ञापन के समग्र ढांचे में हिताधिकारी राज्यों के बीच यमुना नदी से ओखला तक उपलब्ध प्रवाहों के मौसमी आबंटन को नियमित करता रहा है।

(ग) नवम्बर, 1996 से फरवरी, 1997 तथा मार्च, 1997 से जून 1997 तक की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा हिताधिकारी राज्यों को किया गया मौजूदा आबंटन का ब्यौरा विवरण II के रूप में संलग्न है।

(घ) राजस्थान राज्य को जुलाई से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान 800 क्यूसेक, नवम्बर, 1996 से फरवरी, 1997 के दौरान 238 क्यूसेक और मार्च, 1997 से जून 1997 के दौरान 288 क्यूसेक यमुना जल का हिस्सा आबंटित किया गया।

विवरण I

यमुना के सतही प्रवाह के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

1. जबकि ओखला तक यमुना नदी में नोशनल मूल प्रवाह 75% निर्भरता पर 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) और वर्ष में निम्नतम उपलब्धता 13.00 बी.सी.एम. आंकी गई है।

2. और जबकि बिना किसी विशिष्ट आबंटन के सिंचाई और पेय जल जरूरतों को पूरा करने के लिए ताजेवाला के बाहर और ओखला के बाहर बेसिन राज्यों द्वारा जल का प्रयोग किया जा रहा था।

3. और जबकि इस कारण से कुछ बेसिन राज्यों द्वारा मांग की गई है और लम्बे समय से यमुना नदी के प्रयोज्य जल संसाधनों के विशिष्ट आबंटन की जरूरत महसूस की गई है।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कुछ संचय परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

5. और जबकि राज्य सहमत हैं कि 10 क्यूसेक तक जाने वाले प्रतिप्रवाह संचयों को पूरा करने के अनुपात में न्यूनतम प्रवाह, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणों से पूरे वर्ष के दौरान ताजेवाला का अनुप्रवाह और ओखला का अनुप्रवाह बनाए रखा जाएगा चूंकि प्रतिप्रवाह संचय चरणबद्ध रूप में प्रगतिपूर्वक बनते हैं।

6. और जबकि यह आंका गया है कि बाढ़ के बिखराव के कारण 0.68 बी.सी.एम. मात्रा उपयोग नहीं की जा सकती।

7. अब इसलिए, अपनी सिंचाई और खपत वाली पेयजल आवश्यकताओं को मानकर मध्य वर्ष उपलब्धता पर यमुना नदी के आंके गए प्रयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आबंटन पर बेसिन राज्य सहमत हैं:

1. हरियाणा	5.730 बी.सी.एम.
2. उत्तर प्रदेश	4.32 बी.सी.एम.
3. राजस्थान	1.119 बी.सी.एम.
4. हिमाचल प्रदेश	0.378 बी.सी.एम.
5. दिल्ली	0.724 बी.सी.एम.

निम्नलिखित की शर्त पर

1. नदी की ऊपरी पहुंचों में संचयों के निर्माण के लम्बित होने के कारण यमुना नदी के वार्षिक प्रयोज्य प्रवाह का आन्तरिक मौसमी आबंटन निम्नलिखित होगा:-

राज्य	यमुना जल का मौसमी आबंटन (बी.सी.एम.)			
	जुलाई-अक्टूबर	नवम्बर-फरवरी	मार्च-जून	वार्षिक
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
कुल	9.056	1.275	1.652	11.983

बशर्ते कि आन्तरिक मौसमी आबंटन दस दैनिक आधार पर वितरित किए जाए परन्तु यह कि जैसे संचयकों का निर्माण होता है उपर्युक्त आन्तरिक मौसमी आबंटन प्रगतिशील रूप से, ऊपर पैरा 7 में बताए गए अनुसार अंतिम वार्षिक आबंटनों में आशोधित होंगे।

(2) इस करार के अंतर्गत किए गए सारे आबंटन के अंदर ही प्रत्येक अभिज्ञात संचयक के लिए अलग करार किया जाएगा।

(3) हिताधिकारी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाहों का करार आवंटन करार के सारे फ्रेमवर्क के अंदर ही अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

जबकि एक वर्ष में जब उपलब्धता आंकी गई मात्रा से अधिक हो तो अधिशेष उपलब्धता को राज्यों के बीच उनके आबंटनों के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

और जबकि एक वर्ष में जब उपलब्धता आंकी गई मात्रा से कम हो तो पहले दिल्ली का पेयजल आवंटन पूरा किया जाएगा और शेष को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटनों के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

8. वर्ष 2025 के बाद इस करार की समीक्षा की जाएगी, यदि कोई बेसिन राज्य ऐसी मांग करे।

9. इस शीघ्र और मैत्रीपूर्ण करार को कराने में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दी गई सहायता व परामर्श को हम रिकार्ड में रखें है और आभारपूर्वक स्वीकार करते हैं।

नई दिल्ली, 12 मई 1994

हस्ताक्षर
(मुलायम सिंह यादव)
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

हस्ताक्षर
(भजन लाल)
मुख्यमंत्री हरियाणा

हस्ताक्षर
(भैरों सिंह शेखावत)
मुख्यमंत्री राजस्थान

हस्ताक्षर
(वीरभद्र सिंह)
(मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश)

हस्ताक्षर
(मदन लाल खुराना)
मुख्यमंत्री दिल्ली

इनकी उपस्थिति में:

हस्ताक्षर
(विद्याचरण शुक्ल)
मंत्री (जल संसाधन)

विवरण II

नवम्बर 1996 से फरवरी, 1997 के दौरान यमुना जल का अस्थायी वितरण

राज्य	नवम्बर, 96 से फरवरी, 97 के दौरान आवंटन मौसम		कुल उपलब्धता के संदर्भ में हिस्से का %	अस्थायी बंटवारा (क्यूसेक)			वापसी प्रवाह (क्यूसेक)	निवल वितरण (क्यूसेक)
	बी सी एम	क्यूसेक		ताजेवाला	वजीराबाद से ओखला	ओखला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	0.686	2,335	54	1,735	0	600	–	2,335
उत्तर प्रदेश	0.343	1,167	27	1,000	0	167	–	1,167
राजस्थान	0.070	238	5.5	0	0	238	–	238
हिमाचल प्रदेश	0.108	368	8.5	0	0	0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.068	231	5	381	225+ 117	0	495	228
कुल	1.275	4,339	100	3,116	342	1005	495	3,968

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त वितरण समझौता ज्ञापन के अनुसार नवम्बर, 1996 से फरवरी, 1997 के दौरान ओखला तक 4339 क्युसेक कुल जल की उपलब्धता के लिए है। यदि उपलब्धता इन आंकड़ों से भिन्न होती है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पेयजल आवंटन की पूर्ति के प्रावधान की शर्तों पर ताजेवाल तथा ओखला दोनों में आवंटन उपर्युक्त विवरण के अनुपात में ही होगा।

2. उपर्युक्त वितरण का निर्णय करते समय दिल्ली के क्षेत्रों में यमुना नदी में वापसी प्रवाह के विचार के संबंध में उत्तर प्रदेश के सदस्य के विशेषाधिकार पर आधारित है।

मार्च, 1997 से जून 1997 के दौरान यमुना जल का अस्थाई वितरण

राज्य	मार्च 97 से जून 97 के दौरान आवंटन मौसम		कुल उपलब्धता के संदर्भ में हिस्से का %	अस्थायी बंटवारा (क्युसेक)			वापसी प्रवाह (क्यूसेक)	निवल वितरण (क्यूसेक)
	बी सी एम	क्यूसेक		ताजेवाला	वजीराबाद से ओखला	ओखला		
हरियाणा	0.937	3,140	56.67	2,540	0	600	–	3,140
उत्तर प्रदेश	0.473	1,590	28.7	1,300	0	290	–	1,590
राजस्थान	0.086	288	5.20	0	0	288	–	288
हिमाचल प्रदेश	0.080	268	4.84	0	0	0	–	–
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	0.076	255	4.60	381	369	0	495	255
कुल	1.652	5,541	100	4,221	369	1,178	495	5,273

टिप्पणियां : 1. उपर्युक्त वितरण समझौता ज्ञापन के अनुसार मार्च, 97 से जून, 97 के दौरान ओखला तक 5541 क्यूसेक कुल जल की उपलब्धता के लिए है। यदि उपलब्धता इन आंकड़ों से भिन्न होती है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पेय जल आबंटन की पूर्ति के प्रावधान की शर्तों पर ताजेवाला तथा ओखला दोनों में आबंटन उपर्युक्त वितरण के अनुपात में ही होगा।

2. उपर्युक्त वितरण का निर्णय करते समय दिल्ली के क्षेत्रों में यमुना नदी में वापसी प्रवाह के विचार के संबध में उत्तर प्रदेश के सदस्य के विशेषाधिकार पर आधारित है।

उपकरणों का दुरुपयोग

372. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए अनेक बड़े-बड़े उपकरण और आवश्यक उपकरणों सहित मशीनों की अनावश्यक खरीद की गई है और वे बिना प्रयोग किए जंग खा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अस्पताल-वार निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल में जर्मनी से प्राप्त लेपरोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टोमी उपकरण कुछ पुर्जों के अभाव में चालू नहीं किया जा सका है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

373. श्री दत्ता मेघे :
श्री बी. एल. शंकर :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थानवार और राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) देश में 857 केन्द्रीय विद्यालय हैं। राज्य वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उनके स्थानों के बारे में ब्यौरा संकलित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में बड़ौत में 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	44
2.	असम	48
3.	बिहार	58
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	25
6.	हिमाचल प्रदेश	18
7.	जम्मू और कश्मीर	26
8.	कर्नाटक	28
9.	केरल	25
10.	मध्य प्रदेश	91
11.	महाराष्ट्र	54
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैंड	06
15.	उड़ीसा	30
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	52
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	29
20.	त्रिपुरा	05
21.	उत्तर प्रदेश	119
22.	पश्चिम बंगाल	48
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
24.	अरूणाचल प्रदेश	10
25.	चंडीगढ़	06
26.	दिल्ली	34
27.	गोवा, दमन और दीव	05
28.	पांडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
	कुल	857

[अनुवाद]

"लक्ष्य" वायुयान का विकास

374. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में वैमानिकीय विकास प्रतिष्ठान ने पायलट रहित वायुयान "लक्ष्य" का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, हां। 'लक्ष्य' को सीमित श्रृंखला उत्पादन में शामिल कर लिया गया है।

(ख) यह मानव शक्ति के बिना चलने वाला हवाई यान है जो तीनों सेनाओं के तोप तथा प्रक्षेपास्त्र कर्मोदलों की प्रशिक्षण जरूरतें पूरी करने के लिए वास्तविक खतरों का रूप धारण करता है। इस पर दूर-नियंत्रण के माध्यम से भू-केन्द्र से युद्धाभ्यास किया जाता है और इसे रिकवरी कमान की शुरूआत होने पर पैराशूट की सहायता से बरामद किया जाता है।

राजधानी में साक्षरता दर

375. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी मे साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागपुर स्थित "नेशनल एनवायरनमेन्ट इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटिट्यूट" द्वारा राजधानी में साक्षरता दर संबंधी कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजधानी की साक्षरता दर में सुधार करने हेतु केन्द्र सरकार की क्या कार्य-योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजधानी की साक्षरता दर 52.21% की राष्ट्रीय दर की तुलना में 75.29% है।

(ख) और (ग) संस्थान ने पर्यावरण मीडिया की समावेशी क्षमता का आंकलन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास योजना हेतु वैकल्पिक दृष्टांत तैयार करने के संबंध में एक अध्ययन किया था न कि यह अध्ययन सामान्य अथवा विशेष रूप से राजधानी की साक्षरता दर के विषय में था।

(घ) फरवरी, 1995 में 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में 6.00 लाख अध्येताओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने हेतु दिल्ली को संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजना की संस्वीकृति प्रदान की गई थी।

सभी के लिए स्वास्थ्य

376. श्री संदीपान थोरात : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नयी स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माणाधीन नीति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(घ) विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी निर्धनों, महिलाओं तथा बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पता लगाये गये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा बनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य क्षेत्र में आ रही नई प्राथमिकताओं को देखते हुए तथा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति को ध्यान रखते हुए नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य प्रारंभिक अवस्था में है।

(घ) स्वास्थ्य क्षेत्र में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ रोगों के पैदा होने तथा उनकी पुनरावृत्ति रोकने, निगरानी तथा जानपदिक अनुक्रिया प्रणालियों में सुधार, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य, संस्थानों की क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य अवसंरचना तथा अधिक स्वास्थ्य शिक्षा के उपाय शामिल हैं।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

377. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप व्यापार में कुल कितनी वृद्धि की संभावना है;

(घ) क्या कोयला क्षेत्र में भी कोई समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार अन्तर सरकारी नहीं थे अपितु, ये ब्रिटिश और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच हुए थे। निजी कंपनियों के बीच इन करारों के परिणामस्वरूप व्यापार में होने वाली वृद्धि इनके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, और इस संबोंध में आंकड़ों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) यू.के. के साथ "कोयले से संबंधित उद्योगों में सहयोग" से संबद्ध एक समक्षौता ज्ञापन संपन्न हुआ।

(ङ) इस समझौता ज्ञापन से एक भारत-ब्रिटिश कोयला मंच की स्थापना की गई है जो युनाईटेड किंगडम और भारत के कोयला संबंधी उद्योगों के बीच एक भागीदारी होगी, इसे सरकारों का समर्थन प्राप्त होगा और यह सरकारों और उद्योग के बीच सम्पर्क का काम करेगा। समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत अनेक सहकारी क्रियाकलापों का पता लगाया गया है।

टिहरी बांध परियोजना

378. **श्री राम नाईक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में टिहरी बांध परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु एक वर्ष पूर्व सरकार द्वारा गठित हनुमंत राव समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) यह समिति कब गठित की गई थी तथा अब तक इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा इसी प्रकार के कार्य हेतु गठित कुछ समितियों की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ज) यदि हां, तो इन समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(झ) उक्त सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (झ) भारत सरकार ने टिहरीजल विद्युत परियोजना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की थी और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मार्च, 1994 में टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे.वा.) के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि, इस परियोजना पर श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा उठाई गई आपत्तियो के संदर्भ में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र के लोगों पर इसके प्रभाव और विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना सहित पारिस्थितिकीय पहलुओं को नए विशेषज्ञ दल, जिसमें श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा नामित व्यक्ति भी शामिल किए गए, द्वारा जांच करवाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। तदनुसार विद्युत मंत्रालय ने 17.9.96 को टिहरी जल विद्युत परियोजना के पुनर्वास और पर्यावरणीय पहलुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अब तक समिति की छः बैठकें हुई हैं। समिति ने परियोजना क्षेत्र, विभिन्न पुनर्वास और कुछ जलग्रहण क्षेत्र उपचार स्थलों का भी दौरा किया है।

समिति को अपनी रिपोर्ट 3 महीनों अर्थात् 16.12.1996 तक प्रस्तुत करनी थी जिसे 15.3.1997 तक बढ़ा दिया गया। तथापि, समिति ने अब 15.5.1997 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।

विवरण

टिहरी जल विद्युत परियोजना के पुनर्वास और पर्यावरणीय पहलुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम

1.	प्रो. हनुमत्था राव, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	सुश्री अन्ना मल्होत्रा, अध्यक्ष, नदी घाटी जल-विद्युत परियोजना पर विशेषज्ञ समिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. कीर्ति पारिख, निदेशक, इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	सदस्य

4.	डॉ. टी.एन. खुशू, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, न.दि.	सदस्य
5.	श्री वी.के. सिन्हा, स्वैच्छिक अभिकरणों की सेवा के लिए सेसायटी, नई दिल्ली	सदस्य
6.	प्रो. रामास्वामी अय्यर, नीति अनुसंधान केन्द्र, न.दि.	सदस्य
7.	प्रो. एस. पारासुरामन, टाटा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	सदस्य
8.	प्रो. शेख सिंह, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री एन.डी. जयाल, हिमालय ट्रस्ट, देहरादून	सदस्य
10.	प्रधान सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
11.	प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
12.	श्री एम.एल. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टी.एच.डी.सी., टिहरी।	सदस्य

श्री डी.पी.एस. लाम्बा, निदेशक (कार्मिक) टिहरी जल विकास निगम, इस समिति के सचिव हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और रख रखाव

379. श्री चमन लाल गुप्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में, 1980 और 1997 के बीच वाहनों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों का तदनुरम कितना विस्तार हुआ है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के डोडा, ऊधमपुर और कठुवा जिलों में, 1990 और 1997 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव संबंधी निदेश में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) वाहनों की अखिल भारतीय संख्या जो 1980 में 45.21 लाख थी, 1995 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 302.87 लाख हो गई। जम्मू और कश्मीर में वाहनों की संख्या 1982 में 0.41 लाख से बढ़कर 1995 में 1.78 लाख हो गई।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई जो 1980 में 29,023 कि.मी. थी, 1996 में बढ़कर 34,298 कि.मी. हो गई तथा जम्मू का हिस्सा 648 कि.मी. रहा जैसा कि 1980 में था। अखिल भारतीय स्तर पर अन्य सड़कों की लम्बाई 14.56 लाख कि.मी. से बढ़कर 1995 में 21.66 लाख कि.मी. हो गई तथा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा 0.12 लाख कि.मी. पर ही स्थिर रहा।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर राज्य को आबंटित निधियां

वर्ष	लाख रु.
1990-91	141.65
1991-92	45.00
1992-93	143.39
1993-94	94.54
1994-95	75.60
1995-96	193.11
1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	103.37

यह उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों के लिए निधियों का आबंटन समग्र रूप से किया जाता है न कि कार्यवार, क्षेत्र आदि वार।

कावेरी जल का बंटवारा

380. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी जल के बंटवारे के लिए चार बेसिन राज्यों द्वारा जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग बेसिन राज्यों को कितना हिस्सा दिया गया है;

(ग) कावेरी जल संबंधी मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत विवादों के अधिनिर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण स्थापित किया है और बेसिन राज्य अधिकरण की कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं।

कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25.6.91 को अन्तरिम पंचाट दिया था जिसमें यह निर्धारित किया गया कि कर्नाटक को एक वर्ष में जून से मई तक मासिक और साप्ताहित शर्तों के साथ 205 हजार मिलियन घन फुट (टी.एम.सी.) जल का अन्तर्वाह तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में सुनिश्चित करना है। संघ शासित क्षेत्र, पांडिचेरी के कराइकल क्षेत्र के लिए 6 टी.एम.सी. जल तमिलनाडु राज्य द्वारा विनिमित ढंग से दिया जाना है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य कावेरी नदी के जल से सिंचाई के अन्तर्गत अपना क्षेत्र मौजूदा 11.2 लाख एकड़ से अधिक नहीं बढ़ायेगा।

आतंकवादियों के हमले में मारे गए रक्षा कार्मिक

381. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों के हमलों में कितने रक्षा कार्मिक मारे गए हैं; और

(ख) इनके परिवारों को सहायता पहुंचाने हेतु इन्हें उचित नौकरी अथवा मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों के हमलों के कारण भरतीय सेना में कुल 554 मृत्यु हुई हैं। जहां तक वायुसेना तथा नौसेना का संबंध है, गत तीन वर्षों में आंतकवादियों के हमलों के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आतंकवादियों द्वारा मारे गए सेना कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में मुआवजा तथा स्वीकार्य सेवांत पेंशनरी लाभ इस प्रकार है:-

(1) अनुग्रह-पूर्वक भुगतान — 1 लाख रुपए (30 अप्रैल, 1995 से पहले) 2 लाख रुपए (01 मई, 1995 के बाद) — जब सशस्त्र शत्रुता के कारण या अतिवादी/आतंकवादी मुठभेड़ में मृत्यु हुई हो।

(2) मृत्यु या अयोग्य होने तक सेना कार्मिकों द्वारा लिए गए अंतिम वेतन की दर से उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन।

(3) मृत्यु सेवानिवृत्ति इस प्रकार है:-

(क) एक वर्ष से कम की सेवा – 2 माह का वेतन

(ख) 1-5 वर्ष के बीच की सेवा – 6 माह का वेतन

(ग) 5 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम सेवा – 12 माह का वेतन

(घ) 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा – सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह का वेतन जो कि अधिकतम 33 माह या 2.5 लाख रु. इसमें से जो भी कम हो। तक की राशि हो।

(4) जे सी ओ तथा अन्य रैंकों के लिए 450 रुपए से 1600 रुपए के बीच और रैंक के आधार पर, अफसरों के लिए 2000 रु. से 16,000 रुपए के बीच विशेष दरों पर परिवार उपदान। संगणना के लिए वास्तविक सेवा में पांच वर्ष और जोड़ा जाता है।

उनके निकट संबंधी को नियमानुसार यथासंभव अनुकंपा के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाता है।

फाइलेरिया

382. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फाइलेरिया के नियंत्रण और निदान के लिए किसी देश ने वित्तीय सहायता या विशेषज्ञों की सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में फाइलेरिया के सर्वाधिक मामले पाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्य माइक्रोफाइलेरिया व्याप्तता/रोग व्याप्तता के अनुसार फाइलेरिया रोगियों की अधिक संख्या की सूचना दे रहे हैं।

सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजना

383. श्री सुशील चन्द्र : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कहां-कहां कितनी बड़ी सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन्हें कब शुरू किया गया है तथा इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) प्रत्येक परियोजना में प्रति हेक्टेयर कमान क्षेत्र की लागत सहित इनकी कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं से "एम.ए.एफ." की दृष्टि से कुल कितनी क्षमता के जलाशय बनाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) देश में निर्माणाधीन वृहद और बहुद्देशीय परियोजनाओं का ब्यौर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में निर्माणाधीन वृहद और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बेसिन	जिस योजना में प्रारंभ की गई	अद्यतन अनुमानित लागत	चरम सिंचाई क्षमता (हजार है.)	जिस परि-योजना में पूरी किए जाने की संभावना है	चरम सिंचाई क्षमता की प्रति हेक्टेयर लागत हजार रु./है.	जलाशय क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
1.	नागार्जुन सागर	कृष्णा	II	950.00	895.28	IX	10.61	11560.00
2.	श्रीराम सागर चरण-1	गोदावरी	III	1519.15	411.00	IX	36.96	3172.00
3.	बमसधारा चरण-1	ई.एफ.आर.	IV	78.60	20.13	IX	39.05	539.44
4.	पुलीवेंदला धखा नहर	कृष्णा	I	34.51	24.28	IX	114.21	2215.00
5.	सोमासिला	पेन्नार	V	415.00	38.48	IX	107.85	2210.00
6.	सिंगूर	गोदावरी	V	169.00	16.00	IX	105.63	850.00
7.	येलेरू जलाशय	ईएफआर	VI	335.34	—	IX	—	682.00
8.	श्रीसेलम दायां तट नहर	कृष्णा	VI	1185.58	176.89	IX	154.19	8722.00
9.	श्रीसेलम बांया तट नहर	-तदैव-	VI	1060.00	121.00	IX	87.60	—
10.	तेलुगु गंगा		VI	1977.00	233.00	IX	84.85	—
11.	जुराला (प्रियदर्शनी)		VI	512.90	87.70	IX	58.48	—
12.	वामसधारा चरण-1	इएफआर	VI	710.14	23.71	IX	299.51	—
13.	सनकेसुला		VIII	108.64	—	IX	—	—
14.	अलगनून बेलेसिंग जलाशय		VIII	84.45	—	IX	—	—
असम								
15.	धनसिरी	ब्रहमपुत्र	I	203.00	69.00	IX	28.99	
16.	बोरडीकेराई	ब्रहमपुत्र		47.49	25.52	IX	18.61	
17.	एकीकृत कोलांक	ब्रहमपुत्र		80.56	34.00	IX	23.69	
18.	पहुमारा	-तदैव-	एपी 78-80	26.85	12.96	VIII	20.72	
19.	चम्पामती	-तदैव	VI	75.00	25.00	IX	30.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार								
20.	पश्चिमी कोसी कैनाल	गंगा	III	357.44	289.30	IX	12.36	
21.	बागमती	गंगा	V	314.67	101.60	IX से आगे	30.97	
22.	सुवर्ण रेखा आईएस	गंगा	V	1428.89	209.30	तदैव	68.27 आई.एस. उड़ीसा और प. बंगाल के साथ	1963.00
23.	नार्थ कोइल जलाशय	गंगा	V	475.00	131.00	IX	36.26	
24.	दुर्गावती जलाशय	गंगा	V	147.40	63.40	IX	23.25	287.70
25.	बरनार जलाशय	गंगा	V	102.38	22.40	IX	45.71	
26.	कोनार व्यपवर्तन	गंगा	V	225.40	62.80	IX	35.89	
27.	तिलइया व्यपवर्तन	गंगा	V	121.83	48.60	IX से आगे	25.07	
28.	बाटेश्वरस्थन चरण-1	गंगा	V	136.67	25.40	IX	53.81	
	-बाणसागर-आई.एस.	गंगा	V	140.00	—	IX आई.एस. म.प्र. उ.प्र. के साथ	7370.00	
29.	अजय बैराज सिकातियां	गंगा	V	5133.11	40.47	IX	32.89	
30.	गुमानी बैराज	गंगा	V	58.42	16.20	IX	36.06	
31.	डाकरानाला पंग चरण-1	गंगा	वा.यो. 1978-80	79.57	17.20	IX	46.26	
32.	सिन्धवरनी	गंगा	VI	21.95	9.38	IX	23.40	
33.	मासन बांध	गंगा	VII	58.00	82.00		7.07	
34.	औरंगा जलाशय	गंगा	VII	257.00	55.40	IX	46.39	
35.	पुनासी जलाशय	गंगा	VII	145.00	24.00	IX	60.42	
गोवा								
36.	सलौली-तिल्लारी (आई.एस.)		IV	130.50	21.24	IX	61.44	234.36
			V	217.22	24.82	IX	87.52	462.17
गुजरात								
37.	दमनगंगा		IV	231.32	51.56	VIII	44.86	567.00
38.	पानम	माही	IV	95.33	49.37	IX	19.31	738.00
39.	साबरमती	साबरमती	IV	124.51	61.09	VIII	20.38	908.00
	-माहीबजाज सागर (आई एस)	माही	IV	73.08	—	IX	—	2100.00
40.	करजन	नर्मदा	V	264.10	77.56	VIII	34.05	-
41.	सुखी	नर्मदा	V	113.40	25.20	VIII	45.00	
42.	सिपु	बनास	वा.यो.-78-80	97.75	22.00	VIII	44.42	
43.	वतरक	साबरमती	वा.यो.-78-80	63.03	18.35	VIII	34.35	9500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	नर्मदा (सरदार सरोवर)	नर्मदा	VI	10156.27	1792.00	IX से आगे	56.68	
45.	झंकारी		VI	90.00	24.00	IX से आगे	37.50	
हरियाणा								
46.	गुड़गांव नहर आई.एस.	गंगा	III	40.41	81.00	IX	4.99	
47.	जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट	गंगा	V	190.00	164.00	IX	11.59	
48.	सतलुज यमुना लिंक नहर (आई.एस.)	सिंधु	V	601.00	275.00	IX	21.85	
49.	नलवी	गंगा	VII	113.00	47.00	IX	24.04	
हिमाचल प्रदेश								
50.	शाहनहर (आई.एस.)	सिंधु	VII	143.32	26.54	IX से आगे	54.00	
जम्मू और कश्मीर								
51.	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई परिसर	सिंधु	V	144.15	67.88	IX	21.24	
कर्नाटक								
52.	भद्रा	कृष्णा	I	149.00	105.57	VIII	14.11	2023.00
53.	तुंगभद्रा बांध और दायां तट नहर	कृष्णा	I	220.00	244.38	पूर्व	9.00	3764.00
54.	तुंगभद्रा एचएलसी (1.5)	कृष्णा	II	55.00	80.91	VIII	6.80	
55.	कांबिनी	कावेरी	II	740.68	87.90		84.26	552.00
56.	मलप्रभा	कृष्णा	III	528.73	218.19	IX	24.23	1068.00
57.	हारंगी	कावेरी	III	247.75	53.54		46.27	240.73
58.	हेमावती	कावेरी	वा.यो. 66-69	527.17	283.60		18.59	1050.63
59.	अपर कृष्णा चरण-1	कृष्णा	IV	3427.30	424.94	IX	80.65	1066.00
60.	करनजा	गोदावरी	V	258.17	35.64	IX	72.44	657.00
61.	बेनीकोरे	कृष्णा	V	97.77	20.24	IX	48.31	
62.	हिमारगी बराज	कृष्णा	V	418.77	59.69	IX	70.16	
63.	दुधगंगा आई एस	कृष्णा	VI	105.00	19.67	IX	53.38	
64.	वाराही		VII	122.00	15.70	IX	77.71	
65	अपर तुंगा		VIII	379.87	94.70	IX	40.11	
केरल								
66	परियार घाटी	पेरियार	II	71.52	85.60	पूर्व	8.36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	पम्बा	पम्बा	III	63.40	49.46	पूर्ण	12.82	39.22
68.	चित्तरपुजहा	भरत पुजहा	III	20.80	29.20	पूर्ण	7.12	
69.	कुटियाडी	कुटियाडी	III	60.50	35.85	पूर्ण	16.88	120.70
70.	कानीहिरपुजहा	भरतपुजहा	III	59.78	21.85	IX	27.36	61.10
71.	पजहासी	वालापटनम	III	77.36	16.23	VIII	47.61	
72.	कालदा	कालदा	III	457.80	92.80	VIII	49.33	
72.(क)	मुवेटपुजहा	मुवेटपुजहा	V	89.25	37.74	VIII	23.65	42.00
73.	चिमोनी		V	36.15	26.00	पूर्ण	13.90	179.24
74.	इदमलयार		VI	67.40	43.19	VIII	15.61	
75.	(क) चलियार (बियोरेपुजहा)		VIII	378.00	108.04	IX	34.99	
	(ख) कुरियारकुट्टी करापारा		VIII	60.18	23.47	IX	25.64	
मध्य प्रदेश								
76.	तवा	नर्मदा	II	140.00	333.00	VIII	4.20	—
77.	महानदी जलाशय	महानदी	IV	1296.14	304.90	IX से आगे	42.51	909.00
78.	कोलार	नर्मदा	IV	185.00	60.00	IX	30.83	—
79.	पेरी	महानदी	IV	33.54	72.80	IX	4.61	—
80.	सिन्ध चरण-1	गंगा	IV	56.43	37.60	IX	15.01	96.60
81.	जोंक	महानदी	IV	46.38	14.50	IX	31.00	—
	राजघाट (आई एस)	गंगा	V	442.71	116.60	IX	37.97	—
82.	बाणसागर	गंगा	V	1473.96	249.00	IX से आगे	59.20	—
83.	बारगी (रानी अवंतीबाई सागर)	नर्मदा	V	742.84	219.80	IX से आगे	33.80	3920.00
84.	अपर वेन गंगा	गोदावरी	V	176.53	105.30	IX	16.76	—
85.	कोदार	महानदी	V	49.82	23.50	IX	21.20	—
86.	बरियारपुर एल बी सी	गंगा	V	143.00	43.80	IX	32.65	—
	ठर्मिल (आई एस)	गंगा	V	20.70	7.70	VIII	26.88	—
87.	हासदेव बांगो	महानदी	वा.यो. 78-80	858.31	392.00	IX से आगे	21.90	3416.00
88.	हलाली (सम्राट अशोक सागर)	महानदी	वा.यो. 78-80	24.71	37.60	VIII	6.57	—
89.	थनवर	नर्मदा	वा.यो. 78-80	24.40	18.20	VIII	13.41	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.	माही	माही	VI	129.70	26.40	IX	49.13	—
	बावनखाडी (आई एस)	गोदावरी	VI	161.49	29.40	IX	54.53	—
91.	मान	नर्मदा	VI	90.00	19.20	IX	46.86	—
92.	जोबत	नर्मदा	VI	61.68	12.50	IX	49.34	—
93.	इंदिरा सागर	नर्मदा	VI	1574.30	169.00	IX	93.15	—
94.	महान	गंगा	VI	103.14	19.70	IX	52.36	—
महाराष्ट्र								
95.	खड़कवासला	कृष्णा	II	213.00	62.15	VIII	34.27	—
96.	कृष्णा	कृष्णा	III	716.00	113.26	IX	63.22	—
97.	भीमा	कृष्णा	III	627.00	162.50	IX	38.58	—
98.	कुकाडी	गोदावरी	वा.यो. 1966-69	867.00	156.27	IX	55.48	—
99.	अपर गोदावरी	गोदावरी	वा.यो. 1966-69	136.00	67.29	IX से आगे	20.21	20.39
100.	वारना	कृष्णा	IV	699.00	113.92	IX	61.36	—
101.	अपर तापी	तापी	IV	93.00	54.14	IX	16.87	388.00
102.	अपर पैन गंगा	गोदावरी	V	630.00	11.52	IX	56.49	—
103.	अपर वारधा	गोदावरी	V	457.00	80.25	IX	56.95	—
104.	दूध गंगा	कृष्णा	V	528.00	65.14	IX	81.06	—
105.	वाघूर	तापी	V	80.00	23.58	IX	33.93	—
106.	अपर पराणहरा	गोदावरी	V	234.00	66.90	IX	34.98	—
107.	चस्कामन	कृष्णा	V	174.00	38.62	IX	45.05	—
108.	नंदूर मादमेश्वर	गोदावरी	V	207.00	45.12	IX	45.88	—
109.	भदरा	डब्ल्यू.एफ.आर.	V	240.00	42.55	IX	56.40	—
110.	जायकवाड़ी चरण-II	गोदावरी	V	867.00	135.57	IX	63.95	2909.00
111.	सूर्या	डब्ल्यू.एफ.आर.	वा.यो. 1978-80	145.00	27.19	IX	53.33	—
112.	बावनखाडी	गोदावरी	वा.यो. 1978-80	261.00	25.31	IX	103.12	—
113.	इस्वापुरी (विष्णुपुरी)	गोदावरी	वा.यो. 1978-80	197.00	33.73	IX	58.40	—
114.	तिलारी	डब्ल्यू.एफ.आर.	वा.यो. 1978-80	256.00	7.01	IX से आगे	365.19	—
115.	लेन्डी	गोदावरी	VI	187.00	19.58	वही	95.51	—
116.	लोवर पिरना	गोदावरी	VI	122.00	20.26	VIII	60.22	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	घोसी खुर्द (सावरगांव)	गोदावरी	VI	1345.00	190.00	IX से आगे	70.79	—
118.	लोवर वार्धा	गोदावरी	VI	232.00	52.98	IX से आगे	43.79	—
119.	अपरवुना	गोदावरी	VI	187.00	20.78	VIII	79.99	—
120.	वान	तापी	VI	135.00	17.56	IX	76.88	—
121.	अरुणावती	गोदावरी	VI	70.00	30.87	VIII	22.68	—
122.	तुलतुली	गोदावरी	VI	82.94	30.39	IX से आगे	27.29	—
123.	करवा	गोदावरी	VI	40.00	10.32	VIII	38.76	—
124.	तलोम्बा	डब्ल्यू.एफ.आर.	VI	176.00	16.75	IX से आगे	105.07	—
125.	पुनाद	तापी	VI	62.00	16.86	IX से आगे	36.77	
126.	हुमान	गोदावरी	VI	69.57	36.22	IX से आगे	19.21	—
127.	नीरादेव गढ़		VIII	326.00	31.21	IX से आगे	104.45	—
128.	लोअर दुदना		VIII	192.00	29.80	IX से आगे	64.43	—
129.	लोअर पेन गंगा		VIII	207.14	135.57	IX से आगे	15.28	—
130.	बेमवाला		VIII	228.00	उ.न.	IX से आगे	—	—
131.	भीभा असखेड़ा		VIII	113.00	उ.न.	IX से आगे	—	—
132.	जमाईशिरानी		VIII	57.00	उ.न.	IX से आगे	—	—
133.	सीनापोलेगांव		VIII	95.00	13.26	IX से आगे	71.64	—
134.	—	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर								
135.	थाऊबल		वा.यो. 1978-80	223.00	29.67	IX	75.17	—
136.	खुगा		VI	101.62	15.00	IX	67.75	—
उड़ीसा								
137.	पोट्टेरू	गोदावरी	IV	102.39	109.88	VIII	9.32	—
138.	रेंगाली		IV	2199.52	423.60	IX से आगे	51.92	—
139.	अपर कोलाब	गोदावरी	वा.यो. 1978-80		88.76	VIII	—	—
140.	अपर इन्द्रावती	गोदावरी	वही	206.78	218.60	IX	9.46	—
141.	सुवर्णरेखा		VII	1154.45	176.50	IX	65.41	—
142.	कानुपुर		VIII	319.91	41.40	IX से आगे	77.27	
143.	महानदी चित्तरोतला		VIII	108.73	35.95	IX	30.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब								
144.	सतलुज-यमुना लिंक नहर	सिंधु	VI	743.54	130.00	IX	57.20	—
राजस्थान								
145.	हरीशचन्द्र सागर	गंगा	I	12.25	17.98	पूर्ण	6.81	—
146.	इंदिरा गांधी नहर चरण-1	सिंधु	II	289.00	581.00	VIII	4.97	—
147.	जाखम	माही	III	93.50	23.50	VIII	39.79	—
148.	गुड़गांव नहर (अई.एस.)	गंगा	III	35.40	28.20	IX	12.55	—
149.	माही बजाज सागर	माही	IV	383.63	128.60	IX	29.83	—
150	सोम कमला अम्बा	माही	V	178.81	18.79	IX	95.16	—
151.	इंदिरा गांधी नहर चरण-II	सिंधु	V	2463.00	810.00	IX से आगे	30.41	—
152.	नर्मदा (सरदार सरोवर) आई.एस.	नर्मदा	VI	548.00	73.16	IX से आगे	74.90	—
153.	बिसालपुर	गंगा	VIII	328.03	60.00	IX	54.67	—
154.	सिद्धमुख नोहर	सिंधु	वा.यो. 1990-92	299.20	67.34	IX	34.04	—
उत्तर प्रदेश								
155.	गंडक नहर आई.एस.	गंगा	III	158.77	308.39	पूर्ण	5.15	—
156.	शारदा सहायक	गंगा	III	1064.60	1582.00	IX	6.73	—
157.	लखवर व्यासी	गंगा	V	369.00	40.00	IX	92.25	—
158.	मध्य गंगा नहर	गंगा	V	506.08	178.00	IX	28.43	
159.	सरजू नहर	गंगा	V	1256.00	1404.00	IX	8.95	—
160.	पूर्वी गंगा नहर	गंगा	V	308.77	105.00	IX	29.41	—
161.	राजघाट आई एस	गंगा	V	223.27	109.35	IX	20.42	—
162.	जमरानी बांध	गंगा	V	194.00	60.60	IX	32.01	—
163.	ठर्मिल आई एस	गंगा	V	33.91	4.77	पूर्ण	71.09	—
164.	सोन पम्प नहर	गंगा	V	72.55	60.06	IX	11.15	—
165.	कनहर सिंचाई	गंगा	V	174.27	33.13	IX से आगे	52.60	—
166.	बेवार फीडर	गंगा	V	49.61	9.80	VIII	50.62	
167.	मौधा बांध	गंगा	V	95.93	28.64	VIII	33.97	
168.	बाणसागर आई एस	गंगा	V	480.92	150.13	IX से आगे	32.03	
169.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	गंगा	VI	30.94	13.76	VIII	22.49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170.	ज्ञानपुर पम्प नहर	गंगा	VII	111.89	65.42	IX	17.10	—
171.	चम्बल लिफ्ट	गंगा	VII	47.00	55.42	IX	8.48	—
172.	हिन्डन कृषि दोआब	गंगा	VII	26.39	8.50	IX	31.85	—
173.	टिहरी	गंगा	VII	823.81	270.00	IX से आगे	30.51	—
पश्चिम बंगाल								
174.	दामोदर घाटी निगम की बराज और सिंचाई प्रणाली	गंगा	I	60.00	515.38	VIII	1.16	—
175.	कंगसाबती		II	205.41	401.66	IX	5.11	1036.00
176.	तीस्ता बराज	ब्रह्मपुत्र	V	980.00	533.52	IX	18.37	—
177.	सुवर्णरेखा आई एस		V	450.00	130.00	IX से आगे	30.51	—
दादरा और नहर हवेली								
178.	दमनगंगा आई एस	डब्ल्यू.एफ.आर.	IV	जी यू में शामिल	7.11	VIIII	—	—
दमन व दीव								
179.	दमन गंगा आई एस	डब्ल्यू एप आर	IV	-वही-	3.10	VIII	—	—

आई.एस. - अंतर्राज्यीय
ई एफ आर - पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जी यू - गुजरात
डब्ल्यू एफ आर - पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां

टिप्पणी : 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर अथवा इससे अधिक भण्डारण क्षमता वाले जाशयों के लिए सूचना केन्द्र में रखी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक

384. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक जम्मू और कश्मीर में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर्यवेक्षकों की संख्या कितनी है और इनकी क्या उपयोगिता है;

(ग) क्या ये पर्यवेक्षक जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा और नियंत्रण रेखा के उस पार बिना किसी रोक-टोक के बार-बार आ-जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि ये पर्यवेक्षक प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक दल के 15 पर्यवेक्षक जम्मू और कश्मीर में तैनात हैं। 1972 में शिमला समझौता, सम्पन्न होने के बाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान के सभी मसलों को द्विपक्षीय रूप से निपटाने की बचनबद्धता है, भारत, संयुक्त राष्ट्र भारत-पाक सैन्य पर्यवेक्षक दल को मान्यता नहीं देता है। तथापि, यू.एन.एम.ओ.बी.आई.पी. के पर्यवेक्षकों को नियंत्रण रेखा पर कार्य और ड्यूटी करने की अनुमति दी गई है। सीमा पार करने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में पर्यवेक्षकों को भारतीय नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करना होता है। हमारी सीमा शुल्क प्रणाली का उल्लंघन करने के बारे में कोई ठोस रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

सिंचाई प्रणाली की क्षमता

385. **श्री शिवराज सिंह** : क्यां **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिंचाई प्रणालियों की क्षमता को इसके इष्टतम स्तर तक बढ़ाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय प्रभावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सिंचाई क्षेत्र में भारी निवेश किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई-क्षेत्र से प्राप्त लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिंचाई प्रणालियों के कार्य-निष्पादन में सुधार को योजना आयोग के क्रमिक पंचवर्षीय योजना प्रलेखों तथा राष्ट्रीय जल नीति (1987) में भी परिलक्षित किया गया है। इस संबंध में सरकार ने अनेक कार्यक्रम/नीतिगत की हैं। इनमें वर्ष 1974-75 के बाद से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सिंचाई प्रबन्ध नीति पर मसौदा दिशा-निर्देश तैयार करना और सिंचाई प्रबंध में भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर 2568 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2510 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) जी हां। पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत किए गए 14225 करोड़ रुपए के कुल निवेश की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सिंचाई क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय (संस्थागत निवेश को छोड़कर) 28392 करोड़ रुपए हैं। सिंचाई क्षेत्र से लाभ की मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण निर्धनों के प्रवास को कम करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन शामिल हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

386. **श्री डी. पी. यादव** :
श्री सोहन बीर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अभी कितने केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान और कितने केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के संभल शहर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक खोलने जाने की संभावन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्तमान समय में 119 केन्द्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्ष 1997-98 के दौरान अधिकतम 20 केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य है। निधियां केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास उपलब्ध कुल बजट के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) सम्भल में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध हाल ही में प्राप्त हुआ है। जिला प्राधिकारियों से विहित मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

यू.पी. में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं

387. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1997 के दैनिक जागरण में "यू.पी. में सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सुविधा•महंगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

388. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम में और अधिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को असम राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग को माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य में और अधिक तकनीकी या व्यावसायिक संस्थाएं खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सकों को प्रशिक्षण

389. कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आधुनिक प्रशिक्षण से वंचित चिकित्सकों के लिए कोई कार्यशाला आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यशाला कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त कार्यशाला के आयोजन से कितने चिकित्सक लाभान्वित होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधीनस्थ संस्थाएं चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की जानकारी से डाक्टरों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों में सी एम ई ट्रेनिंग प्रोग्राम/वर्कशाप आयोजित करती हैं। इसके अतिरिक्त डाक्टरों को विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिससे उन्हें अन्य देशों में चिकित्सा क्षेत्र में हो रही नवीनतम प्रगति की जानकारी मिलती है और वे वहां के डाक्टरों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये कार्यकलाप निरंतर चलते रहते हैं और संसाधनों पर निर्भर करते हैं। उपलब्ध संसाधनों के अन्दर अधिक से अधिक डाक्टरों को इन कार्यों में शामिल किए जाने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

390. श्री भक्त चरण दास : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सूखे की स्थिति के मद्देनजर उड़ीसा को इस कार्यक्रम में शामिल किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) उड़ीसा को कार्यक्रम में शामिल किया गया है और राज्य की चार परियोजनाओं के लिए 92.10 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। इसमें से 46.05 करोड़ रुपए की राशि पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त की गई है।

परिवार कल्याण हेतु आंध्र प्रदेश को निधि प्रदान करना

391. श्री आर. साम्बाशिवा राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की परिवार कल्याण योजनाओं के लिए देय सम्पूर्ण राशि तुरंत देने का अग्रह किया है ताकि बकाया राशि जमा न रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं और उनमें अपेक्षित सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं चुंकि शहरी क्षेत्रों में समकक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अब तक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा अब तक उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वास्तविक राशि कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित अवसंरचना उपलब्ध है:-

योजना	संस्थान	संख्या
1. जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	ए श्रेणी का शिक्षण	8
	ए श्रेणी का गैर सरकारी	2
	ख एवं ग	18
	कुल	28
2. उप जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	उप जिला अस्पताल	55
3. शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	श्रेणी-I	64
	श्रेणी-II	14
	श्रेणी-III	35
कुल		131

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को विमुक्त कुल धनराशि 10238.85 लाख रुपए है जिसमें बकाया के लिए 4901.92 लाख रुपए शामिल हैं। राज्य ने बताया है कि उन्होंने सितम्बर 1996 के अन्त तक 8045.00 लाख रुपए पहले ही व्यय कर लिए हैं।

(घ) राज्य सरकार ने 5400.00 लाख रुपए के तदर्थ अनुदान की मांग की है।

(ङ) तंग वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकार के अनुरोध को मानना संभव नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कार्य

392. श्री माधव राव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कार्यों में भाग लेते समय अब तक भारतीय सेना के कितने अधिकारियों और जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है;

(ख) इस समय भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने कितने अधिकारी और सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कार्यों में लगाए गए हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कार्यों में शहीद होने वाले भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के परिवारों को दूसरे देशों की तुलना में मुआवजे के रूप में कम राशि दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक ड्यूटी पर तैनात भारतीय और अन्य देशो के अधिकारियों और सैनिकों की मृत्यु के अलावा कोई प्रमुख शारीरिक विकलांगता की स्थिति में मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र संघ की विभन्न शांति स्थापना संक्रियाओं में 10 अफसरों, 5 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और 75 अन्य रैंकों सहित कुल 90 सेना कार्मिकों की मृत्यु हुई है। 12.2.97 की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना संक्रियाओं में 1120 कार्मिक तैनात हैं। इनमें 120 अफसर, 53 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और 947 अन्य रैंक हैं।

संयुक्त राष्ट्र के विनियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संक्रियाओं में तैनात सैन्य बलों के कार्मिकों की सैन्य सेवा के कारण मृत्यु होने, उनके जख्मी होने या बीमार होने के मामले में सरकारों द्वारा उनके राष्ट्रीय कानून और/या विनियमों द्वारा अनुमेय सीमा तक किए गए भुगतानों की ही प्रतिपूर्ति की जा सकती है। सरकारी आदेशों के अनुसार, शांति स्थापना संक्रियाओं के दौरान सैन्य कार्मिकों की मृत्यु, उनके जख्मी होने या बीमारी को युद्ध में हताहत/घायल माना जाता है और उन्हें उदारीकृत पेंशन दी जाती है। पेंशन संबंधी लाभों के

अतिरिक्त, यदि मृतक सेना समूह बीमा योजना के अंतर्गत आता हो तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका परिवार उस बीमा के अंतर्गत मृत्यु संबंधी लाभ पाने का भी हकदार होगा। साथ ही प्रत्येक मामलों के औचित्य के आधार पर कभी-कभी सैनिक पत्नी कल्याण एसोशिएशन निधि, विकलांग सेना कार्मिक, विधवा, और अनाथ निधि और सेना अफसर हितकारी निधि से भी अनुदान दिया जाता है।

पूर्ण साक्षरता

393. श्री के. पी. सिंहदेव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा आज की तारीख तक राज्य-वार इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 1998-99 के अन्त तक 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाना है।

अभी तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 423 जिलों तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 183 जिलों को शामिल किया गया है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान योजना के अन्तर्गत अब तक 41.47 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के आरम्भ होने के बाद, सभी योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 60.33 लाख लोगों को साक्षर बनाया गया है। साक्षर बनाए गए व्यक्तियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने तथा उनमें सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

(1) सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों की कवरेज में शामिल न किए गए जिलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया।

(2) पुर्नप्रशिक्षण तथा प्रबोधन शिविरों के माध्यम से तथा उनके प्रयासों को मान्यता एवं सराहना प्रदान करके साक्षरता अभियानों में लगे स्वयंसेवकियों की अभिप्रेरणा बढ़ाने के उपाय किए गए।

(3) साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जा रहा है।

(4) साक्षरता कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जवाहर रोजगार योजना, डी डब्ल्यू ए सी आर ए आदि अन्य विकास कार्यक्रमों के बीच सम्बन्ध बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

(5) राज्य साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन।

(6) अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तन्त्रों के नवीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भी साक्षरता कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करते हैं।

(7) साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में होने वाली कमियों का पता लगाने तथा यथासमय उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए साक्षरता कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन का काम सख्ती से किया जा रहा है।

(8) विभिन्न अपरिहार्य कारणों की वजह से अधूरी रह गई परियोजनाओं के नवीकरण तथा उन्हें व्यवहार में लाने के लिए आपरेशन रेस्टोरेशन कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

विवरण

साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संपूर्ण साक्षरता अभियान योजना को छोड़कर अन्य योजनाएं (वर्ष 1988 से आज तक)	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (1989 से सितम्बर, 1996	सकल कुल कालम 3 और 4
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	989787	6372823	7362610
2.	अरूणाचल प्रदेश	59612	–	59612
3.	असम	772840	308021	1080861
4.	बिहार	2837346	1618418	4455764
5.	गोवा	21327	49910	71237
6.	गुजरात	1982357	3863016	5845373
7.	हरियाणा	0	270227	270227
8.	हिमाचल प्रदेश	127977	364596	492573
9.	जम्मू और कश्मीर	163992	–	163892
10.	कर्नाटक	584702	3378516	3963218
11.	केरल	215152	1345000	1560152
12.	मध्य प्रदेश	1481575	2603515	4085090
13.	महाराष्ट्र	2040647	2690830	4731477
14.	मणिपुर	67371	–	67371
15.	मेघालय	84225	–	84225
16.	मिजोरम	61919	–	61919
17.	नागालैंड	63123	–	63123
18.	उड़ीसा	177294	1773621	1950915
19.	पंजाब	319989	233933	553922

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	1206166	1233437	2439603
21.	सिक्किम	13604	–	13604
22.	तमिलनाडु	841957	5132882	5974839
23.	त्रिपुरा	81387	92743	174130
24.	उत्तर प्रदेश	3572518	2078702	5651220
25.	पश्चिम बंगाल	706079	7919417	8625496
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	14492	–	14492
27.	चंडीगढ़	16705	23699	40404
28.	दादरा और नहर हवेली	7293	–	7293
29.	दमन और दीव	2991	460	3451
30.	दिल्ली	335859	34421	370280
31.	लक्षद्वीप	986	–	986
32.	पांडिचेरी	11166	88799	99965
	जोड़	18862338	41476986	60339324

महाकाली सन्धि

394. श्री चित्त बसु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल की संसद ने महाकाली संधि का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने के लिए विशेष रूप से जल संसाधन सहयोग के क्षेत्र में, नए अवसर खुले हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने अपनी हाल ही की रोम यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ इस संबंध में बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) विचार-विमर्शों के दौरान अनेक विषयों पर बातचीत हुई, और भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों पर फिर से जोर दिया गया। बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहन बनाने तथा व्यापार संबंधों में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। महाकाली संधि, जिसने सहयोग के अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं, के सफलतापूर्वक संपन्न होने तथा उसके अनुसमर्थन का भी उल्लेख किया गया। इस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र की असीम आर्थिक क्षमता का पता लगाने की

आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया। बैठक के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधान मंत्री को नेपाल आने का आमंत्रण दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

[हिन्दी]

लिफ्ट सिंचाई के लिए राजसहायता

395. श्रीमती शीला गौतम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लिफ्ट सिंचाई के लिए किसानों को दी गई राजसहायता संबंधी योजना में कोई परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र लाया जायेगा; और

(घ) लिफ्ट सिंचाई के लिए वर्ष 1996-97 के लिए राज्य-वार अलग-अलग कितनी निधि आवंटित की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है जिसके तहत किसानों को लिफ्ट सिंचाई के लिए इमदाद दी गई हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजमार्गों और जहाजरानी संबंधी नई नीतियां

396. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राजमार्गों और जहाजरानी संबंधी नई नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बड़े तथा छोटे पत्तनों के बारे में नीति संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लियाा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और राजमार्गों और जहाजरानी संबंधी नई नीतियों की कब तक घोषणा कर दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क), (ख) और (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक नई नीति की घोषणा की है, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर बनाए गए चार लेन वाले खंडों पर निरन्तर कर वसूली से प्राप्त राशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के और विकास के लिए किया जायेगा।

(iii) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार (बी ओ टी) पर शुरू की जाने वाली रा. रा. परियोजनाओं के लिए तैयार मार्गनिदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोक्ता पर न्यूनतम लागत के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कार्य सौंपे जाने का प्रावधान है।

(iv) सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) में पूंजी निवेश की अनुमति दे दी है ताकि इसका लाभ उठा कर बाजार से और संसाधन जुटाए जा सकें।

तथापि, नौवहन पर नई नीति विचाराधीन है।

(ग) और (घ) सरकार ने पत्तन सैक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीति निर्देश जारी किए हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं। जहां तक लघु पत्तनों का संबंध है, संबंधित समुद्रवर्ती राज्य सरकारें उनके विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

विवरण

(i) मौजूदा विधायी ढांचा पत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देता है।

(ii) पत्तन, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अपनी नियामक भूमिका निर्वहन करते रहेंगे।

(iii) बी ओ टी आधार पर निविदाएं दिये जाने के लिए अभिनिर्धारित परियोजनाओं के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पत्तन के खर्च पर तैयार की जाएंगी जिसकी लागत बाद में सफल निविदादाता से वसूल कर ली जाएगी।

(iv) बी ओ टी मॉडल का उपयोग, सामान्यतया निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किया जाएगा और रियायत अवधि के बाद परिसंपत्तियां निशुल्क पत्तन को लौटा दी जाएंगी। इसका मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित मापदंड के आधार पर किया जाएगा और यह एन पी वी विश्लेषण का प्रयोग करके पत्तन के लिए अधिकतम वसूली के आधार पर होगा।

(v) प्रत्येक मामले में रियायत अवधि संबंधित पत्तन द्वारा नियत की जाएगी जो 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(vi) पत्तन संभावित वित्तीय लाभ अथवा यातायात के लिए कोई गारंटी नहीं देगा।

(vii) टैरिफ प्राधिकरण टैरिफ की एक सीमा नियत कर सकता है और निजी उद्यमी, उद्यमी द्वारा नियत की जाने वाली दरों पर टैरिफ सीमा तक प्रभार वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि टैरिफ प्राधिकरण संतुष्ट हो तो न्यायोचित आधार पर टैरिफ में उपयुक्त रूप से आवधिक बढ़ोत्तरी की अनुमति दी जा सकती है।

(viii) निजी क्षेत्र की सहभागिता खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर होगी, जो दोहरी रक्षा प्रणाली पर आधारित होगी।

(ix) पत्तन न्यासों द्वारा उपकरण/पत्तन क्राफ्ट और पायलटेड के पट्टे पर लेने में मूल्यांकन का मापदंड पत्तनों की न्यूनतम लागत होगी।

(x) पत्तन श्रमिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रमिकों की सहमति के बगैर कोई छंटनी नहीं की जाएगी और यह छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम और संगत श्रम कानूनों के अनुसार की जाएगी। पट्टाधारक देश के सभी ऋण कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं

397. श्री जयसिंह चौहान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की कोई नई विशेष योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का जनसंख्या नियंत्रण हेतु बढ़िया तथा बेहतर किस्म की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराने का भी विचार है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई सलाह अथवा सहायता दी है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) सामुदायिक पुरस्कार योजना नामक एक नई योजना 1996 में शुरू की गई है जिसके अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में 500 से अधिक जनसंख्या वाले एक राजस्व गांव, जिसकी आशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर सबसे कम होती है को 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अंतर्गत निर्धारित किये गये गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुरूप होती हैं।

(च) और (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1993 में मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोलियां बनाने के लिए सामग्री सहायता के रूप में कच्चा माल दिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण

प्रधान मंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा): महोदय, मैं आपकी अनुमति से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

महोदय, मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को अपनी बधाईयां और समस्त देश की शुभ कामनाएं देने के लिए सभा के समक्ष खड़ा हूँ जिन्होंने कल 250 कि.मी. की दूरी की श्रेणी वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है। जैसा कि

विदित है कि यह प्रक्षेपास्त्र भारतीय वायु सेना के प्रयोग के लिए है और इससे हमारी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जैसा सभा को मालूम है, हमने इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता पर विशेष बल दिया है और कल का सफल प्रक्षेपण इस कार्यक्रम का एक और मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसके समर्पित वैज्ञानिकों के दल ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी सराहना करने में मेरा साथ देगी।

अपरान्ह 12.02 बजे

[अनुवाद]

(ड़े) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रधानमंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा): एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रों के प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना हुई है। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली की बेहतर मॉनीटरिंग के साथ उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव है।

जैसाकि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कहा गया है, इस संबंध में शुरूआत अर्थात खाद्यान्न जारी करके करने का प्रस्ताव है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती है।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो० लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जैसाकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि.ग्रा. चावल/गेहूं प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

यह सर्वविदित है कि चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया है। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः तीन और चार बार वृद्धि की जा चुकी है। इन संशोधनों और अन्य आनुषंगिक खर्चों में वृद्धि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सरकार का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

निर्गम मूल्य	चावल			गेहूं	कुल
रु./कि.ग्रा.	कॉमन	फाईन	सुपर फाइन		राजसहायता
1. गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	-	2.50	8282.90
2. गरीबी रेखा से	-	6.50	7.50	4.50	

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुनियादी रूप में गरीबों पर केन्द्रित है और इससे गरीबी रेखा से नीचे के 32 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य राज सहायता की राशि लगभग आठ हजार करोड़ रुपये की होगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 180 लाख मी. टन खाद्यान्न जारी किये जाने की संभावना है।

कोई भी राज्य जो बड़ी संख्या में लोगों को इस स्कीम में शामिल करना चाहता है या दी जाने वाली मात्रा के पैमाने में वृद्धि करना या मूल्य कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वह अपने स्वयं के संसाधनों से खाद्यान्नों और निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ-भोगियों की पहचान करना, उन्हें विशेष कार्ड जारी करना और इन अभिप्रेत लाभ-भोगियों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1363/97]। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी और इस बात पर नजर रखेंगी कि हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों को खाद्यान्नों की उनकी हकदारी बिना नागा नियमित रूप से मिलती रहे।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अध्यक्ष महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे गये पत्रों को लेंगे और तत्पश्चात् हम शून्य काल पर आयेंगे।

[हिन्दी]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत पत्र

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में देखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1346/97]

(2) मिस्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल. टी. 1347/97]

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा-पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) नियम, 1996 जो 16 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1348/97]

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) संशोधन विनियम, 1997 जो 7 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1349/97]

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): महोदय, मैं, श्री एस. आर. बोम्मई की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1350/97]

(3) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1351/97]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिडीवनाम जी. वेंकटरामन) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):-

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य ग्रहण समय) विनियम, 1996 जो 18 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.एच.आर.-12011/6/95 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रोत्साहन) विनियम, 1995 जो 18 अप्रैल. 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन एच ए आर-12011/10/95 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 जो 11 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन एच ए आर-12011/1/95 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1352/97]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1353/97]

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1354/97]

हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ और कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चण्डीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1355/97]

(3) (एक) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1356/97]

एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वरा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1357/97]

अपरान्ह 12.08 बजे

[हिन्दी]

नियम समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपरान्ह 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

नियम समिति

कार्यवाही सारांश

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मैं नियम समिति की 11 दिसम्बर, 1996 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। शुक्रवार को जब माननीय सदस्यों ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया, तो मैंने इसकी अनुमति न देते हुए यह कहा था कि मैं इस मुद्दे को सोमवार को, अर्थात आज, उठाने की अनुमति दूँगा। चूंकि उड़ीसा में त्रासदी हुई है और प्रधान मंत्री जी को अभी जाना है, इसलिए मैं नहीं समझता कि यह मुद्दा उठाना आज हमारे लिए संभव होगा क्योंकि यहां पर जब यह मुद्दा उठाया जाएगा, तो प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति बहुत ही जरूरी मानी जाती है। अत:, मैं यह मुद्दा कल तक के लिए आस्थगित रखता हूँ। कल प्रधानमंत्री उपलब्ध रहेंगे।

[हिन्दी]

अपरान्ह 12.09 बजे

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, नियम 184 के अंतर्गत मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने आपकी अनुमति मांगी है कि उस प्रस्ताव पर सदन में बहस होनी चाहिए। मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति राज है। यह सदन उत्तर प्रदेश के लिए सीधे उत्तरदायी है। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूँ। किसी प्रदेश का शासन जब संविधान के अनुसार नहीं चलता तब केन्द्र हस्तक्षेप करता है। आर्टिकल 356 बहुत दुरुपयोग का विषय हो चुका है। उसे रद्द करने की मांग भी हो रहीं है, लेकिन वह अनुच्छेद अपनी जगह पर काम कर रहा है। वह अंग्रेजों के जमाने के एकट 35 की हुबहू नक्ल है, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जा रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार न चले तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए लेकिन अगर राष्ट्रपति का शासन भी संविधान के अनुसार न चले तब क्या होगा?.... *(व्यवधान)* आज उत्तर प्रदेश में न कोई कानून है, न कोई व्यवस्था। हत्याओं का बाजार गर्म है। राजनैतिक हत्याएं हो रही हैं। जनसाधारण का जीवन असुरक्षित है, खुले आम बाजार लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, पुलिस गोली चला रही है, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां कोई शासन नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में यह सदन चुप बैठा रहे? या अध्यक्ष जी, आप हमसे कहें कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का मामला है, वहां राष्ट्रपति का शासन है लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस होने वाली है, उसमें मामला उठा दीजिए या आप कहें कि बजट आने वाला है, उसमें चर्चा कर लीजिए। यह तो उत्तर प्रदेश के साथ न्याय करना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है... *(व्यवधान)* पन्द्रह करोड़ से ज्यादा आबादी है। फिर लोक सभा में उत्तर प्रदेश के 84-85 मेम्बर है उनमें 51-52 मेम्बर भाजपा के हैं। शुक्रवार के दिन हम सदन में नहीं आए। अगर हम चाहते तो आ सकते थे, उपद्रव कर सकते थे, कार्यवाही रोक सकते थे। लेकिन हमारा हृदय शोक से भरा हुआ था, हम रोष में डूबे हुए थे, हमने सदन से बाहर रहकर अपना शोक प्रकट किया, अपना रोष भी प्रकट किया। हम फरुखाबाद गए थे जहां भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गई थी। ... *(व्यवधान)* यह राजनैतिक हत्या है, यह षडयंत्र का नतीजा है। अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को कौन नहीं जानता? नौ और दस फरवरी की आधी रात को योजना पूर्वक उनकी हत्या की तैयारी थी। जब मैंने प्रधान मंत्री जी को फोन करके बताया कि यह हत्या हो गई है, यह गंभीर मामला है, उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, वहां कोई हुकूमत नहीं है, राज्यपाल को राज्य की कोई चिंता नहीं है, राज भवन सजाने की चिंता है, आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि "मैं सी.बी.आई. से इंक्वायरी कराने का आदेश देता हूँ।" मैंने कहा कि इससे भी अधिक कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सी. बी. आई. की इंक्वायरी के आदेश में भी दस दिन लगे हैं। दस दिन क्यों लगे? यह मामला प्रदेश पर क्यों छोड़ा गया? जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं है। सेवाएं बंटी हुई है, जातिवाद के जहर से बुझी हुई हैं। कौन न्याय देगा? किस तरह से संविधान की रक्षा होगी? कौन भ्रष्ट है? सेवाओं में एक होड़ सी लगी हुई है यह पता लगाने के लिए कि कौन अधिक भ्रष्ट है, कौन महा भ्रष्ट है, कौन अति भ्रष्ट है। अफसर वोट डाल रहे हैं, वोट से तय कर रहे हैं, जैसे कोई खिलवाड़ हो रहा है। भ्रष्ट हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है, इस पर वोट डाले जा रहे हैं। सेवाओं का मनोबल टूटा हुआ है। राज्यपाल को इसकी चिंता नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी की हत्या अकेली हत्या नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। 5 जनवरी को हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव एकबारा के जंगल में छः व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गई। जो हत्यारे थे, वे जाति पूछ-पूछ कर मार रहे थे। जिनकी हत्यायें हुई, वे दलित थे। जंगल से लकड़ी काट कर ला रहे थे। पेट भरने का और कोई उपाय नहीं। सामूहिक हत्या हुई। दस दिन बाद इस हत्याकांड का बदला लिया गया। ... *(व्यवधान)* हस्तिनापुर थानान्तर्गत ग्राम भिखुन्ड में रात गए पुलिस की वर्दी में आये कुछ लोगो ने छः व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी। लोग दूसरे समुदाय के थे और हत्या बदला लेने की भावना से की गई। छः लोगों में से पांच लोग जो मृत हुए, वे जवान थे। उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। माफियाओं के बीच में गृह युद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश गृह युद्ध की भूमि बना है। पहले कभी हस्तिनापुर में कौरव-पांडव लड़े थे, अब तो ये कलिकाल कौरव-पांडव इस तरह से लड़ रहे हैं। सामूहिक हत्यायें हुई। कम से कम बदला लेने के लिए जो हत्यायें हुई, उनकी रोकथाम हो सकती थी। उसका प्रबंध किया जा सकता था। पहला हत्याकांड तो अचानक हुआ, लेकिन उसके बाद सब को पता था कि कहीं-न-कहीं वारदात जरूर होगी। गम्भीर वारदात होगी। शासन क्या करता रहा? कोई रोकथाम नहीं की गई। कोई चिन्ता नहीं की गई। मानव जान की कोई कीमत नहीं है। इस तरह का उत्तर प्रदेश का हाल बना दिया गया है।

27 जनवरी को गाजियाबाद में सिंभावली की शुगर मिल है। शुगर मिल के मजदूर आन्दोलन कर रहे थे। धरना दे रहे थे। वे चीनी की उतनी कीमत चाहते थे, जितनी कि पड़ोसी मिलों को दी गई थी। उनकी मांग थी कि उनको पर्चा दे दिया जाए और पर्चे पर 71 रुपये तथा 75 रुपये अंकित कर दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब फैसला होगा, तब उसका अपने हिसाब से निबटारा कर लेंगे। इस बात के लिए धरना हो रहा था। पहले मिल के भीतर धरना हो रहा था। फिर धरना मिल के बाहर होने लगा। उससे स्वाभाविक है कि सड़क जाम हुई होगी, रास्ता रुका होगा। अब यहां अधिकारियों को चतुराई से कदम लेने की जरूरत थी, लेकिन नहीं लिया गया। मजदूरों को सबक सिखाना चाहिए। गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सबक सिखाना चाहिए। अगर पड़ोस की मिल में अधिक दाम दिए गए हैं, तो इस मिल में शासन प्रबंध करता और मिल से बात करके दाम बढ़वाता। शायद एक रुपया दाम बढ़ाने की बात थी। वह क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता था? क्या धरने की समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता था? वहां विधायक पहुंच गए थे। श्री तोमर जी

भी वहां बाद में पहुंच गए थे। लेकिन बिना सूचना दिए हुए, बिजली बंद करके, रात के अंधेरे में, गोली चला दी गई। एक किसान मारा गया। आन्दोलनकारी जब मिल के बाहर आ गए थे, तब तो उनके साथ बातचीत करके मामले का निबटारा और भी आसानी से होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक किसान की हत्या हुई। एक किसान के गले में गोली लगी और बड़ी तादाद में किसान घायल हुए। पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए। गोलियां चली हैं। गन्ना पैदा करने वाले किसानों का बकाया वापस करने की कोई बात नहीं हो रही, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। चुनाव के समय घोषणाएं की जाती हैं कि सारा बकाया वापस कर देंगे। 50 फीसदी वापस करने का आदेश दे दिया गया। कितना बकाया है, क्यों बकाया है? मिल मालिकों को इसकी छूट क्यों है कि वे बकाया अपने पास रखे?

महोदय, गन्ना पैदा करने वाला किसान क्या खाएगा, अब कोई देखने वाला नहीं है। राष्ट्रपति राज है। अब तो पूरी केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर जाना चाहिए। क्या केवल चुनाव के समय ही जाएगा? क्या चुनाव के वायदे भी पूरे नहीं किये जाएंगे? लेकिन हत्याकांड हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में केन्द्र के दो विश्वविद्यालय हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय में जरा सी बात को लेकर उपद्रव हो गया। चुनाव लड़ने वाले छात्र इकट्ठे हो गए थे। उनका परिचय होना था। उनमें एक छात्र शायद ऐसा आ गया कि जिनको चुनाव में नहीं लड़ना था। उसको समझ-बूझ कर कुशलता से हटाया जा सकता था। क्या गोली चलाना जरूरी था? विश्वविद्यालय के परिसर में गोली चली, लड़कों को बाहर खदेड़ा गया। विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर तीन लोग मर गए। आम चुनाव में भी इस तरह के हत्याकांड नहीं होते। जिलाधिकारी कौन हैं? वे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, संसद में कैसे चर्चा होगी? संसद को समय कहां है। उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देने के लिए वक्त कहां है। महोदय, गाजियाबाद के आंकड़े हैं। मैं एक ही जिले के आंकड़े रख रहा हूँ। अलीगढ़ में भी अध्यापकों की हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय बंद है, उसे खोलने का प्रयास होना चाहिए। विद्यार्थियों को उसमें पढ़ने के लिए आना चाहिए। काशी की 20 फरवरी की घटना है। ताजा घटना है लेकिन ये स्थिति चल रही है। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वाजपेयी जी, क्या आप इस घटना के विस्तार में जाना चाहेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं पूरी घटना के विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं कुछ बातें अपने मित्रों के लिए छोड़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: यह नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की ग्राह्यता के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं अब और ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। आपकी बात मैं हमेशा मानता हूं, आप जानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। वाद-विवाद अभी शुरू नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां से आरम्भ किया था फिर वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां राष्ट्रपति शासन है और गृह मंत्री इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं। ... *(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: सो रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): मैं कान से सुन रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के साथ यह मुश्किल है कि कब ये ध्यान लगाते हैं और कब सो जाते हैं, यह समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, अब इस उत्तर प्रदेश की स्थिति का निदान क्या है, निवारण क्या है, यह प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं? राष्ट्रपति का शासन है, हमने स्वीकृति दे दी। मामला कोर्ट में है। हाईकोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को कोशिश करना चाहिए कि सरकार बने। गवर्नर सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं रखते, गवर्नर राज चलाने में रुचि रखते हैं। ऐसा गवर्नर वहां क्यों रहना चाहिए, मैं नहीं समझता। उनकी पीठ पर किस का हाथ है, यह मैं जानना चाहता हूं? ... *(व्यवधान)* क्या वह अपरिहार्य है? क्या उनके बिना देश, प्रदेश नहीं चलेगा? क्या एक व्यक्ति ऐसा हो गया। लेकिन व्यवस्था नहीं है, अराजकता की ओर देश जा रहा है। अपराधियों का अभ्यारण्य हो गया है। महोदय, कहां जाए, आप बताइए। हम उत्तर प्रदेश के लोक सभा के सदस्य कहां जाएं?

विधान सभा को तो बुलाया नहीं गया। विधान सभा निलम्बित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह नियम 184 के अंतर्गत चर्चा हेतु सूचना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: शासन की बागडोर गवर्नर के हाथ में है। गवर्नर केन्द्र की अनुमति लेते हैं या नहीं लेते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन यह उत्तर प्रदेश की जो भयावह स्थिति है यह बदलेगी या और अराजकता की ओर जाएगी? मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह मामला उठाने क मौका दिया। कुछ और सदस्य भी इस बारे में कहना चाहेंगे और हम सरकार से उत्तर भी सुनना चाहेंगे। ... *(व्यवधान)* नियम 184 के अंतर्गत मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पर विचार किया जाए और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुला लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विपक्ष के नेता को एकाग्रचित होकर सुना और उन्होंने उन तथ्यों का विवरण दिया जो उत्तर प्रदेश में घट रहे हैं। मेरी पार्टी किसी चर्चा के विरोध में नहीं है। परन्तु किस मापदण्ड के अंतर्गत चर्चा करायी जायेगी, इसे आपको तय करना है और हम उत्तर प्रदेश पर चर्चा का स्वागत करते हैं। हम भी उतने ही चिन्तित हैं। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की रक्षा के लिए नहीं हैं। परन्तु श्री वाजपेयी जी ने स्वयं सभा के समक्ष एक प्रश्न रखा है–यदि राष्ट्रपति शासन नाकामयाब हो जाता है तो विकल्प क्या है। विकल्प हमारे द्वारा, सभी दलों द्वारा सुझाया गया है। दुर्भाग्यवश, हमारा अनुमान सही नहीं निकला। मैं नहीं जानता कि भविष्य में यह काम करेगा या नही। परन्तु वहाँ पर गतिरोध को दूर किया जाना चाहिए और जनता की सरकार राष्ट्रपति शासन का एकमात्र विकल्प है और इस प्रकार की आपदाएँ नहीं आएंगी।

बहरहाल आज सुबह के अखबारों को पढ़ने पर हम भी समान रूप से चिन्तित हैं जब हमने देखा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। उन्हें आन्दोलन करने का पूरा अधिकार है। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु हम यह देखकर भी चिन्तित है कि जैसा माननीय वाजपेयी जी कह रहे हैं। यदि वहां की स्थिति और बिगड़ती है, तो नई समस्या पैदा हो जाएगी। इन सभी को ध्यान में रखकर हम चर्चा का समर्थन करते हैं। हम यहाँ व्यक्ति विशेष पर चर्चा करने के पक्ष में नहीं हैं। हम परिस्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। परन्तु हम सरकार से आग्रह करेंगे, हम किसका – गृह मंत्री या प्रधान मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, वह यह भी सुनिश्चित करें कि वहाँ व्यवस्था कार्य करें। वे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चुपचाप नहीं बैठें। श्री वजपेयी ने जो कहा उसका गलत अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे भी उदाहरण हैं। मेरे दल ने अपने नौ सदस्यों को खो दिया है और विभिन्न राजनीतिक दल जो यहाँ भाषण कर रहे हैं, द्वारा मेरे दल पर हमले कर रहे हैं।

इसी कारण, हम भी समान रूप से चिन्तित है। हम चर्चा चाहते हैं और हम चर्चा का समर्थन करते हैं। हम आपसे इस पर चर्चा कराने का अनुरोध करेंगे। परन्तु, इसके साथ-साथ हम सरकार से अपेक्षा करेंगे, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, कि वह एक निष्क्रिय सरकार न बनी रहे परन्तु वह उत्तर प्रदेश में भी उचित रूप से कार्य करे और यह सुनिश्चित करे कि वहाँ कानून और व्यवस्था सुचारू और सामान्य स्थिति में आ जाए। इसे किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वहाँ पर व्यवस्था निष्पक्ष रूप से कार्य करनी चाहिए जिससे कि कानून और व्यवस्था के किसी मुद्दे या अन्य मामलों में जो कार्रवाई की जानी आवश्यक है, की जा सके।

यह हमारा विनम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जालेसर): अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे तो टी.वी. बंद था और जब कांग्रेस के नेता संतोष महोन देव बोल रहे थे तो टी.वी. खुला था।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): वाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया है वह गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश की हालत रोज बद से बदतर होती जा रही है। हत्याओं का दौर बढ़ता जा रहा है। फरुखाबाद में द्विवेदी जी की हत्या हुई। मथुरा में हम लोगों के पुराने साथी थे जोगेन्द्र सिंह जी जिनको रक्षा मंत्री जी 20-25-30 वर्षों से जानते थे। उनकी जान को खतरा था। मैंने स्वयं राज्यपाल को पत्र लिखा था। दिन में कचहरी के अन्दर उनकी हत्या हो गई। तीन हत्यारे आए। एक ने वकील को पकड़ लिया और दो चले गए। वहां पुलिस खड़ी थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो कहा कि जिलाधिकारियों ने कहा कि इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था जो कुछ दिन पहले थी, वह हटा ली गई। हमारे जिले में हत्याएं पहले नहीं होती थीं, अब वहां पिछले कुछ महीनों से हर हफ्ते लगभग एक

हत्या हो रही है। मैंने बार-बार राज्यपाल महोदय को कहा, अधिकारियों को कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह व्यक्ति का सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। विकास के कामों की बात छोड़ दीजिए। भ्रष्टाचार की बात करना आज कोई आवश्यक नहीं है लेकिन मुझे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं बहुत दिनों के बाद कुछ घंटे के लिए लखनऊ गया। कुछ अधिकारियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े तो उनके स्थानांतरण करने के लिए जब कहा गया तो कई दिनों तक उनका तबादला नहीं हुआ। यदि मेरी जानकारी सही है तो भारत के गृह मंत्री ने जब आदेश दिया कि इनका स्थानांतरण किया जाए तो स्थानांतरण किया गया... *(व्यवधान)* हम यह नहीं जानते कि क्या हो रहा है? गृह मंत्री यहां बैठे हैं। एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया कि जिनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, उनका हफ्ते या दस दिन तक स्थानातंरण नहीं किया जा सका। वहां का कोई वरिष्ठ अधिकारी जब गृह मंत्री से मिला तो उन्होंने जब निर्देश दिया तो केवल उनका स्थानांतरण किया गया। यह वहां की हालत है। मैं नहीं जानता कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बहस से कुछ नहीं हो सकता। सवाल यह है कि यहां संसद है, यहां सरकार है जो कि केन्द्र को चलाती है और जिस के द्वारा राष्ट्रपति शासन संचालित होता है। क्या यह सम्भव नहीं कि गृह मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और संयोग से रक्षा मंत्री जो कि उसी राज्य से आते हैं, सब बैठ कर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उत्तर प्रदेश बरबादी की ओर जाने से रुक सके। मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ। जहां सरकार बन जाए तो अच्छी बात है। वह जब तक नहीं बनती है तब तक क्या जन प्रतिनिधियों की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? कई बार ऐसा हुआ है कि संसद की समिति सलाहकार समिति के रूप में काम करती है। उत्तर प्रदेश में संसद की सलाहकार समिति क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं लोगों को बुलाया जाता, क्यों नहीं किसी के सामने यह बात रखी जाती है कि अचानक कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश की हालत इतनी क्यों बिगड़ गई। अध्यक्ष महोदय, कहीं इसकी जड़ में कोई ऐसी बुराई है जिसे केन्द्र सरकार को समझना चाहिए। मैं न किसी पर आरोप लगा रहा हूं और न किसी पर इंगित कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में जो भी मेरे पास सूचना है, यह बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की अराजकता हम सब के लिए सरोग्राही बन जाएगी। न केवल वह प्रदेश बरबादी की ओर जाएगा बल्कि आपकी मर्यादा भी नहीं बचेगी। उत्तर प्रदेश में संसदीय जनतंत्र की मर्यादा कितनी बच पायी है, वह कहना कठिन है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार इसको गम्भीरता से लेगी।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के संबंध में जो कुछ कहा, वह बहुत गम्भीर है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं। मैं दो-तीन ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ जो वहां की परिस्थिति की गम्भीरता को बहुत ज्यादा उजागर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज ही वाराणसी के आया हूं। श्री वाजपेयी जी ने वाराणसी का उल्लेख किया। मैंने वहां देखा कि छोटे-छोटे 8-10 साल के बच्चे पुलिस के डर से अपने अध्यापक की गोद में चले गए। पुलिस ने उनको छात्रावास से निकाला और घसीट कर सड़क पर लाकर मारा। 18-20 छोटे-छोटे बच्चे आज भी अस्पताल में हैं। एक जवान आदमी जो सड़क पर खड़ा था, उसकी मौत सीने पर पुलिस की दो गोलियों के लगने से हुई। मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाने के लिए कहा है। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मंगा कर देखें। अगर यह सच है कि सीने में दो गोलियां लगने से एक आदमी की मौत हुई तो यह एक जघन्य कृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है।

क्या शूट टू किल था या शूट टू डिस्पर्स था? किसने वहां आदेश दिया, किसने पुलिस को बुलाया, किसने फायरिंग का आदेश दिया और किस तरह से होस्टल के छोटे-छोटे बच्चों की पिटाई की गयी? यह कौन सी व्यवस्था है, कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है, क्या इनके लिए उस आदमी को ह्यूमन राईट्स नहीं है जो निरीह सड़क पर खड़ा है और पुलिस इस तरह से पागल होकर वहां पर हत्याकांड करती है? बनारस में परसों बंद था, लोग धरने पर बैठे हुये हैं। जैसा श्री वाजपेयी जी ने बताया कि केवल एक छोटे से चुनाव की घटना को लेकर पुलिस इतना पागल हो गयी कि वहां पर तीन लोगों की मृत्यु हुई है। सारा शहर तनावग्रस्त था। मैं कल वहां गया था और जब मैंने उनसे कहा कि आज हम संसद में इस प्रश्न को रखेंगे तब उन लोगों में यह ढाढस हुआ कि शायद यह सदन उनकी बात सुनकर इस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र और जिले में हालात बहुत दर्दनाक हो गये हैं। लोग भयग्रस्त है। वहां चुनाव के समय में हत्या हो गयी। प्रतिरक्षा मंत्री यहां बैठे हुए है। उन्हीं की पार्टी के एक विधायक की हत्या कर दी गयी और उसके बाद लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। फैजाबाद के एस.डी.एम. वहां आये हुये थे, उनकी भी हत्या हो गयी, एक नागरिक की बात तो छोड़ दीजिए। इसका तो सवाल ही अलग है पर यहां तो एस.डी.एम. को दिन-दहाड़े मार दिया गया। इसका पता आज तक नहीं चल सका कि किसने हत्या की और उस पर क्या कार्यवाही की गयी। 11-11 लोगों के परिवार को जला दिया

गया, 5-6 फरवरी की रात को तीन-तीन, चार-चार दलित लोगों की हत्या कर दी गयी। 3-3 परिवार के लोगों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। एक हत्या तो ऐसी हुई है जिसमें पुलिस ने कहा कि जाओ, तुम जब तक करना चाहो, कर लो उसके बाद हम आयेंगे। सारे क्षेत्र में जातीय दृष्टि से तनाव फैला हुआ है और सारा इलाका इस तरह से आज आतंकित है। अजनबा बाजार में तो लोगों को घसीट कर ले गये। वे दिन-दिहाड़े उनसे फिरौती मांगने आये थे और उन्होंने जब मना कर दिया तो जान से मार कर चले गये। वाराणसी में श्री रुंगटा का अपहरण हुये तीन महीने हो गये हैं जिनका कुछ पता नहीं चला। गाजियाबाद के विनीत जैन के अपहरण का मामला हुआ तो उसके लिए तीन करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की गई। मैं और आंकड़े भी दे सकता हूं लेकिन इतनी बात कहूंगा कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गये हैं कि स्वयं राज्यपाल महोदय हैलीकाप्टर से उड़कर हवाई जहाज तक जाते हैं। सड़क पर चलने की उनकी हिम्मत नहीं होती कि राजभवन से ड्राइव करके एअरपोर्ट पर पहुंच सकें। राजभवन में हैलीपैड बना हुआ है। ऐसी व्यवस्था तो अंग्रेजों के समय में भी वायसराय को नहीं थी कि वे उड़कर कहीं हैलीकाप्टर से जाते हों, शायद युद्ध के समय जाते हों। तो यह परिस्थिति वहां हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो गई है कि जनवरी महीने में 633 हत्यायें हो गयी हैं। इस प्रकार हत्याओं में 12 प्रतिशत, डकैती में 38 प्रतिशत, गाड़ी लूटने में 150 प्रतिशत और बलात्कार में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बलात्कार दलित महिलाओं के ऊपर ही हुये हैं। मैं चाहूंगा कि श्री वाजपेयी जी ने जिन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया है - संवैधानिक दुर्व्यवस्था, संविधान की खुली टुटन आदि पर इस सदन में गंभीरता से चर्चा करना जरूरी है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपा करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से तो बचाया जाये और यह आदेश तो आप तत्काल कर सकते हैं और राज्यपाल महोदय को वहां से वापस कराईये। आप अपनी हठवादिता को छोड़ दें और आपके बगल में प्रतिरक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जा सकती है। आप वहां पर सबसे बड़ी पार्टी को बुलाकर उत्तर प्रदेश में जनप्रिय सरकार की स्थापना करें और जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के जान-माल की हिफाजत करें और संविधान के अनुसार राज्य शासन चलाने का अवसर प्रदान करें। यह बहुत गंभीर मसला है। मैं समयाभाव के कारण आपके सामने पूरे तथ्य नहीं रख रहा हूं लेकिन नियम 184 के तहत इस पर बहस बुलायेंगे तो मैं सारे प्रदेश के जिलावार आंकड़े रख सकता हूं। आज वहां परिस्थिति बहुत खराब है और मामला गंभीर है। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। श्री पासवान जी को आगे आना चाहिये क्योंकि उत्तर प्रदेश ही में दलितों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों के अंदर ऐसी घटना वहां नहीं हुई थी। अब तो आपको मुंह खोलना चाहिए और डटकर बोलना चाहिए, नहीं तो आपको सामाजिक न्याय का नारा एक ढकोंसला साबित होगा, एक ढोंग साबित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन परिस्थितियों को देखा जाये तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति आ गयी है। उस पर चर्चा होनी चाहिये और गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और गृह मंत्री महोदय आंख खोलकर और कान खोलकर सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। केवल आंख बंद कर लें और कान बंद कर लें और फिर कहें कि मैं सुन रहा हूं, तो उससे पता नहीं चलता कि वह ठीक सुन रहे है या नहीं। आप न केवल सुने बल्कि ऐसा आभास भी दीजिए कि आप सुन रहे हैं, तब हमारी समस्या का कुछ समाधान हो सकेगा। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस विषय पर मुझको बोलने का मौका दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से सहमत होते हुए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं जो इन लोगों ने गिनायी हैं। अभी फतेहपुर में गरीबदास की हत्या पुलिस ने की और उसको घर से ले जाकर दिखा दिया कि एनकाउंटर है। यह सब सही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्यों वहां राष्ट्रपति शासन है? क्या हम अपने गिरेबान में झांककर देखने की हिम्मत नहीं रखते? क्यों वहां चुनाव होने के छः महीने बाद भी राष्ट्रपति का शासन चल रहा है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, वह सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सेकंड नंबर की पार्टी दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है। क्यों नहीं आप लोग बैठकर राष्ट्रपति शासन समाप्त करने पर विचार करते? ... *(व्यवधान)* आप क्यों नहीं हमें समर्थन देते? हम तो आपसे समर्थन मांगते हैं। ... *(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। हमको आप सहयोग दीजिए, हम गवर्नमेंट बना लेंगे। एक बार हमने आपकी सरकार बनवायी थी। अब आप हमारी सरकार बनवा दीजिए। हमने एक बार आपको मौका दिया था, अब आप हमें मौका दीजिए। ... *(व्यवधान)* यह कोई पंचायत नहीं चल रही है। ... *(व्यवधान)* इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी विचार होना चाहिए।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाएँ रखें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : जहां कोई भी आदमी मारा जाता है, हमारी पूरी हमदर्दी उसके साथ है। आज बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में एक लड़का मारा गया है, हम उसके साथ हैं और पूरी तरह आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब वाइस चान्सलर के इशारे पर पुलिस ने नदीम की हत्या की थी और मैंने वह सवाल उठाया था तो आप लोगों ने बार-बार अड़ंगेबाजी की थी और कहा था कि वहां हालत सामान्य है। क्या नदीम की मौत में और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बच्चे की मौत में कोई फर्क है? दोनों जगह पुलिस ने गोली मारी थी।

डा. मुरली मनोहर जोशी: बहुत गलत है। हमने कोई अड़ंगा नहीं लगाया था।

श्री इलियास आजमी : मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति शासन का विकल्प तलाश करें। राष्ट्रपति शासन का विकल्प राष्ट्रपति शासन नहीं है। राष्ट्रपति शासन का विकल्प जन-प्रतिनिधियों का शासन है और वह शासन तब होगा जब पोलिटिकल पार्टियों के लोग जिद छोड़कर कोई रास्ता निकालेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ... *(व्यवधान)* आप हमें समर्थन दीजिए। हमने एक बार आपकी सरकार बनवायी है। आप एक बार हमारी सरकार बनवा दीजिए। .. *(व्यवधान)* कम से कम बदला तो चुका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा करा दीजिए। ... *(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : इस सवाल पर चर्चा करनी चाहिए कि अपराधी अगर बढ़े हैं तो उसकी वजह राजनीति का अपराधीकरण है। जिन लोगों ने बड़े-बड़े माफ़िया और अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिया है वह इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश की बरबादी के लिए राज्यपाल जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी पोलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। हमें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बोलने के लिए इतना समय दिया। आपके निर्देशन के बगैर मैं एक मिनट भी नहीं ले सकता था। ... *(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): पांच हत्याएं एक साथ हमीरपुर में की गई हैं... *(व्यवधान)* जिसमें एक दस वर्ष का बालक था, जिसका उसी दिन जन्मदिन था और उसमें अपराधी जनता दल का एक पूर्व विधायक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएँ। इस समय हम केवल नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर वाद-विवाद शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं केवल माननीय सदस्यों से तथ्य जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सभी को अवसर देने में समर्थ नहीं हूँ। मुझे इस मुद्दे पर चयन करते हुए चलना होगा। कृपया मेरा साथ दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, जीवन में हिंसा और स्वयं हिंसा हमेशा गम्भीर चिन्ता का विषय रही है; सभी को इसकी निन्दा करनी चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्ष के नेता ने बड़े ही उपयुक्त ढंग से इस मुद्दे को उठाया है। दुर्भाग्यवश प्रश्न यह है कि वहाँ पर लोकप्रिय सरकार नहीं है, किन्हीं कारणों से हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि संसदीय निकाय नहीं गठित किया जा सकता है जैसा कि हमारे पास राष्ट्रपति शासन के अन्य मामलों में हुआ करता है तो मैं राज्यपाल और सरकार से राज्यपाल की सहायता हेतु कम से कम एक परामर्शदात्री समिति गठित करने का अनुरोध करता हुं ताकि कम से कम इस निकाय के माध्यम से राज्यपाल और जनता के प्रतिनिधियों के बीच संपर्क तो स्थापित हो सके और जो स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है।

महोदय, इस प्रकार के विषय पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह चर्चा नियम 184 के अंतर्गत ही होनी चाहिए क्योंकि जब नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की जाती है तो वह इसे रचनात्मक बनाने की बजाय टकराव की स्थिति बना देती है। इसलिए यह बेहतर होगा यदि हम इस पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करें। परन्तु मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है, यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और वहाँ पर कई दल हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश आज वहां किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है। इसलिए, अब समय आ गया है कि जब सभी राजनीतिक दल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें; यदि सम्भव हो तो सभी एक साथ मिलकर बैठें और शान्ति और समझदारी का माहौल बनाने का प्रयास करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक दूसरे पर आरोप लगाने और एक दूसरे की निन्दा करने की बजाय यदि सभी राजनीतिक दल और उनका शीर्ष नेतृत्व इस हिंसा और हिंसा की घटनाओं को रोकने की कोशिश करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे सबको लाभ होगा। नि:सन्देह हम एक लोकप्रिय सरकार का गठन करना चाहते हैं। इसका गठन क्यों नहीं किया जा रहा है,

हम सब जानते हैं या हम समझ सकते हैं। परन्तु इस बीच हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति जारी नहीं रख सकते हैं। दुर्भाग्यवश, देश में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर हिंसा देश का नाश कर रही है। हमने मुम्बई में यह दलितों और श्रमजीवी वर्ग के जाने माने नेता और एक अच्छे मित्र श्री दत्ता सामन्त को खो दिया है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे न तो कोई चाहता है और ना ही पसंद करता है; हम सब इसकी निन्दा कर रहे हैं। परन्तु देश में हर जगह इस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठें, जहाँ तक इस हिंसा की संस्कृति का संबंध है। हम सबको इसकी निन्दा करनी चाहिए जिससे कि किसी को भी किसी राजनीतिक व्यक्तित्व या किसी राजनीतिक दल से संरक्षण प्राप्त न हो सके। यह प्रभाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए किसी हत्या में कोई राजनीति शामिल है। इसकी मैं इस सभा में सभी से अपील करता हूं। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। देश में यह सबसे ऊंचा मंच है। हमें समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए हमें कहीं न कहीं उत्तरदायित्व निर्धारित और लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। महोदय, आप कृपया तारीख नियत करें। परन्तु इसी दौरान मेरी सभी से देश में शांति-व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के प्रयास करने की अपील है।

अध्यक्ष महोदय: सुषमा जी, क्या आप अब भी कुछ कहना चाहेंगी? वाजपेयी जी और जोशी जी इस मुद्दे पर काफी कुछ कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी। जिन घटनाओं का उल्लेख करके अभी आदरणीय वाजपेयी जी ने यहां बात रखी, देखने में यह आता है कि राज्यपाल का प्रशासन किसी को राजनैतिक हत्या बताकर, किसी को पारिवारिक दुश्मी का मसला बताकर, किसी को जातिगत रंजिश का मामला बताकर, किसी को जमीन के बंटवारे का केस बताकर अपने स्पष्टीकरण देकर बरी हो जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं जिनमें यह कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता है। मैं तीन दिन पहले की एक घटना इस सदन में आपके माध्यम से रखना चाहती हूं, जिसमें हरिद्वार से यात्रा करके एक परिवार के 6 लोग लौट रहे थे। खतौली में उनको रोककर मां की गोद से बच्चा उठा लिया गया और अपहरण करके उनसे फिरौती मांग रहे हैं। महोदय, आप यह जानते हैं कि हरिद्वार भारत में तीर्थस्थलों में सबसे अग्रणी तीर्थस्थल है। उत्तर प्रदेश को गर्व होना चाहिए कि हरिद्वार उनके प्रदेश में स्थित है। जहां विशेष पर्वों पर लाखों की संख्या और साधारण समय में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, अगर ऐसे तीर्थाटन पर अराजकता का इतना असर पड़ रहा है, जिस तरह आतंकवाद के कारण कश्मीर में श्री नगर का पर्यटन समाप्त हो गया, आज अगर उत्तर प्रदेश के तीर्थस्थलों के संबंध में बाहर के लोगों में यह भावना जाएगी कि तीर्थयात्री भी वहां सुरक्षित नहीं है, वापस लौटते हुए लोगों पर, जो किसी पारिवारिक दुश्मनी के शिकार नहीं, किसी जातिगत रंजिश का मामला नहीं, किसी राजनैतिक हत्या का सवाल नहीं, अगर यात्रियों को रास्ते में रोककर, मां की गोद से बच्चे को छीनकर, उनसे फिरौती मांगी जाएगी तो यह केवल और कानून और व्यवस्था की बदहवाली की कहानी है।

इसलिए मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहती हूं कि आज वहां राज्यपाल का प्रशासन जिस तरह से स्पष्टीकरण देकर बरी हो जाता है, जो राज्यपाल बार-बार हेकड़ी के साथ ऐसा कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा, क्या वे कभी ऐसा भी कहेंगे कि मैं बेहतर स्थिति में, कानून और व्यवस्था के साथ, सरकार का शासन चलाऊंगा। अगर वे ऐसा नहीं कहते, तो मैं कहना चाहूंगी कि इस विषय पर बहस जब होगी, तब होगी, लेकिन कम से कम इस केन्द्रीय सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे केन्द्रीय मंत्रियों ने उन राज्यपाल को जो प्रश्रय दे रखा है, ऐसे राज्यपाल को तुरन्त वापस बुलाया जाए। और कानून और व्यवस्था पर हम बाद में बहस करते रहेंगे, वहां कोई सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इसकी बात बाद में करते रहेंगे, लेकिन उन राज्यपाल को तुरन्त बुलाने का निर्देश केन्द्रीय सरकार की ओर से जाना चाहिए, यह बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री इन्द्रजीत गुप्त, क्या आप सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ कहना चाहेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: विपक्ष के नेता ने उत्तर प्रदेश के पूरे हालात विशेषकर अपराध और कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पेश करने के लिए औपचारिक रूप से एक नोटिस दिया है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार करें। यदि आप उस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार करते हैं, तो चर्चा के समय सरकार की ओर से हमारे पास कहने के लिए बहुत सी बातें होंगी जिसे हम कहना चाहेंगे। परन्तु अभी आप मुझसे प्रतिक्रिया के लिए पूछते हैं तो मैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं। सभी लोग देश के सबसे बड़े राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं उससे चिन्तित और परेशान हैं यह अराजकता अव्यवस्था

और विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? *(व्यवधान)* यह कोई प्रतिक्रिया का मामला नहीं है। यह विभिन्न पहलुओं, विभिन्न घटकों और विभिन्न ताकतों, जो इससे जुड़ी हैं, पर चर्चा का मामला है और सभा में इस बारे में किसी आम सहमति पर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार के तात्कालिक उपाय और कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

यदि आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह प्रस्ताव स्वीकृत करते हैं तो हम चर्चा के दौरान वैसा करने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से हम सभी पक्षों की राय सुन चुके हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब हम गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं तो आप इस तरह व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं? आप इतने गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकते। हम गृह मंत्री सहित सभी पक्षों की राय सुन चुके हैं। चूंकि मुझे गृह मंत्रालय से एक अधिकारिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, इसलिए मैं इस पर अपना विनिर्णय सुरक्षित रखता हूँ। हमने उस रिपोर्ट के बारे में 21 तारीख को कहा था। मैं इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय कल दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? शुक्रवार को मैंने आपको यह आश्वासन दिया था कि "मैं आपको कुछ बोलने की अनुमति दूँगा।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): वह बोफोर्स से संबंधित था।

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी, मैं अपना विनिर्णय कल दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं बोफोर्स का मुद्दा उठाना चाहता था।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): शुक्रवार को हमने एक नोटिस दिया था। कृपया मुझे दो मिनट के लिए बोलने दें। पश्चिम बंगाल के लाखों बोरो कृषकों को दामोदर घाटी निगम से सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है। जिसके परिणाम-स्वरूप मिदनापुर जिला, वर्द्धमान जिला, बीरभूम जिला, बंकुरा जिला, पुरुलिया जिला, हावड़ा जिला तथा हुगली जिला के कृषकों की स्थिति दयनीय है।

जहाँ तक पानी का संबंध है, दामोदर घाटी निगम को उसका हिस्सा प्राप्त हो चुका है। बिहार सरकार को इसका 80 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल को 20 प्रतिशत मिल गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल ने अभी तक धन की अदायगी नहीं की है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने दामदोर घाटी निगम से सिंचाई हेतु पानी देना बंद कर दिया है।

अत: इस सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार से बातचीत करे जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। कृषकों को पानी मिलना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार को दामोदर घाटी निगम से पानी नहीं मिल रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल में, विशेषकर हावड़ा, हुगली, वर्धमान, मिदनापुर, बांकुरा और बीरभूम में बोरो की खेती प्रभावित हो रही है। वहाँ एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे बोरो की खेती कम हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। जल संसाधन मंत्री यहाँ उपस्थित हैं ... *(व्यवधान)* उन्हें सभा को इस बात से आश्वस्त करना चाहिए कि पानी की कमी के फलस्वरूप बोरो की खेती प्रभावित नहीं होगी और तेनूघाट, मैथन और पंचेट जलाशयों से पर्याप्त पानी छोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत खराब है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, अब आप बैठ जायें।

श्री बसुदेव आचार्य: इससे हजारों बोरो कृषक प्रभावित होंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि जल संसाधन मंत्री यहाँ उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

मैं चाहता हूं कि आप जल-संसाधन मंत्री जी को बोलने के लिए निर्देश दीजिए। मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात कह दी है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री को तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर): अध्यक्ष जी, अभी विपक्ष के नेता ने कानून और व्यवस्था से संबंधित जिस विषय को यहां

उठाया है, उसी के संदर्भ में, 20 फरवरी को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जो घटना हुई, मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हिन्दू विश्व-विद्यालय के छात्र-संघ का चुनाव 24 फरवरी को होने वाला था, उसी के संदर्भ में वहां विश्व-विद्यालय की ओर से एक परिचय-समारोह आयोजित था। आज तक कभी ऐसे अवसर पर वहां पुलिस नहीं गई लेकिन इस बार वहां के ए.डी.एम. (सिटी) ने जबर्दस्ती वहां जाकर और नंगी पिस्तौल लेकर विद्यार्थियों पर ओपन-फायर किया जिसमें सवेन्द्र कुमार मिश्र नाम के विद्यार्थी की, जो आरा जिले का रहने वाला था, वहीं मौत हो गई। एक विद्यार्थी ने भागकर मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर के घर में शरण ली, पुलिस ने वहां तक उसे दौड़ाया और छत से कूदने पर भी, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उस पर हमला किया, जिसके कारण वह दूसरा छात्र भी मर गया। इसके अलावा मनोरंजन सिंह नाम का विद्यार्थी, जो आरा जिले का रहने वाला था, उसकी पीठ में गोली लगी और वह भी मर गया।

उदय प्रताप महा-विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करके पुलिस ने जिस तरह वहां के अध्यापकों और विद्यार्थियों पर बर्बरतापूर्वक हमला किया, व्यवहार किया...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है।

[हिन्दी]

सिन्हा जी, काफी हो गया।

श्री मनोज कुमार सिन्हा : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस घटना में जो लोग मारे गए हैं, प्रत्येक मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिये जाएं।

अध्यक्ष महोदय: आपने कहा था कि एक मिनट में खत्म कर दूंगा। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री मनोज कुमार सिन्हा: मैं चाहता हूं कि वहां के ए. डी. एम. (सिटी) के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के एक महत्वपूर्ण मामलें की ओर आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी से लेकर खाद्य मंत्री तथा बिहार सरकार कई बार गन्ने की कीमत के बारे में अपनी राय और अपने विचार प्रकट कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। जहां से हमारे खाद्यमंत्री, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आते हैं, वहां तीन-चार मिलें हैं लेकिन उनमें से दो मिलें बंद पड़ी हैं। जो दो मिलें चालू हैं वहां किसानों को गन्ने की कीमत 57-58 रुपये क्विंटल की दर से अधिक नहीं दी जाती है जबकि हमारे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 73-74 रुपये क्विंटल की दर से गन्ने की कीमत मिलती है। इससे बिहार के गन्ना किसानों में भारी रोष है। पूरे बिहार राज्य में कहीं गन्ने की कीमत किसानों को 57 या 58 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं मिलती। इतना ही नहीं कि गन्ने की कीमत किसानों को 57-58 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलती है, बल्कि उन्हें दो-तीन साल तक भुगतान भी नहीं होता है।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं अनरोध करना चाहता हूं कि इसकी कीमत 80 रुपये प्रति क्विंटल की जाये। प्रधानमंत्री जी किशनगंज खुद घोषणा करके आये थे कि गन्ने और जूट की कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन जूट की बढ़ी हुई न्यूनतम समर्थन कीमत घोषित नहीं हुई बल्कि जो कीमत थी वह भी घट गयी। आज तक वहां के पूंजीपति व्यापारी एवं बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी, खाद्यमंत्री और कृषि मंत्री और बिहार सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। ... *(व्यवधान)* अगर कल तक हमें जवाब नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं मात्र दो मिनट लूंगा। त्रिपुरा में स्थिति बहुत खराब है। अनेक हत्यायें हो रही हैं आतंकवादियों ने स्थिति को एक ज्वलत समस्या बना दिया है। मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी ने वहाँ का दौरा कर कुछ कार्य किया है। हम चाहते हैं कि सभा में इस पर चर्चा की जाए। कानून और व्यवस्था की स्थिति वहाँ सामान्य होनी चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि वहाँ एक संसदीय शिष्टमंडल भेजा जाना चाहिए। यह एक आतंकवादी समस्या न होकर एक जातीय समस्या है। संसद को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कृपया वहाँ जाकर स्थिति का अध्ययन के लिए एक सभी दलों का शिष्टमंडल वहाँ भेजा जाये।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं गृह मंत्री जी को पहले ही बता चुकी हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, बिहार में गन्ना किसानों की स्थिति का जो सवाल उठाया गया है, उस संबंध में मैं एक बात की ओर आपका व केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना

चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। उसके बाद राज्यों की तरफ से भी मूल्य निर्धारित हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला हो गया और राज्य सरकारें जो गन्ने का मूल्य निर्धारित करती थीं, उसे लागू करने से रोक हो गयी। नतीजा यह हुआ कि गन्ना किसानों को जो कीमत मिलती थी वह कीमत मिलनी बन्द हो गयी। वही स्थिति बिहार में भी उत्पन्न हुई। पिछले साल 71 रुपये गन्ना किसानों को कीमत मिलती थी लेकिन इस बार 60 रुपये भी गन्ना किसानों को कीमत नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि एक तरफ बंद पड़ी गन्ना मिलें, चीनी मिलों को चालू करवाया जाये, जो करोड़ों रुपयें किसानों का बकाया है, उसका भुगतान किसानों को करायें। तीसरी बात हम केन्द्र सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारें तय करती थी, केन्द्र सरकार को नये सिरे से उस पर रिव्यू करवाना चाहिए और किसानों को उसका हक मिलना चाहिए। आप चुप बैठे हुए हैं। इसमें गन्ना मिल मालिकों को फायदा हो रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। अगर यह किसानों की सरकार है और प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हम पूअर फार्मर हैं ... *(व्यवधान)* इस तरह से गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ... *(व्यवधान)* हम आपसे आग्रह करेंगे कि केन्द्र सरकार इस संबंध में पहल करे।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर): मैं, असम में आतंकवादी तथा विध्वंसक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि और अनेक हत्याओं के संबंध में, सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री घनश्यामचन्द्र खरवार (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दीजिए। हमें कभी नहीं सुना जाता *(व्यवधान)* (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: हाल ही में, असम में हिंसा और आतंकवादी तथा विध्वंसकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए संयुक्त कमान तंत्र का गठन किया गया है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री घनश्यामचन्द्र खरवार: हम लोगों को कभी नहीं सुना जाता। ... *(व्यवधान)* हम नये मैम्बर हैं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात सुनें। आप यह क्या कर रहे हैं। बैठ जाइए। यदि आप उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आप अध्यक्ष को उत्तेजित न करें। यदि आप बोलना चाहते हैं तो उचित व्यवहार करें। मैं प्रत्येक सदस्य के व्यवहार पर ध्यान रखता हूँ और इस मामले में अब मैं कठोर रुख अपनाऊँगा। मेरी तरफ से एकदम आश्वस्त न रहें। आज आपको कोई मौका नहीं मिलेगा।

.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

... *(व्यवधान)*

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: जैसा कि मैंने कहा है कि हाल ही के महीनों में असम राज्य में विद्रोही संगठनों की हिंसात्मक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। संयुक्त कमान क्षेत्र का गठन किया गया है.... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हाउस तीन महीने तक चलेगा, आप क्यों घबराते हैं।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: महोदय, इस सभा में असम के प्रति यही भावना है। असम के संबंध में कभी चर्चा नहीं की गई। जब कभी भी असम की आवाज उठायी गई अन्य आवाजों ने उसकी आवाज को दबा दिया। इस सरकार द्वारा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और इस सभा में भी देश के उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को अन्य सदस्यों द्वारा बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए एक संयुक्त कमान क्षेत्र का गठन किया गया था और यह उम्मीद की गई थी कि सेना, पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों के लोग एक साथ मिलकर आतंकवादियों के गुटों द्वारा की जा रही विध्वंसकारी गतिविधियों और हिंसा को नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन यह धारणा बनायी

जा रही है कि जब भी राज्य में एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार का गठन होता है तो कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी सेना को सौंपने की बात क्यों की जाती है। इससे राज्य की स्वायत्तता संबंधी मूल सिद्धान्त का ह्रास होता है। अब, राज्य सरकार कह रही है कि यह उनका काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हजारिका, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: ठीक है, महोदय।

सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह यह बताये कि क्या कानून और व्यवस्था केन्द्र के इशारे पर या राज्य सरकार से परामर्श करने या उसके साथ समझौता करने के पश्चात, सेना को सौंपी गई।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, अब श्री तोमर बोलेंगे।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: दूसरी बात यह है महोदय कि...

अध्यक्ष महोदय: हजारिका जी, मेरे विचार से आपने अपनी बात कह दी है। माननीय मंत्री ने नोट कर लिया है। मैं समझता हूं कि यह काफी है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: महोदय, मंत्री जी को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: वह तुरंत एक वक्तव्य नहीं दे सकते। उन्हें इसका अध्ययन करना होगा।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले गाजियाबाद में दो चीनी मिलें हैं और दोनों ही प्राईवेट हैं। एक मोदी शुगर मिल है और दूसरी सिम्भावली शुगर मिल है। राज्य सरकार ने गन्ने का दाम 72 और 76 रुपये तय किया था। लेकिन प्राईवेट चीनी मिल के मालिक उस गन्ने की कीमत के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। किसानों ने इस सत्र में गन्ना मिलों को देना शुरू कर दिया था। 2-3 महीने हो गए थे। किसान के गन्ने की पर्ची पर कोई रेट नहीं पड़ रहा था और न ही उनका भुगतान हो रहा था। इस मांग को लेकर मोदी शुगर मिल के किसानों ने 13 जनवरी से हड़ताल शुरू कर दी थी जो 20 जनवरी तक चली थी। उनकी मांग थी कि पर्चियों पर रेट पड़ना चाहिए और उसका भुगतान होना चाहिए। 20 जनवरी को किसानों और मिल प्रबंधकों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों ने मध्यस्थता करके एक समझौता करवा दिया था। समझौता यह था कि गन्ने की पर्ची पर 71 और 75 रुपये का रेट पड़ेगा और उसी के हिसाब से भुगतान होगा। जब इस बात का पता सिम्भावली शुगर मिल के किसानों को लगा तो 23 जनवरी की रात से उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि मोदी शुगर मिल में मिल मालिकों ने गन्ने का जो रेट तय किया है वह सिम्भावली शुगर मिल के किसानों को भी मिलना चाहिए क्योंकि दो ही चीनी मिलें हैं और दोनों ही प्राईवेट हैं। इस मांग को लेकर 27 जनवरी तक धरना चला। किसानों ने कहा कि यदि 27 जनवरी की दोपहर तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो जो धरना गेट के अंदर चल रहा है वह बाहर आ जाएगा और हम रास्ता जाम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और मिल मालिकों की होगी। ... *(व्यवधान)* पूरी बात सुन लें। किसान मारा गया है। सैंकड़ों किसान घायल हैं। ... *(व्यवधान)* 24 जनवरी को उस धरने में उस क्षेत्र के विधायक श्री राम नरेश रावत भी शामिल हो गए थे। उन्होंने भी यह मांग की थी कि मोदी शुगर मिल में जो रेट मिल रहा है वह गाजियाबाद की दूसरी चीनी मिल में भी मिलना चाहिए।

मैं वहां 27 तारीख को साढ़े चार बजे पहुंचा और सात बजे तक रहा। वहां के एस. डी. एम. महोदय बार-बार आते थे और मिल मालिकों की बात कह जाते थे कि 70 और 74 रेट देंगे। हमने, किसानों और विधायक ने मिलकर तय किया कि आप 70-25 और 74-25 रेट देंगे तो यह धरना उठा लिया जाएगा। यह बात कहकर मैं और विधायक गाजियाबाद चले आए। लेकिन बाद में जो घटना घटित हुई, वह दिल दहलाने वाली थी। ... *(व्यवधान)* रात को 7.20 पर मिल की बिजली बंद कर दी गई। ... *(व्यवधान)* पुलिस ने मिलकर मालिकों व गुण्डों के साथ किसानों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक किसान मारा गया, सैंकड़ों किसान घायल हुए और पुलिस ने किसानों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया। जब दूसरे दिन मुझे अखबार में पता चला तो किसानों ने बताया कि पुलिस गोलियां चला रही थी, मार-पीट कर रही थी और यह पूछ रही थी कि तोमर कहां है, राकेश कहां है, इन दोनों को बताओ, इनकी आज हमको हत्या कर देनी है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, पुलिस बेलगाम है और पुलिस एस. एस. पी. मुझसे नाराज इसलिए है कि....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उत्तर प्रदेश के संबंध में हमने काफी चर्चा कर ली है।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर: आठ नवम्बर को मैंने घटना में एक मामला सदन में उठाया था....

अध्यक्ष महोदय: नहीं, तोमर जी, काफी हो गया।

डा. रमेश चन्द तोमर : भोजपुर में फर्जी मुठभेड़ में चार लोगों को पुलिस ने मार दिया था। यह मामला मैंने 29 नवम्बर की घटना को सदन में उठाया था और सी.बी.आई. जांच की मांग की थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर: बात तो हो जाने दीजिए, दो मिनट और दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री तोमर, इस तरह से नहीं चल सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कन्क्लूड करो। नहीं, यह डिबेट नहीं चल रही है। आपने एक सवाल उठाया, काफी है। होम मिनिस्टर यहीं हैं, उन्होंने नोट कर लिया होगा।

डा. रमेश चन्द तोमर : एक मिनट और। आठ नवम्बर को भोजपुर में चार निर्दोष जवानों को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था, वह मामला मैंने 29 नवम्बर को पार्लियामेंट में उठाया था और 19 दिसम्बर को कुमारी उमा भारती जी ने भी वह मामला उठाया था। माननीय गृह मंत्री जी ने उसमें सी. बी. आई. की जांच के आदेश दिये थे। उस समय से पुलिस कप्तान मुझसे नाराज हैं और मेरे विधायकों से कहते थे कि यह सांसद जी ने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि 45 पुलिस वाले उसमें फंस रहे हैं, इसलिए उस बात का बदला लेने के लिए मुझ पर और किसानों पर झूठे मुकदमे लगाये गये।

अध्यक्ष महोदय: जब मौका दिया जाता है तो आप मिसयूज करते हैं।

... (व्यवधान)

डा. रमेश चन्द तोमर : मुझे फंसाया गया है, किसानों को फंसाया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं यह मांग करना चाहता हूं कि आज मेरी जान सुरक्षित नहीं है, मेरे विधायक की जान सुरक्षित नहीं है, इसलिए पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस अधिकारी बर्बरता से अन्याय किसानों के साथ करें, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अत: सिम्भावली शुगर मिल में पुलिस द्वारा जो फायरिंग हुई उसकी सी.बी.आई जांच करायी जाए।

मेरी गृह मंत्री जी से एक और अर्ज है कि 19 दिसम्बर को सी.बी.आई. की जांच की घोषणा की थी... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। अब कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। कोई भोजनावकाश नहीं होगा। हम शून्य काल जारी रखेंगे और हम प्रत्येक सदस्य को मौका देंगे। वित्त मंत्री बहुत व्यस्त हैं। मुझे दुख है, मुझे यह पहले करना चाहिए था। कुछ विधेयक भी पुर:स्थापित किये जाने हैं। वित्त मंत्री विधेयक पुर:स्थापित करेंगे और तत्पश्चात् हम शून्य काल जारी रखेंगे।

विधेयक–पुर:स्थापित

अपरान्ह 1.13 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1889, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1889, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और निक्षेपागार अधिनियम 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-दो, खंड 2 दिनांक 24.2.97 में प्रकाशित।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपरान्ह 1.13$^{1}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

श्री पी. चिदम्बरम : मैं निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1358/97]

अपरान्ह 1.13$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संसोधन विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुर:स्थापित**, करता हूं।

अपरान्ह 1.13$^{3}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1359/97]

अपरान्ह 1.14 बजे

[अनुवाद]

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के उपक्रमों का कंपनी अधिनियम, 1956, के अधीन कंपनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण और उसमें निहित होने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 का निरसन करने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के उपक्रमों का कंपनी अधिनियम, 1956, के अधीन कंपनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण और उसमें निहित होने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 का निरसन करने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2 दिनांक 24.2.97 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपरान्ह 1.14½ बजे

[अनुवाद]

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1360/97]

अपरान्ह 1.15 बजे

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): उपाध्यक्ष जी, बहुत सालों के प्रयास के बाद, हमारे शहर को अंग्रेजी में बॉम्बे कहा जाता था, वह मुम्बई हो गया। उसी तरह से मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया है। लेकिन इस देश की प्रमुख एजेंसी यू. एन. आई. ने पिछली 17 तारीख को यह खबर दी है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित देशों ने इस पर आपत्ति उठाई है। जिसके कारण केन्द्र सरकार इस बात का फैसला कर रही है कि आगे चलकर इन शहरों को क्रमश: बॉम्बे और मद्रास ही कहा जाएगा। मुझे लगता है कि यह स्पाइनलैस सरकार है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। यह सरकार विदेशों के आगे झुक रही है। इसको स्वदेशी और स्वभाषा का अभिमान नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भविष्य में अगर इस प्रकार का फैसला लिया गया तो न केवल महाराष्ट्र की जनता, बल्कि जिनको स्वदेशी और स्वभाषा पर अभिमान है, वे इस प्रकार का अपमान सहन नहीं करेंगे। मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर एक वक्तव्य दें।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): उपाध्यक्ष जी, गंगा कटान के बारे में यहां पहले भी कई बार सवाल किए गए हैं। अब वहां एक नई समस्या खड़ी होने जा रही है। वहां से जो लोग आए थे उनके पुनर्वास के लिए जगह भी दी गई, लेकिन वह काफी छोटी पड़ रही है। यह जगह भगवानपुरा है जो कि सियालदाह-लालगोला सेक्शन पर है। यह रेलवे की थोड़ी सी जगह थी, वहां पर इन लोगों को बसा दिया गया, यहां पर करीब 250 परिवार आकर बसे हैं। लेकिन अब रेलवे ने उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम लोग भी रेलवे की जमीन छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां इनका पुनर्वास किया जा सके। प्रदेश सरकार भी इसके लिए व्याकुल है। मेरे जिले के ए.जी.एम. को फैक्स से खबर भी आई है कि कल 25 तारीख से इनको वहां से हटाने का अभियान शुरू हो जाएगा। इससे वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप इनको हटाएं, लेकिन पहले प्रदेश सरकार से बातचीत कर लें, ताकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न खड़ी हो। हम लोग भी उनको उचित जगह देखकर वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दो-तीन महीने का समय तो दें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आज 377 है न?

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल के बाद 377 होगा।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): उपाध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को अभी जनरल बजट पेश होना है। इससे पहले ही सरकार की ओर से फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सैक्टर पहले से ही लॉस में जा रहा है। आज एग्रीकल्चर सैक्टर प्रॉफिटेबल नहीं रहा और फर्टिलाइजर्स की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। फर्टिलाइजर्स की कीमतें

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 24.2.97 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

बढ़ जाने से किसान का जो प्रोडक्शन है, वह बहुत लॉस में जाएगा और इससे पंजाब और हरियाणा को घाटा होगा। जो यूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं, सरकार को कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए और सरकार को इस पर डिसकशन करना चाहिए, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए। जो यूरिया इम्पोर्ट करते हैं, उस पर सब्सिडी ज्यादा देते हैं, जो यूरिया का घरेलू प्रोडक्शन होता है, उस पर सब्सिडी कम दी जाती है। किसान को भी लूट रहे हैं और कारखाने के मालिकों को भी लूट रहे हैं। किसानों के प्रति सरकार की क्या नीति है? यह हम जानना चाहते हैं।

श्री चमन लाल गुप्त: उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही सीरियस मैटर की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले आठ वर्षों से कश्मीर वैली से माइग्रेशन शुरू हुआ था। पहले माइग्रेशन तो हिंदुओं का हुआ जिसमें चार लाख से ज्यादा लोग आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक सरकार किसी भी तरह से उनको सैटल नहीं कर पाई है। इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने कश्मीर वैली के अंदर वोट डाले हैं, खास तौर से मुस्लिमों ने, मैं दिनांक 21 फरवरी के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की जो रिपोर्ट है, उसे आपके सामने पढ़ता हूँ:

[अनुवाद]

"उग्रवादियों से भयभीत एवं आतंकित होकर, झुंड के झुंड मुसलमान कश्मीर से पलायन कर रहे हैं और उनमें से अनेक विस्थापित बनकर जम्मू में शरण ले रहे हैं ताकि घाटी में व्याप्त भय से उन्हें सुरक्षा मिल सके।"

[हिन्दी]

अब कश्मीर वैली से बहुत सारी तादाद में लोग वापस आ रहे हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 600 परिवार माइग्रेशन स्टेटस पाने के लिए जम्मू के अंदर दरख्वास्तें देकर बैठे हुए हैं। सरकार किसी तरह का इन्तजाम नहीं कर रही है। इलेक्शन के बाद आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि वहां की सिचुएशन ठीक हो गई है लेकिन हिंदुओं के अलावा मुसलमानों को भी वहां से मजबूर होकर माइग्रेट करना पड़े और सरकार किसी तरह से उनकी सेफ्टी का इंतजाम न कर सके, इससे ज्यादा शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि तुरंत सरकार इस तरफ ध्यान दे। हिंदुओं को वापस ले जाने की बात जो कही जा रही थी, वह तो बहुत दूर है लेकिन एक नयी बात जो शुरू हो गई है कि नए लोगों ने वहां से निकलना शुरू किया है, सरकार तुरंत इसको बंद करे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और जो लोग मजबूरन अपना घरबार छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ इतना ही कसूर है कि उन्होंने कश्मीर वैली के अंदर वोट किए हैं, उनके घरों के ऊपर बमों से हमले हो रहे हैं और सरकार किसी तरह से उनको बचा नहीं पा रही है। नतीजा क्या हो रहा है, बहुत सारी तादाद में लोग वहां से निकल रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे, उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और लोग वहां पर टिके रहें, इसका पूरी तरह से बंदोबस्त करें। उनको ले जाने की बात जो कह रहे हैं, इस बारे में भी व्यूप्वाइंट सामने रखे कि वह किस तरह से माइग्रेंट्स को वापस लाएंगे। जैसा मैंने कहा कि उनको वापस ले जाने की बात तो दूर रही और जो अब नए लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया है, उसको रोका जाए, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: रिपीट नहीं कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले रेलवे बजट में, माननीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी ने नागौर-त्रिचिरापल्ली लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। रेल मंत्रालय ने इसके लिए केवल 1 करोड़ रुपये जारी किए। इस कार्य हेतु मशीनरी को विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रखा गया है काम भी शुरू हो गया था। परन्तु जब इसे पूरा करने में विलम्ब हुआ, तो मैंने दक्षिण-रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य उच्चाधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने मुझे मंत्रालय के उपेक्षापूर्ण रवैये और जारी की गई नगण्य निधि के बारे में बताया।

इसी बीच, जो मशीनरी विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रखी गई थी, उसे ट्रकों में लादा गया और कर्नाटक पहुँचाया गया। जिन स्थानीय लोगों को इस बारे में पता लगा, उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और लदान कार्य को रोका। स्थानीय लोग काम के रुकने पर आंदोलन कर रहे थे और सभी प्रकार के आंदोलन करने को तैयार थे। परिवर्तन योजना नागौर दरगाह जिसे दक्षिण भारत का अजमेर कहते हैं, और वलानकानी चर्च आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयार की गई थी।

मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे तमिलनाडु विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जो भारत का बिल्कुल दक्षिण का भाग है। मैं एक सुरक्षित सीट से चुनकर आया हुँ जहां अधिकांश लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

परिवर्तन योजना को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और निधि भी आवंटित की जा चुकी है। परन्तु काम में प्रगति नहीं हो रही है, रुकी पड़ी है। इसलिए, मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूँ। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री बिशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में आए दिन पांच हत्यायें रोज हो रही हैं। 22/23 तारीख को थाना किशनपुर के एस.एच.ओ. रणवीर सिंह द्वारा गरीबदास नामक नौजवान को पकड़ कर लाया गया और उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्या को फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया गया। इसी तरह से ग्राम इठला थानाजाफरपुर में बाबासाहिब की प्रतिमा को पुलिस द्वारा उखाड़ कर फैंक दिया गया। इसी तरह से थाना ठगा के गांव बुधवन में दलितों की हत्यायें की गई। ग्राम दनवा में दलितों की हत्यायें की गई। मैं कहना चाहता हूं कि किशनपुर की पुलिस बेनकाब हो गई है। वहां पर दलितों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। कचहरियों के बाहर सरेआम इनको गोलियों से मारा जा रहा है। पुलिस मौके पर खड़ी है, लेकिन इन लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फतेहपुर में कानून-व्यवस्था को ठीक करवाया जाये और वहां के एस.पी. और. डी. एस. को तत्काल वहां से हटाया जाए। जो हत्यायें हुई हैं, उनकी जांच कराई जाए तथा पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जाए।

श्री तिलक राज सिंह (सीधी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मुझे पहली बार समय दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शून्यकाल में अपनी बात कहने के लिए हम सुबह नौ बजे से चक्कर लगाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय: आपको नोटिस देना होता है। लिस्ट बन जाती है। लिस्ट में सिलैक्ट करके नाम बोले जाते हैं। आपको और कुछ कहना है, तो कहिए।

श्री तिलक राज सिंह: मैं इसकी प्रक्रिया जानना चाहता हूं। हम लोगों को बताया गया है कि यहां सुबह नाम देंगे, तो आपको बुलाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जो करता हूं वह आपको बता देता हूं। सबजेक्ट देखता हूं कि कौन सा सबजेक्ट महत्वपूर्ण है। किस ने भेजा है यह बाद में देखता हूं। सबजेक्ट महत्वपूर्ण है उसको बुलाता हूं। सभी को नहीं बुलाया जाता। अब आप अपनी बात कह लीजिए।

श्री तिलक राज सिंह: ठीक है। महोदय, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महान सिंचाई परियोजना विश्व बैंक एवं मध्य प्रदेश शासन के सौजन्य से बन रही थी। जिसका लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, साथ ही कुल लागत का आधा पैसा खर्च होने के बाद इसे अचानक बंद कर दिया गया है। इस परियोजना के बन जाने पर सीधी क्षेत्र के लोगों का जीवनस्तर तो बढ़ता ही, साथ ही उनकी राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती।

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए पुनः निवेदन करता हूं कि महान सिंचाई परियोजना को पुनः प्रारंभ करने के लिए आवश्यक संसाधन नये सिरे से जुटाने हुए आवश्यक पहल करे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): उमाध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठाना चाहता हूं इसको पहले भी अनेक बार मैं सदन में उठा चुका हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपने ही द्वारा दिये गये आश्वासनों और योजनाओं पर कार्य करने के लिए कोई चिन्ता नहीं करती है। पिछले दिनों पूरे देश में एन. टी. सी. मिलों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक का वेतन वितरित नहीं किया गया था। मैंने वस्त्र मंत्री से तीन बार बात की तो उन्होंने कहा कि कल-परसों हो जाएगा। लेकिन बाद में यह पता चला कि बजट में जितना प्रावधान था वह समाप्त हो गया है और अब बजट में कोई पैसा नहीं है तो अब केबिनेट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। केबिनेट में दो बार मीटिंग में यह प्रस्ताव आया लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई और बाध्य हो करके उन श्रमिकों ने जिनकी आमदनी केवल इन मिलों से मिलने वाले वेतन से ही है, इन पर ही जिनका जीवन निर्भर करता है, वे धरना, प्रदर्शन, कानपुर बंद तक की स्थिति में गए। ऐसा लगता है कि सरकार अपने द्वारा दिये गये आश्वासनों की कोई चिन्ता नहीं कर रही है कि जितनी भी देश में एन.टी.सी. की मिलें हैं उनका आधुनिकीकरण करके उनको चलाया जाएगा, उनके लिए उन्होंने 2005 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया था लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

दूसरा मेरा कहना यह है कि प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और वस्त्र मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वी.आर.एस. स्कीम में जितने लोग चले जाएंगे वे चले जाएं और शेष जितने बचते हैं उनको समय से वेतन भुगतान केन्द्र सरकार सुनिश्चित करेगी लेकिन ऐसा न करने के कारण बार-बार ये समस्याएं आ रही हैं। दो माह का वेतन उनको दिया जा चुका है लेकिन एक माह का वेतन फिर ड्यू हो गया है और उस वेतन का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको गंभीरता से ले। अपने दिये गये वचन और आश्वासनों को पूरा करे तथा जिन

श्रमिकों की आय का केवल यह एकमात्र स्रोत है उनको इस बढ़ती हुई महंगाई में अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए समय से वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया सरकार ने योजना के रूप में दी है उस पर अविलम्ब कार्यवाही करके कार्यान्वित करे, ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खास तौर से अपने संसदीय क्षेत्र पटना की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की बहुत किल्लत हो गई है। वैसे तो पूरे बिहार में बहुत दिक्कत है मगर पटना में खास तौर पर ज्यादा दिक्कत है। वहां लम्बी लाईन लगानी पड़ती है और कई दफा इस इशू को उठाने का काम कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में किया है तथा मैंने भी उठाया है मगर अभी तक इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर 20 से 25 लाख की पापुलेशन पटना में है। उसके मुताबिक हम समझते हैं कि रसोई गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर रसोई गैस की किल्लत हो गई है।

मेरा आपसे निवेदन होगा कि वहां की कठिनाइयों को देखते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने की कृपा करें क्योंकि वहां लम्बी-लम्बी लाइनों में लोग दिन भर खड़े रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि वहां जो रसोई गैस का आबंटन होता है उसका कोटा बढ़ाया जाए। वहां जिस हिसाब से पापुलेशन बढ़ी है उसके मुताबिक रसोई गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है। आप वहां कोटा बढ़ाएं ताकि पटना की जनता का घोर संकट दूर हो सके। वहां घर की महिलाओं को खाना बनाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वहां अधिक से अधिक कोटा बढ़ाएं। वहां जो रसोई गैस की किल्लत है उसको दूर करने का काम पेट्रोलियम मंत्री करें, यह मेरा आपसे निवेदन होगा। धन्यवाद।

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर): उपाध्यक्ष जी, आजादी के 50 वर्षों में बनों की कटाई बेशुमार हुई है जिसके कारण जलाने के काम में आने वाली लकड़ी कम हो गयी है। हमारे मध्य प्रदेश में एक बेशर्म नाम की लकड़ी होती थी जिसको कोई खाना बनाने के काम में नहीं लाता था लेकिन मजबूरी में उस लकड़ी को भी जलाकर भोजन बनाया जा रहा है जोकि बहुत खतरनाक है। कोयले का अभाव है तथा मिट्टी के तेल की हालत भी बहुत खराब है। मिट्टी के तेल के लिए लोग लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं और मिट्टी का तेल बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस कारण से लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। तीन महीने में 25 का कोटा सांसदों को दिया गया है लेकिन मेरे पास पिछले आठ महीने में 1300 आवेदन पत्र जमा हैं और हर सांसद की यही हालत है। 25 का कोटा है और पांच सौ मांगने वाले हैं इसलिए इसे बढ़ाकर 100 कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना एक ऐसा विषय है जिसे श्री वाजपेयी और कतिपय अन्य सदस्य कई बार सदन में उठा चुके है, अत: मैं इस विषय पर लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूँगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और श्री राम विलास पासवान जी के माध्यम से गृह-मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर गोली चलाने की इस घटना से केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्तर-भारत के विद्यार्थी उत्तेजित हुए हैं। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ ने मुझे सदन को सम्प्रेषित करने हेतु अपने निर्णय से अवगत करवाया है। उनका मानना है कि जब तक गृह-मंत्रालय इस मामले की न्यायिक जांच नहीं करवाता और पुलिस अधीक्षत द्वारा परेशान किये गये विद्यार्थियों को हिरासत से मुक्त नहीं कर दिया जाता, जब तक पुलिस की गोली से मरने वाले लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों को दो लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे दिया जाता, जब तक बनारस के पुलिस अधीक्षक और एस. डी. एम. का स्थानान्तरण नहीं कर दिया जाता और जब तक वहाँ के राज्यपाल और राज्यपाल के सलाहकार सामान्य स्थिति की बहाली के लिए वहाँ नहीं जाते, उत्तरी भारत के विद्यार्थी आग बबूला हो जाएँगे। स्थिति अत्यंत गंभीर है तथा इस घटना से दिल्ली सहित उत्तरी भारत के विद्यार्थी भड़केंगे और विद्यार्थियों के आंदोलन को रोकना असम्भव हो जाएगा।

अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वह इन माँगों को पूरा करे - तुरन्त न्यायिक जाँच करे, एस. पी. तथा ए.डी.एम., बनारस शीघ्र स्थानान्तरण करे, विद्यार्थियों को हिरासत से मुक्त कर दें और तुरन्त मुआवजा प्रदान करे ताकि वहाँ पर हालत सामान्य हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री पी. आर. दासमुंशी: वहां की स्थिति इतनी भयंकर है कि कल या परसों तक यदि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो वही घटनाएँ इन माँगों के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय और उत्तरी भारत में होने लगेंगी। मैं यही सब बताना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लखनऊ में अपट्रान के नाम से एक बहुत ही प्रमुख और प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रम है। लेकिन अस्थिर सरकारों के कारण उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। 1988-89 तक जो यूनिट फायदे में चल रही थी अब घाटे में चल रही है। वहां काम करने वाले हजारों परिवारों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। कर्मचारी वहां धरना और प्रदर्शन पर आमदा हैं। ये सब अच्छे इंजीनियर हैं और इनकी अच्छी साख और प्रतिष्ठा है लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी सरकारी काम हो रहे हैं आज अपट्रॉन को न देकर निजी संस्थाओं को दिये जा रहे हैं। इस कारण अपट्रॉन के कर्मचारियों में रोष है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अपट्रॉन को पुनर्जीवित करने का काम करें और उसे अगर सरकारी सहायता की आवश्यकता हो तो उसे महामहिम राज्यपाल के द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया जाए जिससे यह संस्थान चल सके। इस समय इलेक्ट्रानिक के जो काम निजी संस्थाओं से कराये जा रहे हैं उनसे न कराकर अपट्रॉन के इंजीनियरों से कराए जाएं। ऐसा अगर होगा तो यह यूनिट सही ढंग से चलेगा और इसके कर्मचारियों का भविष्य भी सुनिश्चित हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुत्तुपुजा): महोदय, मैं सीमावर्ती इलाकों विशेष रूप से नेपाल सीमा पर हो रही तस्करी के बारे में कहना चाहता हूँ। इससे कृषि उत्पादों विशेषकर इलायची की खेती के क्षेत्र में गंभीर स्थिति पैदा हुई है। विश्व में उत्तम गुणवत्ता वाली इलायची भारत में पैदा होती है और इस उत्पाद को कठिन संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह इसलिए है क्योंकि ग्वाटेमाला और कुछ अन्य देशों से कम गुणवत्ता वाली इलायची की तस्करी की जा रही है। यह कलकत्ता पत्तन पर आती है और वहाँ से यह नेपाल में सड़कों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। यह तस्करी निर्विघ्न रूप से जारी है। सरकार और संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है परन्तु अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। यदि इस संबंध में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो हमारी उत्तम किस्म की इलायची निम्न गुणवत्ता वाली इलायची जो विदेशों से आ रही है के साथ मिलाकर बेची जाती रहेगी और उत्तम किस्म की इलायची को बेचने से जो विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही थी, उसमें काफी क्षति होगी।

वही बात लौंग के मामले में भी है जो कि भारत में उत्तम किस्म का पैदा किया जाता है। किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी कीमतें काफी गिर गई हैं। निम्न गुणवत्ता वाला लौंग श्री लंका अथवा कई अन्य देशों से आता है। यह भी उसी तरह आता है जैसे इलायची। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वह इस संबंध में कदम उठाए। यह मामला उन किसानों द्वारा उठाया गया है जो इलायची और लौंग दोनों ही पैदा कर रहे हैं। बात सरकार के ध्यान में लाई गई है परन्तु अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस घटना पर गहराई से सोचें और इस संबंध में गम्भीर कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पचास साल के इतिहास में आज तक इस तरह की दुर्व्यवस्था गन्ने के बारे में किसानों की नहीं हुई है। आज उत्तर प्रदेश में 113-114 शूगर मिलें हैं। वहां शुरू से ही स्टेट गवर्नमैंट मिल मालिकों से बात करके गन्ने के दाम तय करती है। यह बात सही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमैंट को ऐसी पावर नहीं है। राज्यपाल ने सभी मिल वालों को बुला कर गन्ने के दाम 72 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए। कुछ मिल वालों ने इतने दाम देने से इन्कार कर दिया और कहा कि हम 62 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसके दाम देंगे और 4-4 रुपये करके अगले साल तक यानी 70 रुपये इसके दाम देंगे। इसको लेकर आन्दोलन हुए और लाखों लोग जेल गए। हम भी जेल गए और दो बार जेल जा चुके हैं। प्राइवेट सैक्टर की जितनी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने भी इसके 70 रुपये दाम देने से इन्कार कर दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नौ शूगर फैक्ट्रियां हैं। रामकोला खेतान इसके 72 रुपये दाम दे रही है और रामकोला पी. जो कि बगल में है वह 70 रुपये भी नहीं दे रही है। इसको लेकर महीनों से आन्दोलन हो रहे हैं, लोग अनशन कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं। आज तक ऐसी परिस्थिति देश में नहीं आई थी। वहाँ लॉ ऐंड आर्डर नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की हुकूमत है। भारत सरकार के प्रतिनिधि गवर्नर उसके 72 रुपये दाम तय करते हैं। प्राइवेट मिल वाले उसके 70 रुपये भी दाम नहीं दे रहे हैं। लेवी चीनी जो कि नौ रुपए पांच पैसे में मिलती थी, वह आज साढ़े दस रुपए में मिल रही है। मिल मालिकों के कहने पर चीनी की कीमत बढ़ायी गई। एक क्विंटल चीनी पर 150 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। मिल मालिकों को अरबों

रुपये का मुनाफा हुआ। गवर्नर साहब के आदेश पर उत्तर प्रदेश कार्पोरेशन की चीनी मिलें 72 रुपए दे रही हैं लेकिन वहीं पर भारत सरकार की चीनी मिलें जो कि पड़रौना और कठकुईयां में हैं, वे गवर्नर के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। इससे बढ़ कर आश्चर्य की बात क्या होगी। भारत सरकार की मिलें कहती हैं कि हम नहीं देंगे और प्राइवेट वाले कहते हैं कि हम नहीं देंगे। इस मामले को लेकर लाखों लोग जेल गए हैं.... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिश्र जी, यह जीरो आवर है। आप इस पर प्वाइंटिड बात कहिए, बहस मत करिए।

श्री राम नगीना मिश्र : अंत में मैं यही निवेदन करुंगा कि गन्ने के मूल्य के बारे में पूरे प्रदेश में एकरूपता लायी जाए और उत्तर प्रदेश में सभी मिल वालों को कहा जाए कि वे 72 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम दें। 150 रुपये चीनी के जो दाम बढ़े हैं, उसके हिसाब से अतिरिक्त पेमेन्ट गन्ना किसानों को अलग से किया जाए।

श्री महेन्द्र कर्मा (बस्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बिलासपुर रेलवे जोन बनाये जाने को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता साठ के दशक से लगातार आज तक संघर्ष करती आ रही है। यही नहीं, छात्र संघर्ष समिति जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली पर क्रमिक भूख हड़ताल करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से बिलासपुर को नया जोन बनाये जाने के बारे में चर्चा की थी लेकिन बजाय इसके माननीय रेल मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रेलवे रिफार्म्स कमेटी ने बिलासपुर को नया जोन बनाये जाने के औचित्य पर अपनी सहमति प्रदान की है। यही नहीं नये घोषित जोन के विरुद्ध पांचवे वेतन आयोग ने न केवल विरोध प्रकट किया है बल्कि इसकी निन्दा भी की है।

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर है, इसमें कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं पढ़िये, जो कहना है, जबानी ही कह दीजिए।

श्री महेन्द्र कर्मा: ठीक है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में नये जोन बनाये जाने को फिजूलखर्ची निरूपित किया है। साथ ही कहा है कि नये जोन तभी बनाये जायें जब अत्यधिक कार्य दबाव में हों और कम से कम खर्च हो।. उपरोक्त सभी परिस्थितियों में बिलासपुर ही ऐसा जोन है जो देश के पांच जोनों में से सबसे बेहतर और ज्यादा राजस्व देने वाला है....

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी बात सुनिए। मुझे भी इस जोन के बारे में जानकारी है। जब रेल बजट आयेगा तो उस समय हिस्सा ले लीजिएगा।

श्री महेन्द्र कर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि आगामी रेल बजट में छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं का आदर करते हुये इसे शामिल किया जाये और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गिरीडीह का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। कोनार सिंचाई परियोजना 20 वर्ष पूर्व शुरू की गयी थी और आज वर्तमान में मृतप्राय हो गयी है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व उसकी प्राक्कलन राशि क्या थी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं और यह सिंचाई परियोजना लागू होने से कम से कम हजारीबग, गिरिडीह और बोकारो की जनता को काफी लाभ मिलेगा। एवं इससे समाज के अत्यन्त पिछड़े जनजाति क्षेत्रों में विकास में सरकार का योगदान माना जाएगा।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस काम को अविलम्ब पूरा करवाया जाये।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस हाउस की तवज्जह इस अमल की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरे साथ श्री चमन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में इस हाउस की तवज्जह दिलाई है कि किस तरह से हमारे मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाई माईग्रेंट्स बनकर जम्मू में आ रहे हैं।

जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां तीन बार दौरा किया और उसी दौरान पब्लिक मीटिंग्स और इस सदन में जम्मू की इक्तसादी हालत को सुधारने के लिए और वहां रोजगार पैदा करने के लिए कुछ प्रोजैक्टस नये सिरे से चालू करने के लिए ऐलानात किये हैं। लेकिन छः महीने हो गये, उन स्कीमों पर कोई अमलदरामद शुरू नहीं हुआ। मैं उन स्कीमों के बारे में नाम दूंगा और यह तवक्को करता हूं कि मुत्तलिका मिनिस्ट्रीज इन स्कीमों को अमलीजामा देने के लिए प्रैक्टीकली कदम उठायें। जो स्कीमें ऐलान की गयी हैं, उनमें से चंद के बारे में बताना चाहूंगा....

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, जीरो ऑवर में एकाध पाइंट का ही जिक्र कीजिए।

श्री मंगत राम शर्मा: मैं पढ़कर नहीं करता हूं। मैंने पाइंट्स नोट किये हुये हैं। एक तो मुगल रोड पूरी करने के लिए बार्डर रोड आर्गेनाईजेशन को देने का ऐलान किया जिस पर कुछ अमल नहीं हुआ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया जिस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। जम्मू शहर को बी-क्लास

स्टेटस देने का ऐलान किया, उस पर भी अमल नहीं हुआ। जम्मू के पुंछ, राजौरी जिला में पहाड़ी बोलने वाले लोगों को ट्राईबल स्टेटस देने का ऐलान किया लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग है कि इन सब पर अमल किया जाए।

श्री मंगत राम शर्मा : मंत्री जी ने यहां ऐलान किया कि बारामुला से आगे रेलवे लाइन पर काम होगा और कटुआ से आगे ऊधमपुर से आगे काम होगा। रजौरी और पुंछ के लिए अनाउंस किया कि जो साल आने वाला है, उसमें वह फंड्ज रखेंगे, अभी कोई फंड्ज नहीं रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बजट स्पीच पर इस बारे में बोलिए। यह जीरो अवर है।

श्री मंगत राम शर्मा: लद्दाख जिले के लिए बहुत डिमाण्ड की गई थी कि वहां जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके लिए स्पेशल फंड्ज दिये जाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं यहां प्राइम मिनिस्टर के ऐलानात की खुशामदीद करता हूं और गवर्नमेंट से तवक्को करता हूं कि जो ऐलान उन्होंने किये हैं, जो तीन पैकेज उन्होंने अनाउंस किये हैं, उनको अमली शक्ल देने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया इफेक्टिव कदम उठाए और जम्मू-कश्मीर के हालात को नार्मल करने के लिए मुनासिब पैसा दे, मुनासिब प्रोजेक्ट्स को चालू करे ताकि वहां शांति हो, अमन हो, और पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो जाएं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पांच बजे से दस बजे तक विद्युत आपूर्ति को पूर्णतया रोक दिया गया है। पांच बजे से दस बजे तक विद्युत रोक दी गई है। कानपुर देहात के इलाके में तीन नगरपालिकाएं और आठ टाउन एरिया हैं। कहीं पर भी पांच से दस बजे तक बिजली नहीं मिल रही है। उसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो रही है, गरीब किसानों और मजदूरों को खाना बनाने के लिए रोशनी नहीं मिल रही है और गांवों का वह गरीब किसान चूल्हे में खाना बनाते समय जो रोशनी होती है, उस रोशनी में या फिर अंधेरे में खाना खाने के लिए मजबूर है। अगर विद्युतीकरण गांव में किया जा रहा है और विद्युतीकरण होने के बाद पांच बजे से दस बजे तक विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण इलाकों में रोक दी जाए तो ग्रामीण इलाकों का जीवन कैसे चलेगा। यह जो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भेदभाव किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। हम इस ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। वहां के विद्युत बोर्ड ने आदेश कर दिया था और केवल तीन दिन तक विद्युत की आपूर्ति हुई और फिर बाधित कर दी गई। हम केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पांच से दस बजे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करें और बिजली की कमी है तो शेष घंटों में कटौती करें।

श्री डी. पी. यादव (सम्भल): मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन में जो स्थिति प्रदेश की हो गई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जगह-जगह पर जघन्य हत्याएं हो रही हैं। अभी पिछले दिनों जनवरी माह में 633 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं जिनमें राजनैतिक व्यक्तियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक की हत्याएं शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक की हत्या हो जाती है। डी. एम. की हत्या हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह ईश्यू कल आ रहा है।

श्री डी. पी. यादव: मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों हमारे साथी बसपा के अनिल यादव की हत्या कानपुर में हुई और गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कानून और व्यवस्था की हालत यह है कि एक नया काम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है जो मेरी जानकारी में आया है कि जनपदों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाटरी के व्यवसाय की तरह पर्चियां डालकर पोस्टिंग कर रहे हैं। यह एक नया काम शुरू हुआ है। कुछ ऐसे लोग जो अपने व्यापार को, अपनी काली करतूतों को छिपाकर रखना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनकी सोच के अनुसार पुलिस अधिकारी या डी. एम. उनके जनपदों में लगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और उत्तर प्रदेश को इनके गंभीर परिणामों से बचाया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 (एस) में जो संशोधन करने जा रही है, इसके कारण व्यापारी वर्ग और लघु उद्योग करने वाले लोगों में बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया है।

जैसा मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आप भी भली प्रकार से परिचित हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार छोटे व लघु उद्योग हैं और देश के व्यापार में इनकी 76 प्रतिशत की भागीदारी है। अगर रिजर्व बैंक की धारा 45 (एस) में संशोधन कर दिया गया तो उससे लघु उद्योगों के ऊपर एक भारी संकट आ जायेगा, क्योंकि लघु उद्योग शुरू करने के लिए रिश्तेदारों से या पार्टनर्स वगैरह से पैसा ले लिया जाता है, लेकिन सरकार अब इस पर पाबंदी लगाने जा रही है। ऐसा मालूम

पड़ता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा वर्ल्ड बैंक आदि के दबाव में आकर और उन्हीं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए देश के लघु उद्योगों को बरबाद करने के लिए इस सरकार के द्वारा एक षडयंत्र रचा जा रहा है और उस षडयंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45 एस. के अंदर संशोधन करने का जो अध्यादेश आगे आने वाले समय में लागू होने वाला है, इससे एक भारी संकट पैदा हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संशोधन को समय रहते हुए वापस ले लें। देश के व्यापारी वर्ग में इससे भारी असंतोष है और जयपुर में 28 तारीख को राजस्थान का लघु उद्यमी वर्ग हड़ताल पर जा रहा है, क्योंकि उनके सामने पूंजी का संकट पैदा हो जायेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 (एस) में संशोधन को वापस ले लिया जाए।

अपरान्ह 1.56 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) बरेली, उत्तर प्रदेश में बाई-पास का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, 'बरेली' उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-24, दिल्ली-लखनऊ के मध्य स्थित है। इस मार्ग पर सघन यातायात है। बरेली के ऊपर इस मार्ग पर बाई पास न होने के कारण यातायात बाधित रहता है तथा अक्सर निरन्तर दुर्घटनाएं होती हैं। बरेली पर बाई पास की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। ज्ञात हुआ है कि प्रारम्भिक आकलन हो चुका है।

मेरा भूतल परिवहन मंत्री से आग्रह है कि प्राथमिकता के आधार पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली के ऊपर बाई पास के निर्माण की स्वीकृति दे दें।

[अनुवाद]

(दो) कन्नानोर, केरल में सैनिक अस्पताल के चालू रहने को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर): कन्नानोर (केरल) में सैनिक अस्पताल 1953-54 में बनाया गया था। इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या, आधारभूत सुविधाएँ इत्यादि समय समय पर बढ़ायी जाती रही हैं। इस समय इस अस्पताल में मैंगलोर से पालघाट तक हजारों सैनिकों और उनके परिवारों का जिसमें भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लगभग डेढ़ लाख लोग शामिल हैं, इलाज होता है। यह सैनिक और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी तथा केरल के छः मुख्य जिलों के लोग पिछले कई दशकों से चिकित्सा सेवाओं के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर करते हैं और लगातार इसी का आश्रय आगे भी लेते रहेंगे।

पिछले कुछ समय से सरकार इस अस्पताल को बन्द करने पर विचार कर रही है। किन्हीं भी मापदण्डों पर यह निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। यदि इस सैनिक अस्पताल को बन्द कर दिया जाता है तो अगला सैनिक अस्पताल कोचीन, बैंगलोर अथवा मद्रास में होगा जो 300 किलोमीटर दूर पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों को इससे सर्वाधिक कष्ट होगा। जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें भी इस निर्णय से गहरा धक्का लगा है क्योंकि जिले के अस्पताल बीमार लोगों की देखभाल नहीं कर पाते। अतः मैं माननीय रक्षा मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह अस्पताल पालघाट से लेकर दक्षिण केनरा तक सैनिक कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता रहे।

[हिन्दी]

(तीन) बिहार की नवीनगर ताप बिजली परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जान की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (ओरंगाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में गंभीर विद्युत समस्या है। जनता को सप्ताह में दो दिन बिजली भी नहीं मिल पाती है। बिजली पर आश्रित किसानों की फसल नष्ट हो जाती है जिससे लोगों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उग्रवाद जोरों से बढ़ रहा है।

विद्युत समस्या के निदान हेतु विद्युत मंत्रालय की सहायता से पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 30.8.96 को 2000 मेगवाट का कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की विश्वस्तर पर निविदा आमंत्रित की गई है। लेकिन किसी भी विकासकर्ता ने अभी तक निविदा नहीं दी है। सरकार द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि नवीनगर थर्मल पावर परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर बिहार के गंभीर विद्युत संकट का समाधान करायें।

अपरान्ह 2.00 बजे

[अनुवाद]

(चार) तमिलनाडु राज्य के किसानों की कठिनाईयों को कम करने के लिए पेरियार बांध में पानी छोड़ने के लिए केरल सरकार को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता

श्री एन. एस. वी. चित्यन (डिण्डीगुल): महोदय, पेरियार बांध एक पुराना और महत्वपूर्ण बांध है जिसका निर्माण 1895 में अंग्रेजों ने किया था। इसकी ऊंचाई 156 फीट है और यह मदुराई जिले और तमिलनाडू और केरल के साथ जुड़े इलाकों की पीने के पानी और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करता है।

परन्तु केरल सरकार द्वारा पनबिजली हेतु इदुक्की बांध के निर्माण के बाद पेरियार बांध में पानी के प्रवाह में पर्याप्त कमी आई है और अब यह 1979 के बाद से केवल 136 फीट तक ही भरता है। इससे तमिलनाडु के लोगों विशेषकर किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यहाँ तक कि उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी समिति द्वारा दिये गये उन सुझावों के कार्यान्वयन के पश्चात् भी, जिसके द्वारा बांध को तमिलनाडु सरकार ने 13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटा कर 152 फीट तक ऊंचा कर पक्का कर दिया, केरल सरकार ने पेरियार बांध को पानी देने की अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं किया।

यदि तुरन्त पानी का स्तर 145 फीट तक बढ़ा दिया जाता है तो इससे तमिलनाडु के लोगों को तुरन्त राहत मिल सकेगी।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह हस्तक्षेप करे और केरल सरकार को यह सलाह दे कि वह पेरियार बांध को पानी जारी करे ताकि 156 फीट तक की इसकी क्षमता का उपयोग तमिलनाडु के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में हो सके।

(पांच) निर्वाचन क्षेत्रों विशेषतः लद्दाख क्षेत्र के परिसीमन के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख): महोदय, लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो लगभग 100 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है और जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य का दो-तिहाई इलाका समाया हुआ है, देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। दो लाख की छोटी आबादी ऊंचे-नीचे पहाड़ों, कठिन भौगोलिक स्थिति और ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि में फैली हुई है और सारा इलाका जिसमें लोग रहते हैं वह समुद्र सतह से 9000 फुट और 15,000 फुट के बीच के ऊंचाई पर स्थित है। भारी हिमपात के कारण दोनों राजमार्गों के बन्द हो जाने के कारण यह इलाका साल में सात महीने देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। शीत ऋतु के सात महीनों में बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक मात्र माध्यम वायु सेवा द्वारा है जो कि अपर्याप्त है ऊंचाई पर स्थित होने और कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण संसद का एक सदस्य और राज्य विधान सभा के चार सदस्य अपने मतदाताओं की शिकायतों को सुनकर उनके साथ न्याय करने की स्थिति में नहीं होंगे जब तक कि लद्दाख क्षेत्र के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को नयी सीमा निर्धारण न की जाये।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि क्षेत्र की विशालता, कठिन भौगोलिक स्थिति और ऊँचाई पर स्थिति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण कर वर्तमान एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एक से बढ़ाकर दो करने और वर्तमान चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की दुगुनी संख्या कर दी जाए।

[हिन्दी]

(छः) दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं:-

गोरखपुर दूरदर्शन उत्तरपूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। इस केन्द्र का प्रसारण केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों को प्रभावित नहीं करता है बल्कि नेपाल के एक बड़े इलाके को, जो कि तराई कहा जाता है, वहां भी चाव से सुना जाता है। यह केन्द्र भोजपुरी भाषा का भी केन्द्र है जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार की प्रमुख भाषा है।

गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र की स्थिति जर्जर है। इस केन्द्र में जो भी सामान आधुनिकीकरण के लिए भेजा जाता है उसको और जगह पर उठा लिया जाता है। नया ट्रांसमीटर उठा लिया गया। जेनरेटर कहीं और चला गया। वहां पर किसी तरह का आधुनिकीकरण पिछले 10 साल से नहीं हुआ है। उस केन्द्र के लिए आवास के लिए अनुदान भारत सरकार के द्वारा स्वीकारा जाता है, लेकिन इस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि भारत की विचारधारा का प्रसारण, अपने तौर-तरीकों की जानकारी,

नेपाल के नागरिकों को उपलब्ध कराना उसका एक अहम कर्तव्य है। गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र का आधुनिकीकरण करना आवश्यक हो गया है। उसके लिए विचार जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर को आधुनिक बनाए और इसके प्रोग्राम पर ध्यान दे।

अपरान्ह 2.05 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 19 – राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री शरद यादव

.... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, उनके भाषण के पहले, मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगी। यह वर्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है। इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया। सरकार को स्वयं इस पंक्ति को जोड़ना चाहिए।

दूसरी बात, यह पहली बार है – कृपया पैरा 52 देखिए – कि एक पंक्ति हटाई गई... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब इस पर चर्चा की जाएगी, आप इसका उल्लेख कर सकती हैं। चर्चा के समय आपको अवसर मिलेगा और उसी समय आप बोलेंगी।

.... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: राष्ट्रपति ने एक पंक्ति नहीं पढ़ी .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया इसे बाद में बोलिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: राजेन्द्र प्रसाद के टाइम से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल): आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल सकती हैं... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मैं आज जा रही हूं। इसीलिए मैंने यह मुद्दा उठाया... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये:–

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1997 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने जो संयुक्त अधिवेशन में कहा, वह आने वाले दिनों में अपनी सरकार की जो आर्थिक और राजनीतिक दिशा है उसका मोटे तौर पर एक नक्शा खींचने का काम किया है और उसका स्वरूप राष्ट्र के सामने रखने का काम किया है। इस समय हम भारत की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ, आजादी की रजत जयन्ती और शताब्दी मना रहे हैं। हमने 50 वर्ष के लोकतंत्र और 50 वर्ष की लोकशाही के जरिए अपने देश को चलाया और इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा, उनके कहने और उनके मन्तव्य और उनकी सरकार की जो दिशा है, उसको कहने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो वक्तव्य है यह आने वाले समय में सरकार का क्या इरदा है, वह किस तरफ जाएगी इस का संकेत देता है।

श्रीमान मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 50 वर्षों में क्या किया यह अब बताया जाए। यह मौका है हमारे कार्यकलापों के अवलोकन का। यह मौका है हमारे आत्मलोचन का कि हम कहां खड़े हैं। दुनिया में हमारी जगह कहां है। दुनिया में हमारा देश किस मुकाम पर खड़ा है। चाहे वह औद्योगिक विकास का मामला हो, चाहे साइंस, विज्ञान और तकनीक का मामला हो, चाहे आम आदमी की शिक्षा के बारे में हो, हम लोगों की दुनिया के जितने राष्ट्र हैं, उनके बीच में और उनकी तुलना में क्या जगह है, इसे भी देखने और इसका भी आत्मलोचन करने का यह वक्तव्य है।

उपाध्यक्ष जी, देश ने 50 वर्षों में निश्चित रूप से विकास किया है। हमने अपने विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी फौज खड़ी की है और देश भर में एक बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाओं को खड़ा करने के लिए किया है।

लेकिन इसके बावजूद देश की जो स्थिति है, समूचे भारत राष्ट्र की जनता को जब जोड़कर देखने का काम होता है तो मन हिल जाता है। 50 बरस में हमने जो किया है उस पर हमें विचार करना

चाहिए। हम जो इस देश के अंतिम आदमी हैं, बनिहार हैं, जो डेली वेजिज पर काम करते हैं, वह आजादी के समय भी 32 फीसदी थे और आज भी 32 फीसदी हैं। हमारे राज को चलते आठ महीने हुए हैं। इस आठ महीने में हमारा जो प्रयास है, उन पर मैं बाद में बात करूंगा। आज हालत यह है कि देश में विज्ञान में, अध्ययन में, शिक्षा में, हर चीज में, हर क्षेत्र में हमने विकास किया।

अपरान्ह 2.11 बजे

(श्री पी. सी. चाक्को *पीठासीन* हुए)

हम आगे बढ़े हैं। कल ही हमने "पृथ्वी" का अपनी खुद की क्षमताओं से प्रक्षेपण किया। इसके पहले भी किया। स्पेस साईंस से लेकर बुनियादी साईंस तक हमने कई तरह की तरक्की की। आज देश में इस बात को भी देखने की जरूरत है कि हिन्दुस्तान में जो श्रम करने वाली जनता है, जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो पसीना बहाकर दौलत बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो हालत है, उन लोगों की जो स्थिति है, जैसे-जैसे आजादी की उम्र बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे उनकी जिंदगी दूभर, बेबसी, लाचारी और गरीबी रेखा की सीमा से नीचे खिसकती जाती है। यानी आप देखें कि दुनिया भर में हमारी स्थिति बेकारी में नम्बर वन पर है। निरक्षरता में हम नम्बर वन पर हैं। बीमारी में हम नम्बर वन पर हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि भारत की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के पुरखों का जो सपना था, उन पुरखों के शिखरप्रस्थ महात्मा जी थे। उनका एक सपना था। आज महामहिम जी ने हमारी सरकार की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा होगी, उसको क्यों निर्धारित किया है? उस लक्ष्य को क्यों बनाया है? इन बीमारियों पर बगैर गौर किये आने वाले लक्ष्य पर ठीक से बात नहीं रखी जा सकती।

आज हमें 50 बरस हो गये हैं। एक तरफ से पढ़े लिखे यानी प्रबन्ध करने वाले और श्रम करने वाले लोग, निर्माण करने वाले, उत्पादन करने वाले लोगों की, शिक्षित और अशिक्षित लोगों की एक बड़ी फौज इस देश में है। देश में लोगों को काम नहीं मिलता। श्रम देश की या दुनिया की पूंजी की जननी होती है लेकिन श्रम करने वाले लोगों के लिए इस देश में काम नहीं है। उन्हें काम मिलना चाहिए। उन्हें मजबूत होना चाहिए। इस समाज में जितनी ज्यादा बेकारी होगी उतनी ही गरीबी भी उसी स्तर पर होगी। जो कम भोजन पाते हैं उनकी आबादी 32 फीसदी है। वह अपनी उम्र के बराबर जी नहीं पाते। उन्हें जीना है 70 बरस लेकिन जब उन्हें कम भोजन मिलता है तो 50 बरस में ही वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं।

आदमी श्रम ज्यादा करता है लेकिन उसे भोजन कम मिलता है तो उसकी उम्र घटती है। वह झटका खाकर पहले ही मौत के मुंह में चला जाता है।

महात्मा जी ने एक बात कही थी। यदि देश और भारत राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, जो राज चला रहा है उसके लिए और जो राज नहीं चला रहा है उसके लिए भी उन्होंने एक बात कही थी कि आजादी के बाद जो सरकारें बनेंगी और वे जो बात कहेंगी, यदि आपको उनकी सच्चाई का पता लगाना है, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव किसी बड़े अर्थशास्त्री से ज्यादा सच्चा है, ज्यादा दुरुस्त है, तो यदि आप हिन्दुस्तान में एक मील भी चलेंगे तो आपको बनिहार मिलेगा। बनिहार को अंग्रेजी में डेली वेजेस कहते हैं। जो व्यक्ति रोज मजदूरी करके कमाता है और शाम को खाता है, यदि उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ जाए तो समझें कि दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ और पटना में बात कहने वाला आदमी ठीक कह रहा है, दुरुस्त कह रहा है। यदि उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसी दिन से उस राज को बदलने के लिए अपनी जिंदगी को खपाने का काम शुरू कर दें और उसी दिन से उस राज के खिलाफ सत्याग्रह का संग्राम शुरू कर दें।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश इस मुकाम पर भी है। इस पर भी विचार करना चाहिए। हम विकास की मंजिल पर भी खड़े हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता। आज हमने करीब 50 लाख लोग ऐसे मजबूत कर दिए हैं जो 12 रुपये की बोतल से पानी पी रहे हैं। यह मामूली संख्या नहीं है। हिन्दुस्तान में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी या तो बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है या ठीक पानी नहीं मिलता है। इस देश को इस बात पर भी विचार करना है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने संयुक्त मोर्चे की सरकार की तरफ से अपना वक्तव्य दिया है। आज देश में एक हिस्सा ऐसा भी है जो 12 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल हाथ में लेकर चलता है और उसे पीता है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के बच्चों को दूध मुहैया नहीं होता। दूध के दाम भी कम हैं। शहरी इलाकों में भी आपको 7 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक दूध मिल जाएगा। दूध से ज्यादा पानी का दाम है। ऐसा पानी पीने वाले लोग भी इस देश में हैं। मैं नहीं कहता कि पूरे देश में मिनरल वाटर या शुद्ध जल नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इतनी बड़ी आबादी को छोड़कर 12 रुपये की बोतल का पानी पीने वाले लोग रहेंगे तो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। उस राष्ट्र की इज्जत और मान-सम्मान कहीं नहीं होगा।

सी.टी.बी.टी. के मामले में देश ने, सारी पार्टियों ने एक आम सहमति से संकल्प लिया तो हम दुनिया के सामने खड़े हुए परन्तु

अकेले रह गए। लेकिन हमने अपने स्वाभिमान को खड़ा करके एक नई मंजिल को हासिल करने का काम जरूर किया। उसके बाद सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए हम हिम्मत भी नहीं कर पाए। आप हमारे राज को जरूर गाली दे सकते हैं, हमको दोष दे सकते हैं। हम अपना दोष भी मान लेते हैं लेकिन जो राष्ट्र भीतर से 32 फीसदी लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे, लाचारी, बेबसी और गुरबत में रखता है, जो राष्ट्र मेहनत करने वाले लोगों की इज्जत और मान-सम्मान को हजारों वर्षों से कुचलता है। उस राष्ट्र को दुनिया में, सुरक्षा परिषद् में भी, सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी अंदर जाने से रोका जाता है, उसे धक्का मारकर बाहर निकाला जाता है। जब इस देश का प्रधान मंत्री अमेरिका में जाता है, अभी तो हमारे प्रधान मंत्री संयुक्त मोर्चा के हरदनहल्ली देवेगौड़ा जी हैं, इसके पहले श्रीयुत् नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधान मंत्री थे, जब वे अमेरिका गये, मेरे साथ के बहुत से नौजवान अमेरिका में रहते हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वहां का जो प्रिंट मीडिया है, जो विजुअल मीडिया है, उसमें हमारे प्रधान मंत्री की खबर चौथे पन्ने पर भी मुश्किल से मिलती थी। चीन का एक विदेश मंत्री जाता है तो अमेरिका हिल जाता है। इस क्षण, इस वक्त हम एक माइक तैयार कर रहे हैं, चीन 32 तैयार कर रहा है। हम एक भाग लोहा तैयार कर रहे हैं, वह 32 भाग कर रहा है। वह हमारे साथ आजाद हुआ था, वह हमारे हिन्दुस्तान के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने माओ की अगुवाई में संग्राम किया और माओ की अगुवाई में चीन को मुल्क बनाने का, उनके सपने के अनुसार मूल्क को ढालने का काम किया। हमने महात्मा जी की अगुवाई में संग्राम जरूर किया, सपना जरूर देखा, लेकिन वह सपना कहीं गड़बड़ा गया, कहीं वह सपना बदल गया।

आज विदेशी पूंजी की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आजादी के बाद ही हमने मिक्स्ड इकोनोमी को अपनाया है, वह विदेशी पूंजी पहले से इस देश में खर्च हो रही थी, लेकिन वह बुनियादी ढांचे पर खर्च हो रही थी। रूस जैसे गरीबों को और गरीबी की दुनिया को और गरीब लोगों को साथ लेकर दुनिया में एक नया समाज मार्स के सपने के अनुसार बनाने का काम कर रहा था, वह दुनिया भर की मदद कर रहा था। उसने हमारे राष्ट्र में जोइंट वेंचर में बहुत सी बुनियादी चीजों के बहुत कारखाने खोले, लेकिन आज दुनिया का बाजार जो खुला है, उसमें यह देश कैसे टिकेगा? यह तभी टिक सकता है, जब अन्दर से हम मजबूत होंगे। हमने जो विषमता का आताल और पाताल खड़ा करके रखा है, इस विषमता का आताल और पाताल, वह चाहे आज आर्थिक मामले में हो और चाहे सामाजिक मामले में हो, मुख्य तौर पर इस देश की विषमता दो ही बातों में है, एक आर्थिक विषमता है, एक सामाजिक विषमता है। ये दोनों जुड़वां हैं, ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, यह विषमता नहीं मिटेगी। आजादी की लड़ाई का मकसद ही है, मैंने पहले ही कहा कि महात्मा जी ने जो सपना देखा था तो महात्मा जी ने अपनी जिंदगी के अंतिम काल में सामाजिक परिवर्तन की बात की, उन्होंने और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मिलकर पूना पैक्ट बनाया था, इन्होंने अकेले पूना पैक्ट में दस्तखत नहीं किये। आजादी की लड़ाई में लोगों ने इस पर काम किया। दूसरी गोलमेज क्रांफ्रेस के बाद महात्मा जी जिंदगी भर किसी भी जातीय शादी में नहीं गये, वे अन्तर्जातीय शादी में जाते थे। उनका मकसद था कि जब तक इस देश की जाति नहीं टूटेगी, इस देश की जाति का भेद नहीं मिटेगा, तब तक यहां कुछ नहीं होगा। रंगभेद तो दुनिया को समझ आता है, लेकिन जाति भेद ऐसा गुनाह है, हमारी ऐसी बीमारी है, जिस पर देश में कभी सच्चाई से बहस नहीं होती, जो लोग जाति के बारे में बोलते हैं, वे जाति में रहते हैं और कहते हैं जाति मत करो। इस देश का जो जाति भेद है, उससे बड़ा पाखंड का कोई दूसरा भेद नहीं हो सकता। दुनिया में शोषण सिर्फ आर्थिक शब्द से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस देश की सामाजिक विषमता, जाति भेद का शोषण मानसिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, इज्जत, मान-सम्मान है और उसके बाद कहीं आर्थिक विपन्नता आती है। जातियों को सीढ़ीबद्ध, क्रमबद्ध एक तरफ खड़ा कर दो और दूसरी तरफ आर्थिक विषमता को रख दो, तो ग्राफ खींचकर बता सकते हैं, जो देश की सबसे विपन्न अंतिम जाति है, सबसे ज्यादा गरीबी उसमें होगी। मैं कहता हूं कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, ये जुड़वा चीजें हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह महात्मा जी ने कहा, डा. लोहिया ने कहा, यह कबीर ने कहा, यह बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, यह महात्मा फुले ने कहा, लेकिन ये सब अपमानित होकर इस देश से उठ गये। हमारा देश अजब है, सच्चे, अच्छे लोगों को जिंदगी में यह देश मानता नहीं है।

मरने के बाद बुत बनाकर हम उनको मान देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, जहां खड़े हैं, उस परिस्थिति में हमें आगे जाना है। मैं नहीं कहता कि पचास साल हमने पूरी तरह से कुछ उपलब्ध नहीं किया। मैं उपलब्धि पर न बोलकर बीमारी पर बोल रहा हूं। मैं इसलिए बीमारी पर बोल रहा हूं कि गौरव-गाथा तो बहुत कही जाती है। लेकिन लोग कभी-कभी यह भूल जाते हैं, वे ठीक से देख नहीं पाते हैं जो संस्कृति के बाहर के लोग हैं और जो अपने-आप को संस्कृति का अगुवा कहते हैं। वे बाबरी मस्जिद को गिराकर इस देश के गौरव को खड़ा कर रहे हैं। यदि उसको ठीक से देखेंगे....

श्री एस. पी. जायसवाल (वाराणसी): वह बाबरी मस्जिद नहीं थी, वह तो ढांचा था।

श्री शरद यादव : आपने ठीक कहा कि वह ढांचा था। कब्रिस्तान को तोड़कर या पुरानी इमारतों को तोड़कर युद्ध नहीं जीता जाता। जिंदा लोगों से युद्ध करके इतिहास बनता है। बाबर को हरा दिया होता तो कुछ और बात होती।

श्री एस. पी. जायसवाल: वहां राम, लक्ष्मण और जानकी की पूजा होती थी और हो रही है।

श्री शरद यादव: मैं माननीय सदस्य से एक बात कहता हूं। हमारा मानस क्या है। उस मानस की जिंदा मिसाल हैं बाल ठाकरे जी।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : जो आदमी यहां पर मौजूद नहीं है, उसका नाम न लिया जाए।

श्री शरद यादव: मैं उनकी आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): अटल जी ने अपने भाषण में 25 नाम गिनाए हैं, जो यहां नहीं हैं।

श्री शरद यादव : त्रिपाठी जी, आप मेरी बात सुनिए, फिर आपका एतराज खत्म हो जाएगा। अभी मुम्बई में माइकल जैक्सन का डांस हुआ। बाल ठाकरे जी एक हाथ से आडवाणी जी को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से माइकल जैक्सन को पकड़ते हैं। क्या यह है इस देश की संस्कृति? जो हमने अंग्रेजी स्कूल चलाए हैं, जो मिनरल वाटर पीने वाले हैं, उनका ऐसा है, जो हमारी संस्कृति और माइकल जैक्सन को एक साथ पकड़ते हैं। हमारी मानसिकता इन सारी दुविधाओं में घिरी हुई है। हम बहुत गौरव करेंगे कि हमारे पुरखे बहुत लायक थे। मैं जब बाहर जाऊंगा तो जरूर बताऊंगा कि हमारे पुरखों ने क्या-क्या किया। लेकिन मैं इस सदन में जितनी चीजें हैं, वह बताना चाहता हूं। यह जो गुम्बद है, इसको राजस्थान के मिस्त्रियों ने बनाया है। इसके मुकाबले की कोई चीज नहीं है। यह सारा आर. सी. सी. का है। अब चाहे यहां टी. वी. हो, वीडियो हो, आर. सी. सी. हो, विद्युत व्यवस्था हो, माइक सिस्टम हो, मल्टिपल वाइस सिस्टम हो, इनको आप देखें। हमारी 90 करोड़ की आबादी हो गई है। हमारी क्रिएटिविटी की डेथ हो चुकी है। हम प्रतिभाएं विकसित करने में पीछे हैं। हमारे वैज्ञानिक दुनिया में काबलियत की चीज हैं।

वैज्ञानिक को वातावरण काबिलियत से मिलेगा, काबिलियत से वह ऊपर खड़ा हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक अमरीका जाता है तो वहां पर वह नॉबल पुरस्कार पा जाता है और यहां जब रहता है तो वह कुछ नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह हमारा समाज है, वह 90 फीसदी श्रम करता है, पसीना बहाकर दौलत पैदा करता है। आजादी के पचास साल के बाद भी उसको कोई आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर वह आगे बढ़ता है तो वह अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता है। उसने स्वयं पुरुषार्थ करके यहां पहुंचने का काम किया है। चाहे वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब हों या चौधरी चरण सिंह जी हों या बाबा अम्बेडकर साहब हों, वे सब पुरुषार्थ करके यहां पहुंचे थे। आज इस सदन में इस बाजू और उस बाजू में जो लोग बैठे हैं, अपने पुरुषार्थ से आए हैं। यह देश इनको आगे नहीं बढ़ने देता। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जो हाथ में बैलट और वोट दिया, उसके चलते इस सदन का चरित्र बदला। अब इसमें गरीब किसान मजदूर तथा हजारों वर्ष से शूद्र, अति शूद्र सब आगे बढ़कर आए हैं।

सभापति जी, यह मालूम ही नहीं कि शूद्र कौन है, अनटचेबल कौन है। यह हमारी हालत है। इस हालत को कैसे सुधारा जाए? हमारा संविधान संघी है, इस संघी संविधान में पहली बार संयुक्त मोर्चा सरकार की अगुवाई जनता दल जरूर कर रहा है, राष्ट्रीय पार्टी जरूर है लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की जो ताकत होती है, जो इंदिरा जी के जमाने में तथा राजीव जी के जमाने में कांग्रेस की थी, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा के समय में जनता दल की ताकत थी, आज वह जनता दल की ताकत नहीं है। 540 के सदन में हम 45 हैं। हमको गलतफहमी नहीं है। हम इस सरकार के अगवा जरूर हैं। सभापति जी, यह संघीय ढांचा है, हमारा संविधान संघीय है। पहली बार यह सरकार जो बनी है, वह संघीय सरकार है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कोई प्रश्न करना चाहता हो तो पूछ सकता है, परन्तु वे इस प्रकार टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: सभापति जी, ये पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं वे टिप्पणी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: ठीक बात कह रहे हैं, हम जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा।

कुमारी ममता बनर्जी: जवाब देने से डिबेट अच्छा रहता है।

श्री शरद यादव: यह संयुक्त मोर्चे की सरकार जो है, उसमें जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, वे बड़े पैमाने पर ताकतवर हैं। पहली बार यह संघीय सरकार बनी है, संघीय संविधान की संघीय सरकार है, यह फैडरल गवर्नमेंट है। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला है, सन् 1977 में हमको भारी बहुमत मिला था लेकिन इस बार *देवेगौड़ा जी की अगुवाई में सरकार* चल रही है लेकिन वह *अकेले ताकतवर नहीं है। वह संयुक्त मोर्चे के सहयोगी दल हैं* और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही है। पिछली बार जब राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चे की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां से समर्थन दे रहे थे लेकिन आपने अति कर दी। मंदिर-मस्जिद के ऊपर आपको डिस्प्यूट हो सकता था लेकिन गाजे-बाजे के साथ बजरंग बली के मंदिर को अगर कोई तोड़ेगा तो हमको बुरा लगेगा। वैसे बजरंग बली को हम रात को स्मरण नहीं करते हैं लेकिन गाजे-बाजे के साथ अगर कोई मंदिर तोड़ेगा तो हमको बुरा लगेगा। हम मंदिर में नहीं जाते लेकिन परमात्मा में यकीन जरूर करते हैं। लेकिन गाजे-बाजे के साथ आप 20 फीसदी लोगों को कहां लगा रहे हैं, दीवार से लगा रहे हैं और जब दीवार पर लगाओगे तो देश बचेगा नहीं। जल जाएगा। मरता क्या न करता? इसलिए यह अरेजमेंट हुआ है।

मरता क्या न करता, इसलिए यह अरेजमेंट हुआ है। यह संकट का अरेंजमेंट है, एक बार आपातकाल में आपके साथ हुआ था और इस बार यह सरकार इस तरह की है। लेकिन हमने आठ महीने में क्या किया। हमने आठ महीने में हिन्दुस्तान को मजबूत करने का काम किस तरह किया। मैं यह नहीं कह रहा कि हमने मजबूत कर दिया, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी बहुत ताकत नहीं है। 14 पार्टयों ने मिल कर संयुक्त मोर्चा बनाया। हमारा सहयोग और समर्थन कांग्रेस पार्टी दे रही है, जिसकी संख्या बढ़ी है, जो बड़ी पार्टी है। हमारा राज और हमारी सरकार सावधानी से चलेगी और अगर नहीं चलेगी तो चल नहीं सकती। 32 दांत में हमारी जीभ है। हमारी सरकार दुनियाभर में अदभुत सरकार है, कमाल की यह सरकार है। लेकिन यह देश भी कमाल का है। हमारे यहां कहावत है कि "जस प्रजा, तस राजा"। लोकशाही में और कुछ तो नहीं बदला है, जस प्रजा, तस राजा, यह बन गया है। यानि कई भाषाएं, कई बोलियां और धर्म हैं, लेकिन हम इन बीमारियों पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं और कहते हैं कि अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है लेकिन हकीकत में नहीं है।

महोदय, अभी सुबह जब अटल जी बोल रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि किस तरह बीमारी बढ़ गई है। बीमारी तो हर देश में बढ़ती है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हजारों वर्ष से हम लोग बीमार हैं लेकिन बीमारी पर हम काबू नहीं कर पाए। आज इस सदन में गरीब किसान के बेटे भी हैं। हमें अफसोस है कि हम सच्चाई की बहस को धरती पर नहीं उतार पा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा था कि जब तक खेती में सुधार नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। 50 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने भी जहां खेत को पानी से जोड़ा है, जहां पानी से बिजली निकाली वहां *के खेत मजदूर की आमदनी, उसकी रोज की जो मजदूरी है वह आज पंजाब में 70-80 रुपए है। भिलाई-राउरकेला के कारखानों* में मजदूर की मजदूरी 15-20 रुपये है। वह भी उनको कुछ समय मिलती है और कुछ समय नहीं मिलती है। इस देश का जो गरीब आदमी है उसकी जिन्दगी कहां बदलती है, खेत में पानी ले जाने से बदलती है। गांवों में 70-75 फीसदी जो लोग रहते हैं अगर उनकी जिन्दगी नहीं उठेगी तो हिन्दुस्तान का बाजार नहीं उठेगा और जब बाजार नहीं उठेगा तो उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। हम हिन्दुस्तान में जहां पानी ले गए हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यू. पी. हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, जहां किसान नेता पैदा हुआ, आप समझ लेना कि वह पानी वाला इलाका है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए आंदोलन होता है और लोग गोली से मारे जाते हैं लेकिन यह काम बस्तर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप पहले मजबूत तो कर दो। पंजाब और हरियाणा में एट्रोसिटी क्यों नहीं हुई क्योंकि वहां पानी खेत में चला गया और यह पानी अंग्रेजों ने दिया था कांग्रेस पार्टी ने दिया तो विकास हुआ।

महोदय, मैं स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो को याद करना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजना में सब लोग कारखाने के पैसे ले गए, कांग्रेस पार्टी में स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो थे जो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का पैसा पानी के लिए ले गए। आज पंजाब की माली हालत ठीक है। आपको याद होगा कि इस देश में सबसे बड़ा संकट किस चीज का है, तेल का है। आप तेल 50 फीसद दे पाते हो। यह जो 12 रुपये का पानी पीने का है इसने ही संकट खड़ा किया हुआ है। इसका कोई लोकशाही इलाज हमारे पास नहीं है। हम इतने मजबूत भी नहीं हैं, हम इलाज भी करेंगे तो गिरा दिए जायेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जहां पानी गया वहां मुल्क बना है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी न हो जाए .... *(व्यवधान)* हम तीन बार गिर चुके हैं उस अनुभव का लाभ तो उठाएंगे ही। मैं निवेदन कर रहा था कि जहां पानी आया वहां बनिहार की जिंदगी बदल गयी जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि उसकी जिंदगी बदलनी

चाहिए। हमने इसी दिशा में अपना बजट बनाया है और इसी ओर आठ महीने में ध्यान दिया है। हमने अन्तर्राज्यीय परिषद का सम्मेलन किया और उसमें विकास परिषद को प्लॉनिंग कमीशन के साथ बुलाया। मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से हमारी सरकार चल रही है। हमने एक सात सूत्री कार्यक्रम बनाया है। बुनियादी तौर पर जिन बातों को मैं यहां कह रहा हूं उन्हीं का समावेश हमने उनमें किया है। हमने जो गरीब आदमी है जो गांव-देहात में रहता है और चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, जो मेहनत करता है उसके लिए पहली बार हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपया पानी पर खर्च किया है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा): राजस्थान को केवल 2 करोड़ रुपया ही पानी के लिए दिया है। कितनी बड़ी बेइंसाफी आपकी सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश जहां से नरसिंह राव जी हैं जिनका समर्थन आपको चहिये आपने 125 करोड़ रुपया पानी के लिए दिया है। जहां से प्रधान मंत्री जी आते हैं उस कर्नाटक को 95 करोड़ रुपया दिया है। तमिलनाडु को 98 करोड़ रुपया दिया है लेकिन राजस्थान को विरोधी सरकार होने के कारण केवल दो करोड़ रुपया ही दिया है। यह लज्जाजनक बात है। आपको शर्म आएगी कि कितनी पक्षपातपूर्ण यह सरकार है, कितना भेदभाव करने वाली यह सरकार है.... *(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं इनके गुस्से को वाजिब मानता हूं। मुझे अच्छा लगा कि जोशी जी पानी के लिए चिल्लाए तो सही, पहले तो ये केवल जय श्रीराम, जय श्रीराम ही... *(व्यवधान)*

वैध दाऊ दयाल जोशी : आपकी सरकार के पास 45 करोड़ रुपये की योजना आई पड़ी है लेकिन आपकी सरकार कोई चिंता नहीं करती।

श्री शरद यादव: मैंने तो आपकी चिंता का स्वागत किया है। दो करोड़ से इसको आगे बढ़ाएंगे।.... *(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : 900 करोड़ रुपया बांटा गया और हमें केवल उसमें से दो करोड़ ही मिला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, ऐसी टीका टिप्पणी न करें। सदस्य को उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: राजस्थान में जितने पानी के नाम हैं उतने शायद दुनिया में कहीं नहीं हैं। गंगा नगर में गंगा नहर चली गयी तो पूरे राजस्थान के अनाज का एक-तिहाई हिस्सा अकेले गंगा नगर में ही पैदा होता है। आपके मन में राजस्थान के लिए जो बातें हैं वह जब आपकी बारी आए तो अवश्य कहिए। आप अपने हक के लिए लड़िये क्योंकि राजस्थान पानी के मामले में जितना प्यासा है उनता प्यास भारत का कोई हिस्सा नहीं है। पानी के नाम भी जितने राजस्थान में है उतने दुनिया में कहीं नहीं है।

900 करोड़ रुपया हमने रखा। हो सकता है उसके विभाजन में जो परसैप्शन चाहिए वह न हो। हम कोशिश करेंगे वह परसैप्शन आए। यहां हमारी सरकार बैठी है, मंत्री जी बैठे हैं, वे सब बातें सुन रहे हैं। गांव के लोग जो कि 75 फीसदी हैं, वही बाजार के सबसे बड़े खरीददार हैं। उनकी जिन्दगी मजबूत होगी तो बाजार मजबूत होगा। अगर बाजार मजबूत होगा तो उद्योग धंधे ज्यादा खड़े होंगे। उद्योग धंधे ज्यादा खड़े होंगे तो रोजगार ज्यादा पैदा होंगे।

इंटर स्टेट कौंसिल जिस की कई वर्षों से बैठक नहीं हुई, हमने उसकी बैठक बुलायी। हमने प्लानिंग कमीशन से जल्दी पेपर तैयार करवाए, रपट बनायी और उस रपट की दिशा यह ध्यान में रख कर बनायी कि इस देश में मेहनत करने वाले लोगों को कैसे मजबूत किया जाए। गांवों में सड़क बनाने का, पानी और बिजली का उसमें इंतजाम किया गया। गरीब गिरिजनों की झोंपड़ी को पक्का करने का उसमें प्रावधान किया गया। 2216 करोड़ रुपये इन मदों पर खर्च करने का काम किया। इसका 75 फीसदी पैसा राज्य सरकारों को वितरीत हो चुका है। 25 फीसदी योजनाओं को देखने के बाद होगा। इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

आज गांवों में रोजगार नहीं है। हिन्दुस्तान के गांव उजड़ रहे हैं। इसलिए वहां काम नहीं है और लोग भूखों मर रहे हैं। आज शहर आबाद हो रहे हैं और उनका विस्तार हो रहा है। जहां लहलहाती फसल पैदा होती थी, वहां बड़े-बडे इलाके बन गए हैं। सारे गांव पेट में चले गए हैं और बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की ओर-छोर नहीं है। गांव के आदमी रोजगार के चक्कर में अपनी धरती छोड़ कर आए। कोई भी आदमी अपनी धरती मजबूरी में छोड़ता है। जो बेवतन हो जाते हैं, वे बेआबरू होकर बस जाते हैं। आज उनकी कोई चिन्ता नहीं करता। पहली बार 250 करोड़ रुपया उनके लिए रखा गया। यह कोई बड़ी धनराशि नहीं है। सड़क है, पानी है, बिजली है और आदमी की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मलिन बस्तियों की तरफ हमारी सरकार मे इसलिए ध्यान रखा कि हम जानते थे कि ये वह लोग हैं जो गांवों में बसे थे और अब यहां आकर बस गए हैं। वहां रोजगार और खेत सूख जाने

से वे अपने वतन को छोड़ कर यहां आकर बसे। नए उद्योग धंधे खोलने के बारे में भी इस सरकार का नजरिया साफ है। हमारी सरकार देश को स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना चाहती है। हमने पचास बरस की आजादी में एक काम जरूर यह किया कि हमने बुनियादी चीजों में आत्मनिर्भरता हासिल की। हम उस आत्मनिर्भरता को और मजबूत करना चाहते हैं। हम देश के स्वाभिमान को कुचलना नहीं चाहते। हमारे स्वाभिान को कोई कुचल न सके, हमने इसके लिए उद्योग नीति बनायी। पिछले आठ महीने में छः फीसदी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ और उपभोक्ता सामान का छः फीसदी हुआ। हमारा जो आधारभूत ढांचा है जैसे सड़क है, बिजली है, टेलीफोन है, हमने उस पर ज्यादा पैसा रखने का काम किया।

सभापति महोदय, हमारा लक्ष्य विकास दर को 7 फीसदी, औद्योगिक उत्पादन को 10 से 12 फीसदी तक, कृषि उत्पादन को दो-ढाई से चार फीसदी तक रखना है। हमारे देश में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी पूंजी पानी सम्पदा है। हमारा देश भाग्यशाली है कि विश्व के सभी देशों से अधिक वाटर रिसोर्सेज हैं। हमारे देश में हम लोगों ने जंगल बर्बाद कर दिये लेकिन इस देश में सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे धारदार नदी है और दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे यहां पर गंगा का हरा भरा मैदान है जहां पांच हजार रुपये में ही एक ट्यूवैल बन जाता है और पानी को लिफ्ट करके कुंआ बन जाता है। इसलिए कहूंगा कि पानी हमारी सबसे बड़ी सम्पदा है। हमारे देश में तेल की भारी कमी है और इसलिए हमने विदेशी पूंजी निवेशकों से कहा है कि यहां आकर इस काम में हमारी मदद करें और विदेशी वैज्ञानिकों को बुलाकर किसी भी कीमत पर तेल निकालने की सलाह ली जा रही है क्योंकि हमारे देश में ऑयल पूल का घाटा 15 हजार करोड़ रुपये का हो गया है।

सभापति महोदय, अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैटक में एक विशेष फैसला लिया गया कि हम सरकारिया कमीशन, संविधान की धारा 356 के संकटग्रस्त हैं। हम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से शिकार रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। बिजली विषय समवर्ती सूची में आता है, उसके लिए हमने एक फैसला लिया कि राज्य सरकारें 250 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती हैं। हमारे देश में जिस तरह से बिजली का संकट है और जिस तरह से हम बड़ी तेजी से औद्योगीकरण और ग्लोबलाईजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की जरूरत है और इसके अन्तर्गत हम गरीबों की जिन्दगी को कैसे खुशनुमा बनायें, कैसे हिन्दुस्तान को मजबूत बनायें, इन सब को पानी और बिजली से करना है। हमारे देश में कहीं बाढ़ आती है और कहीं सुखाड़ पड़ा हुआ है लेकिन हाईड्रो इलैक्ट्रिक बनेगी तो देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।

श्री एस. पी. जायसवाल: माननीय पीठासीन अधिकारी जी, मैं जानना चाहता हूं कि पिछली आठ महीने की सरकार कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा सकी है?

श्री शरद यादव: मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। तेल निकालने का काम मेरा नहीं। यह तो सरकार के जवाब से मालूम होगा, उससे निकलवाना आपका काम है।

सभापति जी, हमने 250 मैगावाट तक के लिए अधिकार सीधा सूबाई सरकारों को दिया है। वाटर रिसोर्सेज के बैटर मैनेजमेंट के लिए हमने प्रयास किया है। नदियों द्वारा बाढ़ से तबाही होती है, सूखे से तबाही होती है। इसको हम कैसे मैनेज करें? सुबह मैं एक प्रश्न सुन रहा था कि कैसे एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के बारे में एक प्रस्ताव था। हमारी पार्टी की एक आर्थिक-सामाजिक दिशा है। जो गरीब लोग समाज के एक विशेष हिस्से से आते हैं, जो लोग श्रम करते हैं, उनको भी शूद्र या अतिशूद्र कहा जाता है। इस देश में जो माइनारिटीज के लोग हैं, वे लोग ज्यादातर दस्तकारी के धंधे में हैं, चाहे बनारस में हों या मिर्जापुर में हों। लकड़ी का काम वे करते हैं। हिन्दुस्तान में खेत के बाद सबसे बड़ा उद्योग दस्तकारी है। राजस्थान में अकेले जितने पत्थर के कारीगर हैं, उतने मिलाकर सारी दुनिया में नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ा रोजगार हमारे देश में दस्तकारी है, चाहे वह किसी भी प्रकार की दस्तकारी हो। दुनिया के बाजार में विदेशों से हम जो पूंजी कमाते हैं, 30 फीसदी दस्तकारी से कमाते हैं। आज भी हमारी अंगुलियां बिकती हैं, हमारी दस्तकारी बिकती है। इस दस्तकरी को और इसके धंधे को मजबूत करना है। इसलिए जो स्वरोजगार योजना है, इसको दस्तकारी से जोड़कर इस देश में जो दूसरे नंबर का रोजगार है, उसे मजबूत करने का सरकार का इरादा है। मैंने आपसे कहा कि आर्थिक क्षेत्र में और फिर सामजिक क्षेत्र में जो अकलियत के भाई हैं, उनकी 90 फीसदी आबादी दस्तकारी के धंधे में है। वह आपसे रोजगार नहीं मांगते हैं, आपसे नौकरी मांगने नहीं जाते हैं। हजारों वर्ष हो गए। हिन्दुस्तान गुलाम नहीं होता यदि हमारी दस्तकारी में ताकत और शक्ति नहीं होती। महात्मा गांधी जी खुद दस्तकार बन गए थे और कबीर से बड़ा कवि दुनिया में नहीं हुआ, कबीर खुद दस्तकार थे। कबीर के साहित्य में दम इसलिए है कि उसने श्रम भी किया था और कविता भी लिखी थी। बाकी कवियों ने हजारों सालों से काम नहीं किया और केवल कविता लिखी है, इसलिए उनकी कविता में दम नहीं होता। ये जो तीन हिस्से हैं, बैकवर्ड क्लासज वित्त निगम, अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त निगम और माइनारिटीज वित्त

निगम, इनको बहुत ताकत से फाइनेंस किया जाए। सामाजिक तौर पर इनको बराबरी दी जाए लेकिन आर्थिक तौर पर इन वित्त निगमों को मजबूत करने और ताकतवर बनाने का हमारी सरकार का इरादा है और इस इरादे के पीछे कारण यह है कि हिन्दुस्तान में दो नंबर पर रोजगार यदि कहीं है तो वह इन्हीं लोगों के बीच में है। बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, अकलियत के लोग हैं वही सबसे ज्यादा दस्तकार हैं।

श्री एस. पी. जायसवाल: इस धन को बराबरी में बांटा है या इसमें भी पानी की तरह बेईमानी है?

श्री शरद यादव : जैसे आपकी आंख कमजोर है तो उस पर चश्मा लगाते हैं। इसी तरह से इसमें भी न्यायसंगत काम करना है। यानी जो दलित हैं, वह समाज का सबसे कमजोर तबका है। उनकी तरफ तथा माइनारिटीज की तरफ हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

श्री एस. पी. जायसवाल: जैसे पानी में आपने दो करोड़ और 90 करोड़ दक्षिण के प्रान्तों को दे दिया है। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, उनको तो नहीं काट दिया है?... *(व्यवधान)*

अपरान्ह 3.00 बजे

श्री शरद यादव: सरकार का जो दूसरा लक्ष्य है, वह बड़ा लक्ष्य है। इस देश का जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वह वायुसेना का हो, चाहे दूरसंचार सेवा का हो, चाहे सड़क सेवा का हो, चाहे रेल सेवा का हो, उनमें रेल और सड़क की दृष्टि से जो गरीब इलाके हैं, उनका विशेष ख्याल रखा गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उसका पैकेज हमने अलग बनाया, कश्मीर का पैकेज हमने अलग बनाया। जो सज्जन आज कश्मीर का मसला उठा रहे थे, वह वाजिब बात उठा रहे थे, मैं अपने कमरे में उन्हें सुन रहा था। कश्मीर में जो हालात बने हैं, उन हालात के चलते वहां की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ी है। बेकारी और बेरोजगारी ने इसको ताकत और मजबूती पहुंचायी है। कश्मीर हमारे राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। एक तरह से कश्मीर हमारे भारत का सिरमौर और जन्नत है। इसलिए यह कमजोर न रहे। कमजोर इलाकों में रेल, सड़कें और बिजली आदि बुनियादी चीजें पहुंचाने का काम हमने किया है। इसमें हमने ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेकर इन इलाकों का बोझ हलका करने का प्रयास किया है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो यह आर्थिक दशा थी। सामाजिक दशा में सामाजिक विषमता, जातिभेद इस देश का बहुत बड़ा रोग हैं। इन रोगों से निजात पाने के लिए हमारे राष्ट्र ने 50 सालों में बहुत तरह से काम किया है और इस प्रयास को कैसे मजबूत किया जाए। उसमें फाइनेंशियल असिस्टेन्स उनको दिया जाता है। कमजोर तबकों का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। इस देश में आज बहस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 50 साल में जिस चीज ने इस देश को सबसे ज्यादा खाया है, वह देश की गाढ़ी कमाई के पैसे को, सम्पत्ति को बिचौलियों ने भ्रष्टाचार के जरिये खाया है।

अपरान्ह 3.03 बजे

(श्री नीतीश कुमार *पीठासीन* हुए)

मैंने जो 50 लाख लोग आपसे कहे जो 12 रुपये की बोतल का पानी पीते हैं, ऐसे लोगों ने इस देश को बहुत तरह से लूटने का काम किया है। यह सदन है, इस सदन ने ऐसे भ्रष्टाचार को उखाड़ने में किसी तरह से कमी नहीं की है। सभापति महोदय, आप तो पिछली सदन में थे, पिछले पांच साल में चाहे वह सिक्युरिटी स्कैम हो, चाहे वह 20 हजार का था, 25 हजार का था, उसका ठीक-ठाक हिसाब लोगों को नहीं मालूम है। शूगर स्कैम था, यूरिया स्कैम था या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मामला जंग या संग्राम इसके पहले भी इस सर्वोच्च सदन में हुआ है। मैं एक बात और कहूंगा कि इस देश की जनता में जो मजबूती आई है वह लोकशाही, लोकतंत्र के चलते आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग या संग्राम हो, लेकिन इस संग्राम में, इस लड़ाई में राजनीति के जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, वे बलि के बकरे हैं।

उस संग्राम में, जिनका कोई दोष नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, वे पिस जाएं बड़े पैमाने पर, अगर गेहूं के साथ घुन पिस जाए तो समझ में आ सकत है लेकिन धुन ही गेहूं बन जाए – ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में नीर-झीर जैसा न्याय हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसीलिए लोकपाल विधेयक हम लाना चाहते हैं। प्रधान मंत्री से लेकर सदन में मौजूद सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि सब तरह के लोग इससे पीड़ित हैं। यदि इस देश को कुछ बिचौलियों ने न लूटा होता तो हमारा देश पता नहीं कहां पहुंच गया होता। वह लूट अब बंद होनी चाहिए, उस लूट की उग्र घटनी चाहिए। इसीलिए हम लोग लोकपाल विधेयक इस बार लाना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी तो उसे भी लाएंगे क्योंकि आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार को मिटाना है जिसको लेकर आज सारे देश में बहस जारी है। उस बहस को मैं बुरा नहीं मानता हूं, ऐसी बहस होनी चाहिए। इस देश को कुछ गुनहगारों ने, कुछ बिचौलियों ने बहुत लूटा है, जिसको लेकर आज सारी दुनिया में मारा-मारी चल रही है। यहां एक बाजार है। यदि एक ब्रिटेन, एक फ्रांस और आधा

जर्मनी जोड़ दें तो उससे भी बड़ा बाजार यहां है। जितने मजबूत लोग वहां रहते हैं, उतनी ही बड़ी आबादी इस देश के भीतर है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ लोग बहुत मजबूत हुए हैं और इतना बड़ा बाजार बन गया, जिसको लेकर इतनी मारा-मारी यहां हुई। अभी यहां कहा गया कि गुड्स को फ्री कर दो।

मैं इस देश की सरकार की तरफ से एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां हम पूरी दुनिया में इसकी अगुवाई करें, सामान के बारे में कहा जा रह है कि सामान को खुला आने-जाने दो लेकिन हमारे लोगों को भी अपना श्रम बेचने का जन्म-सिद्ध अधिकार है, उसकी आवाजाही पर रोक क्यों है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां गरीब लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए भी बोर्डर-फ्री कर दो, वीसा फ्री कर दो, फिर खुले बाजार के लिए कोई खतरा नहीं होगा।

सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि इन सारी चीजों को मिलाकर देश को मजबूत बनाने की आज जरूरत है। मजबूत बनाने के काम में जो गड़बड़ भ्रष्टाचार के जरिए, बिचौलिओं के जरिए अब तक हुई है, वे अपेक्षाकृत इस देश में ज्यादा मजबूत हुए हैं, काफी बढ़े हैं और वे आज राजनीति को, सारे तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं।

हमारे देश में व्यवस्था को चलाने के लिए तीन संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन्स हैं लेकिन भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जहां हम लोकपाल विधेयक को यहां पास करें, इसके लिए अगर हमें विशेष सत्र बुलाने की जरूरत हो तो विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए और उसके सामने पूरे हिन्दुस्तान भर का एक्स-रे हम प्रस्तुत करें ताकि हमारे देश में जो बीमारी फैली है, उसका सही अहसास लोगों को हो सके। इस सबंध में, मैं आपके जरिए एक सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस सदन के सभी लोगों को वह मान्य होगा। मेरा सुझाव है कि भ्रष्टाचार पर कारगर बहस करने के लिए, जब इस देश को चलाने का काम तीन इंस्टीट्यूशन्स करती हैं - विधायिका, एक्जीक्यूटिव एण्ड न्याय-पालिका - इस देश में एक कमीशन बनाया जाए, जिसका काम जांच-पड़ताल करना नहीं हो बल्कि वह एक सर्वे कमीशन बने। हमारे देश में जितने कैपिटल टाउन्स हैं, उसमें तीनों वाक्स ऑफ लाइफ के जितने लोग रहते हैं, चाहे वे ज्यूडशियरी के हों, डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक, उन सब का विगत 25 सालों का हिसाब देखा जाए, एम. एल. ए., एम. पी., मिनिस्टर्स एण्ड गजेटिड ऑफिसर्स के पिछले 25 सालों के हिसाब का सर्वे किया जाए... *(व्यवधान)* जो व्यवस्था चल रही है, मैं उनके नाम ले रहा हूं, लायर्स ने इस व्यवस्था को नहीं चलाया... *(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं कि जितने गजेटिड आफिसर्स, आई.ए.एस., आई.पी.एस., पब्लिक सैक्टर के ऑफिसर भी उसमें शामिल हैं, देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में - लखनऊ, पटना, भोपल, जयपुर, दिल्ली आदि में रहने वाले ऐसे सभी लोगों के मकानों का जरा सर्वे हो जाना चाहिए, सम्पत्ति का नहीं।

सभापति महोदय, चल सम्पत्ति का नहीं, सिर्फ मकानों का, अचल सम्पत्ति का, सर्वे कराएं और किसी तरह की इन्क्वायरी न करें, उनकी जांच करके सजा देने का कम न करें, सिर्फ सर्वे कर लें और सर्वे की रिपोर्ट सदन में लाएं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जैसे बीमार आदमी की बीमारी का पता लगाने के लिए उसके शरीर का एक्स-रे करना पड़ता है, तब बीमारी का पता चलता है, उसी प्रकार से समाज की आज क्या अवस्था है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या कर रही है, इसका एक एक्स-रे आपके सामने आ जाएगा और इसे सभा पटल पर रखे जाने से जनता के सामने यह बात आएगी कि इस देश को चलाने वाले लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तब जाकर आपका लोकपाल विधेयक कारगर होगा, नहीं तो नहीं होगा।

हम तो राजनीति के लोग हैं। हम मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में बोलेंगे, मुलायम सिंह जी के बारे में बोल देंगे। यानी हमारे यहां तो पारदर्शिता है और हमें पांच वर्ष के बाद जनता के बीच में भी जाना और जवाब देना है। हमारे लिए तो चांस है। इस देश में लोकपाल बिल भी लाया जाए और दस दिन का सत्र इसके लिए बुलाया जाए और बहस की जाए, तब आपका यह लोकपाल विधेयक सार्थक होगा।

सभापति जी, 25 साल से मैंने देखा है, यह हमारी जगह नहीं है, आज भी जो लोग हैं, उनमें से 70 से 80 फीसदी लोग इस राष्ट्र में रहते हैं इसमें जितना अनुभव है, रिक्शा वाले, तांगे वाले, खेत वाले और खलिहान वाले जो लोग हैं, जो वोट देते हैं, उनका राज है, छोटे लोगों का राज है। यदि आज देश में वोट का राज नहीं होता, तो कर्पूरी ठाकुर जैसा गरीब आदमी, जो झोंपड़ी में पैदा हुआ वह इस देश में कभी भी किसी प्रदेश का दो बार मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस देश में आज भी लोकशाही का राज है। आज गरीब उठ रहा है, जाग रहा है। जो लोग कभी वोट नहीं देते थे, वे लोग कहीं इस लोकशाही को कुचलकर खड़े न हो जाएं।

सभापति जी, मैं नहीं कहता हूं कि हम गुनेहगार नहीं हैं, हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जिन गरीबों को हजारों वर्षों से अपना हक नहीं मिला है और अब हम दे रहे हैं, तो कहीं उनका हक न मारा जाए और कहीं वे गरीब ऐसा काम न कर दें कि इस देश की लोकशाही खतरे में पड़ जाए। इसलिए फैसला होना चाहिए। इस पर बहस के बाद रास्ता निकाला जाना चाहिए। फैसला

होना चाहिए कि नया समाज कैसे बने, नई शिक्षा क्या हो। इस देश का नया समाज बनाने के लिए आदमियों को कैसे और कैसी शिक्षा दी जाए। दस दिनों की बहस के बाद यह भी तय होना चाहिए।

सभापति जी, इस देश में जो सबसे कमजोर सरकार होती है, वह सबसे बढ़िया सरकार होती है। वह सबसे बढ़िया काम करती है। आपको मालूम है कि इंदिरा जी की सरकार जब सबसे कमजोर हुई, तो उन्होंने प्रिवीपर्स समाप्त कर दिए, बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया और भी अनेक सुधार किए।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद): लेकिन उन्होंने इमर्जेंसी भी लगाई थी।

श्री शरद यादव : इमर्जेंसी तब लगाई थी जब उनकी सरकार मजबूत थी। इस देश में कमजोर सरकार रहेगी, तो गरीब जनता का बहुत बड़ा लाभ होगा। हमसे कोई ज्यादा खतरा नहीं है, जब आप चाहेंगे हमें पटक लेंगे। हमको अपने राज का जो नशा है वह बहुत कम है। 545 आदमियों में से हमारे 45 आदमी हैं और हम अगुवाई कर रहे हैं, हम राज कर रहे हैं, इस वास्तविकता को हम जानते हैं। हम अपनी हैसियत को जानते हैं। हमें अच्छा काम करना है इसलिए कि हमें अपनी हैसियत को बनाना है। परमार्थ और स्वार्थ दोनों साथ चलते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: चलिए, आपको परमार्थ की याद तो आई।

श्री शरद यादव: जब आप जैसे व्यक्ति यहां उपस्थित हैं, तो याद आना स्वाभाविक है। मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल विधेयक इस सदन में जरूर पेश होना चाहिए और सबको उसे पास करना चाहिए। इस सदन में पिछले 50 वर्षों से इस पर बहस हो रही है। यहां पर बहुत लोग बैठे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है, बहुत संग्राम किया है, बहुत बोले हैं, बहुत बहस की है। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। जो गुनाहगार है, वह साफ बच जाता है। वह सदन से भी बच जाता है। मैं यकीनन कहता हूँ कि अदालतों में जो केस चल रहे हैं, वह बहुत लम्बा काम है। जो बोफोर्स है, वह दस साल में अभी भी अंडा है। अभी भी मुर्गी नहीं बना है... *(व्यवधान)* आपने ठीक बात कही। बेशर्म तो बेशर्म हैं। लोकशाही में यदि लोक शर्म न हो तो आपका लोकतंत्र नहीं चल सकता। ... *(व्यवधान)* लोकराज तभी रहता है जब लोक-लाज हो। लेकिन अपने-अपने मन में झांक लें कि कौन बेशर्म है और कौन शर्मदार है। ... *(व्यवधान)*

सभापतिजी, अंत में मैं कुछ बातों को और साफ करना चाहता हूं। इस सदन में विदेश नीति पर बहुत चर्चा होती है लेकिन यह जो बहस है वह कारगर और मजबूत तब होगी जब इस पर अमल हो। हम पाकिस्तान से एक आध बार जीत जाते होंगे लेकिन जब हमने चीन के साथ आंख-वांख दिखाई तो हमारी अपनी आंख बहुत खराब हो गयी। जिस देश में, जिस राष्ट्र में अपने भीतर मजबूती नहीं होती, ताकत नहीं होती, जो देश अपने भीतर 32 फीसदी लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए अभिशप्त करती है उस देश की विदेश नीति दुनिया में मानी नहीं जाती। उसकी इज्जत हैसियत और ताकत नहीं रह जाती। आज अमरीका दुनिया में थानेदारी कर रहा है। उसके और यूरोप के मेल से दुनिया में एक नयी चीज चली हुई है। हम जब से आये हैं, हमारा राज आठ महीने का है। हमने अपनी कमजोरियों को पहचाना है। हमने अपनी कमजोरियों का अहसास किया है। हमारी विदेश नीति मजबूत और ताकतवर नहीं है। उसका कारण यह है कि भारत राष्ट्र के भीतर जो काम करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, मिट्टी, खेत, खलिहान तोड़ने वाले लोग हैं, दौलत बनाने वाले लोग हैं, उनकी इज्जत, उनकी हैसियत, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्तर मजबूत नहीं है। इसके लिए हमने काम किया है।

दूसरा, जो प्रयास हो सकता है कि आस पास के जो मुल्क हैं उनके साथ हमारी दोस्ती मजबूत हो। 25 साल से हमारा बंगलादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर झंझट था। सबसे ज्यादा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार में तबाही मचाती हैं, वे सब नदियां नेपाल से आती हैं। इतना बड़ा विध्वंस वहां होता है। सभापति जी, आप तो बिहार के हैं। आपको मालूम है कि सारी की सारी नदियां नेपाल से आकर बिहार में तबाही मचाती हैं। उन नदियों से हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि दो हिन्दुस्तान को बिजली बनाकर दी जा सकती है। हमने जो नदियों के ऊपर महाकाली संधि की है, वह आगे आने वाले समय में इस राष्ट्र के लिए लाभदायक होगी। इस देश का जो वाटर रिसोर्सिस है, जो पानी की शक्ति है, उस शक्ति का यदि ठीक से संभाल करना है तो नेपाल के साथ, सब दुनिया के साथ जो भी रिश्ता हो लेकिन नेपाल के साथ भारत राष्ट्र का रिश्ता मजबूत करने पर वह सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे सच्चा रिश्ता है। यह राष्ट्र कभी मजबूत बनेगा तो नेपाल भारत के मेल से बनेगा। हमने उस शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। 50 बरस में हमने दुनिया भर में भीख मांगने का काम किया लेकिन अपने पास जो दौलत थी उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि यदि 21 शताब्दी में कोई महायुद्ध हुआ तो वह पानी पर होगा। पानी का संकट सबसे बड़ा संकट होगा। सबसे बड़ी

पूंजी, सबसे बड़ी ताकत पानी बनने वाला है। हिन्दुस्तान की धरती, भारत मां ने हमको इस शानदार पानी से भरपूर करके ताकत दी है। आज पाकिस्तान के अंदर नया चुनाव हुआ। उस चुनाव में यह मुद्दा भी नहीं था लेकिन वहां के प्रधान मंत्री माननीय शरीफ साहब ने इसको मुद्दा बनाया कि हम भारत के साथ रिश्ता ठीक करेंगे।

वहां भी कश्मीर में चुनाव हुए थे। लेकिन दुनियाभर के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान औकुपाइड कश्मीर में चुनाव अन्यायपूर्ण हुए हैं, न्यायसंगत नहीं हुए। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वे बातचीत करेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। इस देश का पाकिस्तान के साथ मेल होना, इस देश को मजबूत करने में, इस देश की गरीबी, भूख, बेकारी, लाचारी, बेबसी, गुरबत की बेड़ियों को तोड़ने में यदि सब से पहला और मजबूत कदम कोई हो सकता है तो वह नेपाल के साथ दोस्ती और पाकिस्तान के साथ मेल के चलते हो सकता है। उन्होंने जो बात कही है, उसे हम शिमला समझौते के दायरे में करने को तैयार हैं। उनके साथ हेल-मेल करने को तैयार हैं। युद्ध के सामान पर इधर या उधर बड़े पैमाने पर खर्च होता है। आज सुरक्षा का बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर पर भी है और उनके सिर पर भी है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, जो लोकशाही में दो-तिहाई बहुमत से जीतकर आए हैं, ने जो इच्छा व्यक्त की है, भारत उसका स्वागत करता है, संयुक्त मोर्चे की सरकार उसका स्वागत करती है। मजबूती से कही हुई बात को धरती पर उतारने का काम करना चाहिए। इसे हकीकत में बदलना चाहिए।

सी.टी.बी.टी. के मामले में इस देश की जनता, इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों की शक्ति को लेकर हमने पूरी दुनिया में स्वाभिमान के साथ खड़े होने का काम किया है। इसमें हमारा योगदान नहीं था बल्कि देश के करोड़ों लोगों और सारी पार्टियों का योगदान था जिसके चलते हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम सुरक्षा परिषद से बाहर हो गए लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम सुरक्षा परिषद में जाएंगे तो मान-सम्मान से सीना तानकर जाएंगे। हमने सी.टी.बी.टी. के सामने कभी भी घुटने टेकने का काम नहीं किया और यह एक बड़ी उपलब्धि थी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह चौधरी चरण सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री जयप्रकाश नारायण और डा. राम मनोहर लोहिया के सपनों और अरमानों का भारत है। महात्मा जी कहते थे कि भारत गांव से पहचाना जाता है। हमारी पार्टी का संकल्प है कि यदि भारत राष्ट्र को मजबूत करना है तो पहले इस देश के गांव को मजबूत करना होगा। इस देश के गांव को मजबूत करना है तो 70 फीसदी आदमी के रोजगार और धंधे को मजबूत करना होगा। इस देश के दस्तकार को मजबूत करना है तो 12 फीसदी हिन्दुस्तान के स्व-रोजगार में लगे हुए लोगों को मजबूत करना होगा। इन ताकतों को मजबूत करने से ही स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता आ सकती है। संयुक्त मोर्चे की अगुवाई करने वाले नेता श्री एच. डी. देवेगौड़ा की इच्छा गांव को मजबूत करने की है क्योंकि वे गांव के आदमी हैं। लोग उनका इस बात पर भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन श्री चंद्र शेखर के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पोषाक नहीं बदली। तिरंगा फहराया तब भी नहीं बदली। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपनी पोषाक नहीं बदली थी। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और स्वाभिमान बनाए रखा। श्री देवेगौड़ा बड़े अर्थशास्त्री नहीं हैं लेकिन उन्हें देहात का अनुभव जरूर है। इस सरकार की आठ महीने की दिशा और लक्ष्य आपके सामने हैं और आने वाले बजट में भी मैं आपसे यकीन के साथ कहना चाहता हूं, कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसी बात और इसी दिशा का बोध होता है और इसीलिए मैं आपसे, समय लम्बा हो गया, अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, एक बात को कहकर कि हिन्दुस्तान कई तरह के मामले में आगे गया है, हम आत्मनिर्भरता के कई क्षेत्रों में बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं। लेकिन हमारी मजबूती बेकार हो जाती है, उसका सारा जो हमारा यश है, जो हमारी उपलब्धि है, वह सब निरस्त हो जाता है, जब हम गरीबी, भूख और असमानता के आताल और पाताल को देखते हैं तो हमारी सारी चीजें, हमारा सारा चेहरा बिगड़ जाता है।

इस सरकार का, इस राज का, संयुक्त मोर्चा सरकार का एक ही लक्ष्य है, भारत राष्ट्र के कमजोर लोगों को मजबूत करना। इस देश की जो सुरक्षा है, इस सुरक्षा के मामला में हमारी सरकार सजग है, चाहे वह आंतरिक सिक्योरिटी हो और चाहे विदेश के साथ हमारी मजबूती हो। सुरक्षा के माले में संयुक्त मोर्चा सरकार किसी तरह से इस भारत राष्ट्र की रक्षा करने के मामले में कटौती नहीं करेगी, हम पेट काटकर भी भारत राष्ट्र की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए सजग है और इस देश में नया भारत बने, नया समाज बने, इस दिशा में भी प्रयास हो सकता है। हो सकता है, हम सफल हो सकते हैं, हो सकता है हम असफल हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार की नीति भी ठीक है और नेता भी धरती, जमीन, गांव और देहात का है।

उस रोज माननीय सदस्य जोशी जी कह रहे थे कि आप सोते हैं जो जरा आंख भी खोलिए, देखिये भी और कान भी खुले रखिये, आपने ठीक बात कही। आदमी पूरी तरह से सचेत नहीं होगा, आपने तो आंख और कान की बात कही, मैं तो यह कहता हूं कि चाहे हृदय हो और शरीर का हर हिस्सा हो, ऐसा ही भारत राष्ट्र है, इसी तरह भारत राष्ट्र है, इसमें हाथ कमजोर, पैर कमजोर, आंख और कान मजबूत से बात नहीं चलेगी, यदि पूरी तरह से सब चीज मजबूत होंगी, जैसे जोशी जी की मजबूत हैं, तभी जाकर

कश्मीर में झंडा फहराया, लेकिन फौज के घेरे में, लेकिन हमने कश्मीर में बगैर फौज के झंडा इस बार फहरवा दिया और उन्हीं के लोगों से फहरवा दिया।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अन्दर जो वोट का परसेंटेज है, उससे जाहिर होता है। दुनिया में पाकिस्तान वोम नहीं मचा पाया, कह नहीं पाया कि यहां गड़बड़ हुई है। इतनी तो हमारी बात मानो, इस बात को भी नहीं मानोगे? मैं कह रहा हूं कि पंजाब में 70 फीसदी वोट गिरा है। ... *(व्यवधान)* सुन लो। आज सरदार बेअन्त सिंह नहीं हैं और बादल साहब भी नहीं हैं। बादल साहब आपके साथ अभी गये, हम तो बीस साल से साथ में हैं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): फिर क्यों छोड़ गये?

श्री शरद यादव: बात यह है कि जब उनके सामने कालनेमि आ गया तो क्या करें, बहकाकर ले गया। पंजाब के चुनाव में 70 फीसदी वोट गिरा।

श्री सत्य पाल जैन: जहां प्रधान मंत्री जी गये थे, वहां आपके केंडीडेट की जमानत जब्त हो गई।

श्री शरद यादव: जरूर। हमने कहा कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): कश्मीर के चुनाव के बाद जो मुस्लिम फैमिलीज ने भी वहां से माइग्रेट करना शुरू कर दिया है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। चुनाव के बाद जो हालत वहां पर होनी शुरू हो गई है, जरा उसका भी कहीं जिक्र करो।

श्री शरद यादव: जरूर। पंजाब में मैं स्वर्गीय बेअन्त सिंह को याद जरूर करना चाहूंगा। बहुत लोग आज जीत गये हैं, लेकिन जब वहां संग्राम मचा हुआ था, तो हमारी पार्टी की जमानत जरूर जब्त हुई है, लेकिन चौधरी बलबीर सिंह धरती छोड़कर नहीं भागे थे, पंजाब छोड़कर नहीं गये थे, वहां शहीद हो गये थे। यह जो लैफ्ट पार्टी के लोग है, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के लोग नहीं थे, उन्होंने भी जमीन और धरती नहीं छोड़ी थी, पंजाब नहीं छोड़ा था, मरना कबूल किया था, लेकिन कुछ लोग बाहर गये हुये थे।

मैंने कहा था कि जाति-बिरादरी पर ठीक बहस नहीं होती, यह बीमारी है, इसका हम सब लोग लाभ भी लेते हैं, लेकिन इस बीमारी से निजात नहीं पाना चाहते। यह हमको खाती भी है, यह हमको बर्बाद भी करती है, लेकिन यह ऐसी चिपक गई है कि हम इसका कोई रास्ता नहीं निकालते। स्वर्गीय बेअन्त सिंह वह आदमी था कि जिसने यह परिस्थिति पैदा की, जिस दिन पिछली बार जीता था, तो 12-13 फीसदी वोट से जीता था और उसने अपनी कुरबानी देकर 70 फीसदी लोगों को निर्भय बना दिया, आजाद कर दिया।

मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि राष्ट्र को बनाने का कोई कदम होगा, जोशी जी, बहुत दिल से और बहुत तबियत से उस बात को चुभाएंगे नहीं, बल्कि उस इन्सान को भी गले लगाने का काम करेंगे। आज स्वर्गीय बेअन्त सिंह इस सदन में नहीं हैं, इस देश में नहीं है, वे शहीद हो गये, लेकिन आज उन्होंने यह परिस्थिति पैदा की है, जिसके चलते आपको भी बहुत सी सीटें मिली हैं, आज 70 फीसदी लोग वोट डाल सके हैं। उसने ही यह कुरबानी की है।

संयुक्त मोर्चा की सरकार गरीब, देहात, मजदूर, किसान की सरकार है, फर्टीलाइजर का मैं जिक्र नहीं कर सका, सब तरह की मजबूती उसको कैसे मिले, यह सरकार का, राज का काम है और यह राज यदि बना रहा तो हम भारत राष्ट्र को मजबूत करेंगे, दौलत बनाने वाले को मजबूत करने का काम करेंगे और उसी से भारत राष्ट्र मजबूत होगा। हम शान से यहां आये हैं, कमजोर जरूर हैं, लेकिन शान से वापस जाएंगे, शान से ही राज करेंगे, गरीब के हक में करेंगे, गरीब के बाजू में खड़े रहेंगे, भले हमको कोई एक दिन का समर्थन दे, दो दिन का समर्थन दे। लोग कहते हैं कि हमारी डेली वेजिज की सरकार है, लेकिन हम शान से गरीब के बाजू में खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. एस. वी. चित्थन (डिंडीगुल): सभापति महोदय, तमिल मनिला कांग्रेस (मूपनार) पार्टी की ओर से, मैं माननीय श्री शरद यादव के प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करता हूं।

श्रीमान्, हमारी पार्टी का आदर्श वाक्य शक्तिशाली भारत और समृद्ध तमिलनाडु है। यह नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है, भारत के इस महान सपूत ने गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। वास्तव में वह इस शताब्दी के नायक हैं और वह साहस और देशभक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष के लिए हिन्द सेना का गठन किया था। राष्ट्र उनकी स्मृति में सर झुकाता है।

महोदय, यह हमारी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयन्ती वर्ष भी है। हमारे देश के इतिहास में विगत पाँच दशक एक अत्यधिक महत्व की कालावधि रहे हैं। भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर

बना। उद्योग के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए। हम हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। फिर भी, हमारे लगभग 400 मिलियन लोग अशिक्षित हैं। हमारे पचास प्रतिशत लोग गरीब हैं और 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। एक लाख सत्तर हजार गाँवों में पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है; हमारे देश के 80 प्रतिशत छात्र आठवीं कक्षा तक पहुँचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

महोदय, संयुक्त मोर्चे का गठन ऐसे समय हुआ था, 1996 के चुनावों के बाद इस महत्वपूर्ण अवधि में हुआ था। इस चुनाव ने एक धर्म निरपेक्ष, उदार और लोकतांत्रिक मिली जुली सरकार के गठन के लिए स्पष्ट आदेश दिया था और संयुक्त मोर्चा भारत की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे राजनीतिक इतिहास के घटना क्रम में पहली बार अधिक संख्या में क्षेत्रीय पार्टियां मंत्रिमंडल में शामिल हुई।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विचार किए गए अनुसार, संयुक्त मोर्चा सरकार केन्द्र में एक स्थायी सरकार को देने के लिए प्रतिवद्ध है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण इस बात को स्पष्टत: इंगित करता है कि एक लोकतांत्रिक संघीय राजनीति में मिली जुली सरकार स्थायी हो सकती है। इसे मैं संयुक्त मोर्चा सरकार की उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानता हूँ। मुझे यह कहते हुए गर्व व प्रसन्नता होती है कि इस सरकार ने पिछले आठ महीनों में, पद-भार सम्भालने के पश्चात राष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि आम चुनावों के बाद जब तेरह भिन्न-भिन्न पार्टियां अपनी विचारधाराओं के साथ संयुक्त मोर्चा में सरकार बनाने के लिए संगठित हुई और इसे बिना किसी बड़ी समस्या के चलाया। मैं ग्रीक लोकोक्ति को दोहराना चाहूँगा कि यह विरोधी सिद्धान्तों का सुसंगत सम्मिश्रण है। चाहे शासन तंत्र चलाना हो या प्रमुख विदेश नीति और अन्य मुद्दों से निपटना हो राजनीतिक स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है। वस्तुत: हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी भ्रान्तियों को गलत सिद्ध कर दिया हैं। दूसरी ओर, उन्होंने यह साबित कर दिया कि मिली जुली सरकारें कार्य कर सकती हैं और लोगों की भलाई का कार्य कर सकती हैं चाहे जो भी सीमाएँ हों।

महोदय यह समझने का समय आ गया है कि देश एक मिली जुली सरकारों के युग में पहुंच चुका है और बेहतर यह होगा कि हम इसके साथ जीने के लिए तैयार हो जाएँ। क्योंकि सस्कार मिली जुली है इसलिए इसकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। स्थायित्व का दूसरा आधार, मेरे विचार से यह है कि पिछले आठ महीनों में कानून और व्यवस्था की प्रमुख समस्या या ऐसी कोई समस्या नहीं थी। कुछ घटनाओं को छोड़कर, कुल मिलाकर, देश में शांति रही। क्या यह महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है? किसी सरकार का पावन कार्य अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है। हमने उनमें विश्वास की भावना भरी और यह भी कारण है कि जिससे देश में शांति का समय है।

महोदय इस सरकार की एक और उपलब्धि जम्मू और कश्मीर और पंजाब में सफलतापूर्वक चुनाव कराना है। कई वर्षों के पश्चात् जम्मू और कश्मीर में अब एक निर्वाचित सरकार प्रशासन का कार्य सम्भाल रही है। मैं स्थायित्व के बारे में कई अन्य बातों का उल्लेख कर सकता हूँ परन्तु मैं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आना चाहता हूं।

महोदय, हमारी सरकार का धर्म ग्रन्थ न्यूनतम साझा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मैं समझता हूँ कि अब तक की गई प्रमुख पहल हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा आज इस पवित्र सदन में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधी कीमत पर अनाज की आपूर्ति करने की घोषणा करना है। इसके अंतर्गत हमारी जनसंख्या का 32 प्रतिशत शामिल है। इसे मैं इस प्रकार से कहता हूं - यह मानव-इतिहास में किसी भी देश द्वारा किया गया सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए हमारा उद्देश्य गरीबों और भूखों के चेहरों पर मुस्कान देखना है। एक "विनम्र किसान", जो प्रधान मंत्री के रूप में देश को चला रहा है, द्वारा की जाने वाली यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है।

महोदय, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है सुनिश्चित रोजगार योजना और मध्यान्ह भोजन स्कीम, जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री कामराज जी द्वारा तमिलनाडु में शुरू की गई थी, अप्रैल, 1997 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी। गरीबों और भूखों को खिलाना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। यह सरकार इन्हीं आदर्शों के प्रति वचनबद्ध है। इस सरकार द्वारा आठ महीनों के इतने कम समय में की जाने वाली ये उपलब्धियां है।

500 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह को प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा और सभी के लिए आवश्यक प्राथमिक शिक्षा का समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्ययोजना इसी सदी के अंत तक अगले तीन वर्षों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सभी सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करती है।

हमारा विचार है कि कम से कम जब हम अगली शताब्दी में प्रवेश करेंगे तो हमारे सभी लोगों को मौलिक न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जो हम आजादी के पचास वर्षों में नहीं कर सके उसे यह सरकार युद्ध-स्तर पर लागू करना चाहती है। इसके लिए, गरीबी कम करने के लिए किया जाने वाला परिव्यय नवीं

पंचवर्षीय योजना में दोगुना कर दिया जाएगा। चालू योजना में 30,000 करोड़ रुपये के आवंटन को 60,000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। यह लाभ अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुँचेगा।

साधारण न्यूनतम कार्यक्रम की एक अन्य प्रमुख वचनबद्धता सामाजिक न्याय की गारंटी देना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली राशि पर्याप्त रूप से बढ़ी है। इसके अलावा, संयुक्त मोर्चा सरकार महिलाओं के लिए संसद और विधान मंडल दोनों की सदस्यता में एक तिहाई आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए भी वचनबद्ध है। मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। सरकार ने अपने वादे के अनुसार एक विधेयक पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे दलगत नीति से ऊपर उठकर एक होकर इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करना सुनिश्चित करें।

भारत विश्व में दलितों के हितों का रक्षक रहा है। हम जातिवाद, उपनिवेशवाद, राजतंत्र इत्यादि के खिलाफ लड़े। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे। मेरी यह इच्छा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के नाते महिलाओं के हितों के लिए लड़ते हुए भारत एक बार फिर विश्व को नेतृत्व प्रदान करे। महिलाओं के लिए संसद और विधान सभाओं में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करके हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि विश्व के आंकड़े देखें तो निचले सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12 प्रतिशत और ऊपरी सदन में 9.8 है। उदाहरण के लिए एशिया को ही ले लें दोनों सदनों को मिलाकर महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 13.1 प्रतिशत है जबकि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 7.2 प्रतिशत है। हमारे माननीय नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करके मार्ग प्रशस्त किया। हमें उसी भावना को कायम रखना है और महिलाओं को संसद और विधान सभा में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के उनके सपने को साकार करना है।

अब मैं विदेश नीति की बात करता हूं। हमारे राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का एक नया युग स्थापित किया है। हमारी सरकार ने बंगलादेश के साथ गंगा जल के दीर्घावधि बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समस्या कई दशकों तक हमारे सामने आती रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा और बंगला देश की प्रधान मंत्री बंग बंधु मुजीबुर रहमान की पुत्री श्रीमती शेख हसीना ने एक कलम की एक ही चोट से लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान कर दिया। अब इन दो राष्ट्रों के बीच सद्भावना का वातावरण है। मैं समझता हूँ कि यह 1971 की लड़ाई में हमारे जवानों और अधिकारियों द्वारा किये गये बलिदान और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, के सपनें की पूर्ति है।

जब गंगा जल को दो देशों के बीच बाँटना संभव है तो कावेरी जल को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बांटना क्यों नहीं? श्री जी. के. मूपनार, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि और प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जैसे हमारे नेता हैं। जब ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण है तो कावेरी जल विवाद को सही ढंग से निपटाने का यही सही समय है। इससे तमिलनाडु के लोगों को काफी हद तक तथा तत्पश्चात पूरे देश को मदद मिलेगी।

महोदय भारत-नेपाल संबंधों को भी महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से एक नया आयाम मिला। इससे द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, विशेषकर विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं खुलेंगी। भारत को विद्युत की आवश्यकता है और नेपाल के पास विद्युत उत्पादन के लिए जल संसाधन है। यदि ये दोनों देश सहयोग करते हैं तो दोनों देशों में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में किए उल्लेखानुसार सरकार की विदेश नीति की सफलता में मील का पत्थर चीनी राष्ट्रपति श्री जियांग जेमिन की हमारे देश में यात्रा है। हम निश्चित रूप से चीनी देश भक्त देंग जिआओ पेंग की कमी अनुभव कर रहे हैं जिनका हाल ही में देहान्त हो गया है। मुझे हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी और दिवंगत चीनी नेता के बीच हुई बैठक का स्मरण है। जिसने दोनों देशों के संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया था और चीन के साथ 1961 की लड़ाई से पैदा हुई कटुता को समाप्त किया। इसी लड़ाई के कारण एशिया की रोशनी श्री जवाहर लाल नेहरू और श्री चाऊ एन लाई द्वरा शुरू की गई पंचशील की नीति को धक्का लगा। परन्तु मुझे बहुत खुशी है और इस बात का गर्व है कि इस सरकार ने नई पहल की है और चीन के साथ विश्वास मजबूत करने के उपायों के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सेना में कमी करने में मदद मिलती है तो हमारा देश काफी खर्च बचा सकता है और इस राशि को कल्याण कार्यों पर लगाया जा सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की काफी गुंजाइश है। पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री, श्री नवाज शरीफ ने जल्दी ही बातचीत शुरू करने के सकारात्मक संकेत दिये हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री के नाम अपने संदेश में हमारी सहमति के बारे में बताया है। इसलिए, ऐसा लगता है कि दो देशों के बीच वार्ता

आरम्भ होने में बस कुछ समय लगेगा। निश्चय ही यह सरकार की विदेश-नीति के संबंध में एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए, अब हमारे पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध है।

इस सरकार ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में व्यापार प्रतिबंध हटाने के लिए "सार्क" के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल्द ही 'सार्क' में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। यहां तक कि विपक्ष के नेता ने भी हमारी वायु सेना के लिए रूसी विमान खरीदने पर बधाई दी थी। इस सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली व्यावहारिक विदेश नीति से अच्छा लाभांश मिल रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था अब अधिक प्रगति की राह पर आ गई है। आंकलन से यह पता चलता है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कम से कम सात प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। हमारे प्रधान मंत्री जी की दावोस यात्रा और विश्व व्यापार मंच पर उनकी बातचीत से विदेशी निवेश को एक नई प्रेरणा मिली है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आवश्यक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिकतम निवेश किये जा रहे हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत ने आवश्यक बुनियादी ढांचा के लिए संसाधनों का उपयोग करने में न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 28 अक्तूबर, 1996 को इस समस्या का सामना करने के लिए एक नई पहल की गई है। आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किए बिना विकास कायम नहीं रह सकता। भारत की आवश्यक बुनियादी ढांचा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अभी समय लगेगा और सरकार ने सही रास्ता अपनाया है और इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए नई आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास वित्त कंपनी गठित की गई है।

मुद्रा-स्फीति की दर अभी भी एक अंक तक सीमित है। इस समय हमारे पास 19.5 मिलियन अमरीकी डालर का पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए आर्थिक सुधार जारी है। इस सरकार ने निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा किया है। हाल ही में सरकार ने बिजली के पारेषण में निजी निवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है। पत्तनों के विकास के लिए भी निजी निवेश आकर्षित करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है।

जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उल्लेख किया गया है, सबसे बड़ा चिन्ता का विषय तो बढ़ता हुआ तेल पूल घाटा है जो कि 15,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस समस्या के निवारण का एकमात्र ढंग यही है कि चालू घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये जाएँ और तेल की खोज और अन्वेषण के कार्य में और अधिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। सार्वजनिक जीवन को एक और गंभीर समस्या भी ग्रसित कर रही है। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। यदि सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठ और ईमानदारी को बनाए नहीं रखा जायेगा तो लोकतंत्र का आधार ही ढह जायेगा। कुछ लालची राजनीतिज्ञों के कारण सार्वजनिक जीवन में सभी को सन्देह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमें इस दृष्टिकोण को बदलना होगा।

संयुक्त मोर्चा सरकार के आठ महीने के शासनकाल के दौरान किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं ही उस दिन कहा था कि यदि भ्रष्टाचार के पर्याप्त आसेप किसी भी मंत्री के विरुद्ध होंगे, तो वह उसे अपने मंत्रिमंडल से निकाल देंगे। इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार ने लोक सभा में पहले ही लोकपाल विधेयक पेश कर रखा है। इसी सत्र में इस विधेयक को पारित करने के लिए प्रधान मंत्री महोदय स्वयं बहुत उत्सुक हैं। इससे भ्रष्टाचार की बुराई को प्रभावशाली ढंग से हटाने में सहायता मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सबके लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। चुनाव सुधारों के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जा रहा है।

यह तथ्य इस ओर संकेत करते हैं कि इस सरकार से अपनी वचनबद्धता को प्रभावशाली ढंग से, परन्तु शोर मचाए बिना, पूरा किया है। हम जानते हैं कि केवल नारेबाजी से देश की समस्याएं हल नहीं हो सकती। चाहे सरकार एक बंधी हुई रस्सी पर चल रही है तथापि अपने स्थापित्व को बनाए रखने का सामर्थ्य उसने बना लिया है।

मुख्य विपक्षी दल बी. जे. पी. तथा उसके नेताओं की गतिविधियों का एक ही बिन्दु है। जिस दिन से सरकार ने सत्ता सम्भाली है वह दिन रात यही कहते आ रहे हैं कि बंधी रस्सी पर चलने वाली यह सरकार किसी भी क्षण गिर जायेगी। मैं उनका दु:ख समझ सकता हूँ क्योंकि उनकी अपनी सरकार ताश के पत्तों की भान्ति तेरह दिन के अन्दर ही गिर गई थी। अत: वह यह कहते आ रहे हैं कि सरकार अस्थिर है... *(व्यवधान)*

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्र गढ़): सभापति महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जायें, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

कर्नल राव राम सिंह : यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है। मैं माननीय सदस्य श्री एम. एस. वी. चित्थन से कहना चाहूँगा कि प्राय: चर्चा के दौरान भाषण पढ़े नहीं जाते .. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: माननीय सदस्य को यदि अपना भाषण पढ़ना है तो उन्हें सभापति जी से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। नियम तो यही है .... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे लगता है माननीय सदस्य लिखित अंशों से सहायता ले रहे हैं।

श्री एम. एस. वी. चित्तयन: सरकार न केवल स्थिर है अपितु यह संयुक्त सरकार चलाने की कला पर कुशलता भी प्राप्त कर रही है। अस्थिरता केवल बी.जे.पी. के सदस्यों के दिमागों में है। वह किसी मुख्य मुद्दे पर सरकार का विरोध नहीं कर पाये हैं... *(व्यवधान)* चिल्लाने और कार्यवाही में बाधा डालने से कुछ नहीं होगा। फिर भी यदि वह यह काम जारी रखना चाहते हैं तो यह उन पर निर्भर करता है। परन्तु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम भूखों को अनाज, गरीबों को कपड़ा और बेघरों को छत दिलाने में अपने कार्य पर अडिग रहेंगे। किसी भी प्रकार के व्यवधान हमें अपने-अपने उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य करने से नहीं रोक सकते। संयुक्त मोर्चा सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी के दु:ख दूर करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी यही बात झलकती है।

अत: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 20 फरवरी 1997 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"

सभापति महोदय: सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों में से, जिन सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित किये गये हैं, वे यदि अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो सभापति महोदय को 15 मिनट के अन्दर-अन्दर अपने संशोधनों के क्रमांकों की पर्चियां भेज दें। केवल उन्हीं संशोधनों के प्रस्ताव स्वीकृत होंगे।

जिन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा उनके क्रमांकों की सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पटल पर लगा दी जायेगी यदि किसी सदस्य को इसमें कोई गल्ती मिले तो वह पीठासीन अधिकारी को बिना विलम्ब इसकी सूचना दे।

डा. मुरली मनोहर जोशी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : मैंने बहुत ध्यानपूर्वक महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले दोनों वक्ताओं के वक्तव्यों को सुना।

मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ा। मेरी दृष्टि में यह एक रूप, रस और गंध विहीन आलेख है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई स्वाद नहीं है और भारत के किसी व्यक्ति को कोई आशा की किरण प्रदान नहीं करता।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): पिछली बार का बहुत अच्छा था ... *(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह बहुत अच्छा था। अगर आप समाचार पत्रों की टिप्पणियां पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रीत्व काल में जो अभिभाषण पढ़ा गया, वह इसकी तुलना में कई गुना अच्छा था। मेरे पास समाचार पत्रों की कटिंग हैं जिस में इसका उल्लेख है। अगर आपकी दृष्टि और मानस विकृत है तो मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं है। यह एक दिशाहीन दस्तावेज है।

सामान्य तौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और आने वाले वर्षों में शुरू किये जाने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। वह संसद और देश को अवगत कराने वाला एक दस्तावेज होता है। लेकिन इसमें अगले वर्ष के लिए कोई नए कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है। पिछले आठ महीनों में क्या किया गया, इसकी भी सूची दी गई। यह सब को मालूम है कि पिछले आठ महीने में क्या हुआ, किस तरह देश गड्ढे में चला गया, किस तरह तेजी से सर्वनाश की ओर चला गया। देश की आर्थिक स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ी और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह बिगड़ती जा रही है, उसे सब जानते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): सरकार नहीं जानती है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सरकार बहुत सी चीजें नहीं जानती। वह सोती रहती है। उसे जगाना है... *(व्यवधान)* हम तो

जगा रहे थे। हम चाहेंगे कि आप जगाने में हमारा साथ दें। अगर अंडमान और निकोबार से ढोल बजाएंगे तो वह चेन्नई से बंगलौर पहुंच जाएगा। आप कुछ बजाइए। ... *(व्यवधान)* हम तो शुरू से कह रहे हैं बशर्ते आपके कान में आवाज पहुंचे। आप उसे नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने अपने कान में रूई डाल रखी है। आप उसे थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए और संभलने की कोशिश कीजिए। बहुत उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिल थाम कर सुनिए। जो आपके क्रियाकलाप रहे हैं, उन्हें आप दिल थाम कर सुनिए, समझिए और गुणिए, फिर बोलिए। यह दिशाहीन दस्तावेज है। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मेरी दृष्टि में शायद भारत के संसदीय जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पंक्ति अंतिम क्षण में काट दी गई। मैं उसके लिए संतोष महोन देव जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री संतोष महोन देव (सिल्चर): प्रूफ रीडर ने उसे छोड़ दिया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जो कुछ भी है, वह आपके दबाव का परिणाम दिखायी देता है। कमजोर सरकार की वकालत करने वाले हमारे मित्र चले गए। यह कमजोर सरकार की कारस्तानियां हैं। पंक्तियां जो पढ़ी नहीं गईं, वे इसमें हैं।

[अनुवाद]

अतीत में इन चुनौतियों का सामना करने में हमारी असमर्थता ही हमारी असफलता का कारण थी।

[हिन्दी]

यह काट दिया गया। इसका अर्थ यह है कि आपके कार्यकाल को यह फेल्यिर समझते थे। आप इनका समर्थन कर रहे हैं। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण की दिशा है जो कि इसमें साफ हो रही है। आप उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो आपके कार्यकाल को फेल्यिर मानती है। हमारी असमर्थता थी कि हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सके। जो इस देश के सामने असफलताएं, विफलताएं हुई हैं, उन्हें बचा नहीं सके। आप इनका समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप पिछले पांच साल तक विफल रहे या पिछले आठ महीने में यह विफल रहे। शायद दोनों विफल लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। मैं कम से कम यह जरूर आशा रखूंगा कि आप इस बात को सोचिए कि यह कैसा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और क्या बातें हो रही हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस प्रकार से वस्तु स्थिति को सामने रखना चाहता है और कैसे उसको काट दिया गया। यह एक सामान्य बात है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का दस्तावेज होता है। इसको देखने के बाद इसमें इस साल के कार्यक्रम नजर नहीं आते। सरकार क्या करना चाहती है? हमने पिछले साल यह किया था, हमारे बाबा ने यह किया था, हमारे पिताजी ने यह किया था।

आप क्या करना चाहते हैं? आपने आठ महीने पहले कुछ किया होगा लेकिन इस साल क्या करना चाहते हैं तो इस साल के लिये कुछ नये कार्यक्रम तो बतायें। आपने इसका कहीं जिक्र नहीं किया है।

अपराह्न 4.00 बजे

(श्रीमती रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*)

श्री संतोष मोहन देव: पी. डी. एस. में किया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आगे चलकर बताता हूं कि पी. डी. एस. क्या है। सवाल यह उठता है कि जब राष्ट्रपति का भाषण लिखा गया तो उसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद् ने किया होगा और कैबिनेट ने ध्यानपूर्वक पढ़ा भी होगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास भेजा होगा। मैं फिर इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि यह लाईन काट देनी पड़ी? किसके दबाव में काटी गयी। क्या विश्व व्यापार संगठन का दबाव था, या संतोष महोन देव का दबाव था या यह कहां से ऐलान हुआ कि यह लाईन काट देनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा सारा भाषण पढ़ने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजने के बाद और फिर छप जाने के बाद इस तरह का संशोधन किया जाता है। इससे इस सरकार के काम करने का तरीका जाहिर होता है कि यह सरकार कैसे काम कर रही है। आज यह बात कहेंगे, कल उसे काट दिया जायेगा, एक आदमी एक बात कहेगा, कल दूसरा उसे काट देगा। यही बात आपके मंत्रियों के बयानों में हो रही है। रोज हम देख रहे हैं कि आज एक मंत्री वक्तव्य देता है, कल दूसरा मंत्री उसके विरोध में वक्तव्य देकर उसकी बात काट देता है। गृह मंत्री आज कुछ कहते हैं, सरकार उसको मानती नहीं है। गृहमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन अपायंटमेंट में अपायंटमेंट जारी करते हैं तो फिर उसके बाद मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं नहीं जानता कि आज दोपहर को उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा कि :

[अनुवाद]

यह विनाश, अव्यवस्था, सर्वनाश की ओर अग्रसर हो रहा है।

[हिन्दी]

अब अगर यह पूरी कैबिनेट का मंतव्य है या नहीं या इसमें भी बाद में संशोधन करेंगे या यह कहा जायेगा कि जो आपने दोपहर में बयान दिया था उसमें से तीन-चार शब्द निकाल दीजिए

या उसके काट दीजिए, क्या ऐसा होगा? अगर उत्तर प्रदेश वाकई अराजकता, अव्यवस्था और सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका उल्लेख फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्यों नहीं है? मैं देखता रहा हूं कि गृह मंत्री जी इतनी तीव्रता से अनुभव कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं तो फिर इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। वहां पर जिस तरह से हालात हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं, जिस प्रकार से विकास कार्य ठप्प पड़े हुये हैं, हमीरपुर में जिस तरह से बी.जे.पी. के एक परिवार के पांच लोगों को जान से मार दिया गया या श्री द्विवेदी की हत्या की गयी या पंडित को जान से मार दिया गया या अन्य जो राजनैतिक नेताओं की हत्यायें हो रही हैं, उस दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कहा गया है, क्या कार्यक्रम लिये जायेंगे या क्या उपाय अपनाये जायेंगे? मैं इन तमाम ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों पर चर्चा होगी, तब बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात है? राष्ट्रपति महोदय स्वयं और यह सरकार आज उत्तर प्रदेश के शासन के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी को सरकार किस तरह से निभाना चाहती है, वहां पर सरकार कब तक बनेगी, इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। वहां पर विकास कार्य कैसे होंगे, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बिल्कुल रसातल में चली गयी है, इसका सुधार कैसे करेंगे? मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और यहां के कई मंत्री वहां के छात्र रह चुके हैं। हमारे सामने मंत्री जी बैठे हैं, वे उस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वहां के उप-कुलपति की अपायंटमेंट को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है।

श्री संतोष मोहन देव: मुलायम सिंह यादव के डर से।

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्री मुलायम सिंह तो उस विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं रहे, यह सौभाग्य श्री वी. पी. सिंह को प्राप्त हुआ था, वे तो मेरी कक्षा के छात्र रहे हैं। श्री जैनेश्वर मिश्र वहां के छात्र रहे हैं और श्री चन्द्र शेखर जी उसके छात्र रहे हैं। श्री अर्जुन सिंह, श्री नारायण दत्त तिवारी वहां के छात्र हैं। अच्छा हो एक बार आप जाईये। अगर वहां आ जायेंगे तो आपको फुटबाल खिलायेंगे, अच्छा पढ़वायेंगे। तो मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट ने वह अपायंटमेंट क्वैश कर दिया। उनको उप-कुलपति किस योग्यता पर बनाया गया? वे एक पुराने मंत्री जी के ज्योतिषी और वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री के ज्योतिषी रहे हैं। अब राज्यपाल महोदय उनके स्थान पर दूसरे उप-कुलपति को नहीं भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें कहीं से आदेश आ जाये और उसको वापस लगा दें। यह विश्वविद्यालय की स्थिति है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में सवेरे बोला जा रहा है। वहां भी बंद है। बनारस विश्वविद्यालय की यही स्थिति है। आपने उत्तर प्रदेश की क्या हालत बनाई है?

इस सारे उल्लेख में कहीं पर भी उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारने का कोई जिक्र नहीं है। 15 करोड़ व्यक्ति भारत की जनसंख्या के 1/6 भाग हैं और जहां हिन्दुस्तान के गरीबों की बहुत बड़ी संख्या रहती है। आ गए हमारे गरीबों के हमदर्द और दोस्त। भाई! इन गरीबों का कुछ उल्लेख तो करते। यह जो गरीब उत्तर प्रदेश है, इसकी तरफ आपका ध्यान है या सिर्फ बिहार में ही आपको गरीब नजर आते हैं जो चारा-घोटाला में हजारों करोड़ों रुपये में लिप्त हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में जो बिहार के चारा घोटाला के संबंध में जिक्र है, उस पर राष्ट्रपति महोदय ने एक शब्द नहीं कहा कि आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? यह कैसा दस्तावेज है? देश को सुधारने की इसमें एक भी बात नहीं की जा रही है। जिन गरीबों की बात आप कर रहे हैं, मुझे इसमें गरीब शब्द का उल्लेख तक नहीं मिला। कौन से गरीब? वह, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में डेढ़ करोड़ रुपये साल की तनख्वाह ले रहे हैं, वह गरीब हैं? आपकी सारी नीतियां उनके समर्थन में हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे गरीबों का हाल आप कर रहे हैं और कैसे आपने इस देश में गरीबी को बढ़ाया है? यह पहली बार हुआ है कि इस देश की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि कम से कम 33 करोड़ आदमी यहां गरीबी रेखा से नीचे हैं। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो उसकी आबादी क्या थी – 33 करोड़। उसमें सारे गरीब नहीं थे। उसमें कुछ गरीब थे, कुछ दरम्याना था और कुछ अमीर थे। लेकिन आपने सबको गरीबी की सीमा रेखा के नीचे धकेल दिया। इसलिए आप उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री शरद यादव: मैने यह बात कही थी, उस समय आप भी हमारे साथ थे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपने बहुत अच्छा किया, अगर ऐसा कहा। लेकिन आप देश को गरीबी में ढकेलने वालों का समर्थन क्यों ले रहे हैं? कहो कि तुमने 50 साल तक देश में गरीबी रखी। क्यों देश को गरीबी की तरफ ढकेलने वालों के कंधों का सहारा आप लेना चाहते हैं? इनको कहो कि तुमने देश को गरीबी की सीमारेखा की तरफ ढकेला है और पूरे हिन्दुस्तान को गरीब बना दिया है। अगर गरीबों के हमदर्द हो तो इनको कहो *(व्यवधान)* हमारी बात छोड़िये। आप अपने गिरेबान में झांककर देखो, अपनी बात कहो। आप गरीबों के हमदर्द हैं।

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का क्या हाल है? हिन्दुस्तान के गेहूं बोने वाले किसानों का क्या हाल है? क्या भाव आप उनको गेहूं का दे रहे हैं? सरकार ने किसानों को अभी तक

कौन सा लाभकारी मूल्य दिया है? अगर किसानों के फायदे की बात कहीं की गई है तो पंजाब में, जहां अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां किसानों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने की बात कही गई है। आपने क्या किया है? आप क्या किसानों को देना चाहते हैं? आपने छोटे और गरीब किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है और आपने किसानों को उसकी फसल का दाम ठीक मिले, उस बारे में भी नहीं कहा है। लाभकारी दाम उनको मिले, इस प्रकार की बात नहीं कही है।

श्री शरद यादव: अभी ऐसा कर दिया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो इसका जिक्र नहीं किया है। जिक्र यह हो रहा है कि इस अभिभाषण में, जिसके समर्थन में आप दो घंटे तक भाषण करते रहे, गरीबों का उल्लेख कहां है, किस पेज पर है और किस पंक्ति में है?

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : पंक्तियों के बीच पढ़िए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह खाली हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह तो खाली है।

अगर पंक्तियों के बीच में पढ़ता हूं तो वे सफेद दिखाई देती हैं। वहां कुछ नहीं दिखता है। आपने छोटे और सीमान्त किसानों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा है। इसमें दलितों पर और विशेषकर दलित महिलाओं पर होने वले अत्याचारों का कोई जिक्र नहीं है कि सरकार उनको कैसे रोकेगी। ... *(व्यवधान)* आपकी बात मैं सुन चुका हूं। दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम करने का इसमें कहीं कोई उपाय दिया गया है? आज सवेरे मैंने बताया था कि किस तरह से अकेले जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए हैं। मैं सारे देश के आंकड़े दे सकता हूं। बिहार में क्या हो रहा है, वह भी मैं बता सकता हूं। कर्नाटक में क्या हो रहा है वह भी बता सकता हूं। आप इस बात को गौर से देखिए कि आपकी सरकार जो गरीबों की हमदर्द बनती है, सामाजिक न्याय का बड़ा ढोल पीटती है। ... *(व्यवधान)* वह भी मैं बताऊंगा। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस मामले में क्या उपाय बरते हैं। इसका कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है।

आपने बड़ी सफाई से लिख दिया कि एक बिल सरकार ने इस संसद के पटल पर रखा है। संसद में आपने रख दिया, मगर आपकी नीति क्या है। आप 33 परसेंट रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी सरकार तीन परसेंट भी देना चाहती है या नहीं। मुझे तो लगता है कि जिस ढंग से आपने इसमें लिखा है कि आप महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन देने के विरुद्ध हैं और अगर आप इसके हक में है और 33 परसेंट देना चाहते हैं तो इसमें क्यों नहीं लिखा गया और आपने क्यों नहीं कहा कि हम 33 परसेंट देंगे। प्रधान मंत्री आयें और कहें कि हम 33 परसेंट देने के लिए तैयार हैं। आप शिर्फ दिग्भ्रमित करने वाला दस्तावेज रखते हैं, जिसका कोई सिर-पैर नहीं है, जिसमें कुछ भी पता नहीं लगता है कि आप तीतर हैं या बटेर हैं या क्या हैं और किधर जाना चाहते हैं। इसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं है, या आधे तीतर हैं या आधे बटेर हैं यह तो आप फैसला करिये। मैं आपको बार-बार बता रहा था कि यह अभिभाषण बहुत ही रूप, रस और गंधविहीन है। इसमें साक्षात निराकार ब्रह्म हैं, इसमें साकार ब्रह्म के दर्शन नहीं होते हैं। कुछ पता नहीं लगता है। यह तो एक बिल्कुल निर्विकार इनविजीबल ब्रह्म इसमें दिखायी देता है, लेकिन साकार कुछ नहीं है। राजनीति साकार ब्रह्म की उपासना है, निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं है। लेकिन आप यह निराकार ब्रह्म क्यों दिखा रहे हैं। अगर देना है कोई बात करनी है तो साफ-साफ बात करिए, साकार बात करिये, कुछ कंक्रीट बात करिए।

अब आप देखिये त्रिपुरा में क्या हो रहा है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे त्रिपुरा के दोस्त बैठे हैं, ये त्रिपुरा के नजदीक सिल्चर में रहते हैं। आपको इसका समर्थन करना है, आप इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं संतोष मोहन देव जी आपसे पूछ रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : आप अभी हमारे भाषण सुनिए... *(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह देखिये पकड़े गये। त्रिपुरा में जिस तरह का अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से सारी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के आलोक में आप इस सरकार का समर्थन करेंगे और इस अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपसे मेरा सीधा सवाल है। त्रिपुरा में लोग मारे जा रहे हैं, मगर आपकी सरकार इस हत्याकांड को कैसे रोकेगी। आसाम के अंदर क्या हो रहा है? इस बोड़ो समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। सारे उत्तरी पूर्वांचल के अंदर भारी मात्रा में घुसपैठ है, इनसर्जेन्सी है, उसका उल्लेख नहीं है। वहां सारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। वहां आई.एस.आई. के अड्डे बने हुए हैं। वहां तरह-तरह के तमाम

हथियार मिल रहे हैं। वहां पर लोगों के पास ए. के. 47 मिल रही हैं, विदेशों से आये हुए हथियार वहां मिल रहे हैं। उसको आप कैसे रोकेंगे। आपने कह दिया कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। यह तो हम रोज सुनते चले आ रहे हैं। यह कौन सी नई बात आपने कह दी। आप मुझे माफ कीजिए किसी ऐसे चार पांव और बिना सींग और पूंछ वाले एक जानवर को वहां बैठा देंगे, तो वह भी कहेगा कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। लेकिन देश की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? अभी पाकिस्तान से जहाज आये थे और आपके यहां चक्कर लगाकर चले गये और आपके राडार उनको देख नहीं पाये, आप केवल अभ्यास करते रहे, आप देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, आपने इसमें कहीं आश्वासन दिया है कि पुरुलिया की तरह दूसरी घटना नहीं होगी। क्या आपने नेवी के सेवानिवृत्त चीफ का भाषण पढ़ा था, उन्होंने जो नेवी की हालत बताई है, उसके बारे में आपने कोई आश्वासन दिया है कि आप नौसेना, वायुसेना और थलसेना को इस तरह से मजबूत करेंगे। आपने बड़े जोर से कहा कि हम इन्हें मजबूत करेंगे। आप क्या मजबूत करेंगे, क्या आप हथियार खरीदेंगे, क्या आप एटम बम बनायेंगे?

श्री संतोष मोहन देव : क्या, एटम बम।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी हां, एटम बम, और मैं तो हाइड्रोजन बम के भी हक में हूं।

श्री संतोष मोहन देव : ठीक है, इनको चलाइये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम चलायेंगे नहीं, इनको बनायेंगे। आप देश की क्या सुरक्षा करेंगे। पिछले बजट में हमने देखा, उसका 75 से 80 प्रतिशत तो सिर्फ तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन अलग है। तो आप कैसे देश की सुरक्षा करेंगे। क्या आप कोस्टल गार्ड बनायेंगे, देश में इतनी स्मगलिंग हो रही है, उसको आप कैसे रोकेंगे। आपने कह दिया कि हम रोकेंगे, यह तो अच्छा है, लेकिन इस अभिभाषण में कदमों और चरणों का उल्लेख होता है कि हम इस पर यह करेंगे और हमारी सरकार अगली बार इतने सीमा क्षेत्र में बाड़ बना देगी। यह उल्लेख हुआ करता है कि हम सामरिक दृष्टि से यह-यह हथियार खरीदेंगे। इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आप खाली करायेंगें, क्या आपने इसमें कहीं कहा है?

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इसके लिए रिजोल्यूशन है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : संसद का रिजोल्यूशन है, लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं और अभी जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं कि वह पाक को सौंप दो और आपका एक घटक कहता है कि पाक ऑकुपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दो। वे भी आपके संयुक्त मोर्चे के एक सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यह समाचार पत्रों में लिखा है, "सब मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है - गौड़ा।"

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, हमें कुछ तो बताइए। आप कश्मीर की एक-एक इंच भूमि भारत में रखना चाहते हैं या नहीं। अभी बाहर के एक राजनयिक ने यहां आकर कह दिया कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत को अपना दावा छोड़ देना चाहिए - ऐसा कहने वाले वे कौन हैं। आपने उसके बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में क्यों नहीं कहा कि आज जो विदेशी और पश्चिमी राष्ट्र दादा बने घूम रहे हैं, वे भारत की सम्प्रभुता के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, हम उसका विरोध करते हैं। इसमें इसका जिक्र कहां है कि आप कैसे देश की सुरक्षा करेंगे?

प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि कश्मीर में कुछ माइनर एडजस्टमैंट हो सकता है - क्या सियाचिन ग्लेशियर को आप दे देंगे या पाक-औक्यूपाइड कश्मीर को दे देंगे-क्या एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं। आपने बड़ी तेजी से कह दिया कि हम देश की सुरक्षा करेंगे लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप किसकी सुरक्षा करेंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे। क्या आप चीन से अपनी भूमि वापस लेने की बात करेंगे? देश के किस हिस्से को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। इस तरह की थोथी बातें, रूप, रस, गंध-विहीन बातें कहने का कोई मतलब नहीं है? यादव जी, आप तो स्वयं इंजीनियर हैं, आपने अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही, लेकिन उससे पहले हमें कोई स्ट्रक्चर भी तो दिखाओ, कोई ढांचा तो दिखाओ-खाली बातें कहने से काम नहीं चलता। साफ बात होनी चाहिए कि कहां आप क्या करना चाहते हैं।

मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पूरा पढ़ा है और आपके वक्तव्य को भी गौर से सुना लेकिन उसमें सिवाय थोथेपन के, हौलोनैस के, शब्दाडम्बर के कुछ नहीं है... *(व्यवधान)* आप देखिए कि आज बिहार में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्या है, किस तरह वहां घोटाले हो रहे हैं, किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है-उसका इस अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं आया।

अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का शताब्दी वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका कहीं उल्लेख नहीं। पता नहीं आपकी सरकार को मालूम है या नहीं कि इस देश में दो बड़े महाकवि भी हुए हैं-सूर्य कान्त

त्रिपाठी 'निराला' तथा रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी। आपकी सरकार को पता नहीं कि ऐसी दो महान विभूतियां भी इस देश में हुई हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए ... *(व्यवधान)* आपके पड़ोसी और आपके समर्थक भी ऐसा कह रहे हैं। हमें पता नहीं कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के शताब्दी वर्ष में देश भर में आप क्या करना चाहते हैं, क्या सेना भवन का नाम बदलकर नेताजी भवन रखेंगे, क्या मिलिटरी एकाडेमी का नाम बदलकर नेताजी एकाडेमी रखेंगे, क्या आप विश्व-विद्यालयों में, डिफैंस स्टडीज में नेताजी चेयर बनाएंगे, क्या इंटरनेशनल स्टडीज में नेताजी चेयर बनाएंगे? उसी तरह देश भर में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और फिराक गोरखपुरी का साहित्य लोग पढ़ सकें, इस दिशा में आप क्या कदम उठायेंगे। ऐसा लगता है कि आपको साहित्य और संगीत से कोई मतलब नहीं है। आप गरीबों के मसीहा अपने आपको कहते हैं लेकिन ये दोनों कवि भी गरीबों के मसीहा थे। सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' की कविताएं इस देश के गरीबों के दर्द को प्रतिध्वनित करती है। पता नहीं आप किन गरीबों की बात करते हैं, कौन से गरीब आपकी निगाह में हैं-क्या आपकी बगल में बैठने वाले सोमनाथ चटर्जी साहब गरीब हैं या इधर संतोष महोन देव जी गरीब हैं। आप किनके हमदर्द हैं। मुझे तो दूर-दूर तक कोई गरीब नजर नहीं आता, जिसके प्रति आप हमदर्दी रखते हैं। फिर आपकी सरकार की दिशा क्या है, आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): क्या मैं एक बात जोड़ सकता हूँ? कलकत्ता हवाई अड्डे का नामकरण नेताजी हवाई अड्डा रखने के बाद भी उन्होंने ठीक से नेता जी का जन्मदिन नहीं मनाया।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप देख लीजिए, आपके समर्थक ऐसा बोल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का शताब्दी वर्ष है लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। कुछ तो जिक्र होना चाहिए था, कोई उल्लेख तो आपको करना चाहिए था।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप देश की उन महान विभूतियों को, महा-पुरुषों को भूल गए जिन्होंने इस देश को बनाया, संवारा और देश के प्रति कुरबानी दी। वैसे तो आप कहते हैं कि जिन्होंने देश के प्रति कुरबानी दी, उनसे हमें प्यार है, उनका आप बड़ा आदर करते हैं, उनके प्रति आपके दिल में बड़ी इज्जत है लेकिन नेताजी के प्रति आपके हृदय में कितना प्यार है, आदर है, इज्जत है, वह हम देख रहे हैं। इस देश में कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, जो सही मायनों में इस देश का प्रतिनिधित्व करते रहे, जो अपने जीवन-काल में प्रारम्भ से लेकर अंत तक देश के प्रति समर्पित रहे, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया, उनके नाम का उल्लेख तक इस अभिभाषण में करना आपने ठीक नहीं समझा-फिर आप कैसे कहते हैं कि यह नेताजी का शताब्दी वर्ष है।

सभापति महोदया, जैसा मैने कहा यह अभिभाषण बिल्कुल दिशाहीन, स्वादहीन, रंगहीन और खोखला है। मुझे दया आती है महामहिम राष्ट्रपति जी के ऊपर कि ऐसी सरकार के द्वारा लिखे गये अभिभाषण को पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। यह इस देश के साथ, इस देश की संसदीय गरिमा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इससे पहले जब भी मैं संसद में रहा हूं मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। आप तो 25 वर्ष रहे हैं। मुझे तो यह अवसर नहीं मिला कि मैं 25 वर्ष तक संसद सदस्य रहा होता। अब आपने गरीबी का जिक्र किया, फिर आपने जिक्र किया कश्मीर का। मैंने आपके इस सारे अभिभाषण को ध्यान से पढ़ा है। इसमें कहीं भी कश्मीर से उजाड़े गए तमाम बंधुओं को वहां बसाने के लिए सरकार कुछ करेगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि आप उनको कैसे वापस करेंगे?

अभी चमन लाल जी ने बताया कि कश्मीर के जो तमाम मुसलमान भाई और बहन इस देश को अपना देश मानते हैं, इस भारत माता को अपनी भारत माता मानते हैं और इस कश्मीर को हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग मानते हैं, उनको आपके इस चुनाव के बाद जिसको आप अपनी बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं, निकाला जा रहा है। वे इस देश में आएंगे, जम्मू में आएंगे। पहले भी निकाला जा रहा था और अब भी भगाया जा रहा है। उनकी रक्षा कैसे करेंगे, इसमें कहीं नहीं लिखा है। जो पहले निकाले गए हैं उनको बसाने की बात तो आप बाद में कीजिए, पहले जो वहां से फ्रैश एक्सोडस हो रहा है, इसको कैसे रोकेंगें, इस बारे में इस अभिभाषण में कुछ भी नहीं है।

सभापति महोदया, आज कश्मीर की हालत क्या है। आप समझ रहे थे कि आग ठंडी हो गई है, लेकिन वह आग ठंडी नहीं हुई बल्कि नीचे-नीचे सुलग रही थी और अब भड़कने की तैयारी कर रही है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कश्मीर के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि कश्मीर के बारे में सरकार की नीति क्या है। क्या मायनर एडजस्टमेंट करने की नीति है? यदि है, तो वह क्या है? वहां कौन रहेगा? क्योंकि आपका पता नहीं कि आप कौन सा मायनर एडजस्टमेंट करेंगे।

यह 'मायनर एडजस्टमेंट' क्या है? क्या अल्पसंख्यकों का एडजस्टमेंट है। क्या कश्मीर के अल्पसंख्यकों को कहीं अन्यत्र समायोजित किया जाएगा।

आपका मायनर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है मैं समझता नहीं।

श्री संतोष मोहन देव: आज आप बहुत मूड में आए हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप सामने बैठे हैं दादा, तो मूड अपने आप ही बन जाता है।

आप कहते हैं कि हम गरीबों के हमदर्द हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं। उड़ीसा में अकाल का क्या हाल है। इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान के हालात क्या हैं? आप 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अनाज उत्पन्न कर रहे हैं। 1860 में अंग्रेजों ने जो फेमीन कोड बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 200 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष अनाज यदि पैदा किया जाए, तो अकाल से निपटने के लिए जस्ट सफीशिएंट है। यदि इतना पैदा हो जाए तो अकाल की समस्या से बचा जा सकता है। यदि 195 किलोग्राम हो तो देश अकालग्रस्त हो सकता है। यानी आप जस्ट फेमीन कंडीशंस पर है। यदि किसी वक्त अनाज 20-25 मिलीयन टन कम पैदा हो गया, तो हिन्दुस्तान अकालग्रस्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अकाल पड़ रहा है। उड़ीसा में लोग मर रहे हैं। उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं और आप गरीबों के हमदर्द बनकर यहां बैठे हुए हैं। आप यहां पर भाषण कर रहे हैं कि आप गरीबों के हमदर्द हैं। आप कौन से गरीबों के हमदर्द हैं, आप किस तरह से गरीबी को दूर करेंगे, इस बारे में कुछ भी आपने इस अभिभाषण में नहीं कहा है।

आप किस तरह से अपने देश के अनाज उत्पादन को ड्योढ़ा या दुगना करेंगे, इस बारे में इस अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा है। आप अनाज का आयात कर रहे हैं। इसमें आपने कहीं नहीं लिखा है कि आप अनाज के आयात को बंद करेंगे। बड़ी मुश्किल से एक स्थिति आई थी कि आयात बन्द हो रहा था, लेकिन आप आयात कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आयात तो आप मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन आज से छः महीने बाद आपको कंपलसरी आयात करना पड़ेगा क्योंकि जो डब्ल्यू. टी. ओ. के अंदर आज आपके हालात हैं और जहां आपकी सरकार फंसी हुई है, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, आप डब्ल्यू. टी. ओ. की शर्तों के मुताबिक और गैट के करार के मुताबिक अपनी आवश्यकताओं का तीन प्रतिशत कंपलसरिली इम्पोर्ट करने के लिए मजबूर हैं। क्यों निर्मल दादा, ऐसा है कि नहीं? क्यों संतोष महोन देव साहब; ऐसा है कि नहीं? मैं इस सरकार के समर्थकों से पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने पहल की है।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद): उन्होंने पहल की और आप उनका समर्थन कर रहे हैं, सारी समस्या की जड़ तो यही है। आपको कहना चाहिए "आपने ऐसे कार्य शुरू किये हैं। अब आप जाइये। आप यह कहिये .. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप इनसे कहिए न कि इनके समर्थन से सरकार नहीं चलाएंगे।

[अनुवाद]

उन्होंने पहल की। मैं जानता हूं। मैंने उनका विरोध किया ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप उनको झाड़ू मारकर हटाईये कि कोई जरूरत नहीं है। आपने हिन्दुस्तान को ऐसे मौके पर फंसा दिया।

[अनुवाद]

श्री संतोष महोन देव: आप कृपया अपनी भाषा पर गौर करें। आप कह सकते हैं "कृपया आप बाहर जाएं।" यह नहीं "बाहर जाओ।"

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद): मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कृपया यहीं बैठे रहें। आप कुछ ऐसा करें कि उन्हें जाना पड़े... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जब को-एग्जिस्ट करते हैं तो सारे अभिभाषण के अंदर यही कंट्रोडिक्शन झलक रहा है। आप उसके बाद कम्पलसरी इम्पोर्ट करेंगे और मल्टी इंटरनेशनल्स प्राइसेस पर इम्पोर्ट करेंगे और हिन्दुस्तान के किसान को तीन पचासी और चार पन्द्रह पर देते रहेंगे जबकि आपको विदेश से छह रुपये, सात रुपये और आठ रुपये पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। किसको देंगे? क्या आर पी. डी. एस. में देंगे? उसका घाटा कौन उठायेगा? मैं, आप या कौन उठायेगा। हिदुस्तान का यही गरीब आदमी उठायेगा जिसकी हमदर्दी की बात आप कर रहे हैं। आप जिस तरह से मल्टी नेशनल्स को यहां बुला रहे हैं, वह क्या गरीबों के हमदर्द हैं? सारे कारखाने बंद होने जा रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पे कमीशन ने कहा कि साढ़े तीन लाख इन सर्विसेस को आप आगे भर्ती नहीं करेंगे। आप बताइये कि क्या करेंगे। इसमें

तो कहीं नहीं लिखा। आप गरीबों के हमदर्द हैं तो साढ़े तीन लाख आदमियों को नौकरी से निकालने जाने पर आप कैसे बचायेंगे। कहां लिखा है? आप उन्हें भूल गये हैं। वह गरीब नहीं हैं। उसमें चपराशी भी हैं। उसमें दफ्तरी भी हैं। आपको यह रहने देंगे तब तो आप रह पायेंगे। मुझे तो संदेह है। अगर आप वहां रह पायेंगे तो मुझे इसमें बहुत संदेह है। ... *(व्यवधान)* आप क्यों नहीं पार्टी ज्वाइन कर लेते। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप कहिये कि हमने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके अंदर आप लड़िये मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप तीतर भी और बटेर भी। इस राष्ट्रपति के अभिभाषण का आप भी समर्थन करेंगे, इसका मुझे अफसोस होता है। आप भी इंटलैक्चुअल हो रहे हैं। इस देश के अंदर क्या हो रहा है? मैं इसको समझ नहीं पाता हूं। आप क्या करना चाहते हैं? आप बेरोजगार की बात करते हैं। कौन से रोजगार आप पैदा करते हैं? इसमें लिखा है कि जितना बेरोजगारी का बैकलाग है, उसको आप पूरा करेंगे। सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठायेगी? मैं जब हिन्दुस्तान में घूमता हूं तो मेरे पास तीन चीजों की सबसे ज्यादा एप्लीकैशन्स आती हैं। पीने का पानी नहीं है, नौकरी नहीं है और स्कूल में एडमिशन और अस्पतल में दवाइयां नहीं हैं। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन्स इन तीन चीजों की आती हैं। ... *(व्यवधान)* सभी का यही हाल है। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं इस राष्ट्रपति के अभिभाषण का इसलिए समर्थन नहीं कर सकता और आपके धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन इसलिए नहीं कर सकता। मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उसमें इन बुनियादी सवालों का कोई हल नहीं है। उसके अंदर इस देश की गरीबी को, भूखमरी को, बेरोजगारी को दूर करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस देश के सामाजिक तनाव को दूर करने का कोई जिक्र नहीं है। चूंकि आप फैलाते रहे हैं इसलिए यह कैसे दूर करना है? इस देश के अंदर और जो जातीय संघर्ष आप उभरे हुए हैं। आप भाषण कर रहे थे तो उस वक्त मैं आपके दर्शन को सुन रहा था। लेकिन उस दर्शन का कृकृत्य कहां है, कृति कहां है? जो जातीय तनाव आप लोगों ने डाले हैं खासकर आपकी पार्टी ने डाले हैं अगर यह सरकार आयी है तो जिम्मेदारी के साथ उसको कैसे दूर करना चाहती है: भारत वर्ष में आज संविधान की मंशा है कि एक जाति विहीन समाज बने और आप जाति को परमानेंट बना दिये जा रहे हैं। उसको संवैधानिक दर्जा दिये जा रहे हैं। आप यह क्या करना चाहते हैं? इस तरह की बातों से यह देश आगे नहीं बढ़ता है। न देश कभी समृद्ध होता है और न देश इस तरह से धोखे में रखा जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं? ... *(व्यवधान)* मैं आपसे बताता हूं कि आपने एक और नयी हालत पैदा कर दी है। टेकओवर कोड आप बना रहे हैं और इसके आधार पर भारत के उद्योगपति, उद्यमी, छोटे से बड़े कारखाने वाले सब लड़खड़ा रहे हैं। उनको शंका पैदा हो गयी है कि इस देश के बड़े से बड़े कारखाने को विदेशों का छोटे से छोटा पूंजीपति भी अपनी जेब में रख लेगा। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सिर्फ तीन मल्टी नेशनल्स अगर मिल जयें तो वह सारे भारत को खरीद सकते हैं। उनकी समग्र आमदनी हमारी वार्षिक उत्पाद से कहीं अधिक है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मेरे विचार से यह एक ही है। आप तीन मत कहें, यह उचित नहीं। जनरल मोटर्स का बजट अन्य दोनों को मिलाकर उनसे बड़ा है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपका बजट है। मैं कहता हूं कि तीन कम्पनियों के मिलने से नार्मल टोटल जी.डी.पी. बढ़ जायेगा और जब चाहें तब वह हिन्दुस्तान को जेब में रख लेंगे। आपके वित्त मंत्री वहां जाकर भाषण करते हैं कि हुजूर आप एक बार आये थे और 200 साल तक रहे थे। दुबारा फिर आइये और 200 साल तक यहां रहिये।

[अनुवाद]

यहां बाज़ार है, यहां लाभ भी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: इन पर यह कहने का आरोप लगाया गया। यह तो 13 दिन की सरकार के वित्त मंत्री के रूप में दिये गये भाषण को पूरा करने वाले वक्तव्य के रूप में कहा गया है। वह एक नीतिगत वक्तव्य है... *(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह उसके आगे नहीं था। वह तो उसके साथ जुड़ा था जो भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री करते थे और जो वर्तमान वित्त मंत्री कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह आप करना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं इसका जिक्र होता कि भारत अपने स्वाभिमान को नहीं खोएगा, भारत विदेशी कम्पनियों का बाजार नहीं बनेगा। आपने आत्मनिर्भरता की बात की। कौन सी आत्मनिर्भरता आप चाहते हैं, जो आपके वित्त मंत्री करना चाहते हैं। जो कुछ उनके कारनामे हैं, उनका उल्लेख आपने नहीं किया। बजाल के अंदर मौडवैट रिवर्सल किस तरह से किया गया है और उससे देश को कितने हजार-करोड़ रुपये का नुकसन हुआ है। वह लम्बी कहानी है, उसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन आप इन चीजों का समर्थन कर रहे हैं और इनका समर्थन करते हुए देश को गुमराह करना

चाहते हैं कि आप गरीबों के समर्थक हैं। यह राष्ट्रपति का अभिभाषण, यह सरकार की नीतियां गरीबों के हक में हैं। हिन्दुस्तान के किसान के साथ जो कुछ हो रहा है, हिन्दुस्तान की खेती के साथ जो कुछ हो रहा है, आपने कहीं यह नहीं लिखा कि हिन्दुस्तान की खेती में इस मात्रा में इन्वैस्टमेंट बढ़ाया जाए। क्या आप हिन्दुस्तान की खेती में प्लान इनवैस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपको जिस बड़ी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, उसने पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार खेती के इनवस्टमेंट को कम किया है। आपने इसमें कहीं यह लिखा है कि हम खेती के इनवैस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे, खेती में रीस्ट्रकचरिंग करेंगे। इसमें तो कहीं जिक्र नहीं है। आपके दिमाग में होगा लेकिन आपके मंत्रियों के दिमाग में तो नहीं है। कैबिनेट के दिमाग में तो नहीं है। ... *(व्यवधान)* पिछला बजट जो श्री चिदम्बरम ने रखा था, उसमें घटा था। ... *(व्यवधान)* आप कह रहे हैं तब भी नहीं बढ़ेगा। मेरे से लिखवा लो। आपकी अनाज की पैदावार घटी है, चावल की पैदावार घटी है, गेहूं की पैदावार घटी है। आप क्या बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम में सिंचाई के मामले में त्राहि-त्राहि मची हुई है। कोई सवाल ही नहीं है। बढ़ेगा तो तब जब आपके पास कुछ बचेगा। पिछले साल आपने 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपये ब्याज में चुकाए थे। इस साल शायद 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये चुकाएंगे। कुछ कर्जा और आप लेंगे। फिर आप कहेंगे कि

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आपकी मित्र और बी.जे.पी. आपकी शत्रु है।... *(व्यवधान)* आप तो यही कह रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप विरोधी दल के हैं। इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप तो यही कर रहे हैं। कोई सवाल ही नहीं है। सारे देश में जो तरह तरह की भूमि सेनाएं और जाति सेनाएं बढ़ी हुई हैं, उनके लिए आप क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं करने वाले। कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक तरक्की के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के नौजवानों के लिए कहीं कोई राहत नजर नहीं आती।

साइंस एंड टैक्नोलॉजी के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़ा वक्तव्य दिया। वह पृथ्वी का सोलहवां परीक्षण था, पहला नहीं। उसमें आपकी सरकार का जरा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। उस मामले में तो आपसे ज्यादा सहयोग पुरानी सरकार का था। पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी किया, जो उस समय के इनवैस्टमेंट थे, उसके लिए जो भी क्रैडिट है, वह उनको दो। उसमें आपका कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने भी इस देश के वैज्ञानिकों के साथ भारी अन्याय किया। चार-चार बजट जो श्री मनमोहन सिंह ने रखे, उनमें साइंस एंड टैक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं बढ़ाया गया। हमने साइंस एंड टैक्नोलॉजी कमेटी में लड़-लड़कर पिछली बार उनका बजट ठीक करवाया। आपने साइंस एंड टैक्नोलॉजी के लिए कब कहा। उसे तो आप अमीरों के चोंचले मानते रहे। आपके लिए साइंस एंड टैक्नोलॉजी अभिजात्य वर्ग का बौद्धिक विलास है। लेकिन आज साइंस एंड टैक्नोलॉजी गरीब आदमी के लिए जितनी जरूरी है, उसकी भी कल्पना आप कीजिए। साइंस एंड टैक्नोलॉजी का इसमें कोई जिक्र नहीं है। आप साइंस एंड टैक्नोलॉजी में क्या करेंगे। आप हिन्दुस्तान में कितने सैन्टर्स ऑफ ऐक्सीलैंस खोलेंगे। आप इस देश में कितनी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के लिए अधिक धन देंगे, मुझे बताया जाए। आप तो इंजीनियर हैं, आपको तो टैक्नोलॉजी का महत्व मालूम है। यह बात दूसरी है कि कभी-कभी आप आर्य भट्ट को उपनिषदों के समकक्ष स्थापित कर देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपने इसे पढ़ लिया होता शरद जी तो अपना माथा ठोकते कि इसमें साइंस एंड टैक्नोलॉजी का जिक्र क्यों नहीं है। क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान के हर स्टेट में खास तौर पर जहां विज्ञान और टैक्नोलॉजी का एक नीचे का आधार बना हुआ है, वहां एक-एक सैन्टर ऑफ ऐक्सीलैंस बनेगा?

क्या आप यह कहने के लिए तैयार है कि हिन्दुस्तान की हर साइंटिफिक लैबोरेट्री को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लायक सुविधाएं दी जाएंगी? क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? कौन सी साइंस एंड टैक्नोलोजी की बात आप करते हैं? क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान के जितने भी साइंस के पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, उसकी आप स्क्रूटनी करेंगे और देखेंगे कि उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कितने हैं? क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि आगे चलकर जितने साइंस ग्रैजुएट हिन्दुस्तान में हैं, दुनिया की तुलना में उसी अनुपात में यहां के रिसर्च पेपर्स आगे छपेंगे और लोग उन्हें पढ़ेंगे, क्या आप उन्हें सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं? किस साइंस एंड टैक्नोलोजी की बात इसमें की गई है? आपकी सरकार क्या करना चाहती है? आप छोड़िए, क्या आप कृषि विज्ञान के लिए यह कहने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान के हर ब्लॉक में, विकास खंड में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खुलेगा।

श्री सुकदेव पासवान (आरारिया): हर जिला मुख्यालय में खुल रहा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जिला मुख्यालय में खुल रहा है। उसकी तो अभी आपके कृषि मंत्री जी ने एक सूचना भेजी है, वह

आपका खुलेगा, नहीं खुलेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या यह सरकार कुछ ऐसे ठोस काम करने के लिए तैयार है?

आप पेयजल की बात करते हैं, इसमें पेयजल के बारे में लिखा है। पूरे एक दिन की हमने राज्य सभा में इसके ऊपर बहस की थी। मैंने जल संसाधन मंत्री जी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद उनका जवाब मिला कि मेरी चिट्ठी लिखने से पहले ही यह सब कुछ किया जा चुका है। मैंने मालूम किया, मंत्री जी मेरी चिट्ठी लिखने से पहले ... *(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): यह काम उसके बहुत पहले से ही हो रहा था।

डा. मुरली मनोहर जोशी: पहले से हो रहा है, यह तो इसी राष्ट्रपति के अभिभाषण की तर्ज का आप यह बयान दे रहे हैं कि बहुत पहले से चल रहा है। आपने मेरी चिट्ठी के बाद किया और आपने इतनी भी शिष्टाचार की बात नहीं रखी कि जब आप एक अच्छा काम करने के लिए मेरी कांस्टीट्वेंसी में गये थे और आपने उसकी मुझे खबर तक नहीं दी, जो कि आप मेरी चिट्ठी लिखने के बाद गये। आप विकास के अन्दर पोलिटिक्स करते हैं। क्या आपसे मैं आशा कर सकता हूं, आप कितने गांवों को पीने का पानी देंगे, उसके लिए इसमें किसी चरणबद्ध कार्यक्रम की बात कही गई है? 1.25 लाख बस्तियों में पीने का पानी नहीं है। स्वयं मंत्री कहते हैं कि वाटर टेबिल नीचे जा रहा है, इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं लिखा हुआ है कि वाटर टेबिल को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, जल प्रबंधन कैसे करेंगे? 14 मिलियन हैक्टेयर पानी सिंचाई की क्षमता का इस देश के अंदर बेकार पड़ा हुआ है और 70 फीसदी किसान के खेत इस देश के अन्दर बिना सिंचाई के पड़े हुए हैं, आप उन सब को मिलाएंगे? आपके प्रधान मंत्री और आपके वित्त मंत्री बड़े डैम्स के लिए 900 करोड़ रुपया दे रहे हैं और 84 हजार करोड़ रुपये का इर्रिगेशन पोटेंशियल इस देश में बेकार पड़ा हुआ है। कहां है इसमें, राष्ट्रपति के अभिभाषण में? इसके अन्दर क्या है? किस बात के लिए इसको धन्यवाद दिया जाये, किस बात के लिए इसका समर्थन किया जाये।

मैं बहुत दुख के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद इस देश के प्रत्येक नागरिक को घोर निराशा मिलेगी और उसे यह पता लग जाएगा कि एक कमजोर सस्कार का कमजोर दस्तावेज किसी अच्छे तन्दरुस्त आदमी को किस तरह से कमजोर कर सकता है।

[अनुवाद]

यह दस्तावेज कमजोरी, अन्धकार तथा निराशा का प्रतीक है।

[हिन्दी]

यह एक निराशा का दस्तावेज है, यह अन्धकार का दस्तावेज है, यह सारे देश की दिशाहीनता का दस्तावेज है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता और मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने संबंधी किसी ठोस नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण को रोकने के लिए कोई नीति बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्;

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बढ़ती हुई आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में काले धन के उपयोग पर नियंत्रण लगाने हेतु चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण लगाने के लिए किसी विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी मिलों के कारण गन्ना उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग उत्तरांचल राज्य बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और बिहार की लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार के गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में गाजियाबाद में हुई गोलीकांड की घटना, जिसमें पुलिस द्वारा किसानों पर गोली चलाये जाने से दो किसान मारे गये थे, की जांच कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनाई गई किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास और विस्तार की योजनाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को रोकने के लिए उठाये जाने वाले प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदमो के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाये गये ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के दूरदराज के इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को उनके गन्ने का भुगतान न किये जाने के कारण उनको हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (38)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं: -

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिये जाने का के बारे में किसी आश्वासन का उल्लेख नहीं है।" (39)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन से लकड़ी, स्लेट, पत्थर आदि प्राप्त करने के उत्तरांचल वासियों के सदियों पुराने अधिकार पर प्रतिबंध हटाने के लिए कानूनी प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार के शीघ्र पठन का कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र में शराब की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र सेवा उप संवर्ग, 1992 के प्रभावी क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विकास कार्यों पर लगा प्रतिबंध हटाने और इस संबंध में प्रभावकारी रियायतें दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल वासियों को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपेन के आधार पर सरकारी सेवाओं और उच्च तकनीकी शिक्षा में आरक्षण के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र में पानी की भारी कमी की समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष केन्द्रीय योजना बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमालय क्षेत्र के अन्य राज्यों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के अनुरूप उत्तरांचल क्षेत्र को सहायता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए उचित उपाय किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र में स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा अक्तूबर, 1996 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तरांचल क्षेत्र में चीनी मिलों, मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (50)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्थानीय उद्यमियों द्वारा राष्ट्रीय पन बिजली निगम की धौली गंगा परियोजना का निर्माण कार्य करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, जल निगम, वन निगम, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विभाग निगम आदि में कार्यरत हजारों मजदूरों को नियमित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु नई विकास योजनाओं को आरम्भ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमा सड़क संगठन और डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के नये प्रसारण टावर और केन्द्र स्थापित करने और दूरभाष तथा एस. टी. डी. सुविधा के विस्तार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में पंचेश्वर बांध के तुरन्त निर्माण के संबंध में नेपाल सरकार के साथ हुए समझौते को अंतिम रूप दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (57)

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, उत्तर प्रदेश में जहां हाल ही में एक विधायक की हत्या कर दी गई थी और जहां राज्य के विभिन्न भागों में और अपहरण की अनेक घटनायें हो रही हैं, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि, जिससे देश में सभी वर्ग विशेष रूप से आम आदमी प्रभावित हो रहा है, को रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किये जा रहे गेहूं और चीनी की कीमतों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के इस जन्म-शताब्दी वर्ष में उनका और देश की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा किये गये बलिदानों का कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वित्तीय घाटा और बढ़ती मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गरीबोन्मुखी शासन स्थापित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वोहरा समिति के प्रतिवेदन में और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किये गये रहस्योद्घाटनों

के दृष्टिगत अफसरशाहों, राजनीतिज्ञों और अपराधियों की सांठगांठ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक घोटालों और बैंकों के घाटे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्विस अधिकारियों से प्राप्त स्विस बैंक दस्तावेजों के आधार पर बोफोर्स दलाली कांड से संबंधित ब्यौरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ में आवास, बेरोजगारी, पेयजल और विद्युत की समस्याओं को सुलझाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ को राज्य का दर्जा प्रदान करने और विधान सभा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ माह पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में लम्बित मामलों के निपटान के लिए न्यायिक सुधारों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 4 लाख कश्मीरी विस्थापितों की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू कश्मीर राज्य में विशेषत: जम्मू क्षेत्र के डोडा और उधमपुर जिलों में आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों को बसाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के डोडा, उधमपुर और कठुआ जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पड्डर, डायस, मारवा, बनी मोहर और डूडू बसंतगढ़ में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में बेरोजगार युवकों को जीवन यापन भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूतपूर्व सैनिकों को समान पद समान पेंशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख के तीनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषद् बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल): मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी से आये व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश हिन्दू हैं और जो गत छह-सात वर्ष से जम्मू दिल्ली और देश के अन्य भागों में कैम्पों में रह रहे हैं, की दुर्दशा का कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्ना उत्पादकों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को, उनके द्वारा चीनी मिलों को दिये गये गन्ने का लाभकारी मूल्य न दिये जाने के कारण हो रही कठिनाईयों का कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा अनेक राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और निर्दोश व्यक्तियों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की हत्या की घटनाओं को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।" (130)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अवैध आप्रवासियों के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े रहे प्रतिकूल प्रभाव जन-सांख्यिकी स्थिति में परिवर्तन, जातीय दंगों और राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में राजस्व घाटा, बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, बढ़ता हुआ, विदेशी ऋण और ब्याज की बढ़ती बाध्यताओं और औद्योगिक विकास की धीमी गति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये. अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व व्यापार संगठन में निर्बाध खुले व्यापार के लिए भारत पर विकसित देशों के बढ़ते दबाव और बाल श्रम, श्रम मानक आदि से संबंधित मामलों, जिनका देश की प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, को स्वीकार किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी सरकार का गठन किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (134)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल, वनांनचल और विदर्भ क्षेत्रों के लिए पृथक राज्यों का गठन किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोफोर्स सौदे में दलाली पाने वालों का पता लगाने के लिए की जा रही जांच की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (उदीपी): मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्व प्रधान मंत्री के हत्या की जांच के संबंध में गठित जैन आयोग द्वारा की जा रही जांच की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा): सभापति महोदया, इस सरकार के काल में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बहस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद है कि पिछले साल तो बहस भी नहीं हो पाई थी।

मैं दोनों तरफ से बात सुन रहा था। भाई शरद यादव जी ने शुरूआत की और उसके बाद जोशी जी ने भी अपनी बातें कहीं और दोनों ने कांग्रेस का कई बार जिक्र किया। कांग्रेस की तरफ से हमने 1996 में जब चुनाव खत्म हुए, देश के सामने एक ऐसी स्थिति आई कि कोई भी पार्टी क्लियर मैजोरिटी में नहीं आई थी

और हमारे सामने, खासकर कांग्रेस के सामने ऐसी स्थिति थी कि हम क्या कदम उठायें। अतीत को देखते हुए, जोशी जी की पार्टी के काम को देखते हुए, इस देश में किस तरह की रथ यात्राएं चलीं, किस तरीके से देश में 1992 की घटना हुई, हादसे हुए और देश में एक विश्वास हिल गया। हमारे सामने स्थिति थी कि हम क्या कदम उठाएं। हम पूरी तरह से जानते थे कि जो भाई सरकार बनाने जा रहे हैं, तथाकथित संयुक्त मोर्चा, उनसे हमारा हर प्रदेश में मुकाबला था। चाहे तमिलनाडू हो, चाहे वैस्ट बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह हमने चुनाव में उनका मुकाबला किया था। हम अच्छी तरह समझते थे कि हमारी विचारधारा इनसे मिलती-जुलती नहीं है, बहुत फर्क है। लेकिन देश का एक नक्शा हमारे सामने था कि आज हमें वे कदम उठाने हैं जिससे देश में वे पार्टियां या वे विचारधाराएं सामने न आ पाएं, जिन्होंने देश को कमजोर करने की कोशिश की।

भारतीय जनता पार्टी में बहुत से व्यक्ति है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उनसे हम परिचित हैं, जो भले लोग हैं, लेकिन वे भी उसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन 1992 में जो हालात हुए उससे हमारी पार्टी के सामने चिंता का विषय था कि हम क्या कदम उठाएं। हम समझते थे कि 1977 में ये दोनों भाई-भाई थे। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। भूल गए थे अपना पिछला इतिहास, यह भी भूल गए थे कि आर.एस.एस. क्या होता है, बी.जे.पी. क्या होती है। इन सब लोगों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया था कि कांग्रेस को निकालना है, कांग्रेस को कमजोर करना है। वह भी हमें याद है। फिर उसके बाद 1989 में ये दोनों चचेरे भाई बन गए थे। सगे भाइयों का रिश्ता हटा दिया गया था। चचेरे भाइयों का रिश्ता रखा कि आप चलो और हम सहारा देंगे। हर शुक्रवार को मीटिंग होती थी। इनकी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती है, तो उनकी कॉर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे। जो भी फैसला वह सरकार करती थी, ये उसको छापते थे। हमें सारी जानकारी थी। लेकिन उसके बाद भी हमने देश के हित में फैसला लिया कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। आज कांग्रस का फर्ज है इस देश के भविष्य के लिए हम ऐसी ताकतों को आगे करें जो देश को एक रख सकें, उन नीतियों को बढ़ा सके और जो देश में खोया हुआ विश्वास है, उसको वापस ला सके। 1947 के बाद अगर देश में विश्वास हिल गया था तो वह 1992 के बाद हिला था। गांव-गांव में हम जाते थे, लोगों में भरोसा हिल गया था। उसके बाद जो चुनाव हुए, आप प्रतिशत देखें, लोगों ने बहुत मजबूती से उसमें हिस्सा लिया था, सिर्फ दो-तीन प्रतिशत को छोड़कर, वह भी उनके जज्बातों के कारण कम हुआ था। इसलिए हमने संयुक्त मोर्चा की सरकार का बाहर से समर्थन करने का फैसला किया। यह जानते हुए भी कि इनकी विचारधारा हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस भावना के साथ कि देश मजबूती से आगे चले, देश का भविष्य आगे बढ़े। जो कदम हमने पिछले चार-पांच साल में उठाए हैं, वे आगे बढ़ सकें। ये जो हमारी खामियां समझते हैं उनको दूर कर सकें।

मैं उस बैंच से बैठकर भाषण सुना करता था। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारी खामियों को उठाया करते थे। यह विपक्ष का फर्ज है। जो हमारी खामियां रह गई हैं, ये उनको दूर कर पाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे इसलिए हमने सरकार का समर्थन किया, और वही नीति हमारी आगे भी चालू है कि हम इस सरकार के साथ हैं जब तक यह अच्छा काम करे, उन विचारधाराओं और शक्तियों को रोके जो देश को कमंजोर करती हैं। इसलिए हम एक भावना और सद्भावना से समर्थन करते हैं।

मैं शरद जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही। ठीक है जब देश आजाद हुआ था, जब राजनीति चली थी तो राजनीति में सोशल सैक्टर का भी बहुत बड़ा रूप था। जो सामाजिक सेवा में आगे होते थे, वही लोग राजनीति में आगे आया करते थे। आहिस्ता-आहिस्ता वे सामाजिक सेवाएं खत्म होती गई और आज उन्होंने जो सामाजिक सैक्टर की बात कही है, आज सुबह अटल जी ने और बाद में जोशी जी ने भी कहा कि यह दल की नहीं सारे देश की बात है। जातीय संघर्ष इस देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वह चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी पार्टी की सरकार में हो, हमें उससे ऊपर उठकर एक विचारधारा लानी पड़ेगी कि इस संघर्ष को खत्म करें और जो गलत हो उसे सजा मिले, जिससे बात आगे न बढ़ पाए। यह उत्तर प्रदेश में हुआ। यह बात सही है कि जो कुछ पहले दिन मेरठ में हुआ उसको रोका जा सकता था, उससे अगली घटना नहीं घटती। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से बिहार की शिकायतें आई। यह दलों से ऊपर उठकर सोचने वाली बात है। खासकर संसद में बैठकर सोचने वाली बात है कि हम सरकार की तरफ से क्या करें। सरकार की तरफ से वे कदम सख्ती से नहीं उठाए गए जो उठाने चाहिए थे।

आपने अनुसूचित जाति और जनजाति की बात भी कही। उसके लिए 1989 में कानून बना और 1990 में नोटिफिकेशन हुआ था। वह कानून इसलिए बना था कि उन पर अत्याचार बढ़ रहे थे। सारी संसद ने मिलकर इस कानून को बनाया। लेकिन क्या उसको इम्प्लीमेंट किया? 21 हजार केस रजिस्टर्ड हुए।

एक ऐसा एक्ट है जिसमें लिखा गया है कि एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की प्रतिलिप हर साल पार्लियामेंट में दी जाए। अभी

तक इसकी प्रतिलिपि नहीं आई है। 21,000 केस रजिस्टर्ड हुए। उनमें से 4,000 सिर्फ रजिस्टर्ड किए गए और चार्जशीटेड किये गए। उनमें से साठ प्रतिशत लोग अभी तक ट्रॉयल पर हैं। बाकी का कुछ पता नहीं है। भाई जोशी जी, मुझे माफ करेंगे, महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनी। आपके सपोर्ट से बनी, 1600 केस 1996 में विदड्रॉ किए गए। अब हो सकता है वे जेनविन हों। मैं यह नहीं कहता हूं कि वे नॉन-जेनविन हों। लेकिन इसके पीछे भावना यह दर्शाती है कि एस.सी.एस.टी. के एट्रोसिटीज संबंधी 1600 केस एक कलम से आपने वापस कर दिए। क्या इसके ऊपर आपने कोई कमेटी बिठाई, देखभाल की और देखभाल की तो क्या देश को बताया कि ये केस गलत हैं, इसलिए हमने वापस ले लिए। देश को मैसेज यह चला गया कि यह देश की सरकार, देश की पोलिटिकल पार्टीज एस.सी.एस.टीज के एट्रोसिटीज के बारे में सीरियस नहीं हैं।

मैं भाई शरद यादव जी को सुनने के बाद सोच रहा था कि आप अगर अपनी सरकार से पूछते कि यह सेंट्रल एक्ट था, आपकी सरकार ने अब तक क्या किया? जब 1993 में हमारी सरकार थी, मुम्बई में दंगे हुए। एक श्रीकृष्ण कमीशन बिठाया गया। इसलिए बिठाया क्योंकि उसमें निर्दोष लोग मारे गये थे। वे चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों या ईसाई हों, वे सब निर्दोष लोग मारे गए थे। मैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में था और उसी वक्त इंटरनल सिक्योरिटी में आया था। भाई पी.एम. सईद भी यहां पर बैठे होंगे। हम दोनों गए थे। उनकी कथा सुनकर जोशी जी आप श्वांस नहीं ले सकते थे। एक घर के सामने जाकर हम रुके। जवान बच्चे को मार दिया गया था, तलवार से उसका सर काट दिया गया था। वहां अदर विधवा औरत बैठी हुई थी, उनका नाम रजिया था, उन्हीं के जवान बेटे को मार दिया गया था। जाते ही कहती हैं कि पायलट, मेरा बेटा तो गया, इस देश को बचा लो। यह देश बर्बाद हो रहा है। एक अनपढ़ औरत की यह भावना थी। उसके बाद हमने श्रीकृष्ण कमेटी बिठाई और आपकी सरकार जब आई तो उसने कमेटी बंद कर दी। उसके बाद जब शोर पड़ा, मीडिया के और आपके कुछ लोगों ने जब जोर दिया तो अब दोबारा कमेटी बिठाई गई है। अब तक इस देश को पता नहीं कि 1993 के दंगों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। हम सब लोगों की क्रेडेबिलिटी खत्म होती जा रही है।

जोशी जी, आप बड़े जोर से कह रहे थे कि आपकी सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कम से कम आप तो महाराष्ट्र सरकार से पूछते कि 1993 के कमीशन में कौन-कौन दोषी हैं, मुझे पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया।

जब तक हम अपनी दलगत भावना से ऊपर उठकर यहां बहस नहीं करेंगे तब तक हम देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। जोशी जी, आप मेरे से उम्र में बुजुर्ग हैं लेकिन ये बातें इस दिल को छूती हैं। यहां देश की समस्याओं की बातें हो रही हैं और न आज तक इस सरकार ने पूछा और न सरकार ने इस हाउस को बताया। आज आम आदमी महसूस करने लगा है कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी या रिपोर्टें सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए की जाती हैं। आज आम आदमी यह महसूस करता है कि जब भी कोई कमेटी बैठती है या कोई कमीशन बैठता है, समझो कि यह मामला दब गया और अब यह कभी नहीं उठेगा। लोगों की इस भावना को दूर करने के लिए, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ काम मजबूती से करने पड़ेंगे।

जोशी जी ने बात उठाई, आपने भी अभी बात की कि हमने एस.सी. के लिए कॉरपोरेशन बनाई है। जब तक कॉरपोरेशन का डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है, जब तक आम आदमी को इसका लाभ नहीं पहुंचता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं भी मंत्री मंडल में रहा हूं। लेकिन कोई मोनीटरिंग सिस्टम तो होना चाहिए। शरद यादव जी, आप लोगों ने सबसे ज्यादा गीत इस चीज के गाए लेकिन क्या आज तक आपने देश के सामने रखा कि हमने एस. सी. एस. टी. के एट्रोसिटीज संबंधी कमीशन के फॉर्मेशन में इतने पैसे दिए, उसकी इतनी यूटिलिटी हुई। आज कॉमन आदमी यह पूछ रहा है और मैं भी आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अब एक जरूरत बन गई है और देश में हर सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से आज इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते जा रहे हैं, यह देश के लिए चिंता की बात है।

माइनॉरिटीज की बात आपने की। आप सी.एम.पी. में 15 प्वाइंट प्रोग्राम बहुत सख्ती से लागू करेंगे। माइनॉरिटीज की हालत यह है कि गरीबी है, सरकारी नौकरियों में माइनोरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नैगलीजिबल है क्योंकि एजुकेशन नहीं है और एजुकेशन नहीं है क्योंकि इकॉनोमिक कंडीशन नहीं है। वे न तो कम्पीट कर पाते हैं और न एजुकेशन ले पाते हैं। इसलिए सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। यह किसी माइनोरिटीज के सम्मेलन में आप चले जाइए तो उनकी एक ही शिकायत होती है कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेशंस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कौम्प्रीहेंसिव पेपर लेकर आइए। अगर आपकी सरकार इस बारे में सीरियस है, अगर आपकी सरकार चाहती है तो आप कॉम्प्रीहेंसिव पेपर लेकर सभी पार्टीज को कांफीडेंस में लेकर आगे बढ़िये कि हम माइनारिटीज के लिए कर रहे हैं, एस.सी.एस.टी. के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कॉरपोरेशन बना देने या फाइनेंशियल

एलोकेशन कर देने से कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हमें भी सरकार में रहने का अनुभव है। जब तक इसके पीछे सच्ची भावना नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है।

जब तक उसके पीछे विल न हो। आपने कहा कि आपकी नीति भी सही है और आपकी नीयत भी सही है। शरद जी जहां नीति सही होती है और नीयत सही होती है, वहां गाड़ी कभी रुका नहीं करती है। नीति चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो और नीयत सही न हो, तो गाड़ी कभी चला भी नहीं करती है। आज हालत यह हो गई है कि नीति अच्छी हो, लेकिन उसके पीछे नीयत न हो, तो गाड़ी नहीं चला करती है। ... *(व्यवधान)* हमने कहा था और हमने एन्क्वायरी बैठायी थी और माफियां मांगी थी। कहा था कि गलत आदमियों को सजा दी थी। ... *(व्यवधान)*

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर): जो 1984 में दंगे हुए, उसमें जान-बूझकर उस समय की सरकार ने गुंडों द्वारा बारह हजार सिक्खों को विधिवत् मरवाया। सैनिक मरवाए, जनरल्स मरवाए। उस वक्त ये लोग कहां चले गए थे। आज भी ये लोग चुप हैं। तब नीयत कहां चली गई थी। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : 1984 में रॉयट्स हुए, हमारी सरकार थी। उस वक्त मैं मिनिस्ट्री में था। हमने रिपोर्ट ले की थी और कमेटी बैठायी थी। पटियाला हाउस कोर्ट और कड़कड्डूमा में स्पेशल कोर्ट्स के ट्रायल चल रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: अभी आपने कहा कि कमेटी बैठाते हैं, तो विश्वास चला जाता है। 1984 से 1996 तक आपकी सरकार रही। आप मंत्री रहे, लेकिन 1984 के दंगों के अपराधियों को दंडित नहीं कर पाए। ... *(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा: आपने अपनी बात कह दी। बैठ जाइए। ... *(व्यवधान)*

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर': क्षमा करिए, बुद्धि का ठेका किसी का नहीं होता है।. .. *(व्यवधान)*

श्री आई. डी. स्वामी : जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है, तो नींव हिलती है। ... *(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): दूसरों के घरों पर पत्थर फैंकने से पहले अपने घरों को देख लो। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शान्त रहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: हमारे भाइयों का कहना सही है। 1984 में जो रायट्स हुए, उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप रिलीजन की बात कह रहे थे कि रिलीजन को दूर रखा जाए। मेरे बी.जे.पी. के भाइयों ने यह बात उठाई। आपने अभी पंजाब में समझौता किया। नेशनलिस्ट फोर्सेस की बात यहां से हर आदमी उठा रहा है, चाहे अटल जी हों, चाहे आडवाणी जी हों या चाहे जोशी जी हों। मैं पूछता हूं, क्या आपने आनन्दपुर रिजोल्युशन पढ़ा है? अगर आपने आनन्दपुर रिजोल्युशन पढ़ा होता, तो उसके बाद इन पार्टियों को सपोर्ट देकर सत्ता में आने की कोशिश नहीं करते। नेशनलिस्ट फोर्सेस कहने का हक आपका नहीं है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने आनन्दपुर रिजोल्युशन पढ़ा है, मैं इसको टेबल पर रखता हूं। ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: आनन्दपुर रिजोल्युशन अब दो हो गए। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: मैंने उस रिजोल्युशन की बात की है, जिसमें सिख नेशन की डिमांड है। आप यह कहिए कि आप इसको नहीं मानते, लेकिन इलैक्शन में आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। आपने कहा - हम सोचेंगे। यह क्यों नहीं कहा कि सिख नेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं।

श्री छत्रपाल सिंह: जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, वे राष्ट्रवाद का प्रशिक्षण दें, यह बात असहनीय है। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: इस बात को तो देश जानता है कि कांग्रेस बटवारे पर है या बी.जे.पी. बटवारे पर है। इन्हें पता चल चुका है कि कांग्रेस की नीतियां क्या रही हैं। ... *(व्यवधान)* मेरे कहने का साफ मतलब यह है कि अगर देश में राष्ट्रीय ताकतों को और राष्ट्रीय विचारधाराओं को मजबूत करना है, तो बात को दिल से कहने की जरूरत होती है। सत्ता के लिए बात को अपने रूप में प्रयोग करने से देश मजबूत नहीं होता है। यह मेरे भाइयों का मन है कि दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आनन्दपुर रिजोल्युशन को सपोर्ट करना नेशनलिस्ट फार्सेस का एक्ट नहीं है, यह मेरे विचार है। ... *(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): मेरा कहना यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बनी है, अकाली और बी.जे.पी. की। उसमें आनन्दपुर साहब के रिजोल्युशन का मैंशन नहीं है। इसलिए आनन्दपुर रिजोल्युशन के सपोर्ट के बारे में बात कहना सर्वथा गलत है। उसमें यह जरूर है कि अकालियों का उसके बारे में अपना समर्थन है। हमारा उसके बारे में मतभेद है। इसलिए यह कॉमन-मिनिमम-प्रोग्राम में नहीं है। यह बात सब को जान लेनी चाहिए।

श्री राजेश पायलट : आंखों देखी बात है। ... *(व्यवधान)*

श्री आई. डी. स्वामी : आप इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप इनकी सब बातों से सहमत हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री मेजर सिंह उबोक (तरनतारन): आनंदपुर साहब के रेजोल्यूशन में टू फैडरलिज्म है कि जो राज्य है उनको ज्यादा से ज्यादा माली अधिकार मिलें। आप कश्मीर में दे रहे हैं और उनको तो आपने अपनी कैबिनेट में मिलाया है। ... *(व्यवधान)* पंजाब में कांग्रेस ने हमारी कितनी ही बार सरकारें तोड़ी हैं। इस बात को वे याद नहीं रखते। जितनी बार आपने सरकारें तोड़ी तो हमें भी रिएक्शन के लिए कुछ करना चाहिए था। हमारी सरकार को तोड़ने का इन्हें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जो सूबे की सरकार लोगों ने चुनी है उसको कोई सैंट्रल सरकार न तोड़ सके यही आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन है और इसके लिए हमने अपने सूबे को, अपने प्रांत को तरक्की पर ले जाने के लिए माली अधिकार भी मांगे हैं। ... *(व्यवधान)* आप इनको चिड़ाने के लिए यह बात कह रहे हैं जिससे ये इकट्ठे न हो जाएं क्योंकि इनको अलग-अलग रखने से ही कांग्रेस की हुकूमत बनती है, इसलिए आप हमें इकट्ठा नहीं होने देते।

सभापति महोदय: देखिये, आपने अपनी बात समझा दी है, आप बैठ जाइये।

श्री राजेश पायलट : ये तो अपने आप लड़ेंगे। पंजाब वाले कहेंगे चंडीगढ़ इधर आ जाए, हरियाणा वाले कहेंगे चंडीगढ़ इधर आ जाए। ये तो अपने आप लड़ेंगे।

श्री सत्य पाल जैन : कांग्रेस वालों की भी तो यही हालत है। .. *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मेरे कहने का मतलब यही था कि अवसरवादी राजनीति चाहे कोई भी पार्टी करे वह देश के हित में नहीं है। जो देश के चरित्र को कमजोर करे वह बात ठीक नहीं है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए।

श्री राजेश पायलट: मैं कहना चाहता था कि ... *(व्यवधान)* 1991 में निखिल जी और जार्ज बी. जे. पी. के बारे में क्या बोलते थे। आज थोड़ा पास आ गये हैं तो मौहब्बत ज्यादा करने लग गये हैं। खैर, मैं आपको छोड़कर सरकार पर आ रहा हूं। यह बात सही है कि नार्थ-ईस्ट में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। जैसी हालत आसाम में थी उसके साथ ही बोडो-लैंड की स्थिति को भी हमने समझा हुआ था। भाई रामविलास पासवान जब वैलफेयर मिनिस्टर थे तब इन्होंने इसकी शुरूआत की थी। हमारी सरकार ने उसे समझौते का रूप दिया। वहां अब तक ए.जी.पी. जो इनका यूनाइटेड फ्रंट का कंपोनेंट है वहां चुनाव नहीं करा पाया और बोडो-लैंड में फिर वही समस्या शुरू हुई। वहां ट्राइबल लोग हैं और वे भले लोग हैं। उन्होंने एक छोटी सी मांग की थी - अपने कल्चरल हैरीटेज को बनाए रखने के लिए वे एक काउंसिल बनाने की बात मान गए थे। उसको भी यह नहीं कर पाए। आज बोडो एजीटेटिड है। वहां स्थिति इतनी खराब है कि आपको आर्मी भेजनी पड़ी है। नागालैंड और मणिपुर की स्थिति में भी गिरावट आई है। जब हमारी सरकार थी तो हमने कोशिश की थी कि दोनों प्रदेशों में हम सख्ती से काम लें और जो उनकी भावना है, जो उनके मन में बात है उसको भी सुनने का कोई रास्ता निकालें। हमने शुरूआत की थी। पता नहीं अब सरकार ने कहां तक उसको जारी रखा है।

नार्थ-ईस्ट हमारे देश का एक बड़ा ही संवेदनशील इलाका है। हमें उन लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए समझौते की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरा, जैसे अभी शरद जी ने कहा कि नार्थ-ईस्ट के लिए हमने एक पैकेज बनाया है। प्रधानमंत्री जी भी वहां गये थे। वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहां जब हमारी सरकार थी हमने इस तरफ कोशिश की थी। मैं क्लेम नहीं करता कि हमने सब कुछ नार्थ-ईस्ट में ठीक कर दिया लेकिन एक शुरूआत जरूर हमने की थी। हमने नार्थ-ईस्ट काउंसिल बनाकर और इकोनोमिक कमेटी बनाकर शुरूआत की थी, जैसी कि आप लोगों ने अभी शुरूआत की है। मुझे खुशी हुई है कि रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि हर प्रदेश को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। नार्थ-ईस्ट को बड़ी गंभीरता से हमें लेना चाहिए जिससे आज वहां जो समस्याएं उठी हैं वे दूर हो सकें। आज झारखंड की समस्या भी आपके सामने आ रही है। वहां के लीडर्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक समझौता हुआ था। उस समय खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। झारखंड में चुनाव न होने की वजह से वहां पर दुबारा एजीटेशन शुरू हो गया है।

अपरान्ह 5.00 बजे

जो भाई लोग हम को ब्लेम किया करते थे कि यह सरकार फैसला नहीं ले सकती, प्रधान मंत्री सोचते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि 8-9 महीने से आप खूब जाग रहे हैं। आप तो कहते हैं कि हम सोते हुए भी जागते हैं। आप कोई फैसला लो जिससे यह परेशानी दूर हो जाए। आज झारखंड की समस्या उसी तरह चल रही है। यहां सभी भाइयों ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बारे में जिक्र किया। वहां चुनाव हुए। उसमें सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। यह बात सही है कि कश्मीर की

हालत बहुत खराब थी। हम सब ने मिल कर कश्मीर में चुनाव कराए। यह बात सही है कि जब हमारी सरकार जा रही थी तो संसद के चुनाव हुए। इस हाउस में हमारी पार्टी के 3-4 भाई चुन कर आए। यह हमारी नीतियों और बहादुर भाई-बहनों का फल था कि उन्होंने हिम्मत से बन्दुक का मुकाबला किया। महोदया, आप भूली नहीं होंगी कि 1991 में जब हमारी सरकार बनी थी उस समय पंजाब और कश्मीर की हालत खराब थी। वहां कोई जा नहीं सकता था। मैं जब पंजाब और कश्मीर टूर पर जाता था तो वहां कई बार फायरिंग होती देखी। पंजाब में दिन भर हमारे भाई सोते थे और रात को एक कमरे में बैठ कर जागा करते थे लेकिन पंजाब के बहादुर भाइयों ने मजबूती से बन्दूक का सामना किया और आतंकवादियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। वहां चुनी हुई सरकार आई। हम चुनी हुई सरकार की कद्र करते हैं, वह चाहे अकालियों की हो और चाहे आपकी हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पंजाब को लाइटली न लें। वह सैनस्टिव स्टेट है। वहां राजनीति न करके पिछले इतिहास को पढ़ कर ऐसे कदम उठाएं कि दुबारा पंजाब में ऐसे हालात पैदा न हो। सरकारें आती-जाती रहती है। अगर एक बार देश की अन्दरूनी ताकत को चोट पहुंचती है तो हम उसे दुबारा भर नहीं पाते हैं। आप इसे गम्भीरता से लें।

जहां तक कश्मीर का सवाल है, उसका सरकार ने जिक्र किया। क्या उसने कश्मीरी माइग्रैंट्स को भेजने के लिए कोई योजना बना रखी है? तीन-चार महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं। मैं 15-20 दिन पहले श्रीनगर में था। मैंने वहां भी इस बात का जिक्र किया था कि जो लोग कश्मीर छोड़ कर चले गए हैं, वे जब तक वापस नहीं आ जाएंगे तब तक प्रदेश में पहले जैसा वातावरण नहीं बन पाएगा। टूरिज्म का जहां तक सवाल है, वह जब तक उठ नहीं पाएगा और माइग्रैंट्स वापस नहीं आयेंगे, एक साइकोलोजिकल कॉनफिडैंस बिल्ड-अप नहीं हो पाएगा। जो बातें नेशनल कान्फ्रेंस से चल रही हैं और जो आपकी सरकार ने मदद देने की घोषणा की है, वह उनको इम्पलीमैंट करवाए। कश्मीर में यह भी हवा थी कि सैंट्रल गवर्नमेंट जो घोषणा कर देती है, उसको फॉलो नहीं करती है। इसका बहुत बुरा असर वहां के लोगों पर पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि वहां के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। पिछले पांच सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टूट गया है। वहां सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल बिल्डिंग्स डैमेज कर दी गई हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि असली बीमारी जमायते इस्लामी ने शुरू की थी। जमायते इस्लामी ने उन पर प्रभाव डालना शुरू किया। उनके अन्दर जो रीलीजियस बेस था, उसको ब्रेन वाश करके उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। हम 1988-89 में उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने मदरसों से इसकी शुरूआत की थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी जो देश हित में नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर गौर करेगी। आई.एस.आई. जमायते इस्लामी के थ्रू ऐसे काम कराती थी जिसे चैक करना बहुत जरूरी है।

महोदया, मैं जोशी जी की बात सुन रहा था। उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र नहीं किया। आपकी सरकार ने लाल किले से घोषणा कर दी कि अलग से उत्तराखंड बनाया जाएगा। बी.जे.पी. वाले जो कि रोज उत्तराखंड-उत्तराखंड कहते थे, आज उनकी पार्टी के नेता उत्तराखंड के बारे में कुछ भी नहीं बोले। वह भूल गए। उन्होंने पहले जोश में कह दिया होगा।

महोदया, इस हाउस में आप भी उस समय मौजूद थीं जब उत्तरखांड की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में फायरिंग हुई। उस पर दो घंटे तक बहस चली थी। सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हुई। आज तक इस हाउस को यह नहीं बताया गया कि उस जांच में कितनी प्रगति हुई, कौन दोषी था, किस को सजा दी गई। इन बातों को न बताने से हाउस की क्रैडेबिल्टी गिर जाती है और हम लोग बाहर जाकर इसका जवाब नहीं दे पाते। पता नहीं उसकी क्या फाइडिंग रही हैं? आज यू. पी. में राष्ट्रपति शासन है। उत्तराखंड को लेकर मुजफ्फरनगर में जो फायरिंग हुई, वह देश के लोगों के सामने साफ होना चाहिए कौन इनका कसूरवार था और उनको क्या सजा दी गई।

स्टेट रीआर्गेनाइजेशन की बात कई बार चली। हर जगह से ऐसी बातें आती हैं। कभी महाराष्ट्र से विदर्भ की बात चलती है और उत्तराखंड, झारखंड, बोडोलैंड की बात आती है। वक्त आ गया है जब सरकार को इस पर सोचना चाहिए। वह दूसरा स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाए। लोगों की भावनाओं को जानने के लिए जरूरी है कुछ जानना। ऐसे में आन्दोलन बढ़ते हैं और वे दूसरा रूप ले लेते हैं। मैं अपील करूंगा कि स्टेट रीआर्गेनाइजेशन पर डिबेट हो। हम आपस में बैठ कर प्लस माइनस प्वाइंट देखें, कुछ कदम उठाने की कोशिश करें, विभिन्न पार्टियां इस बात को महसूस करें, कुछ इंडिविअल भाई लोग उस पर अपने जजबात रखें और कॉम्प्रीहैंसिव प्लान लेकर आएं कि स्टेट रीआर्गेनाइजेशन किस बेसिस और लाइन पर हो जाए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): आप सारे प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहिये।

श्री राजेश पायलट: वह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में तो कुछ कहा नहीं।

श्री राजेश पायलट: इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं। आप यहां पर लेट आये हैं।

सभापति महोदय, जब यह सरकार आयी थी तो सबसे पहले कहानी सी.एम.पी. में थी। श्री पासवान जी को याद होगा कि आपने कहा था क पारदर्शिता हमारी कुंजी होगी। जवाबदेही हमारी कुंजी होगी। यह नारा सबसे पहले दिया था और आपने कुछ फैसले भी लिये थे कि डिस्क्रीशनरी पावर्स को खत्म कर देंगे लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी पारदर्शिता और जवाबदेही दिखनी चाहिए थी, वह दिख नहीं रही है। आपको यह भी याद होगा कि इस हाउस में वोहरा कमेटी रिपोर्ट पर पूरे दिन बहस हुई थी और हर पार्टी ने अपनी बात कही थी। भाग्य से मैं इंटरनल सिक्यूरिटी मिनिस्टर था और मैंने खुद डिबेट में कहा था कि इस समय चार लाख करोड़ रुपया इस देश में ब्लैक मार्केटिंग, प्रोफिटिंग, अंडर वर्ल्ड एक्टीविटीज सिस्टम में आ गया है। देश की इंटरनल सिक्यूरिटी को बहुत खतरा है। जब तक इस पर कोई मानिटरिंग सिस्टम नहीं लगायेंगे तथा कोई मैकेनिज्म डैवलेप नही करेंगे तब तक नैक्सस बिटवीन पालिटिशयन्स और ब्यूरोक्रैट्स में बड़ता रहेगा और क्रिमिनलाईजेशन हो जायेगा। आप आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। उसमें एक सर्वे दिया गया है कि किस पार्टी के कितने लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, जो क्रिमिनल्स है। जब पालिटिक्स में क्रिमनल्स की एंटरी होने लगी तो सब ने आवाज उठाई थी। हमारे भाई श्री शरद यादव जब अपोजीशन में थे तो बड़ी मजबूती के साथ कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उस पर रोक प्रभावी ढंग से नहीं हो रही है।

श्री कमारुल इस्लाम (गुलबर्गा): इसमें लारजैस्ट पार्टी के क्रिमिनल्स कौन हैं?

श्री राजेश पायलट: मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि आप नाराज हो जायेंगे। उसमें तो आपकी पार्टी का नाम सबसे ऊपर दिया है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): जो चव्हाण साहब ने इंटरव्यु दिया है, उस पर भी प्रकाश डालें।

श्री राजेश पायलट: तो मैं कह रहा था कि क्रिमिलाईजेशन को रोकना हम सब के हित में है। यदि यह नहीं हुआ तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा और जैसा शरद जी ने कहा आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पायेगा। आज ये हालत हो गयी है। आज तो चुनाव में ठेका दे दिया जाता है कि 25 वोट हमारी तरफ से पक्के होंगे। ऐसी हालत देश में पैदा होने लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से कमेटी बैठायेगी कि इस पर क्या एक्शन लेना है और इस पर एक व्यापक एप्रोच भी आये।

सभापति महोदया, मुझे दुख है कि हाई प्लेसेज के लोग पोलिटिसाईज होने लगे हैं। सरकार में ज्वाइंट सैक्रेट्री से ऊपर की पोस्टिंग के लिए ए.सी.सी. में फैसला लिया जाता है, उसका टैन्योर फिक्स होता है और जिस आफिसर की पोस्टिंग हो जाती है, वह पांच साल तक आराम से काम करता है लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि कल इस मिनिस्ट्री को छोड़कर दूसरी मिनिस्ट्री में चला जायेगा। मेरा अनुरोध है कि धर्मबीर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुससार राज्यों में भी यह सिस्टम हो कि हायर पोस्ट्स में जैसे चीफ सैक्रेट्री, डायरेक्टर जनरल, सीनियर पोस्ट्स में एक टैन्योर हो और ए.सी.सी. में जाने का सिस्टम हो जिससे आफिसर काम कर सकें। पालिटिकल इन्वाल्वमेंट इतना न हो कि नैक्सस बिटवीन दी पालिटशियन्स एंड क्रिमिनल्स बढ़ जाये। इसमें एक स्टेबिलिटी नजर आये जिससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही जाहिर है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन दो पाइंट्स पर सरकार गंभीरता से गौर करेगी जिससे उन बातों को पूरा किया जा सके।

सभापति महोदया, अब मैं आर्थिक सुधारों की बात करता हूं। अभी दो-तीन दिन पहले वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन जो 1995-96 के बैंच मार्क हैं, 1996-97 में कितनी गिरावट आयी है, वह बताता हूं। माईनिंग एंड क्वैरीज में 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट था जो 1.7 पर आ गया, मैनुफैक्चरिंग 13.6 प्रतिशत था जो 10 प्रतिशत पर आ गया। इसी प्रकार बिजली, गैस, वाटर सप्लाई में 9.8 प्रतिशत था जो 4.2 पर आ गया, कंस्ट्रक्शन में 5.3 प्रतिशत था जो गिरकर 4.6 पर आ गया, ट्रेड होटल, ट्रांस्पोर्ट, कम्युनिकेशन्स 13.3 पर था जो 9.4 पर आ गया। इस तरह कम्युनिटी सोशल पर्सनल सर्विसेज में 6.2 प्रतिशत था जो गिरकर 4.9 पर आ गया है।

सरकार को सोचना पड़ेगा कि आपके बैंचमार्क क्यों गिरे? आप अनसक्सफुल क्यों रहे? या तो आपने मानीटरिंग नहीं की या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो बातें थी, उनको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एक कहावत है कि एक पुडिंग टेस्ट से पता चलती है, शक्ल से पता नहीं चलती। देखने से पुडिंग दूसरे ढंग की लग सकती है, लेकिन खाने के बाद कहते हैं कि पुडिंग बहुत अच्छी है। जब तक कामन आदमी पर उसका असर नहीं होगा, तब तक कामन मिनिमम प्रोग्राम का कोई असर नहीं होगा, भाषणों का कोई असर नहीं होगा। आम आदमी पर उसका असर होना चाहिए और आम आदमी पर असर डालने के लिए आपको थोड़ा झांककर देखना पड़ेगा कि हमारी कमजोरी कहां रह गई।

फूडस्टॉक की बात की गई है। मैं आज पायनीयर में पढ़ रहा था कि दो मिनियन टन है। हमारी सरकार जब गई थी तो 191 मिलियन टन फूडस्टॉक था। अब 185 मिलियन टन हो गया है। आज मैंने पढ़ा कि फूडस्टॉक इतना कम है कि जितना इमरजेन्सी में चाहिए, उसका भी आधा है। मैं नहीं समझता कि अखबार की यह खबर सच होगी, क्योंकि प्रधान मंत्री ने आज ही पी.डी.एस. पर बयान दिया है। लेकिन जहां फिगर्स आ रही हैं तो उनमें कहीं न कोई सच्चाई है कि यह स्टाक नीचे क्यों गिरा है।

इनफ्लेशन रेट्स की बात कही है। जब हमारी सरकार गई थी तो इनफ्लेशन 4.2 था और आज 7.8 हो गया है। एक सबसे बड़ी बात चल रही है जिसे मैं अपनी सरकार में भी कहता रहा हूँ और आज भी कहकर जाऊंगा कि जो नीतियां बनती हैं, वह गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमने खुद अपनी सरकार में माना था कि एक रुपया गांव में पहुंचाना चाहें तो कहीं 15 पैसे और कहीं 20 पैसे या 25 पैसे ही पहुंचते हैं। एक रुपये में से 15 पैसे पहुंचाने के लिए चार-छः रुपये और कुछ नये पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हैवी हो गया है, इसमें कास्ट जितना ज्यादा डिलीवरी सिस्टम में लगानी पड़ती है, उतनी डिलीवरी नहीं पहुंच पा रही है। इस सरकार से हमें उम्मीद थी। हमारे बारे में कहा जाता था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराना है, ये नहीं बदल पाएंगे। इस सरकार से मेरा पूछना है कि एक रुपये में से एक रुपया क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? आपने सी. एम. पी. में कहा था कि हमारा सबसे अधिक ध्यान डिलीवरी सिस्टम पर होगा। आज भी वही हालत है।

हमने असम का एक दौरा किया था। डिब्रूगढ़ से हम चले आ रहे थे। राजीव जी प्रधान मंत्री थे और मैं ट्रांससपोर्ट मिनिस्टर था। एक जगह हमने गाड़ी रोकी। राजीव जी ने कहा कि यह सड़क कौन से प्रोग्राम में बनी? जवाब आया कि इस प्रोग्राम में बनी। उन्होंने कहा कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो बताया कि इतना पैसा खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि रजिस्टर दिखाओ तो रजिस्टर दिखाया। चार महीने का रजिस्टर एक ही हैंडराइटिंग और एक ही स्याही से भर रखा था। राजीव जी ने कहा कि यह क्लर्क एक दिन भी छुट्टी पर नहीं गया था उसने चार महीने में स्याही भी नहीं बदली? उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी का टुअर था। हमने सब रिकार्ड अप टु डेट करवा दिये। डिलीवरी सिस्टम और इंप्लीमेंटेशन में इतना फर्क चल रहा है। यह सिस्टम की खराबी है। जब तक सरकार इनको सख्ती से नहीं देखेगी, तब तक हमारी नीतियां गांवों में नहीं पहुंचेगी। मैं शरद जी से सहमत हूं कि 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है। गांव नहीं उठेंगे तो देश नहीं उठेगा। लेकिन अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत चल रहा है। लिट्रेसी रेट गांव और शहरों में बहुत भिन्न है। मैं पढ़ रहा था कि गांव में औसतन एक लाख की आबादी पर अस्पताल में 18 बैड का औसत आता है। शहर में 256 का औसत आता है। इतना अर्बन और रूरल में डिवाइड रखेंगे तो दरार और बढ़ती जाएगी और जो गांवों की गरीबी हम दूर करना चाह रहे हैं, वह दूर नहीं कर पाएंगे।

मैंने पता लगाया कि आप लोगों ने मिड डे मील शुरू किया था। उसके लिए 1400 करोड़ रुपये अलाट किये थे। उसके भी तीन-चार सौ करोड़ रुपये वापस हो गए हैं। इस तरीके के जो काम चल रहे हैं, इनको पर्सनली देखकर आपको करना पड़ेगा। ऐण्टी पावर्टी प्रोग्राम की बात कही गई है। हमारी सरकार थी तो जवाहर रोजगार योजना, सेल्फ इंप्लायमेंट प्रोग्राम और कई योजनायें चलाई थीं, लेकिन उनका फिलट्रेशन इतना होता था कि गांवों में नहीं पहुंच पाती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कंप्रिहेन्सिव प्लान ऐण्टी पावर्टी का बनाए और उस पर भी पार्लियामेंट में बहस हो कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स क्या चाहते हैं जिससे पावर्टी ऐलिविएशन की तरफ हम जाएं। मैंने सुना कि प्लानिंग कमीशन में बहस चल रही है कि फारमूला सही है या नहीं। एक तरफ तो फारमूला दे रहे हैं कि हम अभी भी पावर्टी लाइन से 40 प्रतिशत नीचे हैं और दूसरी तरफ बहस कर रहे हैं कि पावर्टी को नापने का फारमूला सही है या नहीं।

अपराह्न 5.15 बजे

(श्री नीतीश कुमार *पीठासीन* हुये)

लेकिन फार्मूला जो मर्जी सही, हम सब समझते हैं, चाहे हम किसी पार्टी, किसी क्षेत्र से आये हों कि देश में अभी गरीबी है और देश में गरीबी दूर करने के लिए काम्प्रीहेंसिव एप्रोच जब तक इस पार्लियामेंट से नहीं जायेगी और सब पार्टियां उसमें मन लगाकर उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगी, तब तक हम गरीबी दूर नहीं कर पायेंगे। भारत का इतिहास रहा है कि जब लिब्रेलाईजेशन शुरू भी नहीं हुआ था और जब पहले लिब्रेलाईजेशन हुआ तो आजादी के बाद 1991 में हिंदुस्तान इंडस्ट्रियल हाऊस में बारहवें नम्बर पर था। लेकिन जब ग्रोथ पर जाइये तो हिन्दुस्तान 134वें नम्बर पर आता है। अभी हम बारहवीं इंडस्ट्रियल पवर विदेश में बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट 134वें नम्बर पर आ रहा है। तो यह फर्क क्यों है? इसका कारण क्या है और मैंने पता लगाया है कि कुछ देश चीन, कोरिया और मलेशिया हैं यहां पर एलोकेशन भी लाईक एजूकेशन है। वहां पर एलोकेशन कोई हमसे ज्यादा नहीं है। लेकिन उनका डिलीवरी सिस्टम इतना अच्छा है कि उनका एलोकेशन हमसे कम होते हुए भी उनके रिजल्ट्स हमसे ज्यादा अच्छे हैं। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि

चीन का इैनवेस्टमेंट ज्यादा क्यों हुआ। लोग चीन में गये, लेकिन उनकी पालसीज फर्म रही हैं। हमारी पालिसीज में कहीं तो कमी है कि इनवेस्टमेंट आ नहीं रहा है और अगर इनवेस्टमेंट आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके क्या कारण हैं? जिस तरीके से हमारी सरकार ने शुरूआत की थी उसको आपको उसी तरीके से लागू रखना चाहिए था, जिससे कांफीडेंस बिल्ड-अप रहता, वह कंफीडेंस शेक-आप हो गया। अब आगे लोग सोचते हैं कि भारत में इनवेस्ट करें या नहीं करें, आप कांफीडेंस बनायें जो शेक-अप हुआ है, कांफीडेंस गिरा है, उस कांफीडेंस को रीबिल्ड करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। मैं सब पार्टियों से अपील करूंगा कि जहां देश के डेवलपमेंट की बात है, उसमें हम सबको एक आवाज में बोलना चाहिए, जिससे कि बाहर यह असर बिल्कुल न जाए कि वहां पर इनवेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। देश के हालात ऐसे हैं, हम इसमें बिल्कुल आपके पक्ष में हैं और हम इसमें आपका समर्थन करते हैं। मैं महसूस करता हूं जैसा श्री शरद यादव जी ने कहा है कि अर्बन और रूरल में अगर डिवाइड बंद करना है तो जब तक गांवों में सुविधा नहीं दी जायगी, तब तक गांवों में संतोषजनक प्रगति नहीं होगी। आज अगर एक ब्लाक लेवल पर आप एक अस्पताल 50 बैड का बना दें या 100 बैड का दें, एक कॉलिज बना दें, एक आई.टी.आई. बना दें, वहां पर एक एग्रीकल्चरल रिसर्च सैंटर खोल दें तो फिर गांव वालों को शहर में आने की जरूरत नहीं है। वहां पर कम्युनिकेशन सैंटर बना दें, वहां पर एक जनरल स्टोर बना दें, जिससे कि हर जरूरत की चीज गांव वालों को वहीं पर मिल जाए तो फिर उनको गांव छोड़कर शहर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सरकार ने अब तक कोमन मिनीमम प्रोग्राम में जरूर कहा है लेकिन अब तक कोई ऐसा प्लान सरकार ने नहीं दिया है जिससे यह कांफीडेंस हो कि अर्बन और रूरल को डिवाइड करना यह बंद करेंगे। तो सरकार ने जो कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में आगे करने के लिए कहा है कि उसके इम्पलीमेंटशन की भी एक कापी सोमनाथ दादाजी आप बनाइये, जिससे लोगों को महसूस हो कि सी. एम. पी. ही नहीं, इसके आगे इम्पलीमेंटेशन का काम भी चल रहा है।

सभापति महोदय, एक बात रूरल क्रेडिट की भी कहना चाहता हूं। बंगलादेश में एक ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट स्कीम है। मैंने उसके बारे में कई जगहों पर पढ़ा है। यह इतना सक्सेफुल है कि गांववालों को उसमें क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है और उसकी रिकवरी भी 90 परसेंट के करीब है। यहां दिक्कत बैंकों में आती है, गांवों में रिकवरी उतनी नहीं है, इसलिए बैंक गांव में नहीं जाते, गांव वालों को बैंक क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं। तो मुझे इस अभिभाषण में उम्मीद थी, मेरी कई बार अपने साथियों से बात हुई है कि ऐसी स्कीम जो उन्होंने लागू की है, बंगलादेश की आर्थिक स्थिति तो हमसे कमजोर है, वह अपने गांव वालों को इतनी सुविधा दे सकता है, इतनी क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है तो हमारी सरकार उसको क्यों नहीं अपनाती है। मैं महसूस करता हूं कि जब तक गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा और गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गांवों के गरीब किसानों और गरीब मजदूरों को हिम्मत देनी पड़ेगी। मैंने अपनी पार्टी की सभाओं में भी कहा है कि अगर आपकी जेब में पैसा है, आप बाजार में घूम लीजिए, आपको भूख नहीं लगती और अगर जेब खाली है तो घर बैठे भूख लगती है कि शाम के खाने का क्या होगा? तो वह आर्थिक हिम्मत गांवों में नहीं आ रही है और वह हिम्मत तभी आयेगी जब कि यह फैसिलिटीज दी जाएं तो उनको ऊपर उठा सकती हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सोमनाथ जी अगली मीटिंग में इस बात का जरूर जिक्र करेंगे, क्यों मैंने सुना है इन बातों के बारे में आपकी ज्यादा सुनी जाती है।

सभापति महोदय, डिफेन्स की बात चली है। मेरे कई साथियों ने अपने-अपने जज्बात डिफेन्स के मॉडनाइजेशन के लिए दिये हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब सरकार बजट लायेगी तो इनका ध्यान रखेगी। पहले बजट में कुछ कमी थी, जब डिफेन्स कंसल्टेटिव कमेटी ने कहा था, डिफेन्स में थोड़ा उसमें बढ़ोत्तरी करने के लिए सरकार ने वायदा किया है और डिफेन्स फोर्सिज के मॉडल पर आज सुबह बहस हुई थी कि पायलटों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। आपको यह भी देखना है कि डिफेंस फोर्सिज का मोरल नीचा न हो। आज एयर फोर्स के पायलट की आप तनख्वाह देखिये। मैंने खुद एक दिन जिक्र किया था कि बी. एस. एफ. के पायलट को भी एयर फोर्स के पायलट से ज्यादा पैसे मिलते हैं। इंडियन एयर लाइन्स के पायलट की तनख्वाह कहां है और एयर फोर्स के पायलट की कहां है, उसके भी कुछ कारण हैं। अगर डिफेंस फोर्सिज का मोरल नीचे जायेगा और कमजोर होगा तो वह देश के हित में नहीं है।

बहुत दिनों से इस देश में 'वन रैंक वन पेंशन'' की बात चल रही है, जब आपकी सरकार 1989 में थी, वी. पी. सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उस समय इसकी शुरूआत हुई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे आप जल्दी पूरा करेंगे। उसी तरह डिफैंस में, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की बात भी बहुत दिनों से चल रही है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अब एक जरूरत बन गई है, इस देश में नेसनल सिक्योरिटी कौंसिल होना बहुत जरूरी है और सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

अंत में, सभापति जी, आज हम ऐसे वक्त पर मिल रहे हैं, जब हमारा देश आजादी की 50वीं साल पूरी करने जा रहा है। अभी मैं, 14 अगस्त, 1947 को कांस्टीटूएंट असैम्बली में हमारे महान नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की, उन्हें देख रहा था कि क्या उनके जजबात थे, क्या उनके दिल में था। वैसे मैं उस वक्त नहीं था, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने खुद लाइब्रेरी में जाकर अपने फ्रीडम फाइटर्स की भावनाएं नोट की जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी इस देश के लिए कुर्बान कर दी। उस वक्त डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि आज हम ऐसे वक्त पर मिल रहे हैं, जब इस देश के अनेक लोग हंसते और मुस्कराते हुए, गोलियों का सामना करते हुए, फांसी के फंदे पर लटक जाते थे। जब मैं कोहिमा गया था, वहां एक चौक पर मैने खुद इस लाइन को लिखा देखा–

[अनुवाद]

"जब आप घर वापस जाएं तो उन्हें बतायें कि हमने उनके भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।"

[हिन्दी]

जो फ्रीडम फाइटर्स कोहिमा की लड़ाई में मारे गए थे, उनके बारे में ऐसी भाषा वहां लिखी हुई हैं। उस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन मूव किया था जिसमें उन्होंने अपने भाव, अपने जजबात व्यक्त किये थे। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ गयी है। जब वे रिजौल्यूशन मूव कर रहे थे तो डा. एस. राधाकृष्णन ने अपने भाषण में बड़े साफ शब्दों में कहा था, उसे मैं आपके समाने कोट करना-चाहता हूं:-

[अनुवाद]

डा. राधाकृष्णन ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा:

"मैं आपको सचेत करता हूँ कि जब सत्ता प्रतिभा का हनन करेगी तो हमें बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा – रोटी, कपड़ा, मकान और सामाजिक सेवा वे मामलों में आम लोगों के हितों की पूर्ति से स्वतंत्र भारत की पहचान हो सकेगी।"

डा. राधाकृष्णन ने ये बात 1947 में उस समय कही जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। उस समय कोई सरकर नहीं थी और हम सरकार बनाने वाले थे। उस महान नेता को भारत के भविष्य की जानकारी थी और तदनुसार उन्होंने इस बारे में सचेत किया था। उन्होंने आगे कहा:

"जब तक हम इस देश से उच्च स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, सत्ता लोलुपता, मुनाफाखोरी, काला-बाजारी को समाप्त नहीं करते, जिसने हाल के वर्षों में इस महान देश की छवि धूमिल की है, तब तक हम प्रशासन के स्तरों तथा जीवन में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के स्तर में सुधार नहीं ला सकते हैं।"

डा. राधा कृष्णन ने यह भावना 14 अगस्त, 1947 की अर्द्धरात्रि को व्यक्त की थी।

[हिन्दी]

आज जब हम देश में आजादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि हम पोलिटीशियन्स की क्रेडिबिलिटी, पोलिटिकल करेक्टर इतना गिर गया है कि जो समझदार और इज्जतदार आदमी हैं, वे सिर झुकाकर वक्त गुजारते हुए निकल जाते हैं। आज हमें जैसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, जिस तरह की बातें कही जाती हैं, मैं महसूस करता हूं कि यह किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, किसी सरकार की बात नहीं है बल्कि हम सबकी बात है। एक जमाना था जब नेताओं के भाषण सुनने के लिए लोग दौड़कर आते थे लेकिन आज वह जमाना आ गया है कि भीड़ जुटानी पड़ती है, खाना खिलाना पड़ता है, गाड़ी लगानी पड़ती है, तब जाकर लोग नेताओं के भाषण सुनने आते हैं। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि जब हम आजादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, हम 50 साल पहले का इतिहास देखें, उस वक्त के नेताओं के जजबात देखें। हमारी जैनरेशन ने फ्रीडम मूवमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया लेकिन सबसे ज्यादा फल उसका हम लोग भुगत रहे हैं। मेरे जैसे करोड़ों भाई महसूस करते हैं, जो गांवों में, झोपड़ियों में, चौपालों पर बैठते हैं कि आज वक्त आ गया है कि हम भी ऐसा एक रिजोल्यूशन अपने विभाग में लाएं, सही टाइम पर लाएं, आगामी 15 अगस्त, 1997 को हमारी आजादी के 50 साल पूरे होने वाले हैं, मैं चाहता हूं और अपील करता हूं कि सबसे पहले हम अपनी क्रेडबिलिटी बनाएं। हम अपने-अपने क्षेत्र में जाएं और वहां उस प्लैज को रिपीट करें जो प्लैज पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ली थी, उसके साथ अपने आपको जोड़ें। आज सबसे ज्यादा करप्सन पर, राजनीति में उंगली उठने लगी हैं क्योंकि प्रजातंत्र में और डैमोक्रेसी में पोलिटिकल पार्टीज इम्पोर्टेंट हैं।

दूसरे दोनों इस्टीट्यूशंस ठीक हो जाएंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे जुडीशियरी हो। जब तक लैजिस्लेचर ठीक नहीं होता, तब तक कोई भी ठीक नहीं होता।

[अनुवाद]

क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जो लोगों द्वारा निर्वाचित होता है।

[हिन्दी]

और हम सारे कहें सरपंच से लेकर जिला परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद सभी कहें।

[अनुवाद]

हम अपने क्षेत्रों में अपनी परिसम्पत्तियों और दायित्वों के बारे में बताते हैं जिससे कि हमारे लोग यह जान सकें कि श्री पायलट ने क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। हम यह भी घोषणा करते हैं कि यदि हम कोई गलती करते हैं तो हम हर वर्ष आपके पास आकर आपको इस बारे में बतायेंगे। हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए हमें वह कदम नहीं उठाना चाहिए। सभापति महोदय, इससे हमारी विश्वसनीयता कम होगी और यदि राजनीतिक चरित्र का ह्रास होता है तो इससे राष्ट्रीय चरित्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस देश में यही समस्या है। आज हमें इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अगली पीढ़ी को भी इस समसया का सामना करना पड़ेगा। इससे युवा पीढ़ी परेशान है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पच्चासवें वर्ष में हमें अपने तरीके से एक विशेष संकल्प लागू करना होगा। विपक्ष के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि जब भी वह या प्रधान मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर दें, वे कृपया इस पर अपनी टिप्पणी जरूर व्यक्त करें। यदि सरकार इसे स्वतत्रता की पच्चासवीं वर्षगांठ के समारोहों के अवसर पर उठाती है तो यह निस्संदेह उन स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माओं के प्रति सम्मान होगा जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिये न्योछावर कर दिया।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वह कार्य शुरू करें। कृपया कार्य की प्रक्रिया को तेज करें। प्रत्येक व्यक्ति से आपको अपेक्षा है। शरद जी ने कमजोर सरकार के बारे में ठीक ही उत्तर दिया। आप कमजोर नहीं हैं। हम आपको कमजोर नहीं कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कार्यवाही करें। आपने घोटालों और भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। विगत आठ महीनों के दौरान किसने आपको कर्यवाही करने से रोका? कृपया हमें बतायें कि आपने, विशेषकर एक मामले में, क्या कार्यवाही की? लेकिन आप प्रतिदिन यह नहीं कह सकते कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर यह दोषारोपण कर रहे हैं कि उस अवधि में घोटाले हुए थे। वह अवधि समाप्त हो चुकी है। हम चुनाव हार गए हैं। हमने जो कुछ किया उसकी सजा हमें मिली। लेकिन आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति या किसी पार्टी संगठन के विरुद्ध कुछ पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। यह हमारी अपील है और तभी आप राष्ट्र को बचा सकते हैं।

अंत में, मेरा यह कहना है कि जहाँ तक कांग्रेस दल का संबंध है, जब तक आप आर्थिक रास्ते पर चलते रहेंगे और देश को सुदृढ़ बनाते रहेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। जब तक देश के साम्प्रदायिक तत्वों के साथ लड़ते रहेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। किंतु हम इस बात को वस्तुतः देखना चाहते हैं कि आप साम्प्रदायिक बलों के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से साम्प्रदायिक ताकतें फिर से अपना सिर उठाने लगी हैं। आप सामप्रदायिक बलों के साथ सख्ती से नहीं निपटे हैं।

मुझे आशा है कि आज हमने जो कुछ भी कहा उस पर सरकार कुछ कदम उठाएगी। हम तब तक आपको समर्थन देना जारी रखेंगे जब तक आप इस रास्ते पर चलते रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी समिति ने स्पुष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस तब तक आपका साथ देती रहेगी जब तक आप राष्ट्रीय हित में कार्य करते रहेंगे। हमारे समर्थन को हमारी कमजोरी न समझें। हमने पहले भी कहा है कि हम उनके जैसे नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गहलोत (शाजापुर): यह कहकर आपने अपने अभी तक के सारे भाषण पर पानी फेर दिया।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: इन शब्दों के साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश के भविष्य हेतु इस सभा द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, इस सभा का एक युवा सदस्य होने के नाते मैंने अपने विचार जाहिर किये हैं। मेरे विचार से राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए।

सभापति महोदय: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है?

श्री राजेश पायलट: मेरा कहना है कि सरकार को सावधान रहना चाहिए। हम उन पर नजर रखे हुए हैं; हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। जब कभी भी हमें महसूस होता है कि वे गलती कर रहे हैं तो उन्हें हमारे समर्थन को निश्चित मानकर नहीं चलना चाहिए।

—

अपराह्न 5.30 बजे

[अनुवाद]

हुगली के समीप हावड़ा-दिल्ली मेल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में

श्री रूप चन्द पाल (हुगली): महोदय, मेरे जिले में आज एक भीषण रेल दुर्घटना हुई है। हावड़ा जा रही दिल्ली मेल बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक पर एक बस से टकरा गई जिससे चार लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और अन्य चार की रास्ते में मृत्यु हो गई। 19 लोग अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं।

सभापति महोदय: यह दुर्घटना कब हुई?

श्री रूप चन्द पाल: यह दुर्घटना आज सुबह 7.45 बजे हुई। माननीय रेल मंत्री सभा में उपस्थित हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वह लोगों को बताएं कि यह दुर्घटना कैसे हुई तथा इस दुर्घटना में शिकार हुए लोगों को उचित सहायता और क्षतिपूर्ति भी सुनिश्चित किया जाए। माननीय रेल मंत्री सभा को बताएं कि यह दुर्घटना कैसे हुई।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति जी, इस घटना की जानकारी आज सुबह नौ बजे ही मुझको मिल गई थी और मैं चाह रहा था कि जीरो आवर के समय इस घटना के बारे में कुछ कहूं, लेकिन उस समय बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये जा रहे थे। इसलिए मैंने उस समय इंटरवीन नहीं किया, लेकिन यह घटना घटी है। मुझे इसकी जहां तक जानकारी है, इस घटना में बस के ड्राइवर का कितना दोष है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रेलवे के ड्राइवर का दोष है।

चूंकि उसको सस्पैंड कर दिया गया है और अभी हमने 10 हजार रुपये की घोषणा की है। लेकिन यदि हमारी तरफ से गलती हुई है तो पैंसेजर्स को और अधिक कम्पैनसेशन देने का काम किया जायेगा। ... *(व्यवधान)* मैंने तो इसलिए कहा कि यदि हमारे पार्ट में गलती है तो और भी चीज होगी। इसलिए हम विस्तार से उसकी जांच करा रहे हैं और मैंने सीनियर आफिसर से कहा है कि वह जांच करके हमें रिपोर्ट दें। जो कम्पैनसेशन का मामला है या आफिसर की लापरवाही का मामला है, किसी को भी नहीं बख्शा जायेगा।

श्री जी. एल. कनौजिया (खीरी): हमारे उत्तर प्रदेश में रेलवे की बहुत सी कम्पलेंट्स हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब रेलवे बजट आयेगा तब उस पर आप कहिये। अभी आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: किसी स्पेशल केस को उठाने की इजाजत दी है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि सभी बोलने लग जायें। हर क्षेत्र में ऐसा ही है।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.34 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – *जारी*

सभापति महोदय: जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं उनकी वरीयता कल समाप्त हो जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मेरे बारे में क्या निर्णय लिया।

सभापति महोदय: आपका मामला भिन्न है।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह): मैं अपने मित्र श्री शरद यादव द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने हेतु खड़ा हुआ हूं।

यह बड़ी विचित्र स्थिति है। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया है और इसे कांग्रेस द्वारा बाहर से समर्थन किये जाने के अतिरिक्त तेरह दल समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यह बड़ी विभिन्न स्थिति है कि दो प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस जिनकी सदन में कुल सदस्य संख्या लगभग 300 है और इस प्रकार पूर्ण बहुमत हासिल है, सत्ता के बाहर हैं और अन्य छोटे-छोटे दलों ने मिलकर सरकार बना ली है जिसे एक प्रमुख दल का समर्थन प्राप्त है। ऐसा क्यों हुआ? हमें इस स्थिति का विश्लेषण करना होगा।

ऐसा केवल एक कारण से हुआ वह यह है कि क्या हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विश्वास रखते हैं या साम्प्रदायिक राजनीति में? इसी विभाजन के कारण, हालांकि अनेक मुद्दों पर विरोधी विचार हैं, हम इकट्ठे हुए हैं। बुद्ध और गांधी की इस धरती पर हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति बहाल करना चाहते हैं। अब मुद्दा यह है

कि क्या हम इसके बारे में वास्तव में गम्भीर हैं? हमें अपना दिल टटोलकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। कांग्रेस की स्थिति एकदम स्पष्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अधिकतर समय में कांग्रेस ही सत्ता में रही।

कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने सोचा कि धर्म के आधार पर सरकार की कोई नीति नहीं होती क्योंकि सारे मनुष्य एक हैं चाहे उनका जाति धर्म कुछ भी हो। उनके सुख-दुःख एक हैं इसलिए धर्मनिरपेक्ष की राजनीति होनी चाहिए। कांग्रेस और उसका नेतृत्व देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का संस्थापक रहा है। जब आप यह स्थिति स्वीकार करते हैं तो मैं सरकार में अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह देश में इस महत्वपूर्ण स्थिति से सहमत हैं?

उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक बात का उल्लेख किया है कि यह मिली जुली सरकार का समय है। परन्तु उन्होंने इस बात को विस्तार से नहीं बताया कि मिली जुली सरकार क्यों सत्ता में आयी? इसमें एक और महत्वपूर्ण पक्ष हाल के उपचुनावों में उभरकर सामने आई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों का आचरण अशोभनीय था। यह कांग्रेस, जनता दल या कम्युनिस्ट दलों द्वारा चुनाव जीतने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह धर्मनिरपेक्ष ताकतों और गैर-धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच द्वन्द्व का प्रश्न है। जो प्रतिक्रिया सरकार से आनी चाहिए वह नहीं आ रही है। आज हम इसी का परिणाम देख रहे हैं। लेकिन इसका जवाब किसी न किसी को तो देना ही होगा।

हम सब उत्तर प्रदेश राज्य में लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व में प्रचालित सभी शासन तन्त्रों में लोकतांत्रिक प्रणाली सबसे अच्छी है। इसीलिए हमने इसे अपनाया था। परन्तु फिर यह प्रश्न उठता है कि जब आप यह मानते हैं, चाहे व्यक्तिगत रुचि अथवा अरुचि के कारण धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट होकर सरकार नही बना सकती थीं? फिर हम किस तरह का धर्मनिरपेक्षवाद अपना रहे हैं? लोग ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब वे मानते हैं कि देश का लोकतांत्रिक राजनीति से अभिन्न संबंध हो गया है तो शासक दल तथा सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उन्हें इसे कार्यान्वित करना होगा। उन्हें अपना दिल टटोलना होगा। यदि वे ऐसा नही कर पाए तो वे इस देश के लोगों के मन में साम्प्रदायिक ताकतों के प्रति लगाव उत्पन्न करने का कारण बनेंगे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यदि वे भविष्य को भांप नहीं पा रहे हैं तो ऐसा अवश्य होगा। जिस बात को आप नहीं चाहते उसे देश भी नहीं चाहता। सरकार को इस पर विचार करने का सबसे उपयुक्त समय आ गया है।

मैं सरकार का ध्यान एक दूसरे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल ने तैयार किया है। राष्ट्रपति एक प्रिय और विद्वान व्यक्ति हैं। जब हम अभिभाषण में निहित कुछ मुद्दों की आलोचना करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हम राष्ट्रपति या उस पद की आलोचना कर रहे हैं। हम केवल अभिभाषण की कमियाँ अथवा उसमें अनुलिखित बातों पर चर्चा करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय ने अनेक बातों का उल्लेख किया है परन्तु उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया है जैसा कि श्री मुरली मनोहर जोशी ने ठीक ही कहा है कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की शताब्दी पूरा देश मना रहा है पर उसका उल्लेख नहीं किया गया। एक केन्द्र-स्तरीय समिति के सभापति प्रधान मंत्री स्वयं हैं – इसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानियों के सिरमौर का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया।

हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। मैं यहां बताना चाहूँगा कि मैं संघ राज्य क्षेत्र से आता हूं। मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आता हूं जिसे शहीदों की भूमि कहते हैं। मैं ऐसे द्वीप से आता हूं जहां 'सेल्यूलर जेल' है। मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार तिरंगा फहराया था।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। करीब पांच या चार छोटे संघ राज्य क्षेत्र हैं। इनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इनका शासन कैसे होता है? इन क्षेत्रों का क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर यह देखने की जिम्मेदारी सरकार की है कि गणराज्य के सभी भागों की समुचित देख-रेख हो और इसे वांछित महत्व दिया जाए। द्वीपवासियों की शहादत का भी उल्लेख होना चाहिए था। इसका 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से उल्लेख किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों को निर्वासन के लिए अंडमान सैल्यूलर जेल से लाया गया। राष्ट्रपति अभिभाषण में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुख्यात सैल्यूलर जेल में, जहाँ ब्रिटिश राज के उत्पीड़न के कारण अनकों स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई, कुछ अनुकरणीय कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए था।

हाल ही में न्यायपालिका के बारे में अनेक बातें कही गई हैं परन्तु अभिभाषण में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

न्यायपालिका के बारे में अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं और चर्चाएं हुई हैं। न्यायपालिका के बारे में विभिन्न प्रकार की राय व्यक्त की जाती है इनमें कुछ विरोधाभास भी है। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राज्य को मुकद्दमा लड़ने वालों के लिए बेहतर न्यायाकि व्यवस्था करनी चाहिए। चार-पांच मामलों का काफी प्रचार किया गया है परन्तु लाखों मामले वर्षों से न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और जनता को समय से न्याय नहीं मिल पाता है अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नही किया गया है कि न्यायपालिका को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाएगा। न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए और क्या कार्यवाही की जाएगी।

न्यायपालिका ने निस्संदेह कुछ कार्य किए हैं। मैं यह मानता हूँ कि न्यायपालिका काफी समय से लंबित मामलों में कुछ अच्छा कार्य कर रही है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनके बारे में न्यायपालिका को समुचित ढंग से विचार करना चाहिए। सरकार को जनता के मामलों और उसकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय से यदि कोई समस्या पैदा होती है तो ऐसे निर्णय पर विचार करना और उसकी समीक्षा करने की जिम्मदारी सरकार की है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसे सरकार की असफलता माना जाएगा और हम ऐसी प्रवृत्ति का समर्थन नहीं कर सकते हैं। जहां तक देश में आत्म-निर्भरता का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि आत्म-निर्भरता शब्द खत्म हो गया है। अब इसका कोई महत्व नहीं है। इससे पूर्व यह राज्य की नीति थी। इस नीति को पुनः अपनाया जाना चाहिए। उसके बाद देश को उसका अनुसरण करना चाहिए। यदि आप हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो आप लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पायेंगे।

वेतन आयोग के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। पांचवें वेतन आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है, परन्तु सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार हम समझते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधान मंत्री से मिले हैं और उन्होंने इन सिफारिशों पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की है। ऐसा पहली बार हुआ है। इस मामले में कुछ गंभीर प्रयास किये जाने चाहिएं और सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वेतन आयोग ने नई भर्तियों पर रोक लगाने और कुछ पदों को समप्त करने की सिफारिश की है। यदि इन सिफारिशों को मान लिया गया तो क्या होगा? आयोग ने सेवा निवृत्त की आयु दो वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे सरकारी सेवा में निराशा पैदा होगी।

अब मैं कुछ बातें भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया है। सरकार प्रभावशाली लोगों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, न्यायिक अधिकारियों तथा सभी धनाढ्य लोगों की इस बारे में जांच करे कि उन्होंने यह सम्पत्ति कैसे एकत्रित की। सरकार को इसके संबंध में ठोस कदम उठाने चाहिएं। इसका सभी लोग स्वागत करेंगे।

अब मैं कुछ बातें पूर्वोत्तर क्षेत्र, त्रिपुरा और असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ मेरे कुछ साथियों ने कहा कि यह स्थिति बड़ी निराशाजनक है। इसलिए सरकार इस पहलू की धीमी गति से जांच न करे। इसकी न्यायसंगत जांच की जानी चाहिए। सरकार को इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

आधारभूत विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि बन्दरगाह और पत्तनों के क्षेत्र में विदेशी पूजी निवेश किया जा रहा है। वे विद्युत क्षेत्र में पूँजी निवेश के इच्छुक हैं। उनकी किसी और दूसरे क्षेत्र में रुचि नही है। उदाहरण के लिए रेलवे को ही लीजिए। भारतीय रेलवे की 62,500 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन है। भारतीय रेलवे अन्य परिवहन प्रणाली के समान कार्य कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमने केवल 4500 किलोमीटर लंम्बी रेल लाइन बिछाई है। आज विश्व में भारतीय रेलवे का प्रथम स्थान है। केवल भारतीय रेलवे ही सरकार को धन दे रहा है। केवल भारतीय रेलवे ही लाभ कमा रहा है। सरकार ने केवल भारतीय रेलवे का ही बजटीय समर्थन 75 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया है। सरकार चाहती है कि रेलवे धनराशि जुटाए और अपनी आधारभूत संरचना का विकास करे।

क्या यह सम्भव है? सरकार सड़कों के निर्माण के लिए हवाई पंट्टियों के निर्माण के लिए धन खर्च करती है लेकिन रेलवे के मामले में कहती है कि वह कुछ नहीं करेगी। सब कुछ रेलवे को अपने आप ही करना पड़ेगा। भाड़े की दरें और किराये का ढाँचा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है परन्तु रेलवे से बाजार से ऋण लेने के लिए कहा जा रहा है। यह कैसे सम्भव है? इस संबंध में हमारा न्यायसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए कि सरकार इस पर अधिक बल दे क्योंकि इस समय नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। इसलिए उन्हें आधारभूत संरचना के विकास पर अधिक बल देना चाहिए और केवल तब ही रेलवे सफल होगी। यदि आप चाहते हैं कि साझा-न्यूनतम कार्यक्रम सफल हो, आपको ये सब कदम उठाने ही पड़ेंगे? जहाँ तक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का संबंध है, यहाँ पर पन्द्रह बातों का उल्लेख किया गया है। मैं नहीं जानता कि वे इन बातों को कैसे पूरा करंगे और इनके लिए कहाँ से धन आएगा। इस प्रकार की बातें करना बड़ा आसान है। उनका इरादा

बड़ा नेक है परन्तु वे इन सब बातों का कार्यान्वनय कैसे करेंगे। मैं मानता हूँ कि यदि उन्हें 1,32,000 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी तो उन्हें 62,500 कराड़ रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे और 66,000 करोड़ रुपये मूलधन के देने होंगे इस तरह उनके पास 3500 करोड़ रुपये रह जायेंगे। इससे उन्हें साझा-न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे अथवा यह राशि भारत के गरीब लोगों के लिए खर्च की जाएगी। इस बात को समझना चाहिए।

सुरक्षा के बारे में यह कहना चाहूंगा कि सुरक्षा किसी भी देश के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा के सभी पहलुओं पर बोला जा चुका है मैं केवल एक साधारण और छोटे से पहलू पर बोलना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यदा-कदा अतिक्रमण की घटनाएं हुई है। अवैध शिकारी बड़े जहाजों के साथ मध्य समुद्र में इन्तजार करते हैं। अवैध शिकारी हमारे क्षेत्र में घुसते हैं और सारी समुद्री सम्पदा ले जाते हैं। सरकार इसे रोकने में सक्षम नहीं है। क्यों? यदि मैं तट रक्षक बल के प्राधिकारियों को कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ तो वे कहते हैं कि उनके पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं और इस कार्य को पुलिस बल और अण्डमान प्रशासन को करना होगा।

गत दो वर्षों से वे अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों को सुरक्षा के लिए वे समुद्री पुलिस बल हेतु प्रस्ताव रख रहे हैं फिर भी यह सरकार यह निर्णय नहीं ले सकी कि इसे दिया जाए या नहीं। वे यह भी निर्णय नहीं कर सके कि यह सुरक्षा अनिवार्य है या नहीं। अब तक कुछ नहीं किया जा सका है। अत: यह स्थिति है। मुझे नहीं मालूम कि यदि स्थिति ऐसी बनी रहती है तो क्या होगा।

अब मैं पंचायती राज और नगर पालिका संशोधनों पर बोलना चाहता हूँ। आप भी एक प्रभावी वक्ता हैं और आप जानते हैं कि भारत के लोगों को उममीद थी कि 73वां और 74वाँ संशोधन होगा और पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियाँ दी जाएंगी ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप कितना समय और लेंगे?

श्री मनोरंजन भक्त: थोड़ा समय और लेंगे।

[अनुवाद]

महोदय आप एक अच्छे सभापति हैं। कृपया मुझे तनिक कुछ और समय दीजिए।

सभापति महोदय: आप ही पर छोड़ देता हूँ।

श्री मनोरंजन भक्त: महोदय मैं नगर पालिका और पंचायत से संबंधित विषय पर विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जिसके लिए आप वर्षों से लड़ रहे हैं। चुनाव करवाये गए। शक्ति कहाँ है? सभी शक्तियाँ निर्धारित है। शक्तियाँ निर्धारित करने के बाद उन्हें सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार वे कुछ नहीं कर सकती। वे कोई विकास कार्य नहीं कर सकती। इस कारण यद्यपि उनके पास पैसा है किन्तु वह खर्च नहीं कर सकती। हम क्या चाहते थे। हम विकेन्द्रीकरण चाहते थे। हम केन्द्रीयकरण नहीं चाहते। संविधान में दिए गए अधिकारों का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए तथा वास्तव में तथा ईमानदारी से किया जाना चाहिए और लोगों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कानून का शासन और मानवाधिकार का है। यदि आप इन मुद्दों पर बातें करेंगे तो कानून के शासन को समझना अनिवार्य होगा। जब आप कानून के नियम पर बल देने की बात करते हैं, तो न्यायालय को सभी सुविधायें प्रदान करनी चाहिएँ। जिला न्यायालय और अन्य स्थानों पर पाठ्य सामग्री तक भी उपलब्ध नहीं है। वे काम किस प्रकार करते हैं? यह न्यूनतम आवश्यकता है। यदि आप संघ शासित क्षेत्र के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई 10 या 20 लाख से ज्यादा न्यायपालिका के लिए नहीं बच पाता। अत: यदि आप कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं तो यह सब कैसे सम्भव होगा।

महोदय फिर मैं अन्त में यह कहना चाहूँगा कि यदि आप देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति विकास और यह चाहते हैं कि इस देश में समृद्धि हो, तो यह अत्यन्त अनिवार्य है कि हम सभी जो यहाँ बैठे हैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखें। हमें सभी मतभेदों के बावजूद एक राष्ट्रीय सूची तैयार करनी चाहिए। समय आ गया है जबकि हमें राष्ट्रीय सूची तैयार करनी चाहिए। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। सभी राज्यों, राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के साथ इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस होनी चाहिए और फिर एक राष्ट्रीय सूची तैयार करनी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार आए या कोई भी सरकार जाए राष्ट्रीय सूची के तैयार क्षेत्र बिना किसी बाधा के जारी रहने चाहिएं।

महोदय, सरकार ने केवल महिला आरक्षण विधेयक की बात की है किन्तु हम नहीं जानते कि इसका क्या होगा। हमारी पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह देश की महिलाओं के बारे में ईमानदार न्यायसंगत रवैया अपनाएं और उनका आदर करे।

महोदय, अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात करूँगा और अपना भाषण समाप्त करूंगा। 50 वर्ष के अनुभव, जिससे देश गुजर चुका है के बाद अब हमें एक नई संविधान सभा गठित करनी चाहिए। देश के नए परिदृश्य में, नई प्रणाली में तथा नए राजनीतिक दृष्टिकोणों में देश को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि वर्तमान प्रणाली में आप कुछ नहीं कर सकते। आप संविधान को लोगों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं बदल सकते क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि संविधान के आधारभूत ढाँचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब आधारभूत ढाँचा क्या है। किसी भी चीज को आधारभूत कह सकते हैं। अत: यदि आप लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि पार्टियों के बीच गम्भीर वार्ता हो कि संविधान सभा कैसे गठित हो। इसके गठन के लिए यदि आवश्यक तो हम भारत के लोगों के समक्ष जा सकते हैं क्योकि वर्तमान संविधान में यह लिखा है कि भारत के लोगों ने यह संविधान अपने आप को समर्पित किया है। यदि ऐसा है तो लोग सर्वोच्च हैं, वे संविधान को बदल सकते हैं और उनके विचारों के अनुरूप संविधान रचा जा सकता है। ऐसा किया जाना चाहिए।

अन्त में, पुन: मैं यह कहूंगा कि सरकार को सदबुद्धि आए। कभी इस पक्ष पर और कभी उस पक्ष पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। वे अब शासन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर देना होगा और वे देशवासियों के प्रति उत्तरदायी हैं। वे देश की संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के मामले में अपना पक्ष सुधारना चाहिए। और उन्हें गम्भीरता से राज्य में सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ सरकार के गठन का प्रयास करना चाहिए ताकि साम्प्रदायिक शक्तियों को इस देश के लोगों से खिलवाड़ का अवसर न मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 25 फरवरी, 1997/ 6 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।